

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21



इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन: U67190DL2006GOI144520

5वां तल, ब्लॉक 2, प्लेट ए एवं बी, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

टेलीफोन: +91-11-24662777, फैक्स: +91-11-20815125, 20815117

वेबसाइट: www.iifcl.in



दृष्टि

भारत में विश्व स्तरीय अवसंरचना के संवर्धन व विकास के लिए
नवोन्मेषी वित्तपोषण के साधन उपलब्ध कराना

मिशन

अवसंरचना क्षेत्र के वित्तपोषण में सर्वोत्तम पद्धतियां अपनाना एवं अवसंरचना क्षेत्र के विकास
को सुवधापरक बनाते हुए मूल क्षमताओं का विकास करना।
व्यावसायिक तरीके में सेवाएं प्रदान करने एवं सभी पणधारकों की संतुष्टि के लिए अत्यंत
समर्पित कर्मचारियों की टीम तैयार करना।



प्रबंध निदेशक की कलम से



देवियों और सज्जनों,

आपकी कंपनी की 16वीं वार्षिक आम बैठक के शुभ अवसर पर आपको संबोधित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, वित्तीय वर्ष 2020-21 को वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के निरंतर विघटनकारी प्रभाव से चिह्नित किया गया था, दुनिया भर के कई देशों ने अपनी आर्थिक गतिविधियों में संकुचन देखा था। हालांकि, यह वर्ष सीखने और नए अवसरों का अपना सेट भी लेकर आया, क्योंकि अर्थव्यवस्थाओं और कॉरपोरेट्स ने खुद को एक बदली हुई दुनिया की गतिशीलता के अनुकूल बनाया।

भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र भी आर्थिक और कारोबारी माहौल में मंदी से प्रभावित था। हालांकि, इस क्षेत्र ने कोविड-19 महामारी के दौरान सापेक्ष लचीलापन दिखाया और कई संकेतक इस ओर इशारा करते हैं, पूर्व-कोविड स्तरों पर पुनर्प्राप्ति। भारत सरकार और भारतीय आरक्षित निधि बैंक की त्वरित नीति प्रतिक्रिया के कारण, प्रमुख क्षेत्रों में विकास अब ठीक हो रहा है।

किसी भी बढ़ती अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों के साथ सरकार से अत्यधिक ध्यान मिला है। आईआईएफसीएल भी बुनियादी ढांचा क्षेत्र को दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करने में अपनी भूमिका निभा रहा है और सरकार के विकास एजेंडे का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि 2020-21 में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, आपकी कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक के उच्चतम वार्षिक प्रतिबंधों और संवितरणों के साथ क्रमशः ₹20,892 करोड़ और ₹9,460 करोड़ का रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। संचयी आधार पर, आपकी कंपनी ने मार्च 2021 तक क्रमशः ₹1.6 लाख करोड़ और ₹83,000 करोड़ की मंजूरी और संवितरण को पार कर लिया है। आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 में ऋण पोर्टफोलियो को ₹9 प्रतिशत बढ़ाकर ₹36,689 करोड़ करने में कामयाबी हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2019-20। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019 में ₹291 करोड़ के नुकसान की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिचालन लाभ में ₹315 करोड़ के टर्नअराउंड का अनुभव किया। वर्ष 2020-21 में आपकी कंपनी अपने कर पश्चात लाभ (पीएटी) को ₹286 करोड़ तक बढ़ाने में सफल रही, जो कि पिछले वर्ष के ₹51 करोड़ के पैट की तुलना में 461 प्रतिशत अधिक है। आपकी कंपनी गिरती आस्ति गुणवत्ता प्रवृत्तियों को रोकने और 31 मार्च 2021 को सकल एनपीए को 13.90 प्रतिशत (पिछले वर्ष के 19.70 प्रतिशत से नीचे) और 31 मार्च 2021 को निवल एनपीए को 5.58 प्रतिशत तक उल्लेखनीय रूप से कम करने में सक्षम थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में एनपीए में नकद वसूली बढ़कर लगभग ₹630 करोड़ हो गई, जो पिछले साल की तुलना में ₹93 प्रतिशत अधिक है। आईआईएफसीएल का पोर्टफोलियो पिछले साल की तुलना में इस साल भी स्वस्थ है, पिछले वर्ष में 9.75 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2021 तक निवेश ग्रेड श्रेणी में अपने ऋण पोर्टफोलियो का 77 प्रतिशत, एएए-रेटेड श्रेणी में 25 प्रतिशत सहित रहा।

अब, मैं सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा क्षेत्र का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि इसका आपकी कंपनी के प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं पर असर पड़ता है।

आर्थिक अवलोकन

टीकाकरण अभियान की बढ़ती गति और अपार नीतिगत समर्थन के नेतृत्व में, भारत और दुनिया दोनों में आर्थिक गतिविधि अब गति प्राप्त कर रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2021-22 में 6 प्रतिशत और 2022 में 4.9 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। भारत में, भले ही दूसरी लहर की गति अभूतपूर्व थी, प्रभाव के कम होने के संकेत हैं।

सरकार के नीतिगत प्रोत्साहन को गरीबों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने के लिए और साथ ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए एक व्यापक पैकेज (आत्मनिर्भर भारत) प्रदान करने के लिए कैलिब्रेट किया गया था। 2020-21 में, सकल घरेलू उत्पाद का 15.7 प्रतिशत (तरलता और आरबीआई द्वारा किए गए अन्य उपायों सहित) प्रोत्साहन मोटे तौर पर था। इसके परिणामस्वरूप 2020-21 की पहली तिमाही में 24.4 प्रतिशत के अभूतपूर्व संकुचन से 2020-21 की तीसरी तिमाही तक सकारात्मक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आया, जो सहायक वित्तीय स्थितियों से सहायता प्राप्त है। हालांकि, अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव को उजागर करते हुए, पूरे वर्ष 2020-2021 जीडीपी संकुचन 7.3 प्रतिशत दर्ज किया गया

था। विशेषज्ञ अब K आकार का अनुमान लगाते हैं। विभिन्न परिमाण अर्थव्यवस्था के लिए रिकवरी, जहां अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्से कोविड-19 महामारी से उबर रही हैं।

मुद्रास्फीति के मोर्चे पर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति, 2020-21 में 6 प्रतिशत से ऊपर के औसत के बाद, 2021-22 में 5 प्रतिशत से ऊपर रहने का अनुमान है। उच्च आधार प्रभाव के साथ खाद्य कीमतों में मॉडरेशन के कारण, यह पैरामीटर अगस्त 2021 में आरबीआई के 4 प्रतिशत अधिक/2 प्रतिशत कमी लक्षित सीमा के भीतर चार महीने के निचले स्तर 5.3 प्रतिशत तक कम हो गया। इसने केंद्रीय बैंक द्वारा तत्काल दर वृद्धि की कार्रवाई की चिंताओं को आंशिक रूप से कम कर दिया है। आरबीआई ने विकास को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक रूप से लंबे समय तक समायोजन का रुख बनाए रखा है, जबकि यह सुनिश्चित किया गया है कि मुद्रास्फीति आगे बढ़ने वाले लक्ष्य के भीतर बनी रहे। इसके अलावा, कोविड -19 की दूसरी लहर के मद्देनजर, आरबीआई ने मई 2021 में महामारी से आर्थिक रूप से तनावग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए पिछले साल घोषित किए गए उपायों की समान संरक्षण के साथ संकल्प फ्रेमवर्क (आरएफ) 2.0 की घोषणा की।

इसके अलावा, आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, बदले हुए वातावरण में कई उच्च आवृत्ति संकेतक - ई-वे बिल, टोल संग्रह, बिजली उत्पादन, हवाई यातायात, रेलवे माल यातायात, पोर्ट कार्गो, ने जून / जुलाई 2021 में मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो कि नियंत्रण और अनुकूलन में ढील को दर्शाता है।

कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद, भारत ने स्थिर वित्तीय बाजार स्थितियों और अनुकूल आर्थिक संभावनाओं से प्रेरित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों में मजबूत रुचि देखी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार जून 2021 में बढ़ने के बाद पहली बार 600 बिलियन अमरीकी डालर का आंकड़ा पार कर गया, जिससे 18 महीने से अधिक के आयात कवर के साथ अप्रत्याशित बाहरी झटकों से राहत मिली।

बैंकिंग एवं वित्तीय सेक्टर

फिच की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय बैंकों के प्रदर्शन में वित्तीय वर्ष 2020-21 में सुधार हुआ, यहां तक कि उन्होंने कोविड -19 महामारी से प्रभावित तनावग्रस्त उधारकर्ताओं को राहत दी। आरबीआई ने उधारदाताओं को महामारी के प्रभाव से राहत प्रदान करने के लिए उधारकर्ताओं को मोहलत देने की अनुमति दी। आपकी कंपनी ने इच्छुक उधारकर्ताओं के लिए ऋण स्थगन का विस्तार करते हुए उपयुक्त प्रतिक्रिया व्यक्त की। आस्ति की गुणवत्ता के मामले में, आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जुलाई 2021) के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल एनपीए अनुपात (जीएनपीए) और निवल एनपीए (एनएनपीए) अनुपात, जो मार्च तक क्रमशः 8.5 प्रतिशत और 3 प्रतिशत तक पहुंच गया था। 2020, मार्च 2021 तक क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 2.4 प्रतिशत पर आ गया। इसके अलावा, बैंकों ने अपनी बहीखातों पर महामारी के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए प्रावधानों में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

उद्योग के भीतर प्रमुख उप-क्षेत्रों में, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में जीएनपीए अनुपात (औद्योगिक क्षेत्र में बैंक ऋण में 37.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ), मार्च 2020 तक 13.1 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2021 तक 10.5 प्रतिशत हो गया। बैंकिंग प्रणाली से गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए), सरकार द्वारा एक बैड बैंक-द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) और इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (आईडीआरसीएल) की संरचना सही दिशा में एक कदम है।

2020-21 के दौरान, तरलता और वित्तीय बाजार की स्थिति वर्ष के दौरान काफी हद तक स्थिर रही क्योंकि आरबीआई ने घरेलू मांग के समर्थन में महामारी की शुरुआत के बाद से पर्याप्त अधिशेष तरलता बनाए रखी है। चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत औसत दैनिक अवशोषण जून 2021 में ₹5.7 लाख करोड़ से बढ़कर अगस्त 2021 की शुरुआत में ₹8.5 लाख करोड़ हो गया। इसके अलावा, अधिशेष तरलता की स्थिति के कारण 2020-21 के दौरान मौद्रिक संचरण में उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ। वर्ष के दौरान नए मौद्रिक ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) में 79 बीपीएस की गिरावट आई। आपकी कंपनी भी बाजार की स्थितियों के साथ खुद को सक्रिय रूप से जोड़ रही है और जुलाई 2020 से अपनी आधार दर को 180 बीपीएस से घटाकर वर्तमान में 7.40 प्रतिशत कर दिया है। आईआईएफसीएल की योजना अधिक व्यापार आकर्षित करने और अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए अपने मूल्य निर्धारण को प्रतिस्पर्धी रखते हुए एक बढ़ी हुई बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करने की है। कम कीमत के साथ संभावित रूप से लाभप्रदता को प्रभावित करने के साथ, आपकी कंपनी निवल ब्याज मार्जिन और लाभप्रदता बनाए रखने के लिए अपनी लागत संरचना को कम करने के लिए भी कदम उठा रही है।

इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग स्पेस में रुझान

भारत में, अब तक, बैंक बुनियादी ढांचा क्षेत्र के प्रमुख वित्तपोषक रहे हैं। हालांकि, उनकी आस्ति देयता बेमेल मुद्दों के कारण, जहां उनकी 80 प्रतिशत से अधिक देनदारियां अल्पकालिक प्रकृति की हैं, में उनका हिस्सा पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचा ऋण में गिरावट आई है (आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार, पांच साल पहले लगभग 61 प्रतिशत से, मार्च 2021 तक 46 प्रतिशत)। साथ ही, कुल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट (31 मार्च, 2021 तक ₹24.7 लाख करोड़) में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों (आईएफसी) की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और 31 मार्च, 2021 तक यह 54 प्रतिशत पर रही। यह वृद्धि काफी हद तक सार्वजनिक क्षेत्र के आईएफसी के नेतृत्व में रही है। साथ ही, जहां तक कर्ज चुकाने का सवाल है, ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर सब-सेक्टर महामारी के दौरान लचीले बने रहे हैं। नतीजतन, कोविड-प्रेरित व्यवधानों के कारण बुनियादी ढांचा क्षेत्र में वृद्धिशील तनाव कम रहा है। फिर भी, मेरा मानना है कि बैंकों और एनबीएफसी के लिए परिचालन का माहौल चुनौतीपूर्ण बना हुआ है और लगातार कोविड-19 जैसी आपदाओं और लॉकडाउन की स्थिति में समस्याएं बढ़ सकती हैं।

इस तथ्य को देखते हुए कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के विभिन्न अन्य क्षेत्रों के साथ मजबूत संबंध हैं, प्रचलित कम ब्याज दर परिदृश्य में, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बढ़ा हुआ निवेश करना ही सही है। यह बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था के लिए कई लाभ उठा सकता है और जनता पर कोविड के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है।

अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) में सेक्टर अनुसार निष्पादन विशिष्टताएं

भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था में एक पुनर्गठन को सक्षम करने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं और महामारी के बाद की दुनिया में तेजी से विकास का मार्ग प्रशस्त करने के उपायों की घोषणा की है। तथ्य यह है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र का किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास और विकास पर एक चक्रवृद्धि प्रभाव पड़ता है जो कि नया नहीं है। 7,400 से अधिक परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के विस्तार जैसी पहलों के साथ राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना (एनएमपी) की घोषणा बजट 2021-22 में घोषित बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (INVTs) को प्रोत्साहन प्रदान किया है। इसके अलावा, माननीय प्रधान मंत्री ने गति शक्ति योजना की घोषणा की है जो समग्र बुनियादी ढांचे की नींव रखेगी और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।

यद्यपि कोविड -19-प्रेरित मंदी ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, यह उम्मीद की जाती है कि सरकार इस क्षेत्र का समर्थन करना जारी रखेगी, जो कि समग्र अर्थव्यवस्था पर बुनियादी ढांचे के निवेश के सकारात्मक गुणक प्रभाव को देखते हुए है। आईआईएफसीएल भी न केवल वित्तीय सहायता उधार देकर, बल्कि क्षेत्र में विभिन्न नए और अभिनव स्रोतों से वित्तपोषण बढ़ाने के लिए प्रमुख सुधार लाने के लिए अधिकारियों और हितधारकों के साथ जुड़कर भी इस क्षेत्र के विकास का समर्थन करना जारी रखेगा। उदाहरण के लिए, आपकी कंपनी आईआईएफसीएल द्वारा इनविट्स (INVTs) को उधार देने पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए आरबीआई के साथ चर्चा में सक्रिय रूप से लगी हुई है। आपकी कंपनी अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सरकार की मदद करने के लिए तैयार है।

वर्ष 2020-21 के दौरान प्रमुख अवसंरचना उप-क्षेत्रों में कुछ उल्लेखनीय विकास और आगे की राह को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

सड़कें एवं राजमार्ग

सड़क क्षेत्र में, देशव्यापी लाकडाउन के कारण, टोल राजस्व संग्रह में और साथ ही सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं से प्रेषण में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। सड़क परियोजनाओं को बढ़ावा देने वाली सहायक गतिविधियों में गिरावट देखी गई। इनमें कम विनिर्माण गतिविधि, पर्यटन, सीमेंट, स्टील, पेट्रोलियम उत्पादों की खपत आदि शामिल हैं। हालांकि, अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ, टोल संग्रह सामान्य स्थिति को फिर से शुरू कर दिया है।

एनआईपी के तहत निर्धारित निवेश लक्ष्यों को पूरा करने में इनविट्स और एनएमपी के माध्यम से वित्त पोषण जैसी नई पहलों के महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद है। सड़क क्षेत्र राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का 27 प्रतिशत (₹1.6 लाख करोड़) का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसकी कुल आस्ति 26,700 किमी है। इसके अलावा, एनएचएआई पूंजी बाजार के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए इनविट मार्ग के तहत अपनी पूर्ण राजमार्ग परियोजनाओं का मुद्रीकरण करने की प्रक्रिया में है। इससे निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने और नई सड़क परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आवश्यक निवेश मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) रियायत अवधि के विस्तार के रूप में सड़क क्षेत्र को सहायता प्रदान कर रहे हैं।

परिचालन परियोजनाओं, दायित्वों को पूरा करने के लिए छूटग्राहियों के लिए समय का विस्तार, बैंक गारंटी के भुगतान में देरी के कारण दंड की छूट, अप्रत्याशित घटना का आह्वान, आदि। मैं सड़क क्षेत्र में मौजूदा रियायत समझौतों के तहत हितधारकों के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए कदम उठाने के लिए सरकार की सराहना करता हूँ। उदाहरण के लिए, हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) आधारित सड़क परियोजनाओं के लिए, एमओआरटीएच ने नई एचएएम-आधारित सड़क परियोजनाओं के लिए संशोधित मॉडल रियायत समझौता जारी किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा समझौतों के तहत लागू बैंक दर से जोड़ने के बजाय शीर्ष पांच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के एक साल के एमसीएलआर के औसत से ब्याज वार्षिकी को जोड़ना शामिल था। इसके अलावा, आपकी कंपनी समाप्ति भुगतानों के निपटान में तेजी लाने के लिए एनएचआई और एमओआरटीएच के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना जारी रखती है और इस संबंध में सरकार से अपार समर्थन प्राप्त करती है।

इसके अलावा, डिजिटल मोड के माध्यम से टोल भुगतान को बढ़ावा देने और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए, एमओआरटीएच ने फरवरी 2021 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा में सभी लेन को फास्ट टैग लेन के रूप में घोषित किया। एनएचआई निर्माण, सड़क की स्थिति सर्वेक्षण, इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम और परियोजना टीम प्रबंधन सहित विभिन्न गतिविधियों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। यह निश्चित रूप से नकदी प्रवाह की निश्चितता प्रदान करके हितधारकों, डेवलपर्स, उधारदाताओं के विश्वास को बढ़ावा देगा और यहां तक कि परियोजना के प्रतिभूतिकरण की संभावनाओं को भी बढ़ाएगा।

विद्युत सेक्टर (क्षेत्र)

वर्ष के दौरान, कोविड -19 के कारण ऊर्जा क्षेत्र कुछ हद तक प्रभावित हुआ क्योंकि इसे आवश्यक सेवा के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मसौदा बिजली संशोधन विधेयक, 2021, जो अन्य बातों के साथ-साथ बिजली वितरण को लाइसेंस मुक्त करने का प्रयास करता है, विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण (ईसीईए) का गठन करता है, जिसे निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा निजी खिलाड़ियों (उद्यमियों) के लिए क्षेत्र को खोलने के लिए एक प्रमुख सुधारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह भी अनिवार्य है कि सभी बिजली वितरण लाइसेंसधारियों को अपनी कुल बिजली खपत के प्रतिशत के रूप में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से न्यूनतम निर्दिष्ट मात्रा में खरीद या उत्पादन करना चाहिए। यह कदम टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार के बढ़ते फोकस के अनुरूप है।

भारत अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है और ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भरता के साथ ऊर्जा क्षेत्र में "आत्मनिर्भर" बन रहा है। भारत ने अगस्त 2021 में अक्षय ऊर्जा क्षमता को 100 GW (गीगावाट) से पार कर लिया, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वर्तमान में कुल स्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 384 GW है। आज भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर, सौर में 5 वें और स्थापित क्षमता के मामले में पवन में चौथे स्थान पर है। जैसे-जैसे स्थिरता संबंधी चिंताओं का अहसास बढ़ता है, अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं, हरित आवास, ऊर्जा दक्षता संचालित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं सामने आएंगी और इनका मूल्यांकन वित्तीय लाभों के अलावा आर्थिक लाभों पर किया जाना चाहिए। इसके लिए वित्तीय मूल्यांकन और समापन सुनिश्चित करने के लिए उधार देने वाले समुदाय के भीतर व्यापक ज्ञान आधार की आवश्यकता होगी।

विमानपत्तन (एयरपोर्ट)

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के छह हवाई अड्डों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) आधारित मॉडल, अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम के माध्यम से निजी क्षेत्र को पट्टे पर दिया गया था। इसके अलावा, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत, 25 प्रमुख एएआई हवाई अड्डों को वित्त वर्ष 2022-25 में मुद्रीकरण के लिए माना गया है। सरकार (पीपीपी) के पैकेज के रूप में बड़े हवाई अड्डों के संयोजन में छोटे हवाई अड्डों की पेशकश करने की भी योजना बना रही है। इससे देश में हवाई अड्डों के विकास और रखरखाव के लिए निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकार के प्रयासों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

आपकी कंपनी ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलूर सहित देश के कुछ सबसे बड़े हवाई अड्डों के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईआईएफसीएल ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में जेवर हवाई अड्डे के विकास के लिए ₹1,146 करोड़ की मंजूरी भी प्रदान की है। जहां तक हवाई यातायात का संबंध है, कोविड-19 प्रेरित यात्रा व्यवधानों के कारण आगे बढ़ने का अनुमान है। हालाँकि, इस क्षेत्र का पुनरुद्धार किसी भी बाद की लहरों पर टिका है।

रेलवे

भारतीय रेलवे (IR) आकार के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिसमें 67,368 किमी के मार्ग पर कुल 1,21,407 किमी का ट्रैक है। माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे के बुनियादी

ढांचे को बढ़ाने पर अधिक ध्यान देने के साथ, क्षमता की कमी को दूर करने और समग्र यात्री संतुष्टि में सुधार के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य सरकार द्वारा माल ढुलाई में अपनी हिस्सेदारी को वर्तमान 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने के लिए अपनी अवसंरचनात्मक क्षमता को बढ़ाना है, जिससे रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) जैसी एजेंसियों के साथ रेलवे स्टेशन पुनर्विकास को प्रोत्साहन मिला है। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (IRCON) और इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (IRSDC), जो इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और पुनर्विकास और निजीकरण के लिए देश भर में कई स्टेशनों की पहचान कर चुके हैं। आईआरएसडीसी ने गांधीनगर और हबीबगंज स्टेशनों के पुनर्विकास को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है (बाद में आईआईएफसीएल द्वारा कंसोर्टियम के हिस्से के रूप में वित्तपोषित किया जा रहा है)। कुछ स्टेशनों में उपलब्ध अतिरिक्त भूमि जोत का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए रेल-साइड सुविधाओं और सुविधाओं के साथ-साथ शहर-साइड सुविधाओं के विकास पर ध्यान देने के साथ, स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम से समग्र अर्थव्यवस्था और अचल आस्ति को गति मिलने की उम्मीद है। आईआरएसडीसी और आरएलडीए ने पुनर्विकास के लिए 2021-22 में 40 स्टेशनों और 2022-23 में अन्य 120 स्टेशनों को लेने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन के अनुसार, रेलवे की आस्ति ₹6 लाख करोड़ की कुल आस्ति पाइपलाइन का लगभग 26 प्रतिशत है। रेलवे की ब्राउनफील्ड आस्तियों का मुद्राकरण चार वर्षों में ₹1.5 लाख करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है।

बंदरगाह

वित्त वर्ष 2020-21 में गिरावट दर्ज करने वाले प्रमुख और गैर-प्रमुख दोनों बंदरगाहों पर कार्गो यातायात के साथ महामारी के प्रभाव के लिए बंदरगाह क्षेत्र कोई अपवाद नहीं था। हालाँकि, भारतीय बंदरगाह का प्रदर्शन अब शुरुआती कोविड 19 झटके के बाद स्थिर रहा है। इसके अलावा, बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के विस्तार को बढ़ावा देने और व्यापार और वाणिज्य की सुविधा के लिए, फरवरी 2021 में प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020 पारित किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य निर्णय लेने का विकेंद्रीकरण करना और प्रमुख बंदरगाहों के शासन में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना है।

व्यापार करने में आसानी हेतु अगस्त 2021 में संसद ने अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 पारित किया, जिसका उद्देश्य 100 साल से अधिक पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 (1917 का 1) को बदलना और विधायी ढांचे को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाकर अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करना है। अंतर्देशीय जल परिवहन की अपार संभावनाओं को महसूस करने के बाद, सरकार ने 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया था क्योंकि इसका उद्देश्य कार्गो और यात्रियों की आवाजाही के लिए भीड़भाड़ वाली सड़क और रेल नेटवर्क के लिए परिवहन के पूरक और पर्यावरण के अनुकूल लिखत के रूप में इसे बढ़ावा देना है।

आईआईएफसीएल की परिचालनात्मक और वित्तीय विशेषताएं

इस पृष्ठभूमि में, मैं अब वर्ष 2020-21 के दौरान आईआईएफसीएल के परिचालनात्मक और वित्तीय निष्पादनों को प्रस्तुत करना चाहूंगा।

परिचालनात्मक प्रमुखताएं

प्रत्यक्ष ऋण:

- **सकल संस्वीकृतियां:** 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रत्यक्ष ऋण के तहत 5,772 करोड़ रु. की वृद्धिशील सकल स्वीकृतियां दीं, प्रत्यक्ष ऋण (उप-ऋण सहित) के तहत 513 परियोजनाओं के लिए कुल संचयी सकल प्रतिबंधों को लेते हुए 95,822 करोड़ रुपये तथा 31 मार्च 2021 तक परियोजना लागत ₹9,04,427 करोड़ थी।
- **वित्तीय समापन:** 31 मार्च 2021 तक, प्रत्यक्ष ऋण के तहत 378 निवल मंजूरी परियोजनाओं में से, 368 परियोजनाएं यानी 97 फीसदी ने फाइनैशियल क्लोजर हासिल कर लिया है।
- **संवितरण:** 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रत्यक्ष ऋण (उप-ऋण सहित) के तहत ₹2,260 करोड़ का वृद्धिशील संवितरण किया, इस योजना के तहत 31 मार्च 2021 तक संचयी संवितरण को ₹5,60,209 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ ₹44,048 करोड़ रुपये से 357 परियोजनाओं तक ले जाया गया।

पुनर्वित्त

- **सकल संस्वीकृतियां:** वर्ष 2021-21 के दौरान आपकी कंपनी ने पुनर्वित्त के तहत 14400 करोड़ रुपये वृद्धिशील सकल संस्वीकृतियां प्रदान की और 31 मार्च, 2021 तक इस योजना के तहत सकल संचयी 35897 करोड़ रु. हो गई ।
- **संवितरण:** वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने पुनर्वित्त के तहत 7,200 करोड़ रु. का वृद्धिशील संवितरण किया, जिससे 31 मार्च 2021 को योजना के तहत संचयी संवितरण 21,915 करोड़ रु. हो गया।

टेकआउट वित्त

- सकल संस्वीकृतियां 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने टेकआउट फाइनेंस के तहत ₹720 करोड़ रु की वृद्धिशील सकल स्वीकृतियां दीं, जिससे 31 मार्च 2021 को इस योजना के तहत संचयी सकल संस्वीकृतियों को ₹25,112 करोड़ रु तक ले जाया गया।
- **संवितरण:** टेकआउट वित्त योजना के तहत संचयी संवितरण 31 मार्च 2021 को ₹15,413 करोड़ है।

वित्तीय विशिष्टताएं (प्रमुखताएं)

- कर पश्चात लाभ वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹51 करोड़ रु. से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹286 रु. करोड़ हो गया
- बकाया ऋण खाता मार्च 2021 को ₹33,627 करोड़ से 9 प्रतिशत बढ़कर ₹36,689 करोड़ हो गई।
- जोखिम से पूंजी (भारित) आस्ति अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2020 तक 30.85 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2021 को 30.86 प्रतिशत हो गया, जो आरबीआई द्वारा अनिवार्य एनबीएफसी के लिए 15 प्रतिशत की न्यूनतम नियामक आवश्यकता पर पर्याप्त सहनीयता (कुशन) प्रदान करता है।
- प्रावधान कवरेज(आवरण) अनुपात मार्च 2020 में 50.51 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 तक 61.24 प्रतिशत हो गया।
- ऋण-इक्विटी अनुपात मार्च 2020 में 3.54 से बढ़कर मार्च 2021 तक 3.73 हो गया।
- मार्च 2021 को सकल एनपीए और निवल एनपीए 13.90 प्रतिशत और 5.39 प्रतिशत था।

आईआईएफसीएल का प्रभाव

मार्च 2021 तक, आपकी कंपनी ने देश में लगभग 27 प्रतिशत पीपीपी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए, ₹10 लाख करोड़ से अधिक के कुल परिच्यय वाली 620 परियोजनाओं में भाग लिया है। इसने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित मुख्य समर्थकारी प्रभाव दिए हैं—

- **सड़कें और राजमार्ग:** ~28,500 कि.मी. सड़क विकास अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग क्षमता का ~21 प्रतिशत
- **बंदरगाह:** ~800 मीट्रिक टन बंदरगाह क्षमता विकास अर्थात भारत की प्रमुख बंदरगाह क्षमता का ~52 प्रतिशत
- **पारंपरिक ऊर्जा:** ~62 गीगावाट ऊर्जा वृद्धि अर्थातय भारत की स्थापित क्षमता का 16 प्रतिशत
- **नवीकरणीय ऊर्जा:** आईआईएफसीएल ने ~₹15,293 करोड़ की मंजूरी और ₹8,340 करोड़ के संवितरण के साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को अपनी सहायता का विस्तार किया है।
- हवाई अड्डे, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास— दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बहुत सारे।

आईआईएफसीएल की सहायक कंपनियों की विशिष्टताएं

आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड, लंदन में आईआईएफसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, ने 31 मार्च 2021 तक 4.26 बिलियन अमरीकी डालर का संचयी ऋण संस्वीकृति (निरस्तीकरण का शुद्ध) और 2.25 बिलियन अमरीकी डालर का संचयी संवितरण किया है। वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने कुल प्रतिबंध 270 मिलियन अमरीकी डॉलर की संस्वीकृतियां बढ़ाई थी। आरबीआई ने मार्च 2023 तक 5 बिलियन अमरीकी डालर की अपनी क्रेडिट लाइन की वैधता के विस्तार को मंजूरी दे दी है। आरबीआई लाइन ऑफ क्रेडिट के अलावा, आईआईएफसी (यूके) वित्तीय संसाधनों को और भारत में बुनियादी ढांचे का विकास अधिक पूरक करने की दृष्टि से लगातार धन के नए स्रोतों की खोज कर रहा है।

आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IAMCL), आईआईएफसीएल की एक अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, 2012 में आईआईएफसीएल म्यूचुअल निधि (IDF) के लिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के रूप में स्थापित की गई थी। आईआईएफसीएल म्यूचुअल निधि (आईडीएफ) ने फरवरी 2014 में पांच निवेशकों के साथ ₹300 करोड़ के निधि आकार की अपनी पहली आईडीएफ सीरीज I का शुभारंभ और समापन किया। सीरीज I की प्रबंधन के तहत आस्ति (एयूएम) ₹412.91 करोड़ तक पहुंच गई है और आईडीएफ सीरीज II की ₹31 मार्च 2021 को 174.79 करोड़ रहें। आईडीएफ सीरीज I और सीरीज II दोनों बीएसई पर सूचीबद्ध हैं। योजनाओं ने मुख्य रूप से पूर्ण और राजस्व पैदा करने वाली बुनियादी ढांचा आस्ति और बुनियादी ढांचा वित्तपोषण कंपनियों में निवेश किया है।

आर्थिक मंदी और कोविड की स्थिति ने बुनियादी ढांचे की गतिविधियों की गति को कम कर दिया है और इसलिए उच्च उपज वाले क्रेडिट योग्य अवसरों की मांग को धीमा कर दिया है। चल रहे कम ब्याज परिदृश्य में, जहां रेपो दर 4.00 प्रतिशत के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर है, आईएमसीएल को कम दर के साथ निवेश को रोलओवर (परिवर्धन) करना है। इसके परिणामस्वरूप एयूएम में मामूली वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप प्रबंधन शुल्क में कमी आई है। इसके अलावा, कुल व्यय अनुपात को कम करने से संबंधित सेबी की नीतियों ने भी आईएमसीएल की आय को प्रभावित किया है।

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (IPL), आईआईएफसीएल की तीसरी सहायक कंपनी, एक समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और वित्तीय सलाहकार कंपनी है। कंपनी ने मेघालय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (MIDFC) और तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (TNIDB) के साथ परियोजना विकास सहायता प्रदान करने, नीतिगत मुद्दों को आकार देने और राजरू में क्षमता निर्माण के लिए शहरी और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास की सुविधा के लिए अपने सलाहकार जनादेश के सफल निष्पादन को जारी रखा।

आईआईएफसीएल आईपीएल ने वर्ष के दौरान मेघालय राज्य से अपने पर्यटन क्षेत्र के एकीकृत विकास और राज्य में प्रमुख बिजली वितरण और उत्पादन परियोजनाओं की समीक्षा में राज्य की सहायता के लिए दो नए कार्यक्रम प्राप्त किए। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी ने गोवा में बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए गोवा राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। आईपीएल एमएसएमई क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न परियोजना रिपोर्ट और कार्यान्वयन ढांचे की तैयारी के लिए कपड़ा मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय जैसे केंद्रीय मंत्रालयों के जनादेश पर भी काम कर रहा है।

अपनी विकास गति को जारी रखते हुए और परामर्श और सलाहकार क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ाते हुए, आईपीएल ने वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 11.01 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 8.35 करोड़ रुपये था। कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹1.33 करोड़ की तुलना में वर्ष के लिए ₹2.31 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया।

रणनीति एवं आगे की राह

एक प्रभावी रणनीति में अनिवार्य रूप से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का तत्व होता है जो बाजार में अपनी रणनीतिक स्थिति को परिभाषित करता है। आपकी कंपनी रणनीतिक रूप से देश में एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान के रूप में अवसरचना क्षेत्र के सभी उप-क्षेत्रों में काम कर रही है, और इसका उद्देश्य विकासकों, प्राधिकरणों, नियामकों, राज्य और केंद्र सरकार के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हुए अपने व्यवसाय विकास प्रयासों को मजबूत करना है। आपकी कंपनी लंबे समय से नीति समर्थन में भारत सरकार की सहायता कर रही है और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में विचारशील नेतृत्व प्रदान करने के लिए अपनी भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए, एक इन-हाउस अनुसंधान और सलाहकार विंग स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जो सरकार, नियामक निकायों, परियोजना प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों को नीति समर्थन, प्रतिक्रिया, उपचारात्मक कार्रवाई, नवीन उत्पादों और प्रक्रियाओं को प्रदान करने की क्षमता और अधिक मजबूत करने में सक्षम होगा।

आपकी कंपनी डिजिटलीकरण के माध्यम से निगरानी और निगरानी प्रणाली को मजबूत करने का इरादा रखती है और इस संबंध में, मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए गर्व हो रहा है कि आपकी कंपनी भारत में, ड्रोन, एआई आदि जैसे उच्च अंत समाधानों को एकीकृत करके निर्माण चरण के दौरान वास्तविक समय की परियोजना की निगरानी के लिए अपनी तरह की पहली ऑनलाइन परियोजना निगरानी प्रणाली (ओपीएमएस) शुरू करने वाली पहली ऋणदाता बन गई है।

परिचालनात्मक परियोजनाओं में अपेक्षित उछाल का लाभ उठाने के उद्देश्य से, आपकी कंपनी का लक्ष्य अपने टेकआउट वित्त पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पादों की पेशकश करना, घरेलू उधार के साथ-साथ विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संस्थानों के माध्यम से 22,400 करोड़ रु. तक की धनराशि जुटाना है। आईआईएफसीएल अब अपनी सभी गतिविधियों में एक बाजारोन्मुखी गतिशीलता लाने की प्रक्रिया में है, जिसमें एक बेहतर क्रेडिट नीति, खंडित जोखिम-आधारित मूल्य निर्धारण, वसूली के लिए बढ़े हुए प्रयास, एक सक्रिय कोषागार (ट्रेजरी) प्रबंधन और परियोजनाओं की

निगरानी के डिजिटलीकरण एवं परियोजनाओं के संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रगति से जुड़ा हुआ है। आपकी कंपनी ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए एक एकीकृत आईटी समाधान को लागू करके संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में अग्रणी समय को कम करने का भी प्रयास कर रही है। आगे बढ़ते हुए, आपकी कंपनी बाजार में एक चुस्त और विशिष्ट खिलाड़ी बनने पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखती है।

अभिस्वीकृति

मैं माननीय प्रधान मंत्री, माननीय वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, उपाध्यक्ष नीति आयोग, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग और सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग, का पूरे वर्ष उनके अपार समर्थन और मार्गदर्शन के लिए के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग और आर्थिक मामले, विभाग के अधिकारियों, नीति आयोग और अन्य मंत्रालयों को भी उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, आरबीआई, सेबी, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) बहुपक्षीय संस्थानों, एनएचएआई, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिवाला और भारतीय दिवाला बोर्ड (आईबीबीआई), और सांविधिक लेखा परीक्षकों को इस कंपनी के विकास में उनके अपार योगदान के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।

मैं कंपनी के विकास में उनके योगदान के लिए निदेशक मंडल के सदस्यों का भी आभारी हूँ। अंत में, मैं आईआईएफसीएल के सभी कर्मचारियों को कंपनी को नई ऊँचाइयों पर ले जाने में सक्षम बनाने के उनके अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

ह/-

(पी. आर. जयशंकर)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन सं. 06711526

दिनांक: 9 नवंबर, 2021

स्थान: नई दिल्ली

निदेशक मंडल



श्री पी. आर. जयशंकर
प्रबंध निदेशक



श्री पवन के. कुमार
उप प्रबंध निदेशक



श्री बलदेव पुरुषार्थ
संयुक्त सचिव
(अवसंरचना नीति एवं वित्त)
आर्थिक मामले विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार



श्री ललित कुमार चंदेल
आर्थिक सलाहकार
वित्तीय सेवाएँ विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार



श्री सीएच. पी. सारथी रेड्डी
सलाहकार (पीपीपीएयू)
नीति आयोग



सुश्री ए. मणिमेखालाई
कार्यकारी निदेशक
केनरा बैंक



श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यकारी निदेशक
इंडियन ओवरसीज बैंक

मुख्य महाप्रबंधक



श्री राजीव मुखीजा



श्री एस. सिवा कुमार



श्री शुभेन्दु मैत्र



श्री किशोर एन. कुंभारे

विषय – सूची

वार्षिक आम सभा की सूचना	11
बोर्ड की रिपोर्ट	17
वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	63
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट	78
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण	79
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईआईएफसीएल के एकल वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	164
समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	165
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण	175
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईआईएफसीएल के समेकित वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	265

पंजीकृत कार्यालय

5वां तल, ब्लॉक 2, प्लेट ए एवं बी, एनबीसीसी टावर, ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली-110023

टेलीफोन: +91-11-24662777, फैक्स: +91-11-20815116/7

वेबसाइट: www.iifcl.in

सीआईएन: U67190DL2006GOI144520

बैंकर्स

आईडीबीआई बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

आईसीआईसीआई बैंक

पंजाब एंड सिंध बैंक

कार्पोरेशन बैंक

इंडसइंड बैंक

ट्रस्ट

विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड

(पूर्व में आईएलएंडएफएस ट्रस्ट कंपनी के नाम से ज्ञात)

आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सेंटर, प्लॉट सी-22, जी- ब्लॉक, बांद्रा कुरिया कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400051,

फोन: +91-22-26593215

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड

एशियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, 17आर, कमाना मार्ग बेलार्ड एस्टेट मुंबई-400001, फोन: +91-22-40807000

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स भाटिया एंड भाटिया, सनदी लेखाकार

81, हेमकुंट कॉलोनी, लेवल्स, नेहरू प्लेस के सामने, नई दिल्ली-110048

टेलीफोन नं: +91-11 2646 - 5599, 26475599, फैक्स नं: +91-11-26425599

ई-मेल: anant.bhatia@bnbbindia.co; ravi.bhatia@bnbbindia.co

विषय: 16वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

प्रिय महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की 16वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, दिनांक 10 नवंबर, 2021* को अपराह्न 2.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से तीसरा तल, कॉन्फ्रेंस हॉल, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में धारित की जाएगी।

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए बैठक की विस्तृत सूचना, बोर्ड की रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे, इसके साथ संलग्न है।

कृपया उक्त बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

ह./—

मंजरी मिश्रा

कंपनी सचिव (सदस्यता सं. F6204)

दिनांक: 9 नवंबर, 2021

स्थान: नई दिल्ली

*वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने पत्र संख्या एफ.सं. 18/6/2013-आईएफ-आई दिनांक 9 नवंबर 2021 के माध्यम से आईआईएफसीएल के शेयरधारकों की 16वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 10 नवंबर, 2021 को अपराह्न 2.30 बजे डीएफएस में धारित करने की सहमति प्रदान की।



सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की 16वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, दिनांक 10 नवंबर, 2021* को 02.30 बजे अपराह्न तीसरा तल कॉन्फ्रेंस हॉल, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में वीडियो कॉन्फ्रेंस अन्य प्रत्यक्ष माध्यम से धारित की जाएगी, निम्नलिखित कार्यसूची पर विचार-विमर्श होगा:-

सामान्य प्रयोजन:

- 1) 31 मार्च, 21021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और समेकित वित्तीय विवरणों उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, समझना और अंगीकृत करना।
- 2) निम्नलिखित प्रस्तावों पर सामान्य संकल्प के रूप में विचार करना, और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो बिना किसी आशोधन (आशोधनों) के इन्हें पारित करना:-

संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) और अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हों, के साथ पठित धारा 139 के अनुसरण में, वित्त वर्ष 2021.22 हेतु कम्पनी के संविधिक लेखा परीक्षक के तौर पर एसपीएमआर एंड एसोसिएट्स (डीई2239), सनदी लेखाकार की नियुक्ति जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी और एजी) के कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया था देखें सी एंड एजी पत्र संख्या सी. ए. वी./सीओवाई/केन्द्रीय सरकार, आईआईएफसीएल (1)/437 दिनांक 19 अगस्त, 2021 जिसकी एक प्रति बैठक में प्रस्तुत की गई, एतद्वारा स्वीकृत/अनुमोदित/नोट की जाती है।

यह भी संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल को नियमों और शर्तों और लेखा परीक्षकों के उचित पारिश्रमिक को तय करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो वित्तीय वर्ष 2021.22 के लिए उपयुक्त समझा जाए।

विशेष प्रयोजन:

- 3) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार निजी स्थानन के माध्यम से अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचर्स का निर्गम

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विशेष संकल्पों के रूप में विचार करना, और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो बिना किसी आशोधन (आशोधनों) के इन्हें पारित करना:-

संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा में किसी भी संवैधानिक संशोधन(नों) या उसके पुनर्नियमन सहित धारा 42, 71 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के प्रावधानों के अनुसार) और किसी भी अन्य लागू कानून सहित सेबी (ऋण प्रतिभूतियों के मुद्दे और सूचीकरण) (संशोधन) विनियम, 2018, भारतीय आरक्षित निधि बैंक अधिनियम, 1934 (समय समय पर यथा संशोधित), लागू विनियमों और दिशानिर्देशों, कम्पनी के संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम और ऐसे अन्य लागू विधियों, नियमों और विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार और आवश्यक अनुमोदनों, अनुमतियों, और संस्वीकृतियों के अधीन, एक या इससे अधिक किश्तों में 22400 करोड़ रुपये (बाईस हजार चार सौ करोड़ रुपये मात्र) तक अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचर, करयोग्य/करमुक्त/इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड/भारतीय रुपये में ऑफशोर बॉन्ड/कोई अन्य बॉन्ड, निजी स्थानन आधार पर श्रेणी-।। पूंजी के रूप में अर्हत होने वाले गौण ऋण के प्रस्ताव, निर्गमन और आवंटन के माध्यम से निधियां उधार लेने के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल (यहां इसके पश्चात "बोर्ड" कहा जाए) के सदस्यों का अनुमोदन है और एतद्वारा प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, संकल्प किया गया कि अप्रतिभूत, अपरिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचर्स, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, के निजी स्थानन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") अथवा बोर्ड की किसी भी विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकरण को और विधिवत उन निवेशकों, जिन्हें बॉन्ड/डिबेंचर्स आबंटित

*वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने पत्र संख्या एफ.सं. 18/6/2013-आईएफ-आई दिनांक 9 नवंबर 2021 के माध्यम से आईआईएफसीएल के शेयरधारकों की 16वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 10 नवंबर, 2021 को अपराह्न 2.30 बजे डीएफएस में धारित करने की सहमति प्रदान की।

किये जाने हैं, के आकार, श्रेणी सहित जारी करने के निबंधन, प्रत्येक शाखा में आबंटित किए जाने वाले बॉन्ड/डिबेंचर्स की संख्या, जारी करने की कीमत, आशय, ब्याज दर, तत्कालीन विद्यमान बाजार कीमतों पर प्रीमियम/छूट, जारी करने की राशि, बॉन्ड/डिबेंचर्स धारकों की श्रेणी के लिए जारी करने की कीमत पर छूट, सूचीयन, निजी स्थानन प्रस्ताव पत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित किसी घोषणा/शपथपत्र इत्यादि को जारी करना और तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विनियामक अपेक्षाओं निर्धारण के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त यह संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल या बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति या कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकरण को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों और चीजों को करने और ऐसे निर्देश देने के लिए अधिकृत किया जाता है या जो समीचीन, इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समझे जा सकते हैं।”

4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत स्वीकृत उधार सीमा में वृद्धि

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित लगे तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के पारित करना, निम्नलिखित संकल्प को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया गया है कि धारा 180(1)(ग) के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार (किसी भी वैधानिक संशोधन (संशोधन सहित) या कुछ समय के लिए उसके पुनः अधिनियमन सहित) बल) और कंपनी के एसोसिएशन के लेख, कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन, बोर्ड को समय-समय पर कंपनी के उद्देश्य के लिए ऐसी शर्तों पर किसी भी राशि या राशि को उधार लेने के लिए दिया जाता है और शर्तों के साथ या बिना सुरक्षा के जैसा कि निदेशक मंडल अपने विवेक से उचित समझे, इस बात के बावजूद कि कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि के साथ उधार लिया जाने वाला धन या धन (सामान्य रूप से कंपनी के बैंकर से प्राप्त अस्थायी ऋण के अलावा) व्यवसाय के दौरान) कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी और उसके मुक्त भंडार और सुरक्षा प्रीमियम से अधिक हो सकती है, बशर्ते कि पहले से ही उधार ली गई बकाया धनराशि. 70,000 करोड़ (केवल सत्तर हजार करोड़ रुपये) सहित किसी भी समय बकाया कुल उधार रुपये की राशि से अधिक नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त यह संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल या बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति या कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकरण को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों और चीजों को करने और ऐसे निर्देश देने के लिए या समीचीन, इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो आवश्यक समझे जा सकते हैं”

निदेशक मंडल के आदेश से

कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

ह0/-

मंजरी मिश्रा

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 9 नवंबर, 2021

(सदस्यता संख्या F6204)

पंजीकृत कार्यालय

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

पांचवा तल, ब्लॉक-2 प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर,

ईस्ट किडवर्ई नगर, नई दिल्ली – 110023

सीआईएन: U67190DL2006GOI144520

वेबसाइट: www.iifcl.in

नोट:-

1. बैठक में भाग लेने तथा मत देने के लिए पात्र सदस्य अपने बदले बैठक में भाग लेने व मत देने के लिए प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का हकदार है एवं ऐसा प्रतिनिधि कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधि को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रतिनिधि का दस्तावेज विधिवत मुहर लगा, पूर्ण हस्ताक्षरित हो एवं उक्त बैठक के धारण से 48 घंटे पहले जमा किया जाए।
2. प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) को बैठक में भाग लेने व मत देने के लिए प्रतिनिधि प्रपत्र एवं बोर्ड के संकल्प (पों) की प्रमाणित प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेजनी होगी।
3. उपर्युक्त विशेष प्रयोजन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार व्याख्यात्मक वक्तव्य जो इस बैठक में संपादित किये जाने हैं, ऐसे सभी महत्वपूर्ण तथ्य इसके साथ संलग्न है और इस नोटिस का हिस्सा है।
4. सदस्य इस बात का भी ध्यान रखें कि एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.iifcl.in पर उपलब्ध होगी। नोटिस और अन्य दस्तावेज कार्यालय के कामकाज के दिनों में सामान्य कारोबारी घंटे के दौरान निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी उपलब्ध होंगे।
5. जारी कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र सं. 14/2020 और 17/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के संबंध में, "कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों द्वारा सामान्य और विशेष प्रस्तावों को पारित करने पर स्पष्टीकरण और इसके तहत बनाए गए नियमों के कारण उत्पन्न खतरे के संबंध में द्वारा कोविड-19", परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 के संबंध में "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) पर स्पष्टीकरण" और परिपत्र संख्या. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के संबंध में "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) धारित करने पर स्पष्टीकरण" (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) ने होल्डिंग की अनुमति दी है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") के लिए, एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी की 16वीं वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से धारित की जा रही है।

सूचना के अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के तहत व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 3: कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार निजी स्थानन के माध्यम से अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचरों का निर्गम

कंपनी की भविष्य की विकास योजनाओं को देखते हुए और भारत सरकार द्वारा आवंटित किए जा सकने वाले अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने में सक्षम होने के लिए, बोर्ड असुरक्षित / सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय बांड / डिबेंचर जिसकी बाजार में बेहतर स्वीकार्यता है और बहुत प्रतिस्पर्धी है। उसी के मद्देनजर, निदेशक मंडल ने 16 मार्च, 2021 को हुई बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, कंपनी की आईआईएफसीएल द्वारा 22,400 करोड़ रु की संसाधन जुटाने की योजना पर विचार और अनुमोदन किया था। आईआईएफसीएल का बोर्ड असुरक्षित/सुरक्षित, गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचर कर योग्य/कर मुक्त/इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड/ऑफशोर आईएनआर बॉन्ड/कोई अन्य बॉन्ड/22,400 करोड़ रु. के एक वर्ष की अवधि के दौरान उसके विशेष प्रस्ताव को पारित करने की तारीख से, एक या एक से अधिक किश्तों में, ऐसे नियमों और शर्तों पर, जिन्हें बोर्ड या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति या ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया जा सकता है। जैसा कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 एवं 71 एवं कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियम 2014 के अनुसार निजी स्थान आधार पर कंपनी द्वारा जारी किये जाने वाले एनसीडी के अभिदान के किसी प्रस्ताव अथवा आमंत्रण में विशेष संकल्प की रीति से शेयरधारकों का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होता है।

उसी वर्ष के दौरान एनसीडी के लिए सभी प्रस्तावों या निमंत्रण के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

निदेशक मंडल का मानना है कि प्रस्तावित संकल्प कंपनी के हित में होगा।

कंपनी के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और उनके रिश्तेदारों में से किसी का भी, प्रस्तावित संकल्प से कोई लेना देना या उनकी रुचि नहीं है।

आपके निदेशकों ने इस अनुमोदन के लिए नोटिस में मद संख्या 3 पर संकल्प की संस्तुति की है।

मद संख्या 4: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत स्वीकृत उधार सीमा में वृद्धि

उधार की वर्तमान सीमा (व्यवसाय के सामान्य क्रम में कंपनी के बैंकरों से अस्थायी ऋण के अलावा) 60,000 करोड़ से रु. 70,000 करोड़ रुपये है। 17 सितंबर 2014 को धारित वार्षिक आम बैठक में 60,000 करोड़ का प्रस्ताव पारित किया गया। भविष्य में कंपनी की विस्तार योजनाओं/कार्यक्रमों के कारण उत्पन्न होने वाली निधियों की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कंपनी को वित्तीय संस्थानों, बैंकों और अन्य से और ऋण/उधार लेने की आवश्यकता हो सकती है। तदनुसार, निदेशक मंडल की उधार लेने की शक्तियों को वर्तमान सीमा 60,000 करोड़ रु. से बढ़ाकर 70,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। कंपनी द्वारा समय-समय पर उधार ली जा सकने वाली उधारी को सुरक्षित करने के लिए, कंपनी को कंपनी की सभी या किसी भी अचल और चल आस्तियों पर गिरवी प्रभार दृष्टिबंधक बनाने की आवश्यकता हो सकती है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की सहमति प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

कोई भी निदेशक, किसी भी तरह से, उक्त संकल्प से संबंधित कोई रुचि नहीं रखता है।

मद संख्या 4 पर आपके अनुमोदन हेतु आपके निदेशक संकल्प को संस्तुत करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

₹0/-

मंजरी मिश्रा

कंपनी सचिव

(सदस्यता संख्या F6204)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 9 नवंबर, 2021

पंजीकृत कार्यालय

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

पांचवा तल, ब्लॉक-2 प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर,

ईस्ट किडवर्ई नगर, नई दिल्ली - 110023

सीआईएन: U67190DL2006GOI144520

वेबसाइट: www.iifcl.in

बोर्ड की रिपोर्ट

सेवा में

आईआईएफसीएल के सदस्य

आपके निदेशकों को लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षक और उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी कंपनी के प्रदर्शन पर 16वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है।

मुख्य वित्तीय विशिष्टताएं

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
कुल राजस्व	4013	4215
कुल व्यय	3698	4506
कर पूर्व लाभ	315	(291)
कराधान के लिए प्रावधान	(30)	342
असाधारण मदें		
विनियोजन (करोपरांत लाभ) हेतु उपलब्ध निवल लाभ	285	51
अन्य व्यापक आय	0.49	0.28
विनियोजन के बाद उपलब्ध निवल लाभ	285	51
10 रुपये के अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए अर्जन (भारित औसत)	0.29	0.11

ऋण क्रियाकलाप

प्रत्यक्ष ऋण

वर्ष 2020.21 के दौरान, 5,772 करोड़ रुपये की और स्वीकृति देने के साथ ही, 513 आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए कंपनी द्वारा दी गई कुल सकल स्वीकृतियां बढ़कर 95,822 करोड़ रुपये हो गईं। आपकी कंपनी द्वारा दी गई संचयी सकल स्वीकृतियों का क्षेत्रवार वितरण निम्नानुसार है:

प्रत्यक्ष ऋण के तहत संचयी सकल स्वीकृतियां (31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
सड़क	279	3,62,528	44,453
बिजली	153	4,18,668	39,444
विमानपत्तन	3	27,701	2,530
पत्तन	19	30,528	4,182
शहरी आधारभूत संरचना	16	48,181	3,815
रेलवे	3	3,194	639
पीएमडीओ*	38	8,602	260
दूरसंचार	1	3,750	250
सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना	1	1,276	250
योग	513	9,04,427	95,822

*सामूहिक नगरपालिका ऋण दायित्व

इसके अलावा, 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, 378 परियोजनाओं के लिए आपकी कंपनी द्वारा दी गई निवल स्वीकृतियों का क्षेत्रवार वितरण 58,073 करोड़ रुपये रहा जिसका विवरण निम्नानुसार है:

प्रत्यक्ष ऋण के तहत संचयी निवल स्वीकृतियां (31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)#

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	निवल स्वीकृतियां
सड़क	223	2,96,466	29,929
बिजली	100	2,45,541	23,861
विमानपत्तन	3	27,701	1,148
पत्तन	12	17,894	1,891
शहरी आधारभूत संरचना	9	2,238	427
रेलवे	1	600	120
पीएमडीओ	28	5,617	197
दूरसंचार	1	3,750	250
सामाजिक एवं वाणिज्यिक अवसंरचना	1	1,276	250
योग	378	6,01,083	58,073

निवल स्वीकृतियां वह राशि है जो वित्तीय लेखाबंदी कर चुकी परियोजनाओं के मामले में आबंटित की गई है।

सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं (पीपीपी) हेतु प्राथमिकता

अधिदेश के अनुरूप, आपकी कंपनी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) अवसंरचना परियोजनाओं को अधिभावी प्राथमिकता प्रदान करती है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को अधिभावी प्राथमिकता के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की आपकी कंपनी की दृढ़ प्रतिबद्धता इसके द्वारा समर्थित पीपीपी परियोजनाओं की संख्या में परिलक्षित होती है।

31 मार्च 2021 तक, प्रत्यक्ष ऋण के तहत, 391 पीपीपी और पीएसयू परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, जो कंपनी द्वारा स्वीकृत 475 परियोजनाओं (पीएमडीओ के तहत को छोड़कर) में से 82% बनती है।

31 मार्च, 2021 को प्रत्यक्ष ऋण (पीएमडीओ को छोड़कर) के तहत कुल स्वीकृत परियोजनाओं की क्षेत्रवार संख्या

सेक्टर	पीपीपी	गैर- पीपीपी	पीएसयू
सड़क	278	0	1
बिजली	66	78	9
एयरपोर्ट	3	0	0
बंदरगाह	16	3	0
शहरी अवसंरचना एवं जल आपूर्ति	12	1	3
अन्य	2	2	1
कुल	377	84	14

संस्वीकृत परियोजनाओं के तहत वित्तीय समापन की उपलब्धि

31 मार्च 2021 तक, प्रत्यक्ष ऋण के तहत 378 निवल स्वीकृत परियोजनाओं में से, 368 परियोजनाओं यानी 97% ने वित्तीय समापन हासिल कर लिया है। वित्तीय समापन प्राप्त परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय समापन प्राप्त परियोजनाएं (31 मार्च, 2021 तक)

(करोड़ रु. में)

सेक्टर	परियोजनाओं की संख्या	निवल स्वीकृति
सड़क	214	27,341
बिजली	100	20,702

एयरपोर्ट	3	1,148
बंदरगाह	12	1,877
शहरी अवसंरचना एवं जल आपूर्ति	9	419
अन्य	30	542
कुल	368	52,029

वाणिज्यिक संचालन तिथि की उपलब्धि

मार्च 2021 के अंत में, 350 परियोजनाओं में से, जिसमें आपकी कंपनी ने प्रत्यक्ष ऋण मोड (पीएमडीओ को छोड़कर) द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की है, इनमें 230 परियोजनाओं में वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) हासिल की गई है। सीओडी हासिल की गई परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:

सीओडी हासिल की गई परियोजनाएं (31 मार्च, 2021 तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

सेक्टर	परियोजनाओं की संख्या	निवल संस्वीकृति
सड़क	138	16,578
बिजली	77	16,012
एयरपोर्ट	2	848
बंदरगाह	7	704
शहरी अवसंरचना एवं जल आपूर्ति	5	290
अन्य	1	250
कुल	230	34,682

टेक-आउट वित्त

बैंक के एक्सपोजर और आस्ति-देयता के बेमेल बाधाओं को निवारण करते हुए बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में वृद्धिशील ऋण देने की सुविधा के लिए, आईआईएफसीएल ने टेकआउट वित्त योजना आरंभ की। आईआईएफसीएल ने दिसंबर 2011 में संशोधित टेकआउट वित्त योजना को उपयुक्त संशोधनों के लिए लागू किया था। इसके अतिरिक्त, बाजार की जरूरतों को हल करने के लिए समय-समय पर इस योजना में आगे भी संशोधन किए गए हैं। आईआईएफसीएल की टेकआउट वित्त योजना बुनियादी ढांचागत ऋण के लिए एक पारदर्शी गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-विवेकाधीन बाह्य परियोजना मूल्यांकन आधारित मूल्यनिर्धारण प्रणाली का अनुपालन करती है।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, टेकआउट वित्त योजना के तहत कुल संचयी सकल स्वीकृतियां 111 परियोजनाओं के लिए कुल 25,113 करोड़ रुपये थीं। आपकी कंपनी द्वारा दी गई संचयी सकल स्वीकृतियों का क्षेत्र-वार वितरण निम्नानुसार है: टेकआउट वित्त के तहत संचयी सकल स्वीकृतियां (31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
सड़क	53	52,843	7,761
बिजली	45	98,911	12,034
विमानपत्तन	2	15,777	1,911
पत्तन	9	16,024	3,380
शहरी आधारभूत संरचना	2	107	26
योग	111	1,83,663	25,113

इसके अलावा, 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी द्वारा टेकआउट वित्त योजना के तहत 60 परियोजनाओं के लिए दी गई 16,256 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृतियों का क्षेत्र-वार वितरण निम्नानुसार है:

टेकआउट वित्त के तहत संचयी निवल स्वीकृतियां (31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार) #

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
सड़क	23	28,318	4,391
बिजली	28	53,102	8,280
विमानपत्तन	2	15,777	1,570
पत्तन	5	9,704	1,989
शहरी आधारभूत संरचना	2	107	26
योग	60	1,07,009	16,256

निवल स्वीकृतियां वह राशि है जो वित्तीय लेखाबंदी कर चुकी परियोजनाओं के मामले में आबंटित की गई है।

संवितरण

मार्च 2021 के अंत में, संचयी संवितरण 81,376 करोड़ रुपए रहा, जिसमें पुनर्वित्त के तहत 21,915 करोड़ रुपए और टेकआउट वित्त के तहत 15,413 करोड़ रुपये का संवितरण भी शामिल है।

क्षेत्र-वार संचयी संवितरण (31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
प्रत्यक्ष उधार			
सड़क	207	2,74,097	23,187
उर्जा	97	2, 29,698	17,962
विमानपत्तन	3	27,701	887
पत्तन	12	17,420	1,172
शहरी आधारभूत संरचना	9	2,200	372
रेलवे	1	600	70
पीएमडीओ	27	4,744	151
दूरसंचार	1	3,750	248
योग (क)	357	5,60,210	44,048
टेक आउट वित्त			
सड़क	22	28,318	4,115
उर्जा	26	50,972	7,800
विमानपत्तन	2	15,777	1,485
पत्तन	5	9,704	1,988
शहरी आधारभूत संरचना	2	107	26
योग (ख)	57	1,04,879	15,413
उप-योग (क+ख)			59,461
पुनर्वित्त (ग)			21,915
कुल योग (क+ख+ग)			81,376

भौगोलिक रूप से विविध उपस्थिति

आपकी कंपनी विभिन्न राज्यों में फैली आधारभूत परियोजनाओं के विकास का समर्थन करती रही है और पूरे देश में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। 31 मार्च 2021 तक, प्रत्यक्ष ऋण और टेकआउट वित्त के तहत, आपकी कंपनी ने 26 राज्यों में 438 परियोजनाओं के लिए 74,329 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं और 438 परियोजनाओं में 59,461 करोड़ रुपये का संवितरण किया है।

प्रत्यक्ष ऋण और टेकआउट वित्त के तहत राज्य-वार संचयी निवल स्वीकृतियां और संवितरण (31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	निवल स्वीकृति	संवितरण
आन्ध्र प्रदेश	6,237	5,692
अरुणाचल प्रदेश	121	121
असम	455	419
बिहार	3,946	1,507
छत्तीसगढ़	1,179	1,179
दिल्ली	1,374	1,374
गोवा	490	41
गुजरात	10,278	7,745
हरियाणा	1,791	1,415
हिमाचल प्रदेश	694	578
जम्मू एवं कश्मीर	850	314
झारखण्ड	1,482	1,417
कर्नाटक	2,678	1,525
केरल	191	191
मध्य प्रदेश	6,092	5,319
महाराष्ट्र	11,355	9,675
ओडिशा	1,253	1,238
पुडुचेरी	179	179
पंजाब	1,708	1,263
राजस्थान	1,755	1,520
सिक्किम	1,293	1,283
तमिलनाडु	4,021	2,365
तेलंगाना	2,054	1,678
उत्तर प्रदेश	9,921	8,664
उत्तराखण्ड	464	461
पश्चिम बंगाल	2,470	2,300
योग	74,329	59,461

पुनर्वित्त

वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कम्पनी ने 8 वित्तीय संस्थानों को 14,400 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी और इन स्वीकृतियों में इस वित्त वर्ष के भीतर 7,200 करोड़ रुपये संवितरित किये गये।

ऋण संवृद्धि

अवसंरचना परियोजनाओं को पूंजीगत ऋण बाज़ार जैसे वैकल्पिक संसाधनों के माध्यम से दीर्घकालिक निधियां एकत्र करने में सक्षम बनाने के लिए, आईआईएफसीएल ने वर्ष 2012 में ऋण संवृद्धि योजना आरंभ की।

आज की तारीख के अनुसार, आईआईएफसीएल द्वारा, 20 अवसंरचना परियोजनाओं से अधिक परियोजनाओं में 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बांड जारी करने के लिए कुल 2,400 करोड़ रुपये से अधिक की गारन्टियों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

इसमें 21 मई (यानी वित्त वर्ष 22) के दौरान 700 करोड़ रुपये के बांड जारी करने के लिए 180.7 करोड़ रुपये की सीई मंजूरी शामिल है। वित्त वर्ष 21 के दौरान कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।

कोविड-19 का प्रभाव

कोविड-19 महामारी ने व्यापक प्रसार में व्यवधान पैदा किया है जिससे कम क्षमता पर इकाइयों के कामकाज या राष्ट्रव्यापी लाकडाउन (तालाबंदी) के कारण अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं। उद्योगों और ऋणदाताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए, आरबीआई ने 27 मार्च 2020 के अपने परिपत्र के माध्यम से कोविड-19 महामारी के कारण व्यवधानों के कारण उत्पन्न ऋण सेवा के बोझ को कम करने के लिए कुछ नियामक उपायों की घोषणा की है।

व्यवहार्य व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित विवरण/तौर-तरीकों के साथ सावधि ऋण के भुगतान का पुनर्निर्धारण किया जाता है:

- (i) मूलधन और/या ब्याज घटकों के भुगतान पर तीन महीने की मोहलत (ii) 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच होने वाली बुलेट चुकौती की अनुमति है।
- स्थगन अवधि के तीन महीने बाद ऐसे ऋणों के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची और शेष अवधि को भी पूरे बोर्ड के पार स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अधिस्थगन अवधि के दौरान सावधि ऋण के बकाया हिस्से पर ब्याज अर्जित करना जारी रहेगा।
- यह उन खातों के लिए उपलब्ध है जो 1 मार्च 2020 को मानक हैं। राहत के लिए स्थगन के अनुरोध की प्राप्ति पर समीक्षा की जाएगी। सावधि ऋणों के लिए, जहां चुकौती शुरू नहीं हुई है, केवल तीन महीने के लिए ब्याज हिस्से की गणना की जानी चाहिए।
- कोई दंडात्मक ब्याज या शुल्क देय नहीं होगा
- अधिस्थगन के दौरान ब्याज की राशि तीन महीने की अवधि के लिए अर्जित की जाएगी और इस तरह के अर्जित ब्याज भुगतान का निर्णय लीड बैंक के निर्णय के आधार पर मामलों के आधार पर किया जाएगा। चूंकि आईआईएफसीएल केवल कंसोर्टियम व्यवस्था (पुनर्वित्त खातों को छोड़कर) के तहत उधार देता है और अग्रणी बैंक का अनुसरण करता है, इसलिए उक्त राहत अग्रणी ऋणदाता के अनुमोदन के अनुरूप होगी। उन खातों के संबंध में जहां आईआईएफसीएल अग्रणी ऋणदाता है, आरबीआई के प्रावधान के अनुपालन में कंसोर्टियम के अन्य ऋणदाताओं के साथ चर्चा में लागू राहत प्रदान की जाएगी।
- एकमात्र उधार में, आईआईएफसीएल अपनी पुनर्वित्त योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऐसे खातों में, शेष अवधि के लिए चुकौती अनुसूची को अधिस्थगन अवधि के तीन महीने बाद स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसमें ब्याज दर(आरओआई) अपरिवर्तित रहेगा और संचित ब्याज का भुगतान अधिस्थगन के बाद अगली देय तिथि पर किया जाएगा।
- उक्त संदर्भित आरबीआई परिपत्र के संदर्भ में, चूंकि उधारकर्ताओं को कोविड-19 से आर्थिक गिरावट से निपटने में सक्षम बनाने के लिए विशेष रूप से स्थगनधर्मात्मक प्रदान किया जा रहा है, इसे ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों में रियायत या परिवर्तन के रूप में नहीं माना जाएगा। भारतीय आरक्षित निधि बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा) निदेश, 2019 दिनांक 7 जून 2019 ("प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क") के अनुबंध के पैराग्राफ 2 के तहत उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई के कारण। नतीजतन, इस तरह के एक उपाय, अपने आप में, आस्ति वर्गीकरण डाउनग्रेड का परिणाम नहीं होगा। सावधि ऋणों का आस्ति वर्गीकरण जिन्हें आरबीआई के उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 2 के अनुसार राहत दी गई है, का निर्धारण संशोधित देय तिथियों और संशोधित पुनर्भुगतान अनुसूची के आधार पर किया जाएगा।

भारतीय आरक्षित निधि बैंक ने भी प्रणाली में नकदी बढ़ाते हुए, ब्याज दर कम करते हुए, उधारकर्ताओं को ऋण के पुनर्भुगतान पर मोहलत देकर, अतिदेय खातों में आस्ति वर्गीकरण में लाभ में रहने जहां मोहलत (ऋण स्थगन) प्रदान की गई है एवं अन्य बातों के साथ-साथ चलनिधि कवरेज अपेक्षा में रियायत सहित वित्तीय व्यवस्था को दबाव से मुक्त करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की। कोविड-19 विनियामक पैकेज दिनांक 27 मार्च, 2020 एवं 17 अप्रैल, 2020 से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय आरक्षित निधि बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों एवं एनबीएफसी को उन सभी सावधि ऋणों की किश्तों के भुगतान पर 3 माह की मोहलत देने की अनुमति दी जो 29



जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड



जसदन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

फरवरी, 2020 को मानक आरिष्ठ थे। इसका मुख्य उद्देश्य उधारकर्ताओं की राष्णव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पन्न कठिनाई को कम करने में सहायता करना था। प्रारंभ में मोहलत की अवधि 1 मार्च, 2020 एवं 31 मई, 2020 के बीच पड़ने वाले भुगतान के लिए थी। दिनांक 22 मई, 2020 को भारतीय आरक्षित निधि बैंक ने मोहलत की यह अवधि तीन माह तक यानि 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की। मोहलत की इस अवधि के दौरान ऋण के बकाये हिस्से पर ब्याज लगना जारी रहेगा। उन खातों में जहां मोहलत प्रदान की गई है, मोहलत की अवधि के दौरान खातों की अवधि अधिस्थगन अवधि के दौरान खातों की अवधि बढ़ जाएगी। ऋणदाताओं को अपने ग्राहकों को मोहलत की पेशकश करने से पूर्व मंडल अनुमोदित नीति पटल पर रखनी आवश्यक थी। ऋणदाताओं ने मोहलत की पेशकश में या तो 'विकल्प चुनें' या 'विकल्प न चुनें' में अलग-अलग विधियां अपनाईं।

आईआईएफसीएल ने आरबीआई के परिपत्रों के अनुसार मार्च 2020 से अगस्त 2020 की अवधि के लिए दिए गए सावधि ऋण के पात्र मामलों में ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए अधिस्थगन बढ़ा दिया है। ऐसे मामलों में सृजित सुविधा का पुनर्भुगतान मूल सावधि ऋण की चुकौती अवधि के भीतर निर्धारित किया गया है। 30 सितंबर 2020 को समाप्त छमाही के दौरान, आईआईएफसीएल ने निर्देश संख्या डीसीबी.बीपीडी (पीसीबी) एमसी संख्या 12/09.14.000/2015-16 दिनांकित 1 जुलाई 2015 के संदर्भ में पुनर्चना के रूप में उपचार के बिना अधिस्थगन ऋण मामलों में आस्थगित ब्याज आय को मान्यता दी। आईआईएफसीएल ने 12 नवंबर 2020 के पत्र के माध्यम से आरबीआई से यह मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया कि आईआईएफसीएल द्वारा ब्याज आय की मान्यता नियामक अनुरूपता के अनुरूप है। इस संबंध में आरबीआई के जवाब का अभी इंतजार है। नतीजतन, 31 मार्च 2021 को, आईआईएफसीएल ने 45,914.50 लाख रु. की अप्राप्त ब्याज आय की मान्यता को बाद में वसूली तक स्थगन ऋण मामलों पर स्थगन अवधि के लिए रुढ़िगत रूप से स्थगित कर दिया है।

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की पहल

इस कंपनी ने 15 फरवरी 2007 को आईडीएफसी और सिटीग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन किया था ताकि भारत समर्पित अवसंरचना निधि स्थापित किया जा सके, जिसमें आईआईएफसीएल ने 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर (अधिकतम 100 करोड़ रुपए के अधधीन) का योगदान करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, जबकि आईडीएफसी और सिटीग्रुप, प्रत्येक ने, प्रवर्तक प्रायोजक के रूप में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करने की वचनबद्धता जाहिर की थी।

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार, आईआईएफ को 100 करोड़ रुपये की कुल पूंजी प्रतिबद्धता में से, आईआईएफसीएल ने 31 मार्च 2020 तक 92.47 करोड़ रुपये का अंशदान दिया। 31 मार्च 2021 को आईआईएफ ने 76.03 करोड़ रुपये की राशि की पूंजी का मोचन किया। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, आईआईएफ में आईआईएफसीएल के निवेश की बकाया धनराशि 16.44 करोड़ रुपए थी।

संसाधन संग्रहण

घरेलू संसाधन

कंपनी ने अब तक घरेलू कर योग्य बांड, कर मुक्त बांड, कर बचत अवसंरचना बांड एलईसी और एनएसएसएफ से दीर्घावधि ऋण के लिखतों के माध्यम से घरेलू बाजार से 32,573 करोड़ रुपये (बैंक जमा पर ओवरड्रफ्ट को छोड़कर) जुटाए हैं, (जिसमें से बांड के जरिए जुटाए गए 18,489.50 करोड़ रुपये 31 मार्च 2021 को बकाया हैं)।



आरोही सोलर पावर प्लांट



एस्सार बल्क टर्मिनल लि.

बाह्य संसाधन

आईआईएफसीएल ने एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, के एफडब्ल्यू और यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) जैसे बहुपक्षीय संस्थानों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं और आईआईएफसीएल को क्रमशः 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 195 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 50 मिलियन यूरो, 200 मिलियन यूरो एवं 50 बिलियन जेपीवाई तक के ऋण व्यवस्था का वचन दिया गया है।

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार आईआईएफसीएल ने एडीबी से 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से 1.797 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त कर लिये हैं।

आईआईएफसीएल ने विश्व बैंक के 195 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण व्यवस्था में से 195 अमरीकी डॉलर पूर्णतया प्राप्त कर लिये हैं।

केएफडब्ल्यू द्वारा अनुमोदित दो पनबिजली परियोजनाओं और चार सौर ऊर्जा परियोजनाओं को संवितरण करके, आपकी कम्पनी द्वारा केएफडब्ल्यू के 50 मिलियन यूरो की ऋण व्यवस्था का पूरी तरह से लाभ उठाया गया है।

31 मार्च, 2014 को, आईआईएफसीएल द्वारा आईआईबी के साथ 200 मिलियन यूरो का एक वित्तीय करार भी किया गया है, जिसमें से मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 200 मिलियन यूरो निकाल कर इसका भी पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, जापान इंटरनेशनल कार्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के साथ 50 बिलियन जापानी येन की ऋण व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें से 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 26.67 बिलियन जापानी येन प्राप्त किये जा चुके हैं। बहुपक्षीय संस्थानों के साथ इन रिश्तों ने आईआईएफसीएल के दीर्घकालिक संसाधनों को जुटाने में व्यापक सहायता की है।

सूचना-प्रौद्योगिकी पहलें

आईआईएफसीएल अपने विभिन्न पणधारकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में विश्वास करता है। विभिन्न करोबारी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता किसी भी करोबारी क्षमता के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, तदनुसार आईआईएफसीएल की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को क्षमताएं निर्मित करने और इसके पणधारकों की अपेक्षा की पूर्ति करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाता है। पणधारकों को मूल्यवान परिणाम देने के लिए आईआईएफसीएल द्वारा की गई प्रौद्योगिकी सक्षम पहलों में शामिल हैं:

- अपने विभिन्न करोबारी कार्यकलाप की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एसएपी-ईआरपी का कार्यान्वयन और विभिन्न करोबारी प्रक्रियाओं में एंड-टू-एंड स्वचालन भी लाना।
- आईआईएफसीएल ने निदेशक मंडल की बैठक और बोर्ड स्तर की अन्य बैठकों को पेपरलेस धारित करने के लिए आईटी अनुप्रयोग की शुरुआत की है।
- आईआईएफसीएल ने अत्याधुनिक 4-स्तरीय डेटा केन्द्र और आपदा बहाली केन्द्र की शुरुआत की है।
- आईआईएफसीएल में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए अनुमोदित नीति ढांचा स्थापित किया है।
- आईआईएफसीएल ने आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए अनुमोदित नीतिगत ढांचा तैयार किया है।
- आईआईएफसीएल ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाया है और इसका लाभ उठाया है कि महामारी के दौरान इसका व्यवसाय संचालन निर्बाध रूप से जारी रहेगा, जिससे घर से काम करने की सुविधा के लिए मोबाइल उपकरणों पर दूरस्थ कार्यालय वातावरण प्रदान किया जा सके।

डिजिटल रूपांतरण

एनबीएफसी में पारम्परिक कारोबार प्रक्रियाएं तेजी से बदल रही हैं। तदनुसार, आईआईएफसीएल निरंतर डिजिटलाइजेशन की विभिन्न नई-नई पहलों का उपयोग करके विभिन्न कारोबार प्रक्रियाओं का स्वचालन कर रही है। आईआईएफसीएल ने बड़ी संख्या में नई आईटी पहला शुरु किये हैं जिनमें से निम्नलिखित अब लाइव/चालू हैं :

- आईआईएफसीएल ने पेपरलेस ऑफिस का लक्ष्य हासिल करने के लिए नई पीढ़ी की दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) लागू की है जिसमें विभिन्न कारोबारी प्रक्रियाएं स्वचालित होती हैं।
- आईआईएफसीएल ने अपने ग्राहकों के लिए बेहतर अनुभव और बेहतर जुड़ाव के लिए नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है।

विवेकसम्मत मानदंड अपनाना

भारतीय आरक्षित निधि बैंक ने, कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-गैर जमा-इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-आइएफसी) के कारोबार को जारी रखने की अनुमति देते हुए दिनांक 9 सितंबर, 2013 को आईआईएफसीएल को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) सं एन-14.03288 जारी किया है।

कंपनी ने दिनांक 21 नवंबर 2014 के अपने पत्र के माध्यम से एनबीएफसी-आइएफसी के लिए भारतीय आरक्षित निधि बैंक के समय सीमा से सम्बन्धित नियमों के विभिन्न घटकों का अनुपालन करने के लिए भारतीय आरक्षित निधि बैंक को कार्ययोजना प्रस्तुत की है। तदनुसार, वर्ष 2019-20 के



झज्जर पावर लिमिटेड



झज्जर पावर लिमिटेड

दौरान, आईआईएफसीएल ने कंपनी पर लागू होने वाले भारतीय आरक्षित निधि बैंक विनियमों का अनुपालन किया है।

भारतीय लेखांकन मानकों (आईएनडी एस) के अनुसार वित्तीय विवरण की तैयारी

कार्पोट कार्य मंत्रालय की दिनांक 18 जनवरी 2016 की अधिसूचना के अनुसार, आईआईएफसीएल द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2018 से आगे की प्रतिवेदन अवधि (अवधियों) के लिए भारतीय लेखांकन मानकों (आईएनडी एस) के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किये हैं।

पुनर्वचित ऋण, एनपीएस और वसूली

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, सकल एनपीएस 5100.44 करोड़ रुपये और निवल एनपीएस 1977.18 करोड़ रुपए रहा। इसके अतिरिक्त, 1402 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया साथ ही 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 800 करोड़ रुपए के बकाया मूलधन वाले चार (4) खाते परिसम्पत्ति पुनर्वचना कम्पनियों को बेचे जा चुके हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, 618 करोड़ रुपए की वसूली की गई है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ बट्टे खाते डाले गए/एआरसी खातों से वसूली की गई 203 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार सकल एनपीएस 13.90 प्रतिशत और निवल एनपीएस 5.39 प्रतिशत के स्तर पर था। प्रावधान कवरेज अनुपात लगभग 61 प्रतिशत रहा।

शीघ्रातिशीघ्र समाधान/वसूली के लिए अग्रणी/सहायता संघ के परामर्श से अपेक्षित उपाय किए जा रहे हैं। आईआईएफसीएल अनेक मामलों में रियायत प्राधिकरणों, अन्य पणधारकों के साथ संपर्क करके पहल कर रही है ताकि अंतिम भुगतान, पूर्ण-कार्य आधार पर समाधान, रिकवरी कार्रवाई आरंभ करने आदि जैसे समाधान ढूंढे जा सकें। उच्च मूल्य वाली राशियों पर गहन निगरानी रखी जाती है और सकेंद्रित ध्यान दिया जाता है। जिन मामलों में माध्यस्थ कार्रवाई चल रही है उन पर निकट निगरानी की जा रही है। आईआईएफसीएल सीआईआरपी/एनसीएलटी के अंतर्गत मामलों पर सक्रिय रूप से ध्यान दे रही है ताकि समयोचित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी क्रेडिट जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, बाजार जोखिम तथा संचालन-जोखिम आदि जैसे विभिन्न जोखिमों से निरावृत है। आपकी कंपनी ने नियामक आवश्यकताओं और उद्योग के सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अधिक प्रभावी और सुसंगत तरीके से जोखिम के प्रबंधन के लिए एक व्यापक जोखिम नीति ढांचे को लागू किया है। बोर्ड नियमित अंतराल पर आरएमसी एवं आल्को समिति के माध्यम से जोखिम प्रबंधन कार्यनीति की समीक्षा करता है एवं अनुमोदित जोखिम प्रवृत्ति ढांचे के भीतर कंपनी के प्रदर्शन पर नजर रखता है।

आपकी कंपनी औद्योगिक जोखिम, कारोबारी जोखिम, वित्तीय जोखिम, निर्माण एवं परियोजना विशेष जोखिम, पर्यावरण संबंधी जोखिम जैसे विभिन्न जोखिम मानकों को ध्यान में रखते हुए ऋण जोखिम मूल्यांकन और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की आन्तरिक रेटिंग के लिए क्रेडिट जोखिम आकलन मॉडल सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है। परियोजनाओं की आन्तरिक जोखिम मूल्यांकन रेटिंग प्रबंधन के वरिष्ठ सदस्यों की समिति द्वारा अनुमोदित है।

आपकी कंपनी ने आन्तरिक रूप से परियोजनाओं के लिए एक जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण नीति तैयार की है, जिसमें यह मुख्य ऋणदाता की भूमिका निभाएगी। बोर्ड की प्रबंधन एवं निवेश समिति (एमआईसी) अन्य बातों के साथ-साथ ऋण प्रस्ताव पर विचार करते समय आन्तरिक जोखिम रेटिंग अभिमत पर विचार-विमर्श भी करती है।

ऋण जोखिम का मूल्यांकन आस्ति पोर्टफोलियों विश्लेषण, पोर्टफोलियों कीमत लागत अंतर विश्लेषण, आरएएफ विवरणों का पालन, एक पक्षकार एवं सामूहिक एक्सपोजर के लिए विवेकसम्मत विनियामक मापदंड एवं विभिन्न संवेदी सूचकों एवं परिदृश्यों के अंतर्गत दबावग्रस्त परीक्षण के माध्यम से तिमाही आधार पर किया जाता है। पोर्टफोलियों जोखिम आकलन रिपोर्ट बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (बीएल-आरएमसी) के समक्ष तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाती है।

ऐसे समय पर जब दबावग्रस्त आस्तियों की बड़ी राशि के कारण वाणिज्यिक बैंक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, आपकी कम्पनी ने देश में अवसंरचना के विकास हेतु निधियों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, बैंकों/वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त उपलब्ध करवाने के लिए बाजार निर्धारित



पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड

बाह्य मानकों से सम्बन्धित एक अलग मानक दर आरम्भ की है ताकि ऐसे संस्थान अवसंरचना क्षेत्र में खुलकर आगे ऋण दे सकें। इस पहल ने बैंकों/वित्तीय संस्थानों को कम लागत पर निधियां उपलब्ध कराते हुए आपकी कंपनी की पुनर्वित्त योजना में नया आयाम जोड़ दिया है। इस संबंध में आपकी कंपनी ने संभावित एनबीएफसी उधारकर्ताओं के लिए पुनर्वित्त उत्पाद क आंतरिक रूप से रेटिंग मॉडल तैयार किया है एवं विशेषज्ञों ने इसे मान्यता दी व बाल्को के अनुमोदन प्राप्त के उपरान्त इसे आरंभ किया गया।

आपकी कंपनी ने बोर्ड स्तरीय आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है, जो चलनिधि और ब्याज दर से संबंधित जोखिमों की निगरानी करती है। आस्ति देयता प्रबंधन ढांचे में आस्ति की प्राप्ति और ऋणशोधन दायित्वों के अल्पकालिक व दीर्घकालिक चलनिधि प्रोफाइल का आवधिक विश्लेषण शामिल है। भारतीय आरक्षित निधि बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार चलनिधि अंतर विश्लेषण, चलनिधि कवरेज अनुपात की मदद से निगरानी की जा रही हैं। ब्याज दर जोखिम की आय एवं आर्थिक मूल्य के दृष्टिकोण से समीक्षा की जाती है। इसे पारंपरिक अंतर विश्लेषण (टीजीए) व अंतराल अंतर विश्लेषण (टीजीए) दोनों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

आपकी कंपनी ने सामान्य और कंपनी की विशिष्ट गतिविधियों के जोखिमों को कम करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है। प्रचालन जोखिम संगठन के ऐसे सभी क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं जो लोगों, प्रक्रिया, प्रणाली एवं बाहरी कारकों से संबंधित जोखिम होते हैं। प्रचालन जोखिम ढांचे में जोखिम नियंत्रण एवं स्व-आकलन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) एवं क्षतिग्रस्त डेटा घटक शामिल होते हैं। संबंधित कार्यशील विभाग प्रचालन जोखिमों का आकलन करते हैं एवं इन जोखिमों को कम करने के लिए समुचित नियंत्रण उपाय विद्यमान हैं। कारोबारी निरंतरता योजना एवं साइबर सुरक्षा जो प्रचालन जोखिम शमन उपायों का हिस्सा हैं, कारोबार में व्यवधान आने पर प्रभावित होने वाले कारोबार की गतिशीलता बनाये रखने के उद्देश्य से किये गये हैं।

भारतीय आरक्षित निधि बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन के अनुसार, आपकी कंपनी को 15 प्रतिशत के पूंजी-जोखिम-समायोजन अनुपात (सीआरएआर) को बनाए रखना होगा। एनबीएफसी-आईएफसी को भारतीय आरक्षित निधि बैंक से विशेष अनुदान के मामले के रूप में, आरइआरइएफसीएल को सीआरएआर 13 प्रतिशत बनाए रखना होगा। इसके बाद, आरबीआई द्वारा अपेक्षित किया गया है कि सरकारी स्वमित्व वाली एनबीएफसी धीरे-धीरे 31 मार्च 2021 तक 13 प्रतिशत और 31 मार्च 2022 तक 15 प्रतिशत सीआरएआर प्राप्त करें। हालांकि, 31 मार्च 2021 को आईआईएफसीएल ने सीआरएआर को 30.86 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखा है।

पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपाय

दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से आईआईएफसीएल ने बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के साथ समझौते किए हैं। विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में साख पैदा करने के लिए, आईआईएफसीएल को डीएफआई की सुरक्षोपायों नीतियों का अनुसरण करने की आवश्यकता है। सुरक्षोपायों को सुनिश्चित करने और उनकी निगरानी करने के लिए आईआईएफसीएल द्वारा महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में एक आंतरिक पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षोपाय (ईएसएमयू) यूनिट की स्थापना की गई है, जिसमें ईएसएमयू के प्रमुख सहित पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षोपायों के योग्य व अनुभवी विशेषज्ञ शामिल हैं।

आईआईएफसीएल ने पर्यावरण और सामाजिक नीति अपनायी है और पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षा ढांचे (ईएसएसएफ) को विकसित किया है। ईएसएसएफ के अनुसार भारत सरकार के विनियमन/दिशा-निर्देश आईआईएफसीएल द्वारा वित्त-पोषित सभी परियोजनाओं पर लागू होते हैं और जहां भी डी एफ आई की वित्तपोषण सहायता शामिल होती है वहां डी एफ आई के सुरक्षोपाय लागू होते हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ईएसएमयू दल को, आहरण अवधि के दौरान ऋण व्यवस्था की विभिन्न अपेक्षाओं से सम्बन्धित पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षोपाय अनुपालन का कार्य सौंपा गया था जिससे आईआईएफसीएल को दीर्घकालिक वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने में मदद मिली। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जैपनीज इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) की ऋण व्यवस्था के तहत ईएसएमयू दल को स्वीकृत परियोजनाओं के लिए बहुददेशीय संसाधनों यानि जेआईसीए के तहत लगभग 804.92 करोड़ रुपये एवं एडीबी से 607.20 करोड़ की ऋण व्यवस्था की सुविधा प्राप्त हुई।

मानव संसाधन प्रबंधन

किसी भी संगठन के विकास में मानव संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आईआईएफसीएल 87 कर्मचारियों की क्षमता के साथ एक चुस्त-दुरस्त संगठन है। कंपनी के मानव संसाधन को विकसित करने के लिए साल भर विभिन्न पहल की गई थी, जिसमें विभिन्न



विंड प्रोजेक्ट एक्सिस विंड फार्म (अनंतपुर) प्रा. लिमिटेड

प्रसिद्ध भारतीय और विदेशी संस्थाओं में ऋण मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन, संसाधन और कोषागार प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, कानूनी पहलू और आईटी आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल था। कार्यबल को प्रेरित करने और उसे व्यस्त रखने के लिए, स्टाफ कल्याण पहल सहित अनेक पहलें की गईं। एचआर गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) को लागू किया गया है और यह प्रणाली पूरी तरह काम कर रही है। वर्ष भर के दौरान कर्मचारियों के बीच का संबंध शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बने रहे हैं। कंपनी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ विद्यमान है। इस प्रकोष्ठ की समय-समय पर बैठक धारित की जाती है। वर्ष के दौरान कंपनी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के संबंध में आरक्षण/छूट/रियायत पर सभी सरकारी नीतियों का अनुपालन किया जा रहा है।

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल

आईआईएफसीएल सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन है और स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय विरासतों का संरक्षण, खेलों को बढ़ावा देने और ग्रीन एनर्जी जैसे मुख्य क्षेत्रों में इसकी अपनी एक कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति है। आईआईएफसीएल की सीएसआर पहल के अन्तर्गत कार्यान्वित की जानेवाली परियोजनाएं देश के 24 राज्यों में लागू हैं और इसमें सामाजिक हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले विभिन्न क्षेत्र/लाभार्थी शामिल हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार शून्य सीएसआर बजट होने के बावजूद, आईआईएफसीएल ने अपनी सीएसआर पहल तहत कोविड-19 वैश्विक महामारी के विरुद्ध आईआईएफसीएल ने कोविड -19 लॉकडाउन के बीच दिल्ली एनसीआर में वंचितों को पका हुआ भोजन आपूर्ति करने के लिए चिह्नित किए गए गैर सरकारी संगठनों/संगठनों को अपने सीएसआर के तहत स्वेच्छा से 10,00,000 / - (केवल दस लाख) रुपये की राशि का योगदान दिया है।



उडुपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

आईआईएफसीएल, सार्वजनिक क्षेत्र के उन कुछ उपक्रमों में से एक है, जिन्होंने अपने आबंटित सीएसआर बजट का पिछले छः वर्षों से निरन्तर पूर्णतः उपयोग किया है।

आंतरिक नियंत्रण

आपकी कंपनी में सांविधिक कानूनों, विनियमों एवं कंपनी की नीतियों का प्रचालन व अनुपालन सुचारु रूप से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने आकार और संरचना के अनुरूप प्रणाली पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण विद्यमान है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा प्रमुख क्षेत्रों की नियमित आधार पर लेखापरीक्षा की जाती है एवं नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अंतर की उन्नयन के चिन्हित किये जाते हैं। लेखापरीक्षा के परिणाम नियमित अंतराल पर बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष उनकी समीक्षा एवं सुधारात्मक उपायों पर संस्तुति/सुझावों के लिए रखे जाते हैं।

नियमित रूप से वास्तविक समय आधार यानि लेनदेन करने के 5 (पांच) दिन की अवधि के भीतर सभी वित्तीय लेनदेन की सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध जांच/लेखापरीक्षा के लिए आपकी कंपनी ने समवर्ती लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई है एवं वित्त वर्ष 2019-20 एवं 2020-2021 के लिए आईआईएफसीएल की समवर्ती लेखापरीक्षाओं के तौर पर सनदी लेखाकार फर्म की नियुक्ति की है।

सभी वित्तीय लेनदेन की नियमित, व्यवस्थित और समय पर जांच/लेखापरीक्षा के लिए वास्तविक समय के आधार पर यानी लेनदेन होने के 5 (पांच) दिनों की अवधि के भीतर, आपकी कंपनी ने समवर्ती लेखा परीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक फर्म को वित्त वर्ष 21-22 के लिए आईआईएफसीएल के समवर्ती लेखा परीक्षाओं के रूप में नियुक्त किया गया है, वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा संपन्न हो चुकी है।

हितधारकों को यह आश्वासन देने के लिए कि उनकी कंपनी ने अपनी गतिविधियों, उत्पादों और सेवाओं के प्रासंगिक पहलुओं के प्रबंधन के लिए संगठन की नीति के अनुरूप और आरबीआई मास्टर निर्देश संख्या डीएनबीएस.पीपीडी सं. 04/66.15.001/2016-17 दिनांकित 08 जून, 2017, की आवश्यकताओं के अनुसार एक आईएस लागू किया है। आपकी कंपनी ने सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक नियुक्त किया है और वित्तीय वर्ष 19-20 और वित्तीय वर्ष 20-21 के लिए आईएस लेखापरीक्षा समाप्त हो गया है।

नियामक दिशानिर्देशों और संचालन में बदलाव और आरबीआई अधिसूचना आरबीआई/2020-21/88 संदर्भ संख्या डीओएस.सीओ.पीपीजी./एसईसी. 05/11.01.005/2020-21 दिनांकित 3 फरवरी 2021 की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षा गतिविधियों को मजबूत और सुव्यवस्थित करने के लिए, आपकी कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (RBIA) दृष्टिकोण अपनाने की प्रक्रिया में है। कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली को अद्यतन करने के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है और कंपनी आरबीआई द्वारा सुझाई गई समयसीमा के अनुसार 31 मार्च 2022 तक आरबीआईएं ढांचे को लागू करेगी।

ये कठोर आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं चूकों की संख्या को कम करेंगी और अंततः सभी हितधारकों का विश्वास हासिल करने में योगदान देंगी।

कंपनी की रेटिंग

वर्ष के दौरान, कंपनी को दिया गया रेटिंग मानक स्टैंडर्ड एण्ड पुअर्स द्वारा बीबीबी/स्टेबल/ए-3 के रूप में पुष्टि की गई थी, जो संप्रभु रेटिंग के बराबर हैं। आईआईएफसीएल के विभिन्न घरेलू दीर्घकालिक उधार (बांड) को विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा 'एएए/एएए (एसओ)' का दर्जा दिया गया है। चालू वर्ष 2020-21 में रेटिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

आईएसओ 9001:2005 प्रमाणन

आपकी कंपनी ने, स्थापित, प्रलेखित क्वालिटी पॉलिसी और गुणवत्ता नियमों को लागू करते हुए और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) का रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए एक लिखत के रूप में आईआईएफसीएल की सेवाएं निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पुष्टि और अपनी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को सफलतापूर्वक उन्नत और कार्यान्वित करते हुए आईएसओ मानक 9001:2015 धारक बनी रही है।

वर्ष 2020-21 के दौरान आईएसओ प्रमाणन की अपेक्षा के अनुसार, आवधिक आंतरिक और बाह्य लेखापरीक्षा धारित किए जा रहे हैं, जिसके उपरान्त उनकी समुचितता, पर्याप्तता और प्रभावकारिता तथा सुधार की गुंजाइश का पता लगाने के लिए के प्रबंधन द्वारा पुनरीक्षा बैठकों का धारण किया जाता है। आईआईएफसीएल प्रबंधन द्वारा गुणवत्ता आश्वासन पर काफी बल दिया जाता है और आवधिक पुनरीक्षा बैठकों में इसके सम्बन्ध में चर्चा की जाती है। आईआईएफसीएल द्वारा आईएसओ प्रमाणन के नवीनीकरण ने के लिए जनवरी, 2021 में अपेक्षित पुनर्प्रमाणन लेखापरीक्षा का सफलतापूर्वक संचालन किया गया।

व्यापार विकास

कम्पनी नियमित आधार पर विभिन्न हितधारकों अर्थात वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, विकासकर्ता समूहों, रेटिंग एजेंसियों, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों, सरकारी अधिकारियों आदि से प्रमुख मुद्दों और समस्त अवसंरचना क्षेत्र में क्षेत्रगत विषयों पर चर्चा करती है जिसका उद्देश्य अवसंरचना क्षेत्र में आईआईएफसीएल की भागीदारी ओर समर्थन में वृद्धि करना है।

सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी कंपनियां

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी की आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड, आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (आईपीएल) एवं आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएमसीएल) नामक तीन सहायक कंपनियां हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल ने सहायक कंपनियों के कार्यों की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त सहायक कंपनियों के कार्य-निष्पादन एवं वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट तथा निर्धारित प्रपत्र एओसी-1 में वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं पहले ही वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न कर दी गई हैं। इस वर्ष के दौरान कोई सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी गठित अथवा बंद नहीं की गई।

आईआईएफसीएल की तीन सहायक कंपनियों का विवरण इस प्रकार है:

आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड

आईआईएफसी (यूके) ने 31 मार्च, 2021 तक 4.26 बिलियन अमरीकी डॉलर का संचयी ऋण स्वीकृति (निरसनों का निवल) एवं 2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी संवितरण किया है। आईआईएफसीएल ने वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी ने पुनर्वित्त योजना शुरू की। वर्ष के दौरान कुल संस्वीकृति 270 मिलियन अमरीकी डॉलर थे। आरबीआई ने मार्च 2023 तक 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की अपनी क्रेडिट लाइन की वैधता के विस्तार को मंजूरी दे दी है। आरबीआई लाइन ऑफ क्रेडिट के अलावा, आईआईएफसी (यूके) वित्तीय संसाधनों को और भारत में बुनियादी ढांचे के विकास को अधिक पूरक करने की दृष्टि से लगातार धन के नए स्रोतों की खोज कर रहा है।

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (IPL), आईआईएफसीएल की तीसरी सहायक कंपनी, एक समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और वित्तीय सलाहकार कंपनी है। कंपनी ने मेघालय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (MIDFC) और तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (TNIDB) के साथ परियोजना विकास सहायता प्रदान करने, नीतिगत मुद्दों को आकार देने और क्षमता निर्माण के लिए शहरी और अन्य राज्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास की सुविधा के लिए अपने सलाहकार जनादेश के सफल निष्पादन को जारी रखा। अपनी विकास गति को जारी रखते हुए और परामर्श और सलाहकार खंड में अपनी उपस्थिति को बढ़ाते हुए, आईपीएल ने वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 11.01 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 8.35 करोड़ रुपये था। कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹1.33 करोड़ की तुलना में वर्ष के लिए ₹2.31 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया।

आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएमसीएल)

आईआईएफसीएल, जो कि आईआईएफसीएल की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनी है, आईआईएफसीएल की एक आस्ति प्रबंधन कम्पनी है। आईआईएफसीएल म्युचुअल निधि ने अपनी पहली आईडीएफ योजना "आईआईएफसीएल म्युचुअल निधि इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि सीरीज I के नाम से फरवरी 2014 को 5 निवेशकों से 300 करोड़ रुपये की राशि जुटाते हुए की थी। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, सीरीज-I के प्रबंधन के तहत आस्तियां 412.91 करोड़ रुपये और आईडीएफ सीरीज-II के तहत 174.79 करोड़ रुपये हो गई हैं। आईडीएफ सीरीज I और II दोन बीएसई में लिस्टेड है। योजनाओं ने मुख्य रूप से पूर्ण और राजस्व पैदा करने वाली बुनियादी ढांचा आस्ति और बुनियादी ढांचा वित्तपोषण कंपनियों में निवेश किया है।

शेयर पूंजी

आईआईएफसीएल के सभी शेयरधारक भारत सरकार के प्रतिनिधि होते हैं एवं आईआईएफसीएल पूरी चुकता इक्विटी शेयर पूंजी भारत सरकार की होती है।

31 मार्च, 2021 को आपकी कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 10,000 करोड़ रुपये रही एवं चुकता शेयर पूंजी 9999,91,62,300 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 10 रुपये प्रत्येक के 999,9916,230 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल थे, जिनमें से सम्पूर्ण भाग भारत सरकार का है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को कोई इक्विटी योगदान नहीं मिला।

लाभांश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके निदेशकों ने किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की। आईआईएफसीएल ने पत्र सं. आईआईएफसीएल/सीपीडी/एमओएफ/2018-19/2390 दिनांकित 18 सितंबर 2019 ने 9 सितंबर 2020 को हुई अपनी बैठक में बोर्ड की मंजूरी के आधार पर इसे लाभांश का भुगतान करने और आईआईएफसीएल की पूंजी स्थिति, नियामक और भविष्य की व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर कम से कम वित्त वर्ष 2021-22 तक के शेयरों को वापस खरीदने से छूट देने के लिए डीएफएस से संपर्क किया।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा पर 24 जून, 2021 के आरबीआई परिपत्र संख्या 23/21.02.067/2021-22 में कहा गया है कि लाभांश घोषित करने वाली एनबीएफसी का निवल एनपीए अनुपात 6% से कम होना चाहिए। पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में, लेखा वर्ष सहित जिसके लिए वह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करता है। पिछले तीन वर्षों के लिए आईआईएफसीएल का निवल एनपीए क्रमशः 9.65% (वि.व.19), 9.75% (वि.व. 20) और 5.39% (वि.व. 21) है। तदनुसार, लाभांश भुगतान आईआईएफसीएल पर लागू नहीं होता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

आपकी कंपनी को आधारभूत संरचना सुविधाओं के लिए वित्तपोषण के कारोबार से जुड़ा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के कारण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रासंगिक प्रावधान से छूट प्राप्त है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) से वस्तुओं व सेवाओं की खरीद

आईआईएफसीएल ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 715.30 लाख रुपये के वस्तुओं व सेवाओं की खरीद की जिसमें से कुल 518.96 लाख रुपये यानि 72.55 प्रतिशत वस्तुओं व सेवाओं की खरीद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से की गई।

निदेशक मंडल

आज की तारीख के अनुसार, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

नाम एवं पद	डीआईएन	श्रेणी	नियुक्ति की तिथि
श्री पी आर जयशंकर (नोट 1 देखें)	06711526	प्रबंध निदेशक	29 मई, 2020
श्री पवन के. कुमार (नोट 2 देखें)	08901398	उप प्रबंध निदेशक	1 अक्टूबर, 2020
श्री बलदेव पुरुषार्थ (नोट 3 देखें) संयुक्त सचिव (अवसंरचना नीति एवं वित्त) आर्थिक मामले विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	07570116	सरकार द्वारा नामित निदेशक	16 अप्रैल, 2020
श्री चौधरी पार्थ सारथी रेड्डी (नोट 4 देखें) सलाहकार (पीपीपीएयू), नीति आयोग	08223373	सरकार द्वारा नामित निदेशक	29 अक्टूबर, 2020
श्री ललित कुमार चंदेल (नोट 5 देखें) आर्थिक सलाहकार वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार	08563286	सरकार द्वारा नामित निदेशक	7 दिसंबर, 2020
सुश्री ए. मणिमेखालाई (नोट 6 देखें) कार्यपालक निदेशक, केनरा बैंक	08411575	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक	28 अप्रैल, 2020
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (नोट 7 देखें) कार्यपालक निदेशक, इंडियन ओवरसीज बैंक	08946309	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक	3 नवंबर, 2020

टिप्पणियां:

1. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र संख्या एफ.सं. 9/3(i)/2019/ IF&I दिनांकित 27 मई 2020 ने नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) के श्री पद्मनाभन राजा जयशंकर, कार्यकारी निदेशक (ईडी), को प्रबंध निदेशक (एमडी), इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति प्रदान की। यह भी निवेदन किया जाता है कि वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ.सं. 3/5/2011-आईएफ-1 (खंड-II) दिनांकित 28 दिसंबर 2017 ने सूचित किया कि सरकार ने नियमित पदधारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने तक श्री पंकज जैन, आईएएस (एएम: 90) को तत्काल प्रभाव के साथ एमडी, आईआईएफसीएल के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। श्री पी.आर. जयशंकर ने आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक के रूप में दिनांक 29.05.2020 से कार्यभार ग्रहण किया है। तदनुसार, श्री पी.आर. जयशंकर, ईडी, एनएचबी के आईआईएफसीएल के एमडी के रूप में शामिल होने के परिणामस्वरूप, श्री पंकज जैन, प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार 29.05.2020 से समाप्त हो जाते हैं।
2. इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 सितंबर, 2020 के पत्र एफ.सं. 9/3/2019/आईएफ-1 के माध्यम से श्री पवन के कुमार, आईआरएस (आईटी), बैच 1990 के अधिकारी (जन्मतिथि 11.9.1964) को पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के उप प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किये जाने के समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन की सूचना दी गई। आईआईएफसीएल के उप प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किये जाने से पूर्व श्री पवन के कुमार, कार्यपालक निदेशक, भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) के तौर पर कार्यरत थे। श्री पवन के कुमार की नियुक्ति 1 अक्टूबर, 2020 यानी निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आबंटन की तिथि से प्रभावी है। श्री पवन के कुमार ने 1 अक्टूबर, 2020 से उप प्रबंध निदेशक के तौर पर पदभार ग्रहण किया।
3. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 3/1/2010/आईएफ-1 दिनांक 16 अप्रैल, 2020 के द्वारा श्री बलदेव पुरुषार्थ, संयुक्त सचिव (अवसंरचना नीति एवं वित्त), आर्थिक कार्य विभाग को इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में डॉ. कुमार विनय प्रताप के स्थान पर तत्काल प्रभाव से एवं आईआईएफसीएल के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 115 (1) (ख) (i) तथा 120 के प्रावधान के अनुसार आगामी आदेश तक सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने की सूचना दी गई।
4. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 3/1/2010/आईएफ-1 (वॉल्यूम IV) दिनांक 28 अक्टूबर 2020 के माध्यम से श्री सीएच. पी. सारथी रेड्डी (आईआरएसईई), सलाहकार (पीएमडी) को आईआईएफसीएल के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अनुच्छेद 115 (1) (बी) (i) के प्रावधानों के संदर्भ में श्री सोनजॉय कुमार साहा के स्थान पर अगले आदेश तक) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) के एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन (AoA) के लिए श्री सीएच. पी. सारथी रेड्डी की नियुक्ति 29 अक्टूबर 2020 यानी निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आबंटन की तिथि से प्रभावी हैं।
5. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 3/2/2011-IF-I दिनांक 7 दिसंबर 2020 के माध्यम से सूचित किया है कि अनुच्छेद 115 (1) (बी) (i) और के प्रावधानों के संदर्भ में एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के अनुच्छेदों के 120, केंद्र सरकार ने श्री आनंद मधुकर के स्थान पर तत्काल प्रभाव से एवं अगले आदेश तक श्री ललित कुमार चंदेल, आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय को आईआईएफसीएल के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया है।
6. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र एफ.सं. 3/12011/आईएफ-1 दिनांक 28 अप्रैल, 2020 द्वारा सुश्री मणिमेखालाई, कार्यपालक निदेशक, केनरा बैंक को इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में आईआईएफसीएल के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद अनुच्छेद 115 (1) (ख) (ii) के प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने की सूचना दी गई।
7. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 3/1/2010/आईएफ-1 (वॉल्यूम IV) दिनांकित 21 अक्टूबर 2020 के माध्यम से श्री अजय कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी से अवगत कराया है। कार्यकारी निदेशक, इंडियन ओवरसीज बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) नामित निदेशक के रूप में आईआईएफसीएल के बोर्ड में तत्काल प्रभाव से और एसोसिएशन के अनुच्छेद 115(1)(बी)(ii) के प्रावधानों के संदर्भ में अगले आदेश तक (एओए) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) में श्री अजय कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति 3 नवंबर 2020 यानी निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आबंटन की तिथि से प्रभावी है।

वे व्यक्ति जिनकी आईआईएफसीएल के मंडल से 1 अप्रैल, 2019 से आज की तिथि तक निदेशक के तौर पर सेवाएँ समाप्त हो गई हैं, निम्नानुसार हैं:-

नाम एवं पदनाम	डीआईएन	श्रेणी	कार्यकाल
श्री पंकज जैन (नोट 1 देखें)	00675922	प्रबंध निदेशक	1 जनवरी, 2016 – 29 मई, 2020
डॉ कुमार वी. प्रताप (नोट 2 देखें)	07606296	सरकार द्वारा नामित निदेशक	14 दिसंबर, 2017 – 16 अप्रैल, 2020
श्री आनंद मधुकर (संदर्भ नोट 3)	08563286	सरकार द्वारा नामित निदेशक	12 सितंबर 2018 – 7 दिसंबर 2020
श्री संजोय कुमार साहा (संदर्भ नोट 4)	08223373	सरकार द्वारा नामित निदेशक	16 सितंबर 2019 – 28 अक्टूबर 2020
श्री चैतन्य जी. चिंतापल्ली (नोट 5 देखें)	07986772	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक	16 अगस्त, 2018 – 1 सितंबर, 2020

कंपनी मंडल में उनके अमूल्य योगदान के लिए अपनी शुभकामनायें प्रेषित करता है।

टिप्पणियाँ :

- वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र संख्या एफ.सं. 9/3(i)/2019/IF-I दिनांकित 27 मई 2020 ने नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) के श्री पद्मनाभन राजा जयशंकर, कार्यकारी निदेशक (ईडी), को प्रबंध निदेशक (एमडी), इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति प्रदान की। यह भी निवेदन किया जाता है कि वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ.सं. 3/5/2011-आईएफ-I (खंड-II) दिनांकित 28 दिसंबर 2017 ने सूचित किया कि सरकार ने नियमित पदधारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने तक श्री पंकज जैन, आईएएस (एएम: 90) को तत्काल प्रभाव के साथ एमडी, आईआईएफसीएल के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। श्री पी.आर. जयशंकर ने आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक के रूप में दिनांक 29.05.2020 से कार्यभार ग्रहण किया है। तदनुसार, श्री पी.आर. जयशंकर, ईडी, एनएचबी के आईआईएफसीएल के एमडी के रूप में शामिल होने के परिणामस्वरूप, श्री पंकज जैन, प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार 29.05.2020 से समाप्त हो जाते हैं।
- वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 3/2/2010/आईएफ-1 दिनांक 16 अप्रैल, 2020 द्वारा श्री बलदेव पुरुषार्थ, संयुक्त सचिव (अवसंरचना नीति एवं वित्त), आर्थिक कार्य विभाग को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में डॉ कुमार विनय प्रताप के स्थान पर तत्काल प्रभाव से एवं आईआईएफसीएल के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 115 (1) (ख) (i) तथा 120 के प्रावधान के अनुसार आगामी आदेश तक सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने की सूचना दी गई।
- वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 3/2/2011-IF-I दिनांकित 7 दिसंबर 2020 के माध्यम से सूचित किया है कि अनुच्छेद 115 (1) (बी) (i) के प्रावधानों के संदर्भ में) और एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के लेखों के 120, केंद्र सरकार ने श्री आनंद मधुकर के स्थान पर आईआईएफसीएल को तत्काल प्रभाव से एवं अगले आदेश तक श्री ललित कुमार चंदेल, आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय को बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया है।
- वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 3/1/2010/आईएफ-I (वॉल्यूम प्ट) दिनांकित 28 अक्टूबर 2020 के माध्यम से श्री सीएच. पी. सारथी रेड्डी (आईआरएसईई), सलाहकार (पीएएमडी) को आईआईएफसीएल के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अनुच्छेद 115 (1) (बी) (प) के प्रावधानों के संदर्भ में श्री सोनजॉय कुमार साहा के स्थान पर अगले आदेश तक) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) के एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन (AoA) के लिए निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आवंटन की तिथि से श्री चौ. पार्थ सारथी रेड्डी की नियुक्ति 29 अक्टूबर 2020 से प्रभावी हैं।
- भारत सरकार द्वारा पत्र एफ. सं. 3/1/(i)2010/आईएफ-1 दिनांक 16 अगस्त, 2018 द्वारा आईआईएफसीएल के मंडल में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक के तौर पर 16 अगस्त, 2018 को नियुक्त श्री चैतन्य जी. चिंतापल्ली, का कार्यकाल उनकी अधिवर्षिता पर 1 सितंबर, 2020 को समाप्त हुआ।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) की अपेक्षानुसार, एतत् द्वारा पुष्टि की जाती है:

- क. कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में लागू लेखा मानकों का पालन किया गया था और इससे किसी भी तरह का महत्वपूर्ण विचलन नहीं हुआ।
- ख. कि निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें निरंतर लागू किया और निर्णय और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों के बारे में और अंत में समीक्षा वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।
- ग. कि निदेशकों ने कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की।
- घ. कि निदेशकों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों को एक नियमित संबंधित विषयों के आधार पर तैयार किया।
- ङ. कि निदेशकों ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किये थे और जिनका पालन कंपनी द्वारा किया जाएगा और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।
- च. कि निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और बताया गया कि ऐसी व्यवस्था पर्याप्त थी और प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी।

कॉर्पोरेट अभिशासन

कॉर्पोरेट अभिशासन शेयरधारकों के अविच्छेद्य अधिकारों के प्रबंधन द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों का एक समूह है, जो निगम के सच्चे मालिक और शेयरधारकों की तरफ से स्वयं की भूमिका निभाता है। कॉर्पोरेट प्रशासन पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, जो कंपनी और समाज के मजबूत और संतुलित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है। तदनुसार, कॉर्पोरेट प्रशासन चलन को अपनाने और उन्हें मजबूत करने को कॉर्पोरेट जगत में मजबूती से अहसास किया गया है।

आपकी कंपनी कॉर्पोरेट संरचना विकसित करने, व्यवसाय के संचालन और ऐसे कॉर्पोरेट प्रशासन से सम्बन्धित दर्शन के साथ जुड़े स्पष्ट चलन पर ध्यान केंद्रित करती रही है। आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल की रचना, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा भेजे गये पत्र एफ नं- 18/6/2014-आईएफ-आई, दिनांक 22 जनवरी 2015 के अनुसार, स्थिति इस तरह है: - दो (2) पूर्णकालिक निदेशकों अर्थात्, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक, तीन (3) सरकार के नामिती निदेशकों, दो (2) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और ऐसे स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जैसे कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक हो सकता है। इस समय, एक पूर्णकालिक निदेशक का पद रिक्त है। इसके अलावा, इसके बोर्ड में चार स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की आवश्यकता है और उन्होंने अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर विचार करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है।

वित्तीय विवरणों के समेकन के संबंध में आपकी कंपनी ने लागू लेखा मानक के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए। प्रबंधन सभी भौतिक वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित बोर्ड के सामने खुलासा करता है, जहां उनके निजी हित हैं और जिनका कंपनी के हित के साथ संभावित टकराव संभव है। अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट, कंपनी के प्रदर्शन और अन्य संचालन संबंधी मामलों को नियमित रूप से निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है।

वर्ष भर के दौरान बोर्ड की बैठकें

कंपनी के निदेशक मंडल, नेतृत्व और रणनीतिक दिशा प्रदान करता है और इसके उद्देश्य से सम्बन्धित फैसले को आगे बढ़ाता है, ताकि कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण रखना, एक कुशल प्रबंधन के माध्यम से हितधारकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की 29 जून 2020, 27 जुलाई 2020, 9 सितंबर 2020, 12 नवंबर 2020, 29 दिसंबर 2020 और 16 मार्च 2021 को छह बैठक हुई।

निदेशक मंडल की समिति

बोर्ड विशिष्ट संचालन क्षेत्रों की निगरानी के लिए गठित पूर्ण बोर्ड या विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है। बोर्ड की प्रत्येक समिति संदर्भ की शर्तों द्वारा निर्देशित होती है, जो समिति की संरचना, दायरे और शक्तियों को परिभाषित करती है। समितियां नियमित अंतराल पर बैठकें करती हैं और विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उन्हें दिए गए अधिकार के भीतर निर्णय से अवगत कराती हैं।

31 मार्च, 2021 तक, बोर्ड की निम्न समितियां थीं:

1. लेखा परीक्षा समिति
2. प्रबंधन और निवेश समिति
3. जोखिम प्रबंधन समिति
4. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
5. पारिश्रमिक और नामांकन समिति
6. पणधारक सम्बन्ध समिति
7. आईटी रणनीति समिति

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

29 मई, 2006 को धारित तीसरी बोर्ड बैठक में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया था, जिसे पुनः दिनांक 29 दिसंबर, 2020 को 110वीं बैठक के माध्यम से पुनर्गठित किया गया।

आज की तिथि के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन इस प्रकार है:

नाम	पदनाम
सुश्री ए मणिमेखालाई	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक समिति के अध्यक्ष
श्री पंकज जैन (नोट 1)	प्रबंध निदेशक
श्री पवन के. कुमार	उप प्रबंध निदेशक
श्री ललित कुमार चंदेल	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री सीएच. पी. सारथी रेड्डी (नोट 2)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री आनंद मधुकर (नोट 3)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री संजय कुमार साहा (नोट 4)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री चैतन्य जी. चिंतापल्ली (नोट 5)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक

टिप्पणियाँ :

1. 29 मई 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
2. पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 29 दिसंबर 2020 को हुई 110वीं बोर्ड बैठक से समितियों के सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
3. 7 दिसंबर 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
4. 28 अक्टूबर 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
5. 1 सितंबर 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

वर्ष 2020-21 के दौरान, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की 29 जून 2020, 27 जुलाई 2020, 8 सितंबर 2020, 12 नवंबर 2020, 28 दिसंबर 2020 और 16 मार्च 2021 को छह बैठक हुई।

प्रबंधन और निवेश समिति (एमआईसी)

20 फरवरी 2013 को बोर्ड की हुई 60 वीं बैठक में एमआईसी का गठन किया गया था, जिसे पुनः 29 दिसंबर 2020 को हुई 110वीं बोर्ड बैठक के माध्यम से पुनर्गठित किया गया। आज की तिथि के अनुसार, प्रबंधन और निवेश समिति का गठन इस प्रकार है:

नाम	पदनाम
श्री पी.आर. जयशंकर	प्रबंध निदेशक, आईआईएफसीएल समिति के अध्यक्ष
श्री पंकज जैन (नोट 1)	प्रबंध निदेशक
श्री पवन के. कुमार	उप प्रबंध निदेशक
श्री बलदेव पुरुषार्थ सरकार नामित निदेशक	श्री बलदेव पुरुषार्थ सरकार नामित निदेशक
श्री सीएच. पी. सारथी रेड्डी सरकार नामित निदेशक	श्री सीएच. पी. सारथी रेड्डी सरकार नामित निदेशक
श्री ललित कुमार चंदेल (नोट 2) सरकार द्वारा नामित निदेशक	श्री ललित कुमार चंदेल (नोट 2) सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री संजय कुमार साहा (नोट 3) सरकार द्वारा नामित निदेशक	श्री संजय कुमार साहा (नोट 3) सरकार द्वारा नामित निदेशक
डॉ. कुमार वी. प्रताप (नोट 4) सरकार द्वारा नामित निदेशक	डॉ. कुमार वी. प्रताप (नोट 4) सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री चैतन्य जी. चिंतापल्ली (नोट 5)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
सुश्री ए मणिमेखालाई	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक

टिप्पणियाँ :

1. 29 मई 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
2. पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 29 दिसंबर 2020 को हुई 110वीं बोर्ड बैठक से समितियों के सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
3. 28 अक्टूबर 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
4. 16 अप्रैल 2021 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
5. 1 सितंबर 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

वर्ष 2020-21 के दौरान, बोर्ड की प्रबंधन और निवेश समिति की 29 जून 2020, 27 जुलाई 2020, 7 सितंबर 2020, 19 नवंबर 2020, 4 दिसंबर 2020, 28 दिसंबर 2020, 10 फरवरी 2021, 15 मार्च 2021 और 30 मार्च 2021 को नौ बैठक हुई।

जोखिम प्रबंधन समिति

आईआईएफसीएल निदेशक मंडल की 14 नवंबर, 2008 को धारित 21वीं बैठक में बोर्ड की जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया। आईआईएफसीएल के सिलसिले में भारतीय आरक्षित निधि बैंक के साथ एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में पंजीकृत किये जा रहे और आईआईएफसीएल में एकीकृत जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन बोर्ड स्तर-जोखिम निवारण और प्रबंधन समिति का पुनर्गठन बोर्ड स्तर-जोखिम प्रबंधन और एएलसीओ समिति के रूप में किया गया था जिसमें 03 फरवरी 2014 को धारित आईआईएफसीएल जोखिम प्रबंधन और आस्तियों और देनदारियों के प्रबंधन के लिए समग्र मार्गदर्शन देने के लिए 68 वीं बोर्ड की बैठक में एएलसीओ समिति का पुनर्गठन किया गया था।। इसके बाद, आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने 26 नवंबर 2014 को धारित 73 वें बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी थी कि आईआईएफसीएल की मौजूदा जोखिम प्रबंधन और एएलसीओ (एलको) समिति को दो समितियों में विभाजित किया जाना चाहिए, अर्थात् जोखिम प्रबंधन समिति और एएलसीओ (एलको) समिति मुख्य परिपत्र- भारतीय आरक्षित निधि बैंक द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस डीएनबीएस (पीडी) सीसी सं 390/03.10.001/2014-15 दिनांकित 1 जुलाई, 2014 में संदर्भित करता है कि प्रत्येक एनबीएफसी को 20 करोड़ या उससे अधिक के सार्वजनिक जमा के साथ या 100 करोड़ आस्ति या उससे अधिक का आकार आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के अतिरिक्त एकीकृत जोखिम का प्रबंधन करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेगा। दोनों समितियों में सदस्य एक समान होंगे।

बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति ने 9 सितंबर 2020 को हुई बैठक में दी गई बोर्ड की मंजूरी के अनुसार बोर्ड स्तर की एलको की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समाहित कर लिया। कार्यकारी स्तर की एलको समिति द्वारा लिए गए निर्णय और रणनीतिक दिशा को अब सूचना के लिए बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किया जाएगा।

29 दिसंबर 2020 को हुई 110वीं बोर्ड बैठक में आरएमसी का पुनर्गठन किया गया था।

आज की तारीख में जोखिम प्रबंधन समिति का गठन निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
सुश्री ए मणिमेखालाई	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक समिति के अध्यक्ष
श्री पंकज जैन (नोट 1)	प्रबंध निदेशक
श्री पी.आर. जयशंकर	प्रबंध निदेशक
श्री पवन के कुमार	उप प्रबंध निदेशक
श्री सीएच. पी. सारथी रेड्डी (नोट 2)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री आनंद मधुकर (नोट 3)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री संजय कुमार साहा (नोट 4)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री चैतन्य जी. चिंतापल्ली (नोट 5)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक

टिप्पणियाँ :

1. 29 मई 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
2. पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 29 दिसंबर 2020 को हुई 110वीं बोर्ड बैठक से समितियों के सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
3. 7 दिसंबर 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
4. 28 अक्टूबर 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
5. 1 सितंबर 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

वर्ष 2020-21 के दौरान, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की 29 जून 2020, 8 सितंबर 2020, 12 नवंबर 2020, 29 दिसंबर 2020 और 16 मार्च 2021 को पांच बैठक हुई।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार 23 अप्रैल, 2012 को धारित बोर्ड की 51वीं बैठक में सीएसआर समिति का गठन किया गया था, जिसे पुनः 29 दिसंबर 2020 को हुई 110वीं बोर्ड बैठक के माध्यम से पुनर्गठित किया गया।

आज की तिथि के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन निम्नानुसार है :

नाम	पदनाम
श्री आनंद मधुकर (नोट 1)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री पंकज जैन (नोट 2)	प्रबंध निदेशक
श्री पी.आर. जयशंकर	प्रबंध निदेशक
श्री पवन के कुमार	उप प्रबंध निदेशक
श्री सीएच. पी. सारथी रेड्डी	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री ललित कुमार चंदेल	सरकार द्वारा नामित निदेशक समिति के अध्यक्ष
श्री संजय कुमार साहा (नोट 3)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
डॉ. कुमार वी. प्रताप (नोट 4)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री बलदेव पुरुषार्थ	सरकार द्वारा नामित निदेशक

टिप्पणियाँ :

1. 7 दिसंबर 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
 2. 29 मई 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
 3. 28 अक्टूबर 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
 4. 16 अप्रैल 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
- वर्ष के दौरान, बोर्ड की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

पारिश्रमिक एवं नामांकन समिति

14 जुलाई 2009 को धारित बोर्ड की 25वीं बैठक में पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया, जिसे बाद में कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार 11 अगस्त, 2014 को धारित 71वीं बोर्ड बैठक में पारिश्रमिक और नामांकन समिति का नाम दिया गया। जिसे पुनः 29 दिसंबर 2020 को हुई 110वीं बोर्ड बैठक के माध्यम से पुनर्गठित किया गया।

पारिश्रमिक और नामांकन समिति का गठन आज की तिथि के अनुसार निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्री आनंद मधुकर (नोट 1)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री ललित कुमार चंदेल	सरकार द्वारा नामित निदेशक समिति के अध्यक्ष
श्री संजय कुमार साहा (नोट 2)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री बलदेव पुरुषार्थ	सरकार द्वारा नामित निदेशक
डॉ. कुमार वी. प्रताप (नोट 3)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
सुश्री ए मणिमेखालाई	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक

टिप्पणियाँ :

1. 7 दिसंबर 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
 2. 28 अक्टूबर 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
 3. 16 अप्रैल 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
- वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड की पारिश्रमिक और नामांकन समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

पणधारक सम्बन्ध समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार 1 अगस्त, 2014 को धारित बोर्ड की 71वीं बैठक में पणधारक सम्बन्ध समिति का गठन किया गया था। जिसे पुनः 29 दिसंबर 2020 को हुई 110वीं बोर्ड बैठक के माध्यम से पुनर्गठित किया गया।

नाम	पदनाम
सुश्री ए. मणिमेखालाई	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक समिति के अध्यक्ष
श्री पंकज जैन (नोट 1)	प्रबंध निदेशक
श्री पी.आर. जयशंकर	प्रबंध निदेशक
श्री पवन के कुमार	उप प्रबंध निदेशक
श्री ललित कुमार चंदेल	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री आनंद मधुकर (नोट 2)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री संजय कुमार साहा (नोट 3)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री चैतन्य जी. चिंतापल्ली (नोट 4)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक

टिप्पणियाँ :

1. 7 दिसंबर 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
2. 29 मई 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
3. 28 अक्टूबर 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
4. 1 सितंबर, 2020 से निदेशक एवं सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड की पणधारक सम्बन्ध समिति की 29 जून, 2020, 27 जुलाई, 2020, 12 नवंबर, 2020 और 16 मार्च, 2021 को चार बैठक हुई।

सभी निवेशकों की शिकायतों को नियमित आधार पर सुना जाता है।

आईटी रणनीति समिति

8 जून, 2017 को भारतीय आरक्षित निधि बैंक द्वारा जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए मास्टर निदेश-सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा की अपेक्षा के अनुसार 2 अगस्त, 2017 को धारित बोर्ड की 86वीं बैठक में आईटी कार्यनीति समिति का गठन किया गया था। जिसे पुनः 29 दिसंबर 2020 को हुई 110वीं बोर्ड बैठक के माध्यम से पुनर्गठित किया गया।

आज की तिथि के अनुसार आईटी रणनीति समिति की का गठन निम्नानुसार है:-

नाम	पदनाम
श्री संजय कुमार साहा (नोट 1)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
	समिति के अध्यक्ष
श्री पंकज जैन (नोट 2)	प्रबंध निदेशक
श्री पी.आर.जयशंकर	प्रबंध निदेशक
श्री पवन के कुमार	उप प्रबंध निदेशक
श्री प्रशांत कुमार प्रहराज, मुख्य महाप्रबंधक	जोखिम विभाग के प्रमुख
श्री सुबोध शर्मा, महाप्रबंधक	आईटी विभाग के प्रमुख
श्री गौरव कुमार, जीएम	मानव संसाधन विभाग के प्रमुख
श्री विशाल राठौड, आईटी	मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ)/मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ)
श्री परितोष गर्ग	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ)

टिप्पणियाँ :

1. 29 मई 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त
2. 28 अक्टूबर 2020 से निदेशक और सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

वर्ष 2020-21 के दौरान, बोर्ड की आईटी रणनीति समिति की 16 मार्च 2021 को एक बार बैठक हुई।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 की उप-धारा (3) के तहत दिये गये दिशानिर्देशों और अन्य मामलों की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीतियां

दिनांक 5 जून, 2015 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के संदर्भ में, आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 के उप-धारा (3) के तहत दिये गये निर्देशों और अन्य मामलों की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, स्वतंत्रता निर्धारण और अन्य मामलों के निर्धारण के लिए मापदंडों सहित निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक कंपनी की नीतियों से सम्बन्धित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(ड) के प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 की उप-धारा (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दिए गए घोषणापत्र पर वक्तव्य

आईआईएफसीएल के बोर्ड निदेशकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारत अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों सहित नामित किया गया है। आईआईएफसीएल ने अपने बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की इस प्रक्रिया की शुरुआत की है।

वक्तव्य उस तौर तरीके को इंगित करता है, जिसमें औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के कार्य-निष्पादन और अपनी समितियों एवं अलग-अलग निदेशकों द्वारा किये गये कार्य-निष्पादनों को दर्शाता है।

5 जून 2015 को कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) की अधिसूचना की शर्तों के अनुसार, अपने स्वयं के कार्य-निष्पादन बोर्ड और इसके समितियों और अलग-अलग निदेशकों द्वारा औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 134 (3) (पी) के प्रावधान, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होंगे यदि निदेशकों का मंत्रालय या केंद्रीय सरकार के विभाग द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रशासनिक रूप से कंपनी का प्रभारी होता है या, जिस राज्य सरकार मामला हो, अपनी स्वयं की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार मूल्यांकन किया गया है। आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल को अपने स्वयं के कार्य-निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन और एमसीए अधिसूचना को देखते हुए अपनी समिति और अलग-अलग निदेशकों के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं थी।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 (1) के तहत सम्बन्धित पक्षों के साथ संविदा या व्यवस्था का विवरण

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 एवं 188 जहां लागू है, के अनुपालन में संबंधित पक्षकारों के साथ किये गये सभी लेनदेन एवं संबंधित पक्षकारों के लेनदेनों का विवरण लागू भारतीय लेखांकन मानकों की अपेक्षानुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में दर्शाये गये हैं।

कारोबार की प्रकृति में बदलाव

कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताओं, यदि कोई हो, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है, और जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान हुई हो, जिससे वित्तीय विवरण और रिपोर्ट की तिथि से संबद्ध हो।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष एवं कंपनी की रिपोर्ट की तिथि के बीच ऐसे कोई महत्वपूर्ण बदलाव व प्रतिबद्धतायें नहीं किये गये हैं जिनका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभावित पड़ता है।

कंपनी की चालू संस्थान की स्थिति और भावी संचालनों को प्रभावित करने वाले नियामकों/न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय आदेश

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय आदेश पारित नहीं किए गए जो कि चालू संस्थान की स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हों।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता

आईआईएफसीएल ने सनदी लेखाकार की स्वतंत्र फर्म मेसर्स जीएस माथुर एंड कंपनी को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा सौंपी थी। समीक्षा रिपोर्ट 9 नवंबर, 2021 को धारित बोर्डध्वलेखापरीक्षा समिति में रखी गई थी। आईआईएफसीएल समीक्षा रिपोर्ट में उद्धृत मुद्दों के समाधान के लिए कदम उठाने की प्रक्रिया में है।

बोर्ड को लगता है कि कंपनी के आकार को ध्यान में रखते हुए आंतरिक लेखा परीक्षा और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का दायरा पर्याप्त है।

निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता व्यवस्था की स्थापना का विवरण

आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने 11 अगस्त 2014 को धारित बोर्ड की 71वीं बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी थी कि आईआईएफसीएल के केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के अधिनियम के तहत सतर्कता तंत्र एवं निर्देशकों और कर्मचारियों की सतर्कता प्रणाली जरूरी वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त होगी। बोर्ड ने आगे यह तय किया कि आईआईएफसीएल की निगरानी प्रणाली व्यक्तियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगा और सीवीसी दिशानिर्देशों के तहत उपयुक्त या अपवादात्मक मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच का प्रावधान करेगा। इसके बाद बोर्ड ने कंपनी अधिनियम की धारा 177 की अपेक्षा के अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर और बोर्ड रिपोर्ट में इस तरह के निगरानी प्रणाली की स्थापना के विवरण को स्पष्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आपकी कंपनी ने कंपनी की वेबसाइट पर निगरानी प्रणाली का धारण किया है। आपकी कंपनी के पास भी एक औपचारिक हिक्सिल ब्लोअर नीति है, जो कंपनी की वेबसाइट पर भी दर्शाई गयी है।

कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत प्रकटीकरण
कंपनी में यौन उत्पीड़न पर बिल्कुल भी कोताई नहीं बरती जाती है एवं कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनये गये नियमों के अनुरूप कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण पर नीति अपनाई है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आईआईएफसीएल में एक सुव्यवस्थित स्थापित प्रणाली है। एक आंतरिक समिति है, जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले देखती है। साथ ही, आईआईएफसीएल कर्मचारी सेवा नियामक में यौन उत्पीड़न के मामलों को कदाचार के रूप में उल्लेख किया गया है। आईआईएफसीएल लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहा है कि महिलाओं की संख्या से निर्पेक्ष महिलाओं सहित काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए काम का माहौल सुरक्षित हो, इस तथ्य पर जोर डाला जा सकता है कि आज तक आईआईएफसीएल में इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

सतर्कता

कंपनी में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सतर्कता मामलों की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई एवं कंपनी में सतर्कता से संबंधित कोई मामला लंबित भी नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरटीआई अधिनियम की उपयोगिता का अनुसरण करते हुए, आईआईएफसीएल में आर.टी.आई. अधिनियम कार्यान्वित किए गये और आईआईएफसीएल द्वारा आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदकों का जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। आईआईएफसीएल ने आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 5 (1) के अनुसार केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी नामित किए गये हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के तहत अपेक्षित आईआईएफसीएल के संगठन, क्रियाकलाप एवं कर्तव्यों का विवरण, सीपीआईओ एवं अपीलीय प्राधिकारी का संपर्क विवरण आईआईएफसीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों का अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर उत्तर दिया जाता है/अग्रेषित किया जाता है/अस्वीकृत किया जाता है। रिकार्ड सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अपेक्षानुसार अनुरक्षित/प्रसारित किये जाते हैं।

आईआईएफसीएल प्राप्त, संबोधित और अस्वीकृत आवेदनों के लिए मासिक रिटर्न फॉर्म अपलोड करता है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट पर आरटीआई आवेदनों की तिमाही रिटर्न दाखिल करने का भी अनुपालन करता है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आईआईएफसीएल को अधिनियम, 2005 के तहत 78 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 77 आवेदकों के आवेदन स्वीकार किये गये व उनका समय पर उत्तर दिया गया जबकि 7 आवेदकों के आवेदन निरस्त कर दिये गये क्योंकि वे आईआईएफसीएल से संबंधित नहीं थे।

शिकायत निवारण तंत्र

हितधारकों की प्रतिक्रियात्मक हैंडलिंग और शिकायतों का समय पर प्रसंस्करण कंपनी के लिए प्राथमिकता है। आईआईएफसीएल ने शिकायत/शिकायत उठाने के लिए एक उचित मंच प्रदान करने के लिए अपने हितधारकों के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है। आईआईएफसीएल विधिवत एक विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) का पालन करता है जिसे आईआईएफसीएल के नागरिक चार्टर में शामिल किया गया है जिसे सार्वजनिक प्रकटीकरण के हिस्से के रूप में अपनी वेबसाइट पर प्रकट किया गया है। शिकायतें निम्नलिखित माध्यमों से दर्ज की जा सकती हैं—

1. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के माध्यम से
2. आईआईएफसीएल वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन शिकायत निवारण फॉर्म
3. शिकायत grievancefeedback@iifcl.in पर ईमेल के माध्यम से

आईआईएफसीएल ने शिकायत निवारण प्रणाली के प्रबंधन के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी; जीआरओ) को नियुक्त किया है। जीआरओ का विवरण आईआईएफसीएल वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

आईआईएफसीएल के विभिन्न बॉन्ड के मुद्दों में निवेश से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए, निवेशक सीधे संबंधित रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं और आईआईएफसीएल को ईमेल आईडी grievancefeedback@iifcl.in पर सूचित कर सकते हैं: गैर-संतोषजनक समाधान की स्थिति में, निवेशक अनुपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं जिसका विवरण आईआईएफसीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

जमाएं

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के तहत कम्पनियों (जमाराशियों की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ कोई भी जमाएं स्वीकार नहीं की हैं और न ही कोई जमा बकाया अथवा अदावाकृत है। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान कंपनी ने जमा के पुनर्भुगतान अथवा उस पर देय ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्गमन के बारे में विवरण

ऊर्जा का संरक्षण/प्रौद्योगिकी समावेश

कंपनी को ऊर्जा के संरक्षण और प्रौद्योगिकी समावेश से संबंधित विवरणों का प्रकटीकरण करना आवश्यक नहीं है क्योंकि आपकी कंपनी विनिर्माण गतिविधियों में शामिल नहीं है। हालांकि, कंपनी ने कार्यालय परिसर में ऊर्जा खपत के संरक्षण के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। कंपनी अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करती है जिसमें किसी भी प्रौद्योगिकी समावेश नहीं किया गया है।

विदेशी मुद्रा का अर्जन और बहिर्गमन

वर्ष 2020-21 के दौरान प्रयुक्त/अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नवत है :-

(राशि करोड़ रुपये में)

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
प्रयुक्त की गई कुल विदेशी मुद्रा#	607.62	460.17
अर्जित की गई कुल विदेशी मुद्रा	-	-

राशि में विदेशी मुद्रा ऋणों के पुनर्भुगतान/सर्विसिंग के लिए खरीदी गई विदेशी मुद्रा शामिल नहीं है।

कर्मचारियों का विवरण

चूंकि यह कंपनी सरकारी कंपनी है अतः कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्ति और पारिश्रमिक नियम), 2014 के नियम 5 साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारियों के विवरण देना आवश्यक नहीं है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के निदेशकों अथवा कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया था।

सचिवीय मानक

आईआईएफसीएल ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का पूरी निष्ठा से पालन किया है।

वार्षिक विवरणी लिंक

वार्षिक विवरणी का सार वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक-II में निर्धारित प्रारूप में संलग्न है।

लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की सूचना

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न ही सांविधिक लेखापरीक्षकों ने और न ही सचिवीय लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के तहत कंपनी के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसी किसी धोखाधड़ी की घटना की सूचना नहीं दी जिसे मंडल की रिपोर्ट में उल्लेख करना आवश्यक है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसरण में लागत अभिलेखों का अनुरक्षण

केन्द्र सरकार ने कंपनी द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलापों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण करना निर्धारित नहीं किया है।

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स भाटिया एंड भाटिया (DE 0441), सनदी लेखाकार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी की पूरक लेखापरीक्षा का कार्य, निदेशक (प्रशासन), प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा (उद्योग एवं कॉर्पोरेट मामले) आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002 को सौंपा गया था।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय (सी एंड एजी) ने सरकारी कंपनी में पत्र संख्या(1)/437/सीए/वी/सीओवाई/केंद्र सरकार,के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आईआईएफसीएल में दिनांक 19 अगस्त 2021 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एसपीएमआर एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आईआईएफसीएल के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की पूरक लेखापरीक्षा का कार्य निदेशक (प्रशासन), प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा (उद्योग एवं कार्पोरेट मामले) आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002 को सौंपा गया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी की 17वीं वार्षिक आम बैठक की समापन तक कार्यालय में रहेंगे।

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स टी. चटर्जी एंड कंपनी, कंपनी सचिवों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 21 जून 2021 को धारित बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है और इसे अनुलग्नक-I में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियों और टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर, लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति के साथ वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

लेखा परीक्षक की योग्यता पर प्रबंधन की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपेक्षित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में योग्यता के बारे में जानकारी और विवरण एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कोई टिप्पणियों पर प्रबंधन टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट में दी गई हैं।

राजभाषा

आईआईएफसीएल कार्यालय में राजभाषा हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हर साल जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम और अन्य दिशानिर्देशों के माध्यम से राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 का अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

इसी क्रम में 17 नवंबर, 2020 को संसदीय राजभाषा समिति की मसौदा एवं साक्ष्य उप-समिति ने दिल्ली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) के अध्यक्ष और आईआईएफसीएल सहित कुछ सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों के साथ विचार-विमर्श किया। जहां अपने अपने कार्यालयों में हिंदी की प्रगति और उपयोग की समीक्षा की गई। आईआईएफसीएल भी इस बैठक में सक्रिय भागीदार था। चर्चा के दौरान यह पाया गया कि आईआईएफसीएल में राजभाषा के कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए हिंदी में कार्य संतोषजनक पाया है।

इसके साथ ही 6 जुलाई 2021 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति ने आईआईएफसीएल कार्यालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए एक निरीक्षण बैठक की। आईआईएफसीएल के द्वारा राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की प्रगति और प्रयासों को सराहनीय पाया गया। सभी माननीय सदस्यों ने समग्र प्रगति से संतुष्ट होकर कार्यालय में हिन्दी को लागू करने के प्रयासों की सराहना की।

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) भारत सरकार की राजभाषा नीति का पालन करते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर 1 सितंबर से 14 सितंबर तक विभिन्न प्रचार कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का धारण करके “हिंदी पखवाड़ा” बहुत धूमधाम से मनाती है।

सांविधिक और अन्य अपेक्षित सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना निम्नानुसार इस रिपोर्ट में संलग्न है:

क्र.सं.	विवरण	अनुबंध
1	सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	I
2	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (क) के अनुसार फॉर्म संख्या एमजीटी 9 में वार्षिक विवरणी का निष्कर्ष	II
3	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	III
4	राशि, यदि कोई आरक्षित निधि में ले जाई गई है	IV

आभार

निदेशक मंडल केंद्र सरकार विशेष रूप से वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, राज्य सरकारों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहयोगी कर्मचारियों, ग्राहकों और अन्य सभी पणधारकों के लिए उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए आभारी है। बोर्ड कंपनी के लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारतीय आरक्षित निधि बैंक, सेबी, एलआईसी और एमओयू भागीदारों के लिए उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और सलाह के लिए भी आभारी है।

निदेशक मंडल, कंपनी के कर्मचारियों के समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रयासों की सराहना करता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

ह/-

पवन के कुमार

उप प्रबंध निदेशक

डीआईएन सं. 08901398

ह/-

पी आर जयशंकर

प्रबंध निदेशक

डीआईएन सं. 06711526

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 09 नवंबर, 2021

बोर्ड हेतु परिशिष्ट

क. सचिवीय लेखापरीक्षक अवलोकन

1. बोर्ड की संरचना और बोर्ड की समितियाँ अर्थात् लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, प्रशासनिक मंत्रालय के द्वारा बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करने के कारण धारा 177(1), 178(1), और 135(1) के अनुसार नहीं थे।

प्रबंधन टिप्पणियाँ: भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग आईआईएफसीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में है।

2. लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम की धारा 56(4) के तहत निर्धारित समय सीमा से अधिक भारत के राष्ट्रपति को जारी किए गए 5297600000 शेयरों के शेयर प्रमाण पत्र जारी किए हैं।

प्रबंधन टिप्पणियाँ: के आवंटन पर स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन और भुगतान के लिए आवेदन

30 मार्च 2020 को भारत के राष्ट्रपति को 529.76 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर जारी करने और शेयरों के आवंटन पर निर्धारित समय के भीतर लेनदेन संदर्भ संख्या डीएल 280204582021712643 दिनांकित 28 अप्रैल, 2020 के माध्यम से ऑनलाइन किए गए थे।

बार-बार याद दिलाने के बाद, स्टाम्प कलेक्टर के कार्यालय द्वारा चालान तैयार किया गया जिसमें आईआईएफसीएल को शेयरों के आवंटन के लिए स्टाम्प शुल्क जमा करने की आवश्यकता थी। स्टाम्प शुल्क के भुगतान के बाद, कार्यालय स्टाम्प कलेक्टर ने स्टाम्प शुल्क के भुगतान को प्रमाणित करते हुए 12 अप्रैल 2021 को ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र जारी किया। इसके बाद, आईआईएफसीएल ने पत्र दिनांक 22 अप्रैल 2021 द्वारा 529.76 करोड़ इक्विटी शेयरों के लिए मूल इक्विटी शेयर प्रमाणपत्र 10/- रुपये, विधिवत निष्पादित, भारत सरकार के पक्ष में वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया।

3. आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45एन के तहत आरबीआई ने निरीक्षण किया है और बोर्ड के तत्काल ध्यान के लिए कुछ पर्यवेक्षी चिंताओं हेतु संदर्भ संख्या डीओएस.एनडी नंबर एस1ध05-09-269/2021-2022, दिनांकित 05-04-2021 के तहत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

प्रबंधन टिप्पणियाँ: भारतीय आरक्षित निधि बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-एन के तहत आईआईएफसीएल के निरीक्षण के संदर्भ में आरबीआई की टिप्पणियों पर 21 जून 2021 को आईआईएफसीएल की आइटम-वार अनुपालन/टिप्पणियाँ - 31 मार्च 2020 की स्थिति को बोर्ड द्वारा धारित बैठक में अनुमोदित किया गया था। इसके बाद, आईआईएफसीएल ने 30 जून 2021 को ई-मेल के माध्यम से गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस), भारतीय आरक्षित निधि बैंक (आरबीआई) को अपना जवाब प्रस्तुत किया।

कंपनी के प्रबंधन ने निरीक्षण दल की अधिकांश टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया है और मामले के बारे में अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं।

ख. सांविधिक लेखापरीक्षक अवलोकन

1. एक सहायक कंपनी, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड में निवेश का मूल्यांकन कंपनी द्वारा वहन लागत अर्थात् रु. 42,240.32 लाख पर किया गया है, सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार, यूके में सहायक कंपनी की निवल आस्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। जैसा कि हमें समझाया गया है, भारतीय लेखा मानक (इंड एस) के तहत सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं और अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल के तहत भारी प्रावधान किए गए हैं। प्रबंधन की राय में, यूके में सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किए जाते हैं और जैसा कि हमें समझाया गया है, यूके में सहायक कंपनी में निवेश के उचित मूल्य का आकलन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, सहायक कंपनी यानी आईआईएफसी यूके में निवेश के उचित मूल्यांकन के अभाव में, हम लाभ और हानि खाते, आरक्षित निधि और निवेश (राशि अनिश्चित) टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

प्रबंधन टिप्पणियाँ:

यह प्रस्तुत किया जाता है कि इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड (आईआईएफसी (यूके)) को एक निर्दिष्ट स्तर पर पूंजी बनाए रखने के लिए कोई नियामक आवश्यकता नहीं है। हालांकि, आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2008 से वित्त वर्ष 2010 के दौरान आईआईएफसी (यूके) में 50 मिलियन अमरीकी डालर की इक्विटी डाली। आईआईएफसी (यूके) ने वित्त वर्ष 2012-13 में 30 मिलियन अमरीकी डालर और वित्त वर्ष 2015-16 में 20 मिलियन अमरीकी डालर

का लाभांश घोषित किया जो कुल मिलाकर 50 मिलियन अमरीकी डालर था। आईआईएफसीएल ने 31 मार्च 2020 तक आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में 25 मिलियन अमरीकी डालर की इक्विटी शेयर पूंजी का और अधिक संचार किया था। इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने निम्नलिखित के परिणामस्वरूप अपनी ऋण पुस्तिका की गहन प्रावधान और सफाई कीरू

- आरबीआई सर्कुलर दिनांक 12 फरवरी 2018 (दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान – संशोधित ढांचा) जारी करना जिसके परिणामस्वरूप संकटग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए ढांचा, सीडीआर, मौजूदा दीर्घकालिक परियोजना ऋणों की लचीली संरचना, एसडीआर, एसडीआर और एस4ए के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन जैसी सभी योजनाओं को वापस ले लिया गया
- दिवाला और दिवालियापन संहिता का कार्यान्वयन जिसके परिणामस्वरूप एनपीए मामलों को अनिवार्य रूप से समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए एनसीएलटी के पास भेजा जाता है।

आईआईएफसीएल की तर्ज पर वित्त वर्ष 2018-19 में आईआईएफसी (यूके) में ऋण खाता की इसी तरह की गहरी प्रावधान और सफाई की गई थी। इसके परिणामस्वरूप आईआईएफसी (यूके) की निवल आस्ति में गिरावट आई।

आईआईएफसीएल आईआईएफसी (यूके) को 10 वर्षों की अवधि में 250 मिलियन अमरीकी डालर तक की इक्विटी पूंजी की सदस्यता लेकर आईआईएफसी (यूके) को नई पूंजी प्रदान करने का इरादा रखता है, जिसमें से 25 मिलियन अमरीकी डालर पहले ही वित्त वर्ष के दौरान सब्सक्राइब किया गया है। 2019-20 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

2020-21 के दौरान, आईआईएफसीएल ने आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में 25 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर इक्विटी शेयर पूंजी के इन्फ्यूजन के लिए आरबीआई की मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू की। आईआईएफसीएल ने आरबीआई की मंजूरी मिलने पर इस निवेश को लेने का प्रस्ताव रखा।

इसके अलावा, आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2021-20 और वित्त वर्ष 2020-21 में क्रमशः 9.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 4.99 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया है।

आईआईएफसीएल ने आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में धारित इक्विटी शेयर पूंजी के क्षरण को हानि के रूप में मान्यता नहीं दी है, आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड को एक गोइंग कंसर्न इकाई के रूप में और कंपनी द्वारा किए गए नुकसान को स्थायी नहीं माना जाता है।

2. कोविड-19 नियामक पैकेज दिनांक 27 मार्च 2020 और 17 अप्रैल 2020 से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी को ऋण जो 29 फरवरी 2020 तक मानक आस्ति थे, सभी अवधि की किश्तों के भुगतान पर 3 महीने की मोहलत देने की अनुमति दी है। प्रारंभिक अधिस्थगन अवधि 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच भुगतान के लिए थी। 22 मई 2020 को, आरबीआई ने अधिस्थगन अवधि को 3 महीने यानी 31 अगस्त तक बढ़ाने की अनुमति दी। 2020 एक और अधिस्थगन अवधि के दौरान ऋण के बकाया हिस्से पर ब्याज देना जारी रहेगा। सभी खातों के लिए यह निर्धारित करता है कि जहां अधिस्थगन प्रदान किया जाता है, खातों की उम्र बढ़ने पर अधिस्थगन अवधि के दौरान स्थिर रहेगा। ऋणदाताओं को अपने ग्राहकों को स्थगन की पेशकश करने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को लागू करना आवश्यक था।

आईआईएफसीएल ने आरबीआई के परिपत्रों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, मार्च 2020 से अगस्त 2020 की अवधि के लिए दिए गए सावधि ऋण के पात्र मामलों में ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए अधिस्थगन बढ़ा दिया है।

45914.50 लाख रुपये की राशि को ब्याज आय से उलट दिया गया है और ब्याज के कारण विविध देयता (ब्याज पूंजीकरण खाता) में जमा किया गया है, जो कि सावधि ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान अर्जित हुआ है, जिसने अधिस्थगन का लाभ उठाया है।

कर पूर्व लाभ (पीबीटी) रुपये से कम करके आंका गया है एवं 45,914.50 लाख रु. और विविध देनदारियों को उसी राशि से अधिक बताया गया था। हमें प्रबंधन द्वारा समझाया गया है कि आईआईएफसीएल ने मामले को भारतीय आरक्षित निधि बैंक को स्पष्टीकरण के लिए भेजा है और उस पर जवाब अभी भी लंबित है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एसए) पर मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारे वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखापरीक्षा के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हम इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

प्रबंधन टिप्पणियां:

कोविड -19 नियामक पैकेज दिनांक 27 मार्च 2020 और 17 अप्रैल 2020 से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी को सभी अवधि की किश्तों के भुगतान पर 3 महीने की मोहलत देने की अनुमति दी है। ऋण जो 29 फरवरी 2020 तक मानक आस्ति थे। इसका उद्देश्य उधारकर्ताओं की कठिनाई को कम करने में मदद करना था जो कि राष्ट्रीय लॉकडाउन द्वारा लाया गया था। 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच गिरने वाले मूलधन / या ब्याज घटकों आदि सहित सभी किश्तों के भुगतान पर शुरू में तीन महीने के लिए अधिस्थगन प्रदान किया गया था। 22 मई 2020 को, आरबीआई ने इस अधिस्थगन अवधि को 3 महीने यानी 31 अगस्त 2020 की तारीख तक बढ़ा दिया।

अधिस्थगन अवधि के दौरान ऋण के बकाया हिस्से पर ब्याज मिलता रहा। उन सभी खातों के लिए जहां अधिस्थगन प्रदान किया गया था, अधिस्थगन अवधि के दौरान खातों की उम्र बढ़ने की स्थिति स्थिर रही। उधारदाताओं को अपने ग्राहकों को स्थगन की पेशकश करने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को लागू करना आवश्यक था।

आईआईएफसीएल ने आरबीआई के परिपत्रों के अनुसार मार्च 2020 से अगस्त 2020 की अवधि के लिए दिए गए सावधि ऋण के पात्र मामलों में ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए अधिस्थगन बढ़ा दिया है। सृजित सुविधा का पुनर्भुगतान, ऐसे मामलों में मूल मीयादी ऋण की चुकौती अवधि के भीतर निर्धारित किया गया है।

30 सितंबर 2020 को समाप्त छमाही के दौरान, आईआईएफसीएल ने निर्देश संख्या डीसीबी.बीपीडी (पीसीबी) एमसी संख्या 12/09.14.000/2015-16 दिनांकित 1 जुलाई 2015 के संदर्भ में पुनर्रचना के रूप में इलाज के बिना अधिस्थगन ऋण मामलों में आस्थगित ब्याज आय को मान्यता दी। आईआईएफसीएल ने 12 नवंबर 2020 के पत्र के माध्यम से आरबीआई से यह मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया कि आईआईएफसीएल द्वारा ब्याज आय की मान्यता नियामक अनुरूपता के अनुरूप है। इस संबंध में आरबीआई के जवाब का अभी इंतजार है।

नतीजतन, 31 मार्च 2021 को, आईआईएफसीएल ने 459.15 करोड़ रु की अप्राप्त ब्याज आय की मान्यता को रूढ़िवादी रूप से बाद में वसूली तक स्थगन ऋण मामलों पर स्थगन अवधि के लिए

स्थगित कर दिया है।

हालांकि, अधिस्थगन अवधि के पूरा होने के बाद, कंसोर्टियम उधारदाताओं ने अधिस्थगन अवधि के लिए ऋण के ब्याज को सावधि ऋण, आस्थगित ब्याज सावधि ऋण या मामला दर मामला आधार पर पूंजीकृत ब्याज के रूप में माना है। लंबी अवधि में ब्याज आय को स्थगित करने पर विचार करते हुए इस राशि का पुनर्भुगतान मामला दर मामला आधार पर बढ़ाया जाता है। आईआईएफसीएल ने इस आय को वसूली के आधार पर बुक करना उचित समझा। आरबीआई मास्टर निदेश के अनुसार, एफआईटीएल को वसूली पर आय के रूप में मान्यता दी गई है।

ग. 1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईआईएफसीएल के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

क. लाभप्रदता पर टिप्पणी

क.1 आस्तियां

क. 1.1 वित्तीय आस्तियां – ऋण – रु. 36646.92 करोड़ (नोट संख्या 4)

कर पूर्व लाभ/(हानि) – रु. 315.42 करोड़

आईआईएफसीएल ने किरतपुर-नेर-चौक खंड के चार लेन के विकास और निर्माण के लिए 280 करोड़ रुपये रु. का ऋण मंजूर किया (24 सितंबर 2012)। आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को और 222.73 करोड़ रुपये वितरित किए गए। यह ऋण खाता 31 दिसंबर 2018 को गैर-निष्पादित आस्ति में बदल गया और ₹ 222.71 करोड़ की बकाया राशि को आईआईएफसीएल के बोर्ड के दिनांक 16 मार्च 2021 के संकल्प के अनुसार वित्तीय विवरण से बट्टे खाते में डाल दिया गया था। मार्च 2020 तक 106.98 करोड़ रुपये की बकाया राशि के खिलाफ प्रावधान किया गया था।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) और किरतपुर-नेर-चौक एक्सप्रेसवे लिमिटेड के बीच निपटान के संबंध में आईएल एंड एफएस बनाम भारत संघ के मामले में, एनसीएलटी ने (24 फरवरी 2021) निवल निपटान राशि के अनुसार 672.62 करोड़ रुपये का आदेश दिया। संशोधित वितरण ढांचे के साथ जिसे संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक (9 मार्च 2021) में अधिकांश उधारदाताओं द्वारा स्वीकार किया गया था। आईआईएफसीएल ने निपटान प्रस्ताव के खिलाफ अपील (10 मार्च 2021) को प्राथमिकता दी। इसके अलावा, इसने अग्रणी बैंकर से अनुरोध किया कि केएनसीईएलएनएचआई से शेष राशि का दावा करने में ऋणदाता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एनएचआई द्वारा जारी निपटान राशि, यदि कोई हो, को ऋणदाताओं द्वारा विनियोजित किया जा सकता है। एनएचआई ने एस्क्रो खाते में 662.53 करोड़ रुपये जारी किए (31 मार्च 2021) और आईआईएफसीएल को 122.80 करोड़ रुपये का अपना हिस्सा (9 अप्रैल 2021) प्राप्त हुआ। ,

हालांकि, यह राशि वित्तीय विवरणों में दर्ज नहीं की गई थी जिन्हें 21 जून 2021 को अंतिम रूप दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप 'कर और अन्य इक्विटी से पूर्व लाभ' को रु. 122.80 करोड़ था।

प्रबंधन टिप्पणियाँ:

- आईआईएफसीएल ने 279.86 करोड़ रुपये किरतपुर-नेर-चौक खंड के चार लेन के विकास और निर्माण के लिए 24.09.2012 को संस्वीकृत किए जो किरतपुर नेर चौक एक्सप्रेसवे लिमिटेड (केएनसीईएल) को उक्त ऋण 31.12.2018 को एनपीए में बदल गया।
- आईआईएफसीएल पर 222.71 करोड़ रु. का बकाया मूलधन था। जिसके खिलाफ उसने 31.03.2020 तक 106.98 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।
- 24.02.2021 को, एनसीएलटी ने रुपये की निवल निपटान राशि 672.62 करोड़ रु. के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आईएल एंड एफएस समूह के लिए स्वीकृत संशोधित वितरण ढांचे के अनुसार केएनसीईएल ने संवितरण हेतु अनुमोदित किए
- जैसा कि केएनसीईएल को आईएल एंड एफएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामलों का प्रबंधन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल द्वारा रेड श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि ऐसी संस्थाएं वरिष्ठ सुरक्षित वित्तीय लेनदारों के प्रति अपने भुगतान दायित्व को पूरा नहीं कर सकती हैं, तदनुसार, लेखापरीक्षक की राय थी कि केएनसीईएल के संपूर्ण ऋण को पुस्तकों में उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और प्रचलित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, खाते को 31.03.2021 को बहीखातों से बड़े खाते में डाल दिया गया था।
- यह ध्यान दिया जा सकता है कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित एनपीए नीति दिनांक दिसंबर 2020 के अनुसार, सभी खाते जहां 100: प्रावधान किया गया है, उसी वित्तीय वर्ष में बड़े खाते में डाल दिया जाएगा।
- दिनांक 09.03.2021 को धारित संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक में, अधिकांश ऋणदाताओं ने एनसीएलटी की निपटान राशि के लिए स्वीकार किया। आईआईएफसीएल ने यह भी निर्णय लिया कि एनएचएआई द्वारा जारी निपटान राशि, यदि कोई हो, को केएनसीईएल/एनएचएआई से शेष राशि का दावा करने में ऋणदाता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परियोजना के तहत ऋणदाताओं द्वारा विनियोजित किया जा सकता है।
- दिनांक 31.03.2021 को एनएचएआई ने 662.53 करोड़ रुपये की राशि एस्करो खाते में। जारी की।
- अग्रणी बैंक ने दिनांक 04.04.2021 की बैठक में कंसोर्टियम ऋणदाताओं (आईआईएफसीएल सहित) को अवगत कराया था कि निपटान राशि सदस्य ऋणदाताओं को नहीं भेजी जा सकती है, निपटान राशि के वितरण पैटर्न (परिचालन लेनदारों सहित) पर लीड बैंक को केएनसीईएल द्वारा स्पष्टता प्रदान नहीं की गई थी हालांकि, आईआईएफसीएल को 09.04.2021 को 122.80 करोड़ रुपये की राशि का अपना हिस्सा प्राप्त हुआ था।
- इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने पहले ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की है जिसमें ऋणदाताओं के बीच साझा की जाने वाली निपटान राशि में और वृद्धि के लिए वितरण ढांचे को चुनौती दी गई है।
- तदनुसार, जैसा कि राशि 09.04.2021 को प्राप्त हुई है, वही 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लाभ में परिलक्षित होगी।

क.1.2 वित्तीय आस्ति – ऋण – रु. 36646.92 करोड़ (नोट संख्या 4)

कर पूर्व लाभ/(हानि) – रु. 315.42 करोड़.

आईआईएफसीएल ने एचकेआर रोडवेज लिमिटेड को 181 करोड़ रु. का ऋण मंजूर किया (जनवरी 2011)। ऋण खाता 30 सितंबर 2018 को गैर-निष्पादित आस्ति में बदल गया। 31 मार्च 2021 तक, 163.01 करोड़ रु. बकाया था, जिसके विरुद्ध रु. 81.50 करोड़ का प्रावधान हो चुका है।

800 करोड़ रुपये के लिए एचकेआर रोडवेज लिमिटेड का एकमुश्त निपटान यानि वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) प्रस्ताव को 1 नवंबर 2019 को कट-ऑफ तारीख के साथ कंसोर्टियम उधारदाताओं के बकाये के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए आईआईएफसीएल बोर्ड द्वारा 15 मार्च 2021 को मंजूरी दी गई थी और 26 मार्च 2021 को निपटान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ओटीएस के अनुसार, आईआईएफसीएल का हिस्सा 95.04 करोड़ रु था जिसमें से 11.87 करोड़ रुपये 31 मार्च 2021 तक प्राप्त हो चुके थे और शेष रु. 13 मई 2021 को 83.17 करोड़ प्राप्त हुए थे, हालांकि, यह राशि वित्तीय विवरणों में दर्ज नहीं की गई थी जिन्हें 21 जून 2021 को अंतिम रूप दिया गया था।

इसके परिणामस्वरूप प्रावधान को अधिक बताया गया है और रु. 13.54 करोड़ के कर पूर्व लाभ को दर्ज किया गया।

प्रबंधन टिप्पणियाँ:

कंसोर्टियम उधारदाताओं के बकाया के अंतिम निपटान के प्रस्ताव को आईआईएफसीएल द्वारा मार्च 2021 में लीड बैंक की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद (1 नवंबर 2019 को कट-ऑफ तिथि के साथ) अनुमोदित किया गया था। तदनुसार, ओटीएस के लिए समझौता समझौते पर 26 मार्च, 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे।

आईआईएफसीएल को 13.05.2021 को पूर्ण और अंतिम निपटान प्राप्त हो गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि रुपये की रसीद। सीएजी द्वारा देखे गए 11.87 करोड़ टोल संग्रह से बाहर थे।

ओटीएस की शेष राशि की प्राप्ति की तिथि निश्चित नहीं थीय उपर्युक्त खाते में प्रावधानीकरण वित्तीय वर्ष 2021 को समाप्त होने वाले प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार किया गया है।

चूंकि राशि 13 मई 2021 को प्राप्त हुई है, वही 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लाभ में परिलक्षित होगी।

ग. 2. 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां, धारा 129 (4) के साथ पढ़ें।

क . समेकित लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क.1 आस्तियां

क.1.1 वित्तीय आस्तियां – ऋण – 48327.75 करोड़ रु (नोट संख्या 5)

कर पूर्व लाभ/(हानि) – 355.26 करोड़ रु

आईआईएफसीएल ने 280 करोड़ रु. का ऋण मंजूर किया (24 सितंबर 2012)। आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को किरतपुर-नेर-चौक खंड के चार लेन के विकास और निर्माण के लिए 222.73 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया। यह ऋण खाता 31 दिसंबर 2018 को गैर-निष्पादित आस्ति में बदल गया और बकाया राशि 222.71 करोड़ रु आईआईएफसीएल के बोर्ड के दिनांक 16 मार्च 2021 के संकल्प के अनुसार वित्तीय विवरण से बढ़े खाते में डाले गए थे। मार्च 2020 तक बकाया राशि के खिलाफ 106.98 करोड़ रु प्रावधान किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और किरतपुर-नेर-चौक एक्सप्रेसवे लिमिटेड के बीच निपटान के संबंध में आईएल एंड एफएस बनाम भारत संघ के मामले में, एनसीएलटी ने 672.62 करोड़ रुपये की निवल निपटान राशि के लिए आदेश दिया (24 फरवरी 2021)। संशोधित वितरण ढांचे के अनुसार जिसे संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक (9 मार्च 2021) में अधिकांश उधारदाताओं द्वारा स्वीकार किया गया था। आईआईएफसीएल ने निपटान प्रस्ताव के खिलाफ अपील (10 मार्च 2021) को प्राथमिकता दी। इसके अलावा, इसने अग्रणी बैंकर से अनुरोध किया कि केएनसीईएलएनएचएआई से शेष राशि का दावा करने में ऋणदाता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एनएचएआई द्वारा जारी निपटान राशि, यदि कोई हो, को ऋणदाताओं द्वारा विनियोजित किया जा सकता है। एनएचएआई ने जारी किया (31 मार्च 2021) एस्करो खाते में 662.53 करोड़ रु और आईआईएफसीएल ने (9 अप्रैल 2021) 122.80 करोड़ रुपये का अपना हिस्सा प्राप्त किया।, हालांकि, यह राशि वित्तीय विवरणों में दर्ज नहीं की गई थी जिन्हें 21 जून 2021 को अंतिम रूप दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप शकर और अन्य इक्विटी से पूर्व लाभ को 122.80 करोड़ रु. दर्ज किया गया।

प्रबंधन टिप्पणियां:

- आईआईएफसीएल ने 279.86 करोड़ रुपये रु. किरतपुर-नेर-चौक खंड के चार लेन के विकास और निर्माण के लिए 24.09.2012 को किरतपुर नेर चौक एक्सप्रेसवे लिमिटेड (केएनसीईएल) को उक्त ऋण 31.12.2018 को एनपीए में बदल गया।
- आईआईएफसीएल पर 222.71 करोड़ रु. का बकाया मूलधन था। जिसके खिलाफ उसने 31.03.2020 तक 106.98 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।
- 24.02.2021 को, एनसीएलटी ने 672.62 करोड़ रुपये की निवल निपटान राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केएनसीईएल में आईएल एंड एफएस समूह के लिए स्वीकृत संशोधित वितरण ढांचे के अनुसार वितरण के लिए अनुमोदित किए
- जैसा कि केएनसीईएल को आईएल एंड एफएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामलों का प्रबंधन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल द्वारा रेड श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि ऐसी संस्थाएं वरिष्ठ सुरक्षित वित्तीय लेनदारों के प्रति अपने भुगतान दायित्व को पूरा नहीं कर सकती हैं, तदनुसार, लेखापरीक्षक की राय थी कि केएनसीईएल के संपूर्ण ऋण को पुस्तकों में उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और प्रचलित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, खाते को 31.03.2021 को बहीखातों से बढ़े खाते में डाल दिया गया था।
- यह ध्यान दिया जा सकता है कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित एनपीए नीति दिनांक दिसंबर 2020 के अनुसार, सभी खाते जहां 100% प्रावधान किया गया है, उसी वित्तीय वर्ष में बढ़े खाते में डाल दिया जाएगा।
- दिनांक 09.03.2021 को धारित संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक में, अधिकांश ऋणदाताओं ने एनसीएलटी की निपटान राशि के लिए स्वीकार किया। आईआईएफसीएल ने यह भी निर्णय लिया कि एनएचएआई द्वारा जारी निपटान राशि,

यदि कोई हो, को केएनसीईएलएनएचएआई से शेष राशि का दावा करने में ऋणदाता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परियोजना के तहत ऋणदाताओं द्वारा विनियोजित किया जा सकता है।

- एनएचएआई ने 31.03.2021 को 662.53 करोड़ रु रुपये की राशि एस्करो खाते में जारी की।
- अग्रणी बैंक ने दिनांक 04.04.2021 की बैठक में कंसोर्टियम ऋणदाताओं (आईआईएफसीएल सहित) को अवगत कराया था कि निपटान राशि सदस्य ऋणदाताओं को नहीं भेजी जा सकती है, निपटान राशि के वितरण पैटर्न (परिचालन लेनदारों सहित) पर स्पष्टता प्रदान नहीं की गई थी लीड बैंक को केएनसीईएल। हालांकि, आईआईएफसीएल को 09.04.2021 को 122.80 करोड़ रुपये की राशि का अपना हिस्सा प्राप्त हुआ था।
- इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने पहले ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की है जिसमें ऋणदाताओं के बीच साझा की जाने वाली निपटान राशि में और वृद्धि के लिए वितरण ढांचे को चुनौती दी गई है।

तदनुसार, जैसा कि राशि 09.04.2021 को प्राप्त हुई है, वही 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लाभ में परिलक्षित होगी

क. 1.2 वित्तीय आस्ति – ऋण – रु 48327.75 करोड़ (नोट संख्या 5)

कर पूर्व लाभ/(हानि) – रु. 355.26 करोड़ रु.

आईआईएफसीएल ने 181 करोड़ रु. का ऋण मंजूर किया (जनवरी 2011) एचकेआर रोडवेज लिमिटेड को ऋण खाता 30 सितंबर 2018 को गैर-निष्पादित आस्ति में बदल गया। 31 मार्च 2021 तक, 163.01 करोड़ रु. बकाया था, जिसके विरुद्ध रु. 81.50 करोड़ का प्रावधान हो चुका है।

800 करोड़ रुपये के लिए एचकेआर रोडवेज लिमिटेड का वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) प्रस्ताव 1 नवंबर 2019 को कट-ऑफ तारीख के साथ कंसोर्टियम उधारदाताओं के बकाये के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए आईआईएफसीएल बोर्ड द्वारा 15 मार्च 2021 को मंजूरी दी गई थी और 26 मार्च 2021 को निपटान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। एकमुश्त निपटान(ओटीटी) के अनुसार, आईआईएफसीएल का हिस्सा 95.04 करोड़ रु., जिसमें से रु. 31 मार्च 2021 तक 11.87 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके थे और शेष रु. 13 मई 2021 को 83.17 करोड़ प्राप्त हुए थे, हालांकि, यह राशि वित्तीय विवरणों में दर्ज नहीं की गई थी जिन्हें 21 जून 2021 को अंतिम रूप दिया गया था।

इसके परिणामस्वरूप प्रावधान और कर पूर्व लाभ को रु. 13.54 करोड़ को अधिक बताया गया है ।

प्रबंधन टिप्पणियां:

कंसोर्टियम उधारदाताओं के बकाया के अंतिम निपटान के प्रस्ताव को आईआईएफसीएल द्वारा मार्च 2021 में लीड बैंक की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद (1 नवंबर 2019 को कट-ऑफ तिथि के साथ) अनुमोदित किया गया था। तदनुसार, ओटीएस के लिए समझौता समझौते पर 26 मार्च, 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे।

आईआईएफसीएल को 13.05.2021 को पूर्ण और अंतिम निपटान प्राप्त हो गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 1.87 करोड़ रुपये की प्राप्ति की। सीएजी द्वारा देखे गए टोल संग्रह से बाहर थे।

ओटीएस की शेष राशि की प्राप्ति की तिथि निश्चित नहीं थीय उपर्युक्त खाते में प्रावधानीकरण वित्तीय वर्ष 2021 को समाप्त होने वाले प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार किया गया है।

चूंकि राशि 13 मई 2021 को प्राप्त हुई है, वही 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लाभ में परिलक्षित होगी।

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

फॉर्म एमआर-3

(31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

के सदस्य

हमने **इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, सीआईएन: U67190DL2006GO1144520** (इसके बाद **कंपनी** कहा जाए) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और सुलभ कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से धारित किया गया था जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी द्वारा प्रस्तुत बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों, दाखिल रिटर्न और अन्य अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर, उसके अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, के पोर्टल स्टॉक एक्सचेंज (ओं), प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व और चल रहे कोविड 19 महामारी के कारण कॉर्पोरेट मामलों और प्रतिभूति और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के मंत्रालय द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने लेखापरीक्षा के दौरान **31 मार्च, 2021** को समाप्त अवधि तक सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र है, जो इसके पश्चात की गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

हमने **31 मार्च, 2021** को समाप्त हुई लेखा परीक्षा अवधि के लिए कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल किए गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:

- i) कंपनी अधिनियम, 2013 (**अधिनियम**) और उसके तहत बनाए गए नियम;
- ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (**'एससीआरए'**) और उसके तहत बनाए गए नियम;
- iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
- iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तकय (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
- v) भारतीय आरक्षित निधि बैंक अधिनियम, 1934 गैर-बैंकिंग-वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी), नियमों पर लागू सीमा तक और उसके तहत बनाए गए विनियम।
- vi) भारतीय आरक्षित निधि बैंक द्वारा जारी अधिसूचनाएं/धरिपत्र और दिशानिर्देश
- vii) कंपनी पर लागू सीमा तक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश;
 - क. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम 2008;
 - ख. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (किसी निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;
 - ग. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;
 - घ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018।
- viii) कंपनी के प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया कि वित्तीय, श्रम और अन्य कानूनों सहित अन्य कानून जो आम तौर पर इस प्रकार की कंपनियों पर लागू होते हैं, आमतौर पर मास्टर निर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू है - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनी।

ix) हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

क. बोर्ड बैठक (एसएस-1) और आम बैठक (एसएस-2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ख. कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के साथ किए गए लिस्टिंग समझौतों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) [सूचीबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, विनियम 2015 के प्रावधानों के साथ पढ़ा गया;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, लिस्टिंग समझौतों आदि के प्रावधानों का पालन किया है, जो निम्नलिखित को छोड़कर ऊपर उल्लिखित हैं:

- (1) **बोर्ड की संरचना और बोर्ड की समितियाँ अर्थात् लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करने के कारण धारा 177(1), 178(1), और 135(1) के अनुसार नहीं थे।**
- (2) **लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम की धारा 56(4) के तहत निर्धारित समय सीमा से परे भारत के राष्ट्रपति को जारी किए गए 5297600000 शेयरों के शेयर प्रमाण पत्र जारी किए हैं।**
- (3) **भारतीय आरक्षित निधि बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एन के तहत आरबीआई ने निरीक्षण किया है और संदर्भ संख्या डीओएस.एनडी सं.एस1/05-09-269/2021-2022, दिनांकित 05-04-2021 के तहत बोर्ड के तत्काल ध्यान के लिए कुछ पर्यवेक्षी चिंताओं के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।**

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है और लेखा परीक्षा अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन आरबीआई अधिनियम और प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में किए गए थे।

ख. आम तौर पर सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, जो न्यूनतम अवधि के नोटिस पर धारित किए गए थे और बैठक से पहले एजेंडा मदों और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

ग. निदेशक मंडल और उसकी समितियों के सदस्य (सदस्यों) के असहमतिपूर्ण विचारों को जब भी उठाया गया उन पर विचार किया गया। तथापि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है

हम रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोर्ड की बैठकें धारित की गईं और बैठक में भाग लेने के लिए अन्य स्थानों पर निदेशकों की सुविधा के लिए पर्याप्त सुविधाओं का उपयोग किया गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि संदर्भ संख्या-डॉस.एनडी नं.एस1/05-09-269/2021-2022, दिनांक 05-04-2021 के तहत रिपोर्ट में आरबीआई द्वारा देखे गए कुछ पर्यवेक्षी चिंताओं को छोड़कर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कोई भी घटना नहीं हुई जिसका कंपनी के मामलों पर उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में प्रभाव पड़ा हो।

स्थान: नई दिल्ली

कृते टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स

पेशेवर कंपनी सचिव

एफआरएन सं.— P2007WB067100

दिनांक: 21/09/2021

बिनीता पांडे-भागीदार

एसीएस: 41594, सीपी: 19730

यूडीआईएन: A041594C000981588

इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो अनुलग्नक क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

सेवा में,

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

के सदस्य

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए आईसीएसआई लेखा परीक्षा मानक, लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं पर मार्गदर्शन नोटों का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. नोवेल कोरोना वायरस (कोविड 19) की वैश्विक महामारी के कारण, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई सलाह और प्रतिबंधों के कारण, हमने कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों, दाखिल रिटर्न और अन्य अभिलेखों का लेखा-जोखा किया है। कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड में ईमेल और अन्य मोड के माध्यम से प्रदान किए गए डेटा और जानकारी के आधार पर लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक है। दस्तावेजों और अभिलेखों का भौतिक सत्यापन सीमित तरीके से किया गया।
4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखापरीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स

पेशेवर कंपनी सचिव

एफआरएन सं. – P2007WB067100

ह/-

बिनीता पांडे – भागीदार

एसीएस: 41594, सीपी: 19730

यूडीआईएन: A041594C000981588

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21/09/2021

प्रपत्र सं. एमजीटी 9

अनुलग्नक-II

वार्षिक विवरणी का अंश

31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार।

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

1.	सीआईएन	U67190DL2006GOI144520
2.	पंजीकरण की तारीख	5 जनवरी, 2006
3.	कंपनी का नाम	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
4.	श्रेणी/उप-श्रेणी	भारत सरकार का उद्यम
5.	कंपनी	पांचवा तल, ब्लॉक -2 प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर ईस्ट किदवई नगर नई दिल्ली-110023 फोनरू 91-11- 24662777 फैक्सरू 91-11-20815125 ईमेल: info@iifcl.in
6.	कंपनी सूचीबद्ध है	हां
7.	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो।	केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उमेश पांडे सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, वित्तीय जिला नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500032, भारत टोल फ्री नंबर: 1800 345 4001 या ई-मेल पर ई-मेल भेजें। ris@kfintech.com आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा लिमिटेड, श्री रविंदर दुआ बी-25/1, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2 नई दिल्ली - 110 020 फोन: 011-26387322, 26387321 फैक्स: 011-26387322 rdua@rcmcdelhi.com www.rcmcdelhi.com

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां

(कंपनी के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बताया जाए)

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड*	कंपनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1	इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग**	649-बीमा और पेंशन फंडिंग गतिविधियों को छोड़कर अन्य वित्तीय सेवा गतिविधियाँ	100 प्रतिशत

*राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार-सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

आईआईएफसीएल की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2006 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) नामक सिपटी के रूप में एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्त को सूचीबद्ध करना है आईआईएफसीएल से वित्तीय सहायता के लिए पात्र क्षेत्र 1 मार्च, 2012 को इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित बुनियादी ढांचे के उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण सूची हैं। इनमें परिवहन, ऊर्जा, पानी, स्वच्छता, संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा शामिल हैं।

आईआईएफसीएल सितंबर 2013 से आरबीआई के साथ एनबीएफसी-एनडी-आईएफसी के रूप में पंजीकृत है।

III. धारित, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम	कंपनी का पता	सीआईएन/जीएलएन	धारित/सहायक/सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुभाग
1	आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	तीसरी मंजिल 72 किंग विलियम स्ट्रीट लंदन ईसी4एन7एचआर यूनाइटेड किंगडम टेलीफोन सामान्य: 44-20-7776 8950 ईमेल: info@iifc.org.uk	06496661*	सहायक	100%	2(87)(ii)
2	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	पता: 5वीं मंजिल, ब्लॉक 2 प्लेट ए, एनबीसीसी टॉवर पूर्वी किदवई नगर नई दिल्ली-110 023 फोन: +91-11-2465573 ईमेल आईडी: contact@ iifclprojects.com	U74999DL2012GOI231473	सहायक	100%	2(87)(ii)
3	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	पता: 5वीं मंजिल, ब्लॉक 2 प्लेट ए, एनबीसीसी टॉवर पूर्वी किदवई नगर नई दिल्ली-110 023 फोन: +91-11-24665900-10 ईमेल: cio@iifclmf.com	U65991DL2012GOI233601	सहायक	100%	2(87)(ii)

*इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड को यूके कंपनी अधिनियम 1985 के तहत 7 फरवरी, 2008 [कंपनी नंबर 6496661] पर इंग्लैंड और वेल्स की कंपनियों के रजिस्टर में शामिल किया गया था।

IV. शेयर धारिता पद्धति (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्रेकअप)

I. श्रेणी-वार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या [31-मार्च-2020 तक]				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [31-मार्च-2021 तक]				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक									-
(1) भारतीय									-
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या [31-मार्च-2020 तक]				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [31-मार्च-2021 तक]				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
ख) केंद्र सरकार	-	999.991623 करोड़	999.991623 करोड़	100%	-	999.991623 करोड़	999.991623 करोड़	100%	-
ग) राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) नियामक कार्पोरेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (क) (1)	-	999.991623 करोड़	999.991623 करोड़	100%	-	999.991623 करोड़	999.991623 करोड़	100%	-
(2) विदेशी									-
क) एनआरआई-व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य – व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निकाय कॉर्पोरेट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक/वित्तीय संस्था	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (क) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता	-	999.991623 करोड़	999.991623 करोड़	100%	-	999.991623 करोड़	999.991623 करोड़	100%	-
(क)(1) + (क)(2)									
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									-
1. संस्थान									-
क) म्युचुअल निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) उद्यम पूंजी निधियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम पूंजी कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) नियामक कार्पोरेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पप) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रुपये तक की मामूली शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रुपये से अधिक की मामूली शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. क्यूएफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. एनआरआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. समाशोधन सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv. सहायक कंपनियों द्वारा धारित शेयर जिन पर मतदान का कोई अधिकार नहीं है									
v. दावा न किए गए शेयर उचंत खाता									
अप. न्यास									
उप-योग (ख)(2): -									
योग सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख) (1) (ख)(2)									
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर									
कुल योग (क+ख+ग)	-	999.991623 करोड़	999.991623 करोड़	100%	-	-	999.991623 करोड़	100%	-

ii. प्रमोटर की शेयरधारिता

शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01-04-2020 के अनुसार)			शेयरधारक का नाम	वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31-03-2021 तक)			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का %
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	गिरवी रखे गए शेयरों का प्रतिशत/ कुल शेयरों में भारग्रस्त					
भारत के माननीय राष्ट्रपति	9999916230	100	-	भारत के माननीय राष्ट्रपति	999,99,16,223	100	-	शून्य
प्रतिनिधि शेयरधारिता*	7			प्रतिनिधि शेयरधारिता	7			
	999,99,16,230	100 प्रतिशत			999,99,16,230	100 प्रतिशत		शून्य

*भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में सात शेयरधारक शामिल हैं।

iii. प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया निर्दिष्ट करें)

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01-04-2020 तक)				वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (31-03-2021 तक)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	बढ़ोतरी	दिनांक	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष की शुरुआत में	999,99,16,230	100			999,99,16,230	100
वर्ष के अंत में	999,99,16,230	100			999,99,16,230	100

iv. शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न

(जीडीआर और एडीआर के निदेशकों, प्रमोटरों और धारकों के अलावा):

शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01-04-2020 के अनुसार)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (31-03-2021 तक)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष की शुरुआत में	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में दिनांकवार वृद्धि/कमी वृद्धि/कमी (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए:	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	-	-	-	-

v. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

प्रत्येक निदेशक और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01-04-2020 तक)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (31-03-2021 तक)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष की शुरुआत में	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में दिनांकवार वृद्धि/कमी वृद्धि/कमी (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए:	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	-	-	-	-

ट. ऋणग्रस्तता

बकाया/उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए बकाया न रहने वाले ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता।

(रु.)

	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता (01.04.2020)				
i) मूल धन	149,438,535,000.00	1,85,30,18,35,033.35	30,035,839,585.66	3,64,77,62,09,619.01
ii) ब्याज देय लेकिन अप्रदत्त				0.00
iii) प्रोद्भूत ब्याज लेकिन अदेय	4,047,610,422.98	3,413,397,433.21		7,461,007,856.19
योग (i+ ii+ iii)	153,486,145,422.98	188,715,232,466.56	30,035,839,585.66	3,72,23,72,17,475.20
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				0.00
*परिवर्धन	-	4,91,65,04,619.96	27,71,92,23,073.48	31,72,76,60,456.31
*अपचयन	(90,80,67,237.13)	-	-	-
निवल परिवर्तन	(53,88,11,000.00)	4,91,65,04,619.96	27,71,92,23,073.48	31,72,76,60,456.31
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता (01.04.021)				0.00
i) मूल धन	1,48,89,97,24,000.00	1,90,35,15,34,351.12	57,75,50,62,659.14	3,97,00,63,21,010.26
ii) ब्याज देय लेकिन अप्रदत्त				0
iii) प्रोद्भूत ब्याज लेकिन अदेय	3,67,83,54,185.85	3,28,02,02,735.40		6,95,85,56,921.25
योग (i+ ii+ iii)	1,52,57,80,78,185.85	1,93,63,17,37,086.52	57,75,50,62,659.14	3,46,20,98,15,272.37

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

क्रम सं..	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम		कुल राशि
	नाम	-	-	-
	पदनाम	-	-	-
1	सकल वेतन	-	-	-
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार	-	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुपलब्धियाँ	-	-	-

	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-
3	ऋण - अन्य इक्विटी	-	-	-
4	कमीशन- लाभ प्रतिशत के रूप में - अन्य, उल्लेख करें...	-	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-
	योग (क)	-	-	-

ख. निदेशकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशकों का नाम				कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक					
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-	-
	योग (1)	-	-	-	-	-
2	अन्य गैर- कार्यकारी निदेशक (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक)					
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-	-
	योग (2)	-	-	-	-	-
	योग (ख)=(1+2)	-	-	-	-	-

ग. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों/प्रबंधक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी		
	नाम	राजीव मुखीजा	मंजरी मिश्रा	कुल
	पदनाम	सीएफओ	कंपनी सचिव	
1	सकल वेतन			
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार	0.48	0.34	0.82
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुपलब्धियाँ			
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-	-

2	स्टॉक विकल्प	-	-	-
3	उद्यम इक्विटी	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-
	— लाभ प्रतिशत के रूप में	-	-	-
	अन्य, उल्लेख करें	-	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-
	योग	0.48	0.34	0.82

VII. जुर्माने / दंड / अपराधों का समाधान

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित जुर्माने/दंड/ समाधान शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय)	अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना					
दंड					
समझौता					
ख. निदेशक					
जुर्माना					
दंड			शून्य		
समझौता					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना					
दंड					
समझौता					

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

[कंपनी अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ओ) और
(कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

1. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत क्रियान्वित किये जाने वाले प्रस्तावित परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का सिंहावलोकन एवं सीएसआर नीति और परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के वेब-लिंक का संदर्भ के साथ-साथ कम्पनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) भारत सरकार का उद्यम ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत समाज और विशेष रूप से देश के अविकसित क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। आईआईएफसीएल में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर) विद्यमान है जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित है। इस नीति में सीएसआर की गतिविधियों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए दो-स्तरीय संरचना (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय समिति और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनी एक कार्यान्वयन समिति) पर जोर दिया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, आईआईएफसीएल वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसआर गतिविधि के लिए धन खर्च करने के लिए पात्र नहीं है। हालाँकि, इसके बावजूद, आईआईएफसीएल ने कोविड 19 लॉकडाउन के बीच दिल्ली एनसीआर में वंचितों को पके हुए भोजन की आपूर्ति करने के लिए अपने सीएसआर के तहत स्वेच्छा से ₹10,00,000/- (केवल दस लाख रुपये) की राशि का योगदान दिया है।

आईआईएफसीएल सीएसआर पहल का विवरण <https://www.iifcl.in/csr&initiative> पर भी उपलब्ध है।

2. सीएसआर समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संदर्भ में निम्नलिखित सदस्यों के साथ सीएसआर के लिए एक बोर्ड स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है:

- प्रबंध निदेशक, आईआईएफसीएल
- उप प्रबंध निदेशक, आईआईएफसीएल
- तीन (03) सरकार द्वारा नामित निदेशक

इसके अलावा एक सीएसआर कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- मुख्य वित्तीय अधिकारी
- मुख्य महाप्रबंधक (ऋण)
- मुख्य महाप्रबंधक सीएसआर – नोडल ऑफिसर

3. विगत तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ

विवरण	राशि (रुपये लाख में)
वित्तीय वर्ष 2017-18	(1,02,638.96)
वित्तीय वर्ष 2018-19	39,314.79
वित्तीय वर्ष 2019-20	(30,377.04)
योग	(93,701.21)
औसत निवल लाभ	(31,233.73)

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 में उद्धृत राशि का दो प्रतिशत)

शून्य

5. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण .

क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि शून्य

(हालांकि आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसआर के परिप्रेक्ष्य में अपनी आरक्षित निधि से ₹11.35 लाख रु. खर्च किए)

ख) बिना खर्च राशि, यदि कोई हो, शून्य

ग) वित्तीय वर्ष के दौरान जिस तरीके से राशि खर्च की गई, उसका विवरण निम्नवत है

लाख रु. में

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	चिन्हित की गई सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना को कवर किया गया है	परियोजना अथवा कार्यक्रम 1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य 2) कृपया उस राज्य चलाये गए परियोजना अथवा कार्यक्रम-वार राशि परिव्यय (बजट)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के माध्यम से
1	कोविड लॉकडाउन के बीच दिल्ली एनसीआर में वंचितों को पके हुए भोजन की आपूर्ति	भूख मिटाना	-	2.5	2.5	2.5	क्रियान्वयन एजेंसी (दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति)
2			2.5	2.5	2.5	2.5	क्रियान्वयन एजेंसी (दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा)
3			2.5	2.5	2.5	2.5	क्रियान्वयन एजेंसी (प्रभाव फाउंडेशन)
4			2.5	2.5	2.5	2.5	क्रियान्वयन एजेंसी (ध्यान फाउंडेशन)
5	सीएसआर उपरि व्यय					1.35	

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी हिस्से के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो इस स्थिति में कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च न करने के कारण बताएगी। लागू नहीं

7. सीएसआर समिति का एक जिम्मेदार बयान है कि सीएसआर नीति का क्रियान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुसार हुआ है।

सीएसआर गतिविधियों की विगत पुनरीक्षा बैठक में निदेशक मंडल की सीएसआर समिति ने जिम्मेदारी को लेकर वक्तव्य जारी किया है कि वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर नीति का क्रियान्वयन और निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति का अनुपालन किया गया है।

अनुलग्नक IV

वर्ष 2020-21 के लिए आरक्षित निधि से / को अंतरित राशि का विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
चालू वर्ष 2020-21 के लिए करोपरांत लाभ	28576.37	5,091.81
जोड़ें: ऋण आस्तियों की आरक्षित निधि से अंतरण	-	-
जोड़ें: कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि से अंतरण	19.02	32.23
जोड़ें: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि से अंतरण	-	-
जोड़ें: 31 मार्च 2016 को आईडबल्यूआरएफसी के लाभ का अधिशेष	-	-
घटाएँ: कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि से अंतरण	67.40	8.45
घटाएँ: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि से अंतरण	-	-
घटाएँ: डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि से अंतरण	-	-
घटाएँ: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (vii) के तहत विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	3695.09	-
घटाएँ: आरक्षित निधि को अंतरण 45-आईसी	5715.27	1024.06
घटाएँ: निश्चित लाभ पर पुनर्मापन लाभ/(हानि)	(48.84)	(28.49)
घटाएँ: अचल आस्तियों की धारित राशि का समायोजन (संक्रमणकाल के प्रावधानों को लागू करते हुए)		-
घटाएँ: अंतरिम लाभांश		-
घटाएँ: लाभांश वितरण कर		-
शेष को तुलन पत्र में ले जाना	(162,618.06)	4120.03

*भारतीय लेखा मानक के अनुसार पुनरीक्षित

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट*
(सीएंडएजी की टिप्पणियों के आधार पर हमने रिपोर्ट में बदलाव किया है)

सेवा में,

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

के सभी सदस्य

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर योग्य राय

सशर्त मत

हमने **इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** (कंपनी) के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानकों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 तक तुलन पत्र लाभ और हानि विवरण (अन्य समग्र आय सहित) और इक्विटी में परिवर्तल के उस तारीख को समाप्त वर्ष के अंत में नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी जानकारी सहित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (इसके पश्चात स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण कहा जाए) शामिल है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त सशर्त मत वाले पैराओं के लिए आधार में उल्लिखित मामले के प्रभाव को छोड़कर उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण द्वारा अपेक्षित सूचना इस प्रकार अपेक्षित तरीके से देती है, जो कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015. [यथा संशोधित भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं] दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी के क्रियाकलापों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ (अन्य समग्र आय सहित विपरीत निष्पादन), इक्विटी में परिवर्तन व उसके नकद प्रवाह की एक सही एवं स्पष्ट दृष्टि देती है।

सशर्त मत का आधार

क. यूके में सहायक कंपनी में निवेश

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) एक सहायक कंपनी में निवेश का मूल्यांकन कंपनी द्वारा वहनीय लागत अर्थात् 42,240.32 लाख रुपए पर किया गया है। जैसा कि सहायक कंपनी की वित्तीय विवरणों से पता चला है, यूके में सहायक कंपनी का निवल मूल्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत तैयार किये गये हैं और संभावित ऋण हानि मॉडल के तहत भारी प्रावधान किए गए हैं। प्रबंधन के मतानुसार, यूके में सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किये गये हैं और जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, यूके में सहायक कंपनी के निवेश के उचित मूल्य का आकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए यूके में सहायक कंपनी के निवेश के उचित मूल्यांकन के बिना, हम लाभ हानि खाते, आरक्षित निधि और निवेश (राशि मूल्यांकित) के द्वांसन यदि कोई हो के प्रभाव पर कोई भी टिप्पणी देने में असमर्थ है।

ख. विविध देयता (ब्याज पूंजीकरण)

कोविड-19 नियामक पैकेज दिनांक 27 मार्च, 2020 और 17 अप्रैल 2020 से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी को सभी अवधि की किश्तों के भुगतान पर 3 महीने की मोहलत देने की अनुमति दी है। वे ऋण जो 29 फरवरी, 2020 तक मानक आस्ति थे, उनका प्रारंभिक अधिस्थगन अवधि 1 मार्च, 2020 और 31 मई 2020 के बीच भुगतान किया गया था। 22 मई 2020 को, आरबीआई ने अधिस्थगन अवधि को 3 महीने यानी 31 अगस्त तक बढ़ाने की अनुमति दी। एक अन्य अधिस्थगन अवधि के दौरान ऋण के बकाया हिस्से पर ब्याज अर्जित करना जारी रहेगा। सभी खातों के लिए यह निर्धारित करता है कि जहां अधिस्थगन प्रदान किया जाता है, खातों की अवधि बढ़ने पर अधिस्थगन अवधि के दौरान स्थिर रहेगा। उधारदाताओं को अपने ग्राहकों को स्थगन की पेशकश करने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को लागू करना आवश्यक था।

आईआईएफसीएल ने आरबीआई के परिपत्रों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, मार्च 2020 से अगस्त 2020 की अवधि के लिए दिए गए सावधि ऋण के पात्र मामलों में ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए अधिस्थगन बढ़ा दिया है।

45914.50 लाख रुपये की राशि का ब्याज आय से परिवर्धित कर दिया गया है और ब्याज के कारण विविध देयता (ब्याज पूंजीकरण खाता) में जमा किया गया है, जो कि सावधि ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान अर्जित हुआ है, जिसने अधिस्थगन का लाभ उठाया है।

कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 45,914.50 लाख रुपये से कम करके आंका गया है और विविध देनदारियों को उसी राशि से अधिक बताया गया था। हमें प्रबंधन द्वारा समझाया गया है कि आईआईएफसीएल ने मामले को भारतीय आरक्षित निधि बैंक को स्पष्टीकरण के लिए भेजा है और उस पर जवाब अभी भी लंबित है।

*भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के कार्यालय ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईआईएफसीएल के वित्तीय विवरणों की अनुरूप लेखा परीक्षा के दौरान, अगस्त 2021 में आईआईएफसीएल के सांविधिक लेखा परीक्षकों को जारी किए गए अतिरिक्त निर्देशों के तहत प्रकटीकरण के संबंध में आवाज मॉडल जारी किया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा की। 21 जून, 2021 की रिपोर्ट में तदनुसार, आईआईएफसीएल के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर 4 अक्टूबर, 2021 को संशोधित स्टैंडअलोन और समेकित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी की।

इसके परिणामस्वरूप गैर-वित्तीय आस्तियों (आस्थगित कर आस्तियों) को 96.26 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है और गैर-वित्तीय देनदारियों (आस्थगित कर देनदारियों) को 19.29 करोड़ रुपये से कम बताया गया है।

इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ को कम करके दिखाया गया है – “कर से पहले निवल लाभ” और “अन्य परिचालन देनदारियों में वृद्धि / (कमी)” 459.15 करोड़ रु नकदी प्रवाह विवरण में कर से पहले संचालन से नकदी प्रवाह का अधिक विवरण दिखाया गया है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा का निष्पादन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुरूप किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व की और अधिक व्याख्या हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणी खंड से संबंधित लेखा परीक्षकों के दायित्वों में दी गई है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के साथ-साथ अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं और नैतिक आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्व पूरे किए हैं। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे सशर्त मत के लिए आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और समीचीन हैं।

मामले का महत्व

1. हम आरबीआई मास्टर दिशा-निर्देश डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016-17 दिनांक 17 फरवरी, 2020 को अद्यतन निर्देश संख्या 16 के अनुसार ऋण आस्तियों की राशि से ऋण आस्तियों पर प्रावधान/क्षति के गैर-निवल के संबंध में ऋण आस्तियों के नोट संख्या 4 में दिए गए फुट नोट पर ध्यान आकर्षित करते हैं।
2. हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 1 (बी) 33 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो कोविड-19 महामारी के कारण व्यापक प्रसार व्यवधानों के संबंध में की गई कार्रवाइयों के अनिश्चितताओं के साथ-साथ लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंध और कोविड-19 महामारी की स्थिति से संबंधित शर्तों, जिसके लिए बाद की अवधि में प्रभाव का एक निश्चित मूल्यांकन परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भर है क्योंकि वे विकसित होते हैं, के वित्तीय प्रभाव के प्रबंधन के आकलन के बारे में बताता है। इसके अलावा, भारतीय आरक्षित निधि बैंक ('आरबीआई') कोविड -19 नियामक पैकेज के अनुसार, कंपनी ने सभी पात्र उधारकर्ताओं को किश्तों के भुगतान पर स्थगन की पेशकश की है। चिंताओं को दूर करने के लिए, आरबीआई ने 27 मार्च, 2020 और 22 मई, 2020 के अपने परिपत्रों के माध्यम से कोविड-19 महामारी के कारण व्यवधानों के कारण उत्पन्न ऋण सेवा के बोझ को कम करने के लिए कुछ नियामक उपायों की घोषणा की है।
3. हम 36 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 1(बी) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो बताता है कि आईआईएफसीएल ने आरबीआई परिपत्र दिनांक 07.04.2021 के निर्देशों के अनुसार “कोविड 19 नियामक पैकेज की समाप्ति के बाद आस्ति वर्गीकरण और आय मान्यता” पर, 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान 2,500 लाख रुपये की ब्याज-पर-ब्याज आय की अनुमानित राशि को मान्यता नहीं दी है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है:

क्र. सं.	प्रबंधन	हमारी लेखापरीक्षा में मामले का कैसे निवारण किया गया था
1.	ग्राहकों को दिये गए ऋण और अग्रिम राशि की हानि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का नोट संख्या 1(क) 5 : स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का नोट सं. 16: अपेक्षित ऋण हानि का अनुमान एवं बोध-निर्धारण का उपयोग एवं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का नोट सं. 5.7 ऋण देखें। ऋण की हानि इंड-एस-109-वित्तीय लिखतों के अनुसार अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल पर आधारित है। कंपनी की हानि भत्ता ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों और हानि अनुपात सहित कुछ प्रबंधन अनुमानों पर आधारित है।	
	ऋण और अग्रिमों की हानि की पहचान और माप में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय शामिल है। जिन क्षेत्रों में प्रबंधन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है वे हैं: • ऋण चरणबद्धता मापदंड • चूक की संभावना की गणना / चूक को देखते हुए हानि • चूक के जोखिम का निर्धारण • संभाव्यता भारित परिदृश्यों और भविष्योन्मुखी मैक्रो-आर्थिक कारकों पर विचार • ईसीएल मॉडल की प्रयोज्यता के लिए कई डेटा इनपुट की आवश्यकता होती है। इससे डेटा की पूर्णता और सटीकता का जोखिम बढ़ जाता है जिसका उपयोग मॉडल में धारणा बनाने के लिए किया गया है।	हमने नीचे दी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया: डिजाइन / नियंत्रण • इंड एस 109, हमारी व्यावसायिक समझ और उद्योग अभ्यास की आवश्यकताओं के आधार पर प्रबंधन द्वारा उपयोग किए जाने वाले हानि सिद्धांतों की उपयुक्तता का मूल्यांकन • हानि शुल्क की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली ऋण हानि प्रक्रिया पर प्रमुख आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन और कार्यान्वयन का मूल्यांकन • प्रबंधन के परिव्यय के अनुमानों को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रासंगिक जानकारी के मिलान पर प्रबंधन के नियंत्रण का मूल्यांकन • परीक्षित समीक्षा वित्तीय विवरणों में हानि भत्तों और प्रकटीकरण के मापन पर नियंत्रण की जांच
2.	व्युत्पन्नी लिखतों एवं बचाव व्यवस्था संबंधी लेखांकन का मूल्यांकन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट 1(क)5.2 में व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का नोट सं. 3: व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें में लेखांकन नीतियां देखें।	
	उधार पर विदेशी विनिमय दर जैसे जोखिमों का प्रबंधन और बचाव करने के लिए कंपनी व्युत्पन्नी अनुबंधों सम्पन्न करती है। कंपनी या तो नकदी प्रवाह में प्रवेश करती है या जोखिम से बचाव के आधार पर उचित मूल्य बचाव करती है। व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें और बचाव प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना जटिल और परिचालन रूप से बोझिल है और इसके लिए कंपनी के प्रबंधन से कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है। हमारी प्रक्रिया में शामिल हैं	हमारी प्रक्रिया में शामिल हैं डिजाइन/नियंत्रण जोखिम प्रबंधन नीतियों और परीक्षण किए गए प्रमुख नियंत्रणों की समझ प्राप्त की (i) नामांकित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण सहित बचाव व्यवस्था संबंधी के पदनाम के समयय बचाव लेनदेन की शुरुआत में प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज (ii) बचाव प्रभावशीलता के परीक्षण सहित प्रबंधन द्वारा बचाव संबंधों की चल रही निगरानी और समीक्षा के संबंध में।
		मूल परीक्षण • चयनित नमूनों के लिए व्युत्पन्न उपकरणों की पहचान और माप की जांच की गई है, जो इंड एस 109 के अनुसार है • इंड एस 109 आवश्यकताओं के साथ प्रलेखन के अनुपालन का आकलन करने के लिए नमूना आधार पर बचाव प्रलेखन की जांच की • नमूना आधार पर नमूना जांच की गई है कि तीसरे पक्ष से प्राप्त स्वतंत्र पुष्टिकरण के लिए व्युत्पन्न उपकरणों का मिलान

		• नमूना आधार पर हेज लेखांकन की प्रयोज्यता और सटीकता की जांच की गई • स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में वित्तीय जोखिम प्रबंधन, व्युत्पन्न लिखतों और बचाव लेखांकन के संबंध में प्रकटीकरण की उपयुक्तता पर विचार किया गया।
3.	सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सक्षम लेखा प्रणाली का एकीकरण	
		हमारी प्रक्रियाओं में शामिल हैं
	कंपनी ने वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड में सूचना प्रणाली पर प्रभावी निर्भरता और स्वचालित नियंत्रण पर निर्भरता सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान एसएपी प्रणाली लागू की। कंपनी अभी भी आईटी सक्षम लेखा प्रणाली के स्थिरीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया में है। हमने 'आईटी सिस्टम्स एंड कंट्रोलस' को प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना क्योंकि यह पूर्ण स्वचालन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुकूलन की प्रक्रिया में है और प्रमुख वित्तीय कारकों की गणना में शामिल पैमाने और जटिलता जैसे कि ऋण की हानि, व्युत्पन्नी का मूल्यांकन और बचाव वित्तीय गणना ईआरपी प्रणाली से विदेशी मुद्रा लाभ और हानि। इसके अलावा, एफआईटीएल बनाकर वर्ष के दौरान उलटी गई ब्याज आय को ईआरपी सिस्टम में मैनुअल रूप से पोस्ट किया गया है। आस्तियों की हानि, व्युत्पन्न आस्तियों, विदेशी मुद्रा लाभ और हानि और वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण की गणना की मूल्यांकन प्रक्रिया।	हमने इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 'ग' में सिस्टम की नियंत्रण कमजोरी के रूप में भी इसका उल्लेख किया है। स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त अन्य सूचना और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त अन्य सूचना और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन इंड-एस वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की लेखापरीक्षा की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के समनुरूप है या अन्यथा प्राप्त हमारी जानकारी महत्वपूर्ण रूप से मिथ्या रूप में उल्लिखित की गई प्रतीत होती है।

जब हम बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक को पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण मिथ्याकथन है, तो हमसे उन प्रभावों के लिए मामले को शासन को संप्रेषित करना, और यदि आवश्यक हो, समीचीन कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी का निदेशक मंडल इस एकल वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के तहत जिम्मेदार है, जो कि वास्तविक और निष्पक्ष लेखे प्रदान करते हैं। कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित लेखाकार सिद्धांतों

के अनुसार आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह पर वास्तविक और स्पष्ट विचार देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की आस्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त अभिलेखों और रखरखाव और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकना उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और निर्णय लेना और अनुमान लगाना उचित और विवेकसम्मत और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन कार्यान्वयन और रखरखाव सहित संबंधित लेखा का रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, को सुनिश्चित करना भी प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन कम्पनी की सतत प्रतिष्ठान के रूप में चालू रहने की कम्पनी की क्षमता का आकलन करने, सतत प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने, जैसा भी प्रयोज्य हो, और लेखांकन के सतत प्रतिष्ठान आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जब तक कि या तो कम्पनी दिवालिया होने लिए अभिप्रेत न हो या प्रचालन बंद न कर दे इसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई भी यथार्थपरक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में औचित्यपूर्ण आश्वस्ति प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त है, चाहे यह चूक से हुआ हो या धोखाधड़ी से और लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा मत शामिल हो औचित्यपूर्ण आश्वस्ति उच्च स्तर की आश्वरित है, किंतु ये गारंटी नहीं कि एसए के अनुसार की गई कोई लेखा परीक्षा सदैव किसी महत्वपूर्ण मिथ्याकथन को ढूंढ लेगी जहां यह विद्यमान हो। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और इसे महत्वपूर्ण समझा जाता है यदि इनसे व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप से, इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की औचित्यपूर्ण रूप से संभावना है।

एसए के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम व्यावसायिक निर्णय का उपयोग करते हैं और और सम्पूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक समय को ध्यान में रखते हैं। हम यह भी करते हैं

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों की पहचान और आकलन करना चाहे ये धोखाधड़ी से हुए हो या चूक द्वारा उन जोखिमों पर प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षाएँ डिजाइन या निष्पादित करना है और ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना है जो हमारे मत के लिए एक आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और समीचीन हो धोखाधड़ी से परिणत होने वाले महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि ने परिणत होने वाले मिथ्याकथन से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में साठ-गांठ, जालसाजी, इरादतन लोप, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- ऐसी लेखा प्रक्रियाओं को तैयार करने में लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त हो कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (3) (झ) के अंतर्गत हम इस बारे में भी अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है कि या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभावोत्पादकता विद्यमान है।
- लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों की तर्क संगति और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के आधार पर प्रबंधन के चालू प्रतिष्ठान आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता निश्चित करना जो प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा सत्य पर आधारित हो कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है। जिनसे कम्पनी की सतत प्रस्थान के रूप में जारी रहने की क्षमता पर उल्लेखनीय सदेह उत्पन्न हो सकता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, ऐसे में हमसे अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में किए गए संबंधित प्रकटीकरणों के प्रति ध्यान आकर्षित करें अथवा, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होतो अपना मत संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथा भविष्य की घटनाओं या स्थितियों की वजह से कम्पनी एक सतत प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, और यह मूल्यांकन करना कि क्या विवरणी अंतर्निहित सव्यवहारों और घटनाओं को ऐसे तरीके से प्रस्तुत करती है जो उचित प्रस्तुतीकरण प्राप्त कर सके।

- स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार विवरणों में गलत विवरण महत्वपूर्ण होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से सकल रूप से इसे संभाव्य बनाते हैं कि वित्तीय विवरणों के औचित्यपूर्ण रूप से जानकारी प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (1) अपने लेखापरीक्षा कार्य के स्कोप का नियोजन करने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने और (2) वित्तीय विवरणों में किसी भी चिन्हित मिथ्याकथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण कारकों पर विचार करते हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र और समयसीमा और उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी उल्लेखनीय खामियां शामिल हैं जिन्हें हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान निर्णित करते हैं के बारे में प्रशासन के लिए प्रभारित को संप्रेषित करते हैं।

हम प्रशासन के लिए प्रभारित पक्षों को यह विवरण भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों को प्रेषित करते हैं जिनका प्रभाव पूर्ण रूप से हमारी स्वतंत्र और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षोपायों पर माना जा सकता है।

प्रशासन के लिए प्रभारित पक्षों को संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू अवधि की वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक उल्लेखनीय हो और इस प्रकार प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हो। हम अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में उन मामलों का उल्लेख करते हैं जब तक कि कानून और विनियम में मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरणों से मना किया गया हो या जब अत्यंत विरल परिस्थितियों में हम निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से ऐसे संप्रेषण के लोक हित के लाभों से ऊपर होने की संभावना है।

सीएजी की टिप्पणियों के परिणामस्वरूप, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संशोधित किया गया है और योग्य राय के लिए आधार के पैरा (ख) और सीएजी द्वारा जारी अतिरिक्त पूरक निर्देशों को शामिल करने के लिए अनुलग्नक 'ख' को संशोधित किया गया है।

अन्य मामले

- जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149(1) के तहत स्वतन्त्र निदेशकों की वांछित संख्या में नियुक्त किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। तदनुसार बोर्ड के गठन की कार्रवाई की उपरोक्त अपेक्षाओं के अनुसरण के बिना यथा संघटित रहेगी।
- निवेश और सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी को कर पश्चात लाभ के 30 प्रतिशत या सीपीएसई के निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना चाहिए, जो मौजूदा कानूनी प्रावधान के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन है। हालांकि, आईआईएफसीएल ने 14 जनवरी, 2016 के पत्र के माध्यम से सरकार से कम से कम 3 वर्षों के लिए लाभांश के भुगतान से छूट का अनुरोध किया था और किसी भी लाभांश का भुगतान नहीं किया है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने 19 सितंबर 2019 के पत्र के माध्यम से सरकार से कम से कम वर्ष 2021-22 तक लाभांश के भुगतान से छूट का अनुरोध किया था। आईआईएफसीएल के पत्र का जवाब प्रतीक्षित है।
- कंपनी ने आईएल एंड एफएस एनवायरनमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के 4.52 करोड़ रुपये की ऋण राशि के खिलाफ 100 प्रतिशत प्रावधान किया है। जबकि इसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखापरीक्षा पर अपनी टिप्पणियों के माध्यम से सीएजी द्वारा प्रस्तावित के अनुसार बड़े खाते में डाल दिया जाना चाहिए था।

इन मामलों में हमारी राय संशोधित नहीं है

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- कंपनियों द्वारा यथापेक्षित (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार जारी किए गए आदेश 2016 (आदेश) की अपेक्षा के अनुरूप उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में उल्लिखित मामलों के सम्बन्ध में लागू सीमा तक हम अनुलग्नक क में एक विवरण दे रहे हैं।
- भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत दिए गए निर्देशों / उप-निर्देशों को कम्पनी के 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा करते समय सत्यापित किया गया और दिशा-निर्देशों के अनुपालन सम्बन्धी रिपोर्ट अनुलग्नक-ख पर संलग्न है।
- जैसा कि हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं:

- (क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;
- (ख) उपर्युक्त सशर्त मत के आधार में उल्लिखित मामले के सम्भावित प्रभाव को छोड़कर, हमारी राय में लेखों की हमारी जांच से यह प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने संबंधी कानून में अपेक्षित खाते की बहियों को उचित रूप से रखा गया है;
- (ग) इस रिपोर्ट के साथ संलग्न समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण, तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से अनुरक्षित लेखा बहियों के अनुरूप है;
- (घ) उपर्युक्त अनुच्छेद में उल्लिखित मामले के सम्भावित प्रभाव को छोड़कर हमारी राय में उपर्युक्त भारतीय लेखांकन मानक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी कंपनी (लेखा) नियमों 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप है;
- (ङ) निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप धारा (2) की आवश्यकता अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया।
- (च) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की पर्याप्तता और इन नियन्त्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में "अनुलग्नक-ग" में दी गई अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियन्त्रणों की पर्याप्तता और इन नियन्त्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में असंशोधित राय व्यक्त की गई है।
- (छ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 प्रबंधकीय पारिश्रमिक लागू नहीं है।
- (ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- i. जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अनुलग्नक क" के खंड vii (ख) में सूचीबद्ध आयकर मुकदमे को छोड़कर उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।
 - ii. कंपनी ने लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किए हैं, जो कि व्युत्पन्न अनुबंधों सहित भौतिक नुकसान या दीर्घकालिक अनुबंधों के लिए हैं।
 - iii. ऐसी कोई राशि नहीं जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

कृते भाटिया एंड भाटिया

सनदी लेखाकार

एफआरएन सं: 003202N

ह/-

भागीदार: अनंत भाटिया

एम.सं0 : 507832

यूडीआईएन: 21507832AAAAGC8627

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 4 अक्तूबर, 2021

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के तहत अनुच्छेद-1 के संदर्भ में

i. कंपनी की अचल आस्तियों के संबंध में:

क. कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और अचल आस्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख. जैसा कि हमें बताया गया है, प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर अचल आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार अचल आस्तियों के शीर्षक विलेख/पट्टा विलेख कंपनी के नाम पर हैं और इसका विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

विवरण	सकल मूल्यांकन	निवल ब्लॉक	
भवन	27,201.12	25,980.59	एनबीसीसी केंद्र, ईस्ट किडवर्ड नगर, नई दिल्ली, में कार्यालय के लिए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विलेख पट्टा को अंतिम रूप देने के लिए, उपयोग में आने वाली आस्ति के आधार पर, कार्यालय परिसर को पूंजीकृत किया गया है।

ii. कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति के लिए उसे इन्वेंट्री में रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खंड 3 (ii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

iii. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी, या अन्य पार्टियों को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है।

iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसा कोई लेनदेन नहीं था जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों को आकर्षित करता हो।

v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा निष्पादित गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।

vii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, और बही खातों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी भविष्य निधि, आयकर, माल और सेवा कर और अन्य वैधानिक बकाया राशि सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है।

(ख) विवादों के कारण 31 मार्च, 2021 तक जमा नहीं किए गए आयकर के देय का विवरण नीचे दिया गया है:

अधिनियम का नाम	बकाया की प्रकृति	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है।	राशि (रु. लाख में)	विरोध के तहत भुगतान की गई राशि (लाख रु. में) और वसूली योग्य के तहत दिखाया गया है (#)	टिप्पणी
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	नि.व. 2008-09	सीआईटी	159.00	159.00	उक्त मांग को निर्धारण वर्ष 2010-11 और 2013-14 की वापसी के प्रति समायोजित किया गया है।

अधिनियम का नाम	बकाया की प्रकृति	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है।	राशि (रु. लाख में)	विरोध के तहत भुगतान की गई राशि (लाख रु. में) और वसूली योग्य के तहत दिखाया गया है (#)	टिप्पणी
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	निर्धारण वर्ष 2011-12	आईटीएटी	1.21	—	उक्त मांग को निर्धारण वर्ष 2014-15 की वापसी के प्रति समायोजित किया गया है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	निर्धारण वर्ष 2013-14	आईटीएटी	45	—	उक्त मांग को निर्धारण वर्ष 2014-15 की वापसी के प्रति समायोजित किया गया है।
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	2014-15	आईटीएटी	4193.00	—	सीआईटी (क) ने आईटीएटी में मामला दर्ज किया है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	निर्धारण वर्ष 2015-16	सीआईटी (ए)	शून्य		धारा 271(1)(ग) के तहत दंड के खिलाफ सुनवाई सीआईटी(क) में लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	निर्धारण वर्ष 2016-17	सीआईटी (ए)	682.33	183.72	137 लाख रु. का भुगतान और वि. व. 2011-12 के लिए रिफंड के प्रति समायोजित 46.72 लाख रु.

- viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और बही खातों की जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या बांड धारकों को ऋण या उधार की अदायगी में चूक नहीं की है।
- ix. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी द्वारा लिए गए सावधि ऋण, प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उस उद्देश्य के लिए लागू किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे। इसके अलावा, वर्ष के दौरान सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखत सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया गया है।
- x. प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, चालू वर्ष की हमारी लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी या कंपनी द्वारा उसके अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।
- xi. एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 प्रबंधकीय पारिश्रमिक लागू नहीं है।
- xii. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी तदनुसार एक निधि कंपनी नहीं हैय आदेश का पैरा 3(xii) लागू नहीं है।
- xiii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन किया है, जहां लागू हो, भारतीय लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों आदि में संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन के लिए और संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण का खुलासा किया गया है।
- xiv. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

- xv. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।
- xvi. कंपनी भारतीय आरक्षित निधि बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत प्रमाणपत्र संख्या- एन-14.03288, दिनांक 09 सितंबर, 2013 के तहत पंजीकृत है।

कृते भाटिया एंड भाटिया

सनदी लेखाकार

एफआरएन सं: 003202N

ह/-

भागीदार: अनंत भाटिया

एम.सं0 : 507832

यूडीआईएन: 21507832AAAAGC8627

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 4 अक्तूबर, 2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक 'ख' दिनांक 17 मार्च, 2021 के पत्र द्वारा हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक

क्र. सं.	निर्देश	लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।	कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है और लेनदेन की रिकॉर्डिंग इसके ईआरपी सॉफ्टवेयर, एसएपी में की जाती है। ईआरपी सभी लेखांकन लेनदेन को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करने के लिए स्थिरीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया में है, जिसके कारण कुछ लेनदेन जैसे, हानि की गणना और ऋणों पर संदिग्ध ऋणों का प्रावधान, एफआईटीएल बनाने के कारण ब्याज आय का उत्क्रमण, अग्रिमों का वर्गीकरण/आरबीआई द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण, विदेशी मुद्रा की गणना लाभ/विदेशी मुद्रा लेनदेन में हानि, बचाव अनुबंध, अधिस्थगन के तहत ब्याज गणना पर ब्याज, एसएपी (ईआरपी) से स्वतंत्र गणना की जाती है।
2	क्या मौजूदा ऋण की कोई पुनर्चना है या ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है।	विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा किसी मौजूदा ऋण की पुनर्चना या ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	जैसा कि हमें बताया गया है, पिछले वर्ष 2019-20 में केंद्रीय एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए धन प्राप्त हुआ था और इसका उपयोग चालू वर्ष 2020-21 के दौरान योजनाओं के लिए नियम और शर्तों के अनुसार किया गया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत 31 मार्च, 2021 के पत्र द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी अतिरिक्त निर्देशों के अनुसार:

क्र. सं.	निर्देश	लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
1	डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं से निपटने वाली एनबीएफसी के लिए – क्या डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं के लिए सुरक्षा नियंत्रण डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण दिनांक 18 फरवरी, 2021 के लिए आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन किया गया है।	18 फरवरी, 2021 को आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण के मास्टर निर्देशों के अनुसार, क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली एनबीएफसी आरबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। चूंकि आईआईएफसीएल क्रेडिट कार्ड जारी करने में संलग्न नहीं है। ये निर्देश आईआईएफसीएल पर लागू नहीं हैं।
2	अन्य एनबीएफसी-आरबीआई के लिए विवेकपूर्ण ढांचे के तहत कोविड 19 के कारण तनाव वाले उधारकर्ताओं के लिए एक समाधान योजना को लागू करने के लिए एक विंडो (6 अगस्त, 2020 के परिपत्र के माध्यम से) प्रदान की, जिसके अनुसार मौजूदा ऋणों को आस्ति वर्गीकरण को डाउनग्रेड किए बिना पुनर्गठित किया जा सकता है। क्या नए प्रावधान में पुनर्गठन के कोई मामले हैं और यदि हां, तो क्या वे आरबीआई परिपत्र के अनुपालन में हैं।	प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, दो पुनर्चित खाते हैं जिनके विरुद्ध कोई नया प्रावधान नहीं बनाया गया है। साथ ही, पुनर्चित खाते 06.08.2020 के दबावग्रस्त आस्तियों के लिए आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र का अनुपालन कर रहे हैं। अतः अब तक की सूचना शून्य है।

कृते भाटिया एंड भाटिया

सनदी लेखाकार

एफआरएन सं: 003202N

ह/-

भागीदार: अनंत भाटिया

एम.सं0 : 507832

यूडीआईएन: 21507832AAAAGC8627

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 4 अक्तूबर, 2021

इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ग"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2021 के अनुसार इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ("कम्पनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा किया है, जो कंपनी के उस तिथि को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के साथ किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर बताए गए मार्गदर्शन नोट के आधार पर कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें अनुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, उसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित, अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार जरूरी विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की समय पर तैयारी शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा-परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शी नोट") और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में जारी मानदंडों को लेकर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट के अनुसार लेखापरीक्षा का संचालन किया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों को आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षा के लिए लागू किया गया है और दोनों भारतीय संस्थान के सनदी लेखाकार द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शी नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और उसके अनुपालन के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनायें और लेखा परीक्षा का पालन करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित रखा गया हो और इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में कारगर ढंग से संचालित किया गया है।

हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि सामग्री की कमजोरी मौजूद है, और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और ऑपरेटिंग प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना और अनुमान लगाना शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक गलतियों के जोखिम के आकलन शामिल हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या किसी तरह के त्रुटि के कारण।

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग से कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षण को लेकर राय बनाने का आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षण के प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी करने की एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की आस्तियों के लेनदेन और प्रकृति को दर्शाती हैं (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक रूप में दर्ज किए जाते हैं और कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्ति या और व्यय ही बताती रही हैं और (3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव हो सकता है कि कंपनी की आस्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण संगठित या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों के रह किये जाने की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलतफहमी हो सकती है और इसे चिह्नित नहीं किया

जा सकता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं व वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रहता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति में कमी आ सकती है।

- ईआरपी सभी लेनदेनों के स्वचालित रूप से रिकॉर्ड का स्थिरीकरण एवं एकीकरण के प्रक्रिया में है जिसके कारण कुछ लेनदेन जैसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार ट्रांसन हानि की संगणना एवं ऋणों पर संदिग्ध कर्जों का प्रावधान, अग्रिमों का वर्गीकरण & आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण, विदेशी मुद्रा के लेनदेनों, बचाव व्यवस्था की संविदाओं में विदेशी मुद्रा में लाभ & हानि की संगणना एसएपी (ईआरपी) से अलग की जाती है।

- तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट्समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट हमारी समीक्षा के लिए हमें प्रस्तुत नहीं की गई है। हमें बताया गया है कि इसे देखते हुए कोविड-19 के कारण बार-बार लॉकडाउन होने के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा समवर्ती लेखापरीक्षा का कार्य पूरा नहीं किया जा सका है हम अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट के निष्कर्ष के बाद इस अवधि से संबंधित किसी भी अवलोकन पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं जो आंतरिक लेखा परीक्षक & समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया जा सकता है।

अभिमत

हमारी राय में, उपर्युक्त पैरा को छोड़कर, अपनी पूरी जानकारी तथा विश्वास के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (सीआईएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा सम्बन्धी दिशानिर्देशों में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग से कंपनी की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली होती है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

कृते भाटिया एंड भाटिया,

सनदी लेखाकार

एफआरएन सं. : 003202N

ह0/-

भागीदार : अनंत भाटिया

सदस्यता सं. : 507832

यूडीआईएन. : 21507832AAAAGC8627

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 4 अक्टूबर, 2021

अनुपालना प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा जारी निदेशों/उप-निदेशों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वार्षिक समेकित लेखाओं की लेखा-परीक्षा की है और यह प्रमाणित करते हैं कि हमने, सभी जारी निदेशों/उप-निदेशों का पालन किया है।

कृते भाटिया एंड भाटिया,

सनदी लेखाकार

एफआरएन सं. : 003202N

ह0/—

भागीदार : अनंत भाटिया

सदस्यता सं. : 507832

यूडीआईएन. : 21507832AAAAGC8627

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 21 जून, 2021

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

निदेशक मंडल

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

पांचवां तल, प्लेट ए और बी, ऑफिस ब्लॉक II

ईस्ट किडवई नगर,

नई दिल्ली-110023

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 की अपेक्षानुसार, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड पर लागू सीमा तक, उक्त निदेशों के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में तथा लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि

1. यह कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के कारोबार करती है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1(क) के परंतुक के तहत इस कंपनी को दिनांक 9 सितंबर, 2013 को एन -14.03288 संख्या का पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है और यह कंपनी दिनांक 8 अप्रैल, 1999 की बैंक की प्रेस विज्ञप्ति तथा डीएनबीआर द्वारा जारी मुख्य दिशानिर्देश के पैरा 82 में निर्दिष्ट मुख्य कारोबार मानदंडों (वित्तीय आस्तियां/आय पद्धति) को पूरा करती है।
2. दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी इसके मुख्य कारोबार मानदंड (वित्तीय आस्तियां/आय प्रतिमान) के संदर्भ में ऐसे सीओआर धारित करना जारी रखने की हकदार है।
3. कंपनी मास्टर निदेश - गैर बैंकिंग कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी एवं जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (भारतीय रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में निर्धारित अपेक्षित निवल स्वाधिकृत निधि अपेक्षा को पूरा कर रही है।
4. निदेशक मंडल ने 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार न करने का संकल्प पारित किया है।
5. वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी ने कोई भी सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है।
6. कंपनी ने, गैर बैंकिंग कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी एवं जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (भारतीय रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 के संदर्भ में इस पर लागू आय अभিনিर्धारण, लेखांकन मानकों, आस्ति वर्गीकरण और डूबंत एवं संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान करने के संबंध में विवेकसम्मत मानदंडों का अनुपालन किया है।

कृते भाटिया एंड भाटिया,

सनदी लेखाकार

एफआरएन सं. : 003202N

ह0/-

भागीदार : अनंत भाटिया

सदस्यता सं. : 507832

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 21 जून, 2021

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

तुलन पत्र 31 मार्च 2021 तक

सीआईएन नंबर U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
I	आस्तियां			
1	वित्तीय आस्ति			
(क)	नकद और नकद समकक्ष	2	36,347.57	1,473.92
(ख)	उपरोक्त के अलावा बैंक बैलेंस		10,17,715.88	9,39,974.25
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय साधन	3	61,363.78	1,24,349.31
(घ)	ऋण	4	36,64,692.40	33,55,981.50
(ङ)	निवेश	5	6,56,318.37	6,59,627.91
(च)	अन्य वित्तीय आस्ति	6	51,797.20	69,189.85
	उप योग (1)		5,488,235.20	5,150,596.74
2	गैर-वित्तीय आस्ति			
(क)	चालू कर आस्तियां (निवल)	7	37,689.12	36,348.93
(ख)	आस्थगित कर आस्ति (निवल)	8	9,626.22	-
(ग)	आस्ति, संयंत्र और उपकरण	9	25,993.72	26,898.39
(घ)	पूंजी कार्य प्रगति पर है	10	-	-
(ङ)	अन्य अमूर्त आस्तियां	11	279.01	450.18
(च)	अन्य गैर-वित्तीय आस्तियां	12	265.36	421.52
	उप योग (2)		73,853.43	64,119.02
	कुल आस्ति (1+2)		5,562,088.63	5,214,715.76
II	देयताएं और इक्विटी			
क	वित्तीय देयताएं			
1	ऋण प्रतिभूतियां			
(क)	उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	13	1,848,997.24	1,854,385.35
(ख)	अन्य वित्तीय देयताएं	14	2,121,065.97	1,793,376.75
(ग)	गैर-वित्तीय देयताएं	15	72,350.12	78,662.13
	उप योग (क-1)		4,042,413.33	3,726,424.23
2	देयताएं			
(क)	प्रावधान	16	4,06,168.73	4,50,949.33
(ख)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	8	-	2,387.88
(ग)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	17	48,059.49	4,376.41
	उप योग (क-2)		4,54,228.22	4,57,713.61
	उप योग (क)		4,496,641.55	4,184,137.85
ख	इक्विटी			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	18	9,99,991.62	9,99,991.62
(ख)	अन्य इक्विटी	19	65,455.46	30,586.29
	उप योग (ख)		1,065,447.08	1,030,577.91
	उप योग (ख) कुल देयताएं और इक्विटी (क + ख)		5,562,088.63	5,214,715.76

1 से 28 तक के नोट खातों का अभिन्न भाग हैं।

कृते भाटिया और भाटिया
सनदी लेखाकार की
सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
(फर्म पंजीकरण संख्या: 003202N)

ह./
अनंत भाटिया
(भागीदार)
सदस्यता संख्या: 507832
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21.06.2021

ह./
पवन कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8901398
ह./
मंजरी मिश्रा
(डीजीएम और कंपनी सचिव)

कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से

ह./
पीआर जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 6711526
ह./
राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
31 मार्च 2021 वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण
सीआईएन सं. U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	समाप्त वर्ष	
			31.03.2021	31.03.2020
I	आय			
क	संचालन से राजस्व			
(क)	ब्याज आय	20	3,30,269.24	3,76,751.98
(ख)	शुल्क और कमीशन आय	21	4,287.05	4,557.07
	संचालन से कुल राजस्व (क)		3,34,556.29	3,81,309.05
ख	आय	22	66,770.91	40,007.22
	कुल आय I (क+ख)		4,01,327.20	4,21,316.27
II	व्यय			
(क)	वित्तीय लागत	23	2,22,918.68	2,18,878.62
(ख)	शुल्क और कमीशन व्यय	24	4,934.50	4,683.36
(ग)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि	25	2,537.32	2,315.22
(घ)	कर्मचारी लाभ व्यय	26	3,140.16	2,834.82
(ङ)	वित्तीय लिखतों पर हानि	27	(44,834.61)	18,924.96
(च)	मूल्यहास, परिशोधन और हानि	9,10,11	1,449.42	1,766.84
(छ)	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व		-	-
(ज)	अन्य व्यय	28	1,79,639.16	2,01,060.92
	कुल व्यय II		3,69,784.63	4,50,464.75
	असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (III-IV)		31,542.57	(29,148.48)
	असाधारण मदे		-	-
	लाभ/(हानि) कर पूर्व (I-II)		31,542.57	(29,148.48)
	कर व्यय:			
	(i) वर्तमान कर			
	— वर्तमान वर्ष		(15,045.66)	-
	— पूर्व वर्ष		-	-
	(ii) आस्थगित कर		12,030.53	34,240.27
	कुल कर व्यय IX (i+ii)		(3,015.14)	34,240.27
	वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		28,527.43	5,091.81
	क. (i) आइटम जिन्हें लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	लाभ/(हानि) परिभाषित लाभ दायित्व का पुनर्मूल्यांकन		65.40	38.08
	(ii) परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित आयकर		(16.46)	(9.58)
	अन्य व्यापक आय/(व्यय) (क)		48.94	28.49
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)		28,576.37	5,120.30
	प्रति इक्विटी शेयर आय (निरंतर संचालन के लिए)			
	मूल (₹)		0.29	0.11
	तनुकृत (₹)		0.29	0.11

1 से 28 तक के नोट खातों का अभिन्न भाग हैं।

कृते भाटिया और भाटिया
सनदी लेखाकार की
सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
(फर्म पंजीकरण संख्या: 003202N)

ह./
अनंत भाटिया
(भागीदार)
सदस्यता संख्या: 507832
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21.06.2021

ह./
पवन कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8901398
ह./
मंजरी मिश्रा
(डीजीएम और कंपनी सचिव)

कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से

ह./
पीआर जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 6711526
ह./
राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

31 मार्च 2021 वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

सीआईएन सं. U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
क	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
(i)	कर पूर्व निवल लाभ	31,542.57	(29,148.48)
	के लिए समायोजन:		
(ii)	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	1,449.42	1,766.84
(iii)	प्रावधान/बट्टे खाते में डालना:	94,480.31	1,41,402.32
(iv)	प्रावधान/राशि वापस ली गई	(117.24)	(85.50)
(v)	उधार पर विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव हानि/(लाभ)	37,807.52	74,157.76
(vi)	अचल आस्तियों की बिक्री पर हानि / (लाभ)	3.17	5.09
(vii)	ऋण और अग्रिमों पर अर्जित और देय ब्याज	3,805.71	11,658.34
(viii)	ब्याज उपाजित लेकिन उधार पर देय नहीं	(5,024.51)	(5,194.49)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	1,63,946.95	1,94,561.88
(i)	उधार संचालन से नकदी प्रवाह	(4,48,569.24)	28,050.69
(ii)	निवेशों में/(जोड़) की बिक्री	3,958.91	(5,35,364.33)
(iii)	(वृद्धि)/व्यापार प्राप्तियों में कमी	-	-
(iv)	(वृद्धि)/अन्य परिचालन आस्तियों में कमी	82,701.56	(92,316.95)
(vi)	अन्य परिचालन देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	42,860.21	(36,212.06)
	कर से पहले के कार्यों से नकदी प्रवाह	(2,32,843.22)	(8,66,796.43)
	भुगतान किया गया कर (निवल)	(16,400.00)	-
	संचालन से निवल नकद	(2,49,243.22)	(8,66,796.43)
ख	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(i)	संयंत्र, आस्ति और उपकरण की खरीद	(523.52)	(2,257.46)
(ii)	अचल आस्तियों की बिक्री	146.76	97.25
(iii)	(वृद्धि)/पूँजीगत कार्य में कमी प्रगति पर है	-	2,259.46
	निवेश गतिविधियों से निवल नकद	(376.74)	99.25
ग	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(i)	शेयर पूंजी के निर्गम/आवंटन से प्राप्त आय	-	5,79,760.00
(ii)	उधार से निवल आय	2,89,881.72	2,78,962.67
(iii)	ऋण प्रतिभूतियों से प्राप्त/(चुकोती)	(5,388.11)	-
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद	2,84,493.61	8,58,722.67
	नकद और नकद समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	34,873.65	(7,974.51)
	जोड़ें: नकद और नकद समकक्ष खोलना	1,473.92	9,448.43
	नकद और नकद समकक्ष समाप्त करना	36,347.57	1,473.92
	समापन नकद और नकद समतुल्य में शामिल हैं: -		
(i)	नकद	-	-
(ii)	चालू खाते	36,347.57	1,473.92
	कुल	36,347.57	1,473.92

1) पिछली अवधि (अवधि) के ऑकड़ों को रिपोर्टिंग अवधि के प्रस्तुतीकरण के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनर्वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

2) निम्नलिखित बैंक बैलेंस कंपनी द्वारा मुफ्त उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं:

(31 मार्च 2021 (31 मार्च 2020 को) (31 मार्च, 2021 को 425,515.66 लाख) के अन्य बैंक शेष (₹ 77,741.62 लाख) में (31 मार्च 2021 को 46,600 लाख (31 मार्च 2020 को 21,92.00 लाख) शामिल हैं।) जिस पर

बॉन्ड के ब्याज भुगतान के लिए ग्रहणाधिकार चिह्नित किया गया है और 31 मार्च 2021 को ₹ 6,38,201 लाख (31 मार्च 2020 को ₹ 5,03,198.50 लाख) जिस पर ओवरड्राफ्ट के लिए ग्रहणाधिकार चिह्नित किया गया है।

कृते भाटिया और भाटिया

सनदी लेखाकार की

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में (फर्म

पंजीकरण संख्या: 003202N)

कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के

निदेशक मंडल की ओर से

ह./

अनंत भाटिया

(भागीदार)

सदस्यता संख्या: 507832

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21.06.2021

ह./

पवन कुमार

(उप प्रबंध निदेशक)

डीआईएन संख्या: 8901398

ह./

मंजरी मिश्रा

(डीजीएम और कंपनी सचिव)

ह./

पीआर जयशंकर

(प्रबंध निदेशक)

डीआईएन संख्या: 6711526

ह./

राजीव मुखीजा

(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	राशि
1 अप्रैल, 2020 तक शेष राशि	9,99,991.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	
(क) वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी जारी करना	-
31 मार्च 2021 को शेष राशि	9,99,991.62

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष								कुल
	पूंजीगत आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	डिबेंचर बांड/ रिडेम्पशन आरक्षित निधि	नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिजर्व	स्टाफ वेलफेयर आरक्षित निधि	कॉरपोरेट समाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि	निधि आरक्षित निधि बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के तहत	
1 अप्रैल, 2020 तक शेष राशि	585.14	235.50	99,995.05	(33,957.27)	1,42,145.82	26.72	133.78	3,057.24	(1,81,261.63)
पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	585.14	235.50	99,995.05	(33,957.27)	1,42,145.82	26.72	133.78	3,057.24	(1,81,261.63)
इस साल का मुनाफा	-	-	-	-	-	-	-	-	28,527.43
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	28,527.43
अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-	-	-	-	(19.02)	(11.33)	-	48.94
अवधि के दौरान नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था आरक्षित निधि	-	-	-	6,304.12	-	-	-	-	-
बरकरार रखी गई कमाई में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	19.02
प्रतिधारित कमाई से स्थानांतरण	-	-	-	-	3,795.09	67.40	-	5,715.27	-
31 मार्च 2021 को शेष राशि	585.14	235.50	99,995.05	(27,653.15)	1,45,940.91	75.10	122.45	8,772.52	(1,62,292.95)
									65,455.45

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2019 तक शेष राशि	4,20,231.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन (क) वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी जारी करना	5,79,760.00
31 मार्च 2020 को शेष राशि	9,99,991.62
ख. अन्य इक्विटी	

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष										कुल
	पूँजीगत आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	डिबेंचर बॉन्ड/ रिडेम्पशन आरक्षित निधि	नकदी प्रवाह हेतु आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(iii) के तहत विशेष आरक्षित	स्टाफ वेल्फेयर आरक्षित निधि	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि	निधि आरक्षित निधि बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के तहत	अन्य व्यापक आय	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल, 2019 को शेष राशि	585.14	235.50	99,995.05	(13,299.11)	1,42,145.82	50.51	2,633.78	2,033.18	(402.54)	(1,85,353.17)	48,624.16
पूर्व अवधि की त्रुटियाँ											-
वर्ष की शुरुआत में पुनः शेष राशि	585.14	235.50	99,995.05	(13,299.11)	1,42,145.82	50.51	2,633.78	2,033.18	(402.54)	(1,85,353.17)	48,624.16
इस साल का मुनाफा										5,091.81	5,091.81
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-			5,091.81	5,091.81
अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि						(32.23)	(2,500.00)		28.49	(1,032.50)	(3,536.25)
अवधि के दौरान नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था आरक्षित निधि				(20,658.17)						-	(20,658.17)
बरकरार रखी गई कमाई में स्थानांतरण						-				32.23	32.23
प्रतिधारित कमाई से स्थानांतरण			-		-	8.45		1,024.06			
31 मार्च 2020 तक शेष राशि	585.14	235.50	99,995.05	(33,957.27)	1,42,145.82	26.72	133.78	3,057.24	(374.05)	(1,81,261.63)	30,586.29

कृते भाटिया और भाटिया

सनदी लेखाकार की

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में (फर्म पंजीकरण संख्या:

003202N)

10

अनंत भाटिया

सदस्यता संख्या: 507832

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक: 21.06.2021

hc

पुर्व कृष्ण

(उप प्रबंध निदेशक)

डीआईएन संख्या: 8901398

$\hbar c$

मंजरी मिश्रा

(डीजीएम और कंपनी सचिव)

h

पीआर जयशंकर

(प्रबंध निदेशक)

hc

राजीव मुखीजा

(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

कृते इंडिया इंप्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

नोट 2: नकद और नकद समकक्ष

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
(क)	नकद और नकदी के समतुल्य		
(i)	नकदी	-	-
(ii)	बैंकों के साथ संतुलन	36,347.57	1,473.92
	उप-कुल (क)	36,347.57	1,473.92
(ख)	अन्य बैंक बैलेंस		
(i)	बांडों पर दावा न किए गए ब्याज के लिए बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि	1.38	1.38
(ii)	बैंकों के साथ सावधि जमा (बिना भार के) (मूल परिपक्वता तीन महीने से अधिक)	3,32,913.50	4,14,854.37
(क)	बांड के ब्याज भुगतान के खिलाफ सुरक्षा के रूप में धारित	46,600.00	21,920.00
(ख)	बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधा लेने का संकल्प लिया	6,38,201.00	5,03,198.50
	उप-कुल (ख)	10,17,715.88	9,39,974.25
	योग	10,54,063.45	9,41,448.17

नोट 3: व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
		काल्पनिक राशि	उचित मूल्य	काल्पनिक राशि	उचित मूल्य
	आस्तियां				
	अन्य व्युत्पन्न:				
	क्रॉस करेंसी प्रिंसिपल और ब्याज दर स्वेप	9,00,794.88	61,363.78	8,10,203.15	1,24,349.31
	कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	9,00,794.88	61,363.78	8,10,203.15	1,24,349.31

नोट 4: ऋण

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को परिशोधन लागत	31.03.2020 को परिशोधन लागत
(क)	ऋण		
(i)	सावधि ऋण		
I	अवसरचनात्मक ऋण: मानक आस्तियां		
क.	प्रत्यक्ष उधार	14,02,240.91	14,14,744.89
ख.	पूल्ड नगर पालिका ऋण दायित्व (पीएमडीओ) योजना	393.00	451.91
ग.	टेकआउट फाइनेंसिंग योजना	5,34,327.39	6,77,617.01
घ.	पुनर्वित्त योजना	12,21,883.33	6,07,575.05
II	अवसरचनात्मक ऋण: उप-मानक आस्तियां		
क.	प्रत्यक्ष उधार	54,979.25	1,38,762.96
ख.	पूल्ड नगर पालिका ऋण दायित्व (पीएमडीओ) योजना	-	-
ग.	टेकआउट फाइनेंसिंग योजना	-	-
III	अवसरचनात्मक ऋण: संदिग्ध आस्ति		
क.	प्रत्यक्ष उधार	3,51,032.12	4,18,470.82
ख.	पूल्ड नगर पालिका ऋण दायित्व (पीएमडीओ) योजना	7,385.33	7,444.01
ग.	टेकआउट फाइनेंसिंग योजना	96,647.17	97,629.51
IV	कर्मचारियों को ऋण*	1,203.41	974.48
(ii)	अन्य		
	संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम		
	सहायक कंपनियों की ओर से किए गए खर्च	168.05	51.65
	कुल (क) सकल	36,70,259.96	33,63,722.28
	घटाएँ: हानि भत्ता^	-	-
	कुल (क) निवल	36,70,259.96	33,63,722.28

(ख)	(i) मूर्त आस्ति और अमूर्त आस्ति द्वारा प्रतिभूत		
	अच्छा माना जाता है	19,38,164.71	20,93,788.29
	वर्गीकृत संदिग्ध	5,10,043.88	6,62,307.29
	(ii) अप्रतिभूत	12,22,051.39	6,07,626.69
	कुल (ख) सकल	36,70,259.96	33,63,722.28
	घटाएँ: हानि भत्ता^	-	-
	घटाएँ: विनियोग लंबित राशि^^	5,567.56	7,740.78
	कुल (ख) निवल	36,64,692.40	33,55,981.50
(ग)	(i) सार्वजनिक क्षेत्र	11,71,883.33	6,07,575.05
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के अलावा	24,92,809.07	27,48,406.46
	कुल (ग) सकल	36,64,692.40	33,55,981.50
	घटाएँ: हानि भत्ता^	-	-
	कुल (ग) निवल	36,64,692.40	33,55,981.50
	योग	36,64,692.40	33,55,981.50

क्षेत्र	सुरक्षा के क्षेत्र का विवरण##	राशि (₹ लाख में)	
बिजली और अन्य क्षेत्र	बिजली और अन्य क्षेत्र बंधक: उधारकर्ता की सभी अचल आस्तियों, वर्तमान और भविष्य के बंधक के रूप में पहला परी-पासु प्रभार। दृष्टिबंधक: संयंत्र और मशीनरी आदि सहित ऋणी की सभी चल आस्तियों को दृष्टिबंधक के रूप में पहला परी-पासु प्रभार। शेयरों की गिरवी न्यूनतम 51% एस्करो खाता और उधारकर्ताओं के सभी अधिकार और शीर्षक और हित परी-पासु प्रभार।	11,73,117.05	14,15,893.68
सड़क और हवाई अड्डा (पीपीपी)	सड़क और हवाई अड्डा (पीपीपी) परियोजना की वार्षिकी और टोल संग्रह प्राप्त करने का अधिकार एस्करो खाता और ऋण लेने वाले के सभी अधिकार और शीर्षक और हित समान हैं दृष्टिबंधक: उधारकर्ता की सभी चल आस्तियों के दृष्टिबंधक के रूप में पहला परी-पासु प्रभार। पुनर्वित्त योजना के तहत वित्तीय संस्थान	12,73,888.13	13,39,227.43
पुनर्वित्त योजना के तहत वित्तीय संस्थान	अप्रतिभूत	12,21,883.33	6,07,575.05
	कुल##	36,68,888.51	33,62,696.16

#उपरोक्त सुरक्षा का विवरण देते हुए फुटनोट में इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण राशि में 31 मार्च 2021 को ₹ 4,99,377.86 लाख शामिल हैं।

(31 मार्च, 2020 को 2,06,584.15 लाख रुपये) एक वर्ष के भीतर देय ऋण की राशि और मूलधन अतिदेय राशि है। इसके अलावा, इन अग्रिमों के खिलाफ 31 मार्च 2021 (31 मार्च 2020 तक 4,46,808.12 लाख रुपये) तक कुल ₹ 4,02,474.80 लाख का प्रावधान किया गया है।

*कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के लागू होने के अनुसरण में 1 अप्रैल 2014 और 20 मई 2014 को धारित बैठक में निदेशक मंडल की मंजूरी, मुख्य महाप्रबंधक-मुख्य वित्तीय अधिकारी को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक माना गया है। तदनुसार, उसे दिए गए गृह निर्माण ऋण को संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च 2021 को ऋण की कुल राशि ₹ 1.93 लाख थी (31 मार्च 2020 को ₹ 4.03 लाख)।

^नोट: आरबीआई मास्टर निर्देश डीएनबीआर के संदर्भ में पीडी. 008/03.10.119/2016-17 दिनांक 1 सितंबर 2016 को 19 फरवरी, 2021 को अद्यतन किया गया, आईआईएफसीएल ने अलग से ऋण आस्ति (नोट 4) ईसीएल के अनुसार प्रावधान सहित ऋण आस्तियों पर प्रावधान का खुलासा किया है, (नोट 15) उन्हें बुनियादी ढांचे के मूल्य से घटाए बिना बनाया गया है।

^^बकाया राशि का विनियोग ऋण खातों में देय तिथि पर ब्याज/मूलधन के रूप में समायोजित किया जा सकता है और/या ऋण खातों में पूर्व भुगतान किया जा सकता है।

नोट 5: निवेश

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को			31.03.2020 को		
		एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत	कुल	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत	कुल
	म्यूचुअल निधि (अनुद्धृत) (पूरी तरह से भुगतान किया गया) (फुटनोट ख और ग देखें)						
(i)	आईआईएफसीएल म्यूचुअल निधि आईडीएफ सीरीज I	17,893.17	-	17,893.17	17,206.96	-	17,206.96
(ii)	आईआईएफसीएल म्यूचुअल निधि आईडीएफ सीरीज II	8,739.68	-	8,739.68	8,813.18	-	8,813.18
		26,632.85	-	26,632.85	26,020.13	-	26,020.13
	सरकारी प्रतिभूतियां (अनुद्धृत) (फुटनोट ख और ग देखें)	-					
(i)	6.35% भारत सरकार 2020	-	-	-	-	-	-
(ii)	6.90% भारत सरकार 2019	-	-	-	-	-	-
(iii)	7.85% एसएल (आंध्र प्रदेश) 2019	-	-	-	-	-	-
(iv)	6.29% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार सुरक्षा 2030	-	88,760.00	88,760.00	-	88,760.00	88,760.00
(v)	6.34% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार सुरक्षा 2031	-	88,200.00	88,200.00	-	88,200.00	88,200.00
(vi)	6.34% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार सुरक्षा 2032	-	88,200.00	88,200.00	-	88,200.00	88,200.00
(vii)	6.39% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार सुरक्षा 2033	-	88,200.00	88,200.00	-	88,200.00	88,200.00
(viii)	6.39% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार सुरक्षा 2034	-	88,200.00	88,200.00	-	88,200.00	88,200.00
(ix)	6.44% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार सुरक्षा 2035	-	88,200.00	88,200.00	-	88,200.00	88,200.00
		-	5,29,760.00	5,29,760.00	-	5,29,760.00	5,29,760.00
	डिबेंचर में निवेश (अनुद्धृत) (पूरी तरह से भुगतान किया गया) (फुटनोट ख और ग देखें)						
	बंसल पाथवेज (मंगवां-चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड में डिबेंचर	6,078.00	-	6,078.00	6,078.00	-	6,078.00
	सूत हजीरा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड में डिबेंचर	13,786.00	-	13,786.00	13,786.00	-	13,786.00
		19,864.00	-	19,864.00	19,864.00	-	19,864.00
	इक्विटी लिखतें						
क.	इक्विटी लिखत - गैर-उद्धृत (पूरी तरह से भुगतान किया गया) (फुटनोट ख और ग देखें)						
	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	411.03	-	411.03	411.03	-	411.03
	आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (आईआईएफसीएल की ओर से सुरक्षा ट्रस्टी द्वारा आयोजित)	4,765.00		4,765.00	4,765.00		4,765.00
		5,176.02	-	5,176.02	5,176.02	-	5,176.02

सहायक (लागत पर निवेश)									
(i)	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड	-	42,240.32	42,240.32	-	42,240.32	42,240.32	42,240.32	42,240.32
(ii)	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	-	1,250.00	1,250.00	-	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
(iii)	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	-	475.00	475.00	-	475.00	475.00	475.00	475.00
		-	43,965.32	43,965.32	-	43,965.32	43,965.32	43,965.32	43,965.32
अन्य									
क.	उद्यम पूंजी में निवेश (अनुद्धृत) (पूरी तरह से भुगतान किया गया) (फुटनोट बी और सी देखें)								
(i)	आईआईएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ट्रस्ट II (पूरी तरह से भुगतान किया गया)	1,644.68	-	1,644.68	1,674.87	-	1,674.87	1,674.87	1,674.87
		1,644.68	-	1,644.68	1,674.87	-	1,674.87	1,674.87	1,674.87
ख.	सुरक्षा प्राप्तियों में निवेश (अनुद्धृत) (पूरी तरह से भुगतान किया गया) (फुटनोट देखें)								
(i)	एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 135-सीरीज I)	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 207-सीरीज I)	5,986.93	-	5,986.93	6,502.40	-	6,502.40	6,502.40	6,502.40
(iii)	एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ऑर्केल-एससी-VIII-ट्रस्ट)	3,125.77	-	3,125.77	4,952.10	-	4,952.10	4,952.10	4,952.10
(iv)	फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (फीनिक्स ट्रस्ट वित्तीय वर्ष 16-20)	606.39	-	606.39	1,972.00	-	1,972.00	1,972.00	1,972.00
(v)	एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 276-सीरीज I)	36,108.05	-	36,108.05	36,942.08	-	36,942.08	36,942.08	36,942.08
		45,827.14	-	45,827.14	50,368.58	-	50,368.58	50,368.58	50,368.58
	कुल (क) सकल	99,144.69	5,73,725.32	6,72,870.01	1,03,103.60	5,73,725.32	6,76,828.92	6,76,828.92	6,76,828.92
(i)	विदेशी निवेश	-	42,240.32	42,240.32	-	42,240.32	42,240.32	42,240.32	42,240.32
(ii)	भारत में निवेश	99,144.69	5,31,485.00	6,30,629.69	1,03,103.60	5,31,485.00	6,34,588.60	6,34,588.60	6,34,588.60
	कुल (ख)	99,144.69	5,73,725.32	6,72,870.01	1,03,103.60	5,73,725.32	6,76,828.92	6,76,828.92	6,76,828.92
	कुल (क) के साथ मिलान करने के लिए (ख)	99,144.69	5,73,725.32	6,72,870.01	1,03,103.60	5,73,725.32	6,76,828.92	6,76,828.92	6,76,828.92
	घटा: हानि के लिए भत्ता (ग)	16,551.64	-	16,551.64	17,201.01	-	17,201.01	17,201.01	17,201.01
	कुल निवल घ = (क) - (ग)	82,593.05	5,73,725.32	6,56,318.37	85,902.59	5,73,725.32	6,59,627.91	6,59,627.91	6,59,627.91
	हानि के लिए भत्ता:								

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को			31.03.2020 को		
		एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत	कुल	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत	कुल
	आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (आईआईएफसीएल की ओर से सुरक्षा ट्रस्टी द्वारा आयोजित)	4,191.05		4,191.05	4,191.05	-	4,191.05
	बंसल पाथवेज (मंगवां-चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड में डिबेंचर	5,252.07	-	5,252.07	5,323.38	-	5,323.38
	सूरत हजीरा में डिबेंचर	7,108.52	-	7,108.52	7,686.58	-	7,686.58
	कुल	16,551.64	-	16,551.64	17,201.01		17,201.01
	फुटनोट:						
(क)	उद्धृत निवेश की कुल राशि:						
(i)	लागत / बही मूल्य			-			-
(ii)	बाजार मूल्य			-			-
(ख)	गैर-उद्धृत निवेशों की कुल राशि - लागत/बुक वैल्यू			6,56,318.37			6,59,627.91
(ग)	व्यक्तिगत निवेश के मूल्यांकन के लिए नोट 1(ए)(6.2) देखें।						
(घ)	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और वर्ष के दौरान रेटिंग का स्थानांतरण:						
	आईआईएफसीएल के घरेलू ऋण लिखतों में "AAA" रेटिंग GS-CRISIL, CARE, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, ICRA और ब्रिकवर्क्स- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग।						
	कंपनी को दी गई रेटिंग को स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा बीबीबी-/नोटिच/ए-3 के रूप में पुष्टि की गई थी जो कि सॉवरन रेटिंग के बराबर हैं।						
*	एनएवी (रुपये में) निम्नलिखित निवेश की प्रति यूनिट है:						
(i)	आईआईएफसीएल म्यूचुअल निधि आईडीएफ सीरीज I		13,76,397.86				13,23,612.04
(ii)	आईआईएफसीएल म्यूचुअल निधि आईडीएफ सीरीज II		8,73,968.04				8,81,317.80
(iii)	ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 135-श्रृंखला I		-				-
(iv)	ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 207-श्रृंखला I		972.13				1,055.83
(v)	ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 276-श्रृंखला I		939.19				960.93
(vi)	आर्किल-एएसटी-आठवीं-ट्रस्ट		315.60				800.00
(vii)	फीनिक्स ट्रस्ट वित्तीय वर्ष 16-20		246.00				500.00
	एनएवी में उतार-चढ़ाव को अस्थायी माना जाता है।						

नोट 6: अन्य वित्तीय आस्तियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
क.	अग्रिमों		
	कर्मचारियों से वसूली योग्य अग्रिम	36.73	29.22
	सुरक्षा जमा का भुगतान	28.35	29.09
	अन्य	1,096.98	1,120.68
	उप-कुल (क)	1,162.06	1,178.99
ख.	ऋण और अग्रिमों पर अर्जित और देय ब्याज	5,437.42	9,243.14
	उप-कुल (ख)	5,437.42	9,243.14
ग.	अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं:		
	बैंकों के साथ सावधि जमा	16,058.46	33,031.85
	बांड	-	-
	सरकारी सुरक्षा	93.66	93.66
	ऋण और अग्रिम	29,045.60	25,642.20
	उप-कुल (ग)	45,197.72	58,767.72
	कुल (क)+(ख)+(ग)	51,797.20	69,189.85

नोट 7: वर्तमान कर आस्ति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
(i)	वसूली योग्य निवल आयकर	36,302.72	21,189.48
(ii)	वसूली योग्य माल और सेवा कर	32.06	359.45
(iii)	वसूली योग्य निवल अग्रिम कर	1,354.34	14,800.00
	कुल	37,689.12	36,348.93

नोट 8: आस्थगित कर आस्ति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
(I)	आस्थगित कर आस्तियों के कारण:		
(i)	कर के लिए प्रस्तावित विविध देयता खाते (ब्याज पूंजीकरण) में जमा किया गया ब्याज	13,171.98	2,011.26
(ii)	अपेक्षित ऋण हानि	29,851.29	29,523.86
(iii)	छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	34.93	38.62
(iv)	मूल्यह्रास	834.57	(334.96)
(v)	बीमार छुट्टी के लिए प्रावधान	39.97	41.20
(vi)	अन्य	1,970.06	1,265.10
(vii)	चिकित्सा सहायता योजना का प्रावधान	215.96	198.72
(viii)	वेतन संशोधन का प्रावधान	-	165.63
(ix)	छुट्टी किराया रियायत का प्रावधान	17.41	17.15
(x)	आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान*	220.66	460.80
	आस्थगित कर आस्तियां	46,356.83	33,387.36

(II)	आस्थगित कर देयताओं के खाते में :		
(i)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) के तहत विशेष अवसंरचना रिजर्व का निर्माण	36,730.41	35,775.26
(ii)	वे व्यय जिनमें डीडीएस नहीं काटा गया	0.20	(0.02)
	आस्थगित कर देयताएं	36,730.61	35,775.24
	आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं) (निवल)	9,626.22	(2,387.88)
*	आस्थगतन पर बाजार घाटे के लिए चिन्हित संबंधी सृजन		

नोट 9: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्य हास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2020 को	अतिरिक्त	निपटान/समायोजन	31.03.2021 को	1.04.2020 को	वर्ष हेतु	कटौती/बदलाव	31.03.2021 को	31.03.2020 को
मूर्त आस्ति									
फर्नीचर फिटिंग	563.99	4.56	-	568.55	198.55	89.75	-	288.30	280.25
वाहनों	66.12	57.07	31.37	91.82	16.06	22.45	20.58	17.93	73.89
कार्यालय उपकरण	328.61	7.25	0.17	335.69	169.64	72.76	0.16	242.24	93.45
संयंत्र एवं मशीनरी	110.15	0.70	-	110.85	55.56	23.51	-	79.07	31.78
कम्प्यूटर हार्डवेयर	208.51	45.84	107.31	147.04	88.62	69.31	101.94	55.99	91.05
भवन	27,201.12	267.84	-	27,468.96	1,220.53	917.87	-	2,138.40	25,330.56
विद्युत उपकरण	346.41	-	-	346.41	177.56	76.11	-	253.67	92.74
कुल	28,824.92	383.27	138.85	29,069.32	1,926.52	1,271.75	122.69	3,075.60	25,993.72
विगत वर्ष	26,896.36	2,024.75	96.20	28,824.92	437.91	1,564.83	76.23	1,926.52	26,898.37
									26,458.42

नोट 10 : पूंजीगत कार्य प्रगति

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्य हास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2020 को	अतिरिक्त	निपटान/समायोजन	31.03.2021 को	1.04.2020 को	वर्ष हेतु	कटौती/बदलाव	31.03.2021 को	31.03.2020 को
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूंजीगत कार्य प्रगति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	2,259.46	-	2,259.46	0.00	-	-	-	-	-

नोट 11: अमूर्त आस्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2020 को	अतिरिक्त	निपटान/समायोजन	31.03.2021 को	1.04.2020 को	वर्ष हेतु	कटौती/बदलाव	31.03.2021 को	31.03.2021 को	31.03.2020 को
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर*	1,048.89	7.40	7.91	1,048.38	598.70	177.67	7.00	769.37	279.01	450.20
कुल	1,048.89	7.40	7.91	1,048.38	598.70	177.67	7.00	769.37	279.01	450.20
विगत वर्ष	898.90	151.04	1.05	1,048.89	397.03	202.03	0.34	598.70	450.18	501.87
*कंपनी द्वारा धास्ति अमूर्त आस्ति आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त आस्ति के अलावा अन्य हैं।										
नोट: आईआईएफसीएल का कार्यालय 1 जनवरी 2019 से नए परिसर में स्थानांतरित हो गया है। परिसर के अधिग्रहण के लिए भुगतान की गई राशि को बही खातों में पूंजीकृत किया गया है। चूंकि पट्टा करार अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है, इसलिए आईआईएफसीएल ने 30 साल की पट्टा अवधि में राशि का परिशोधन किया है।										

नोट 12: अन्य गैर वित्तीय आस्तियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
(i)	प्रीपेड व्यय	23.07	7.53
(ii)	अन्य अग्रिम	242.29	414.00
	कुल	265.36	421.52

नोट 13: ऋण प्रतिभूतियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(क)	अन्य				
I	प्रतिभूत बांड^				
(i)	500 (31 मार्च 2020 तक 500) 9.36% अंकित मूल्य के बांड ₹ 10 लाख प्रत्येक, 27/07/2042 को भुनाया जा सकता है	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
(ii)	10,500 (31 मार्च 2020 तक 10,500) 9.41% अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक 10 लाख, 27/07/2037 को भुनाए जा सकते हैं	1,05,000.00	1,05,000.00	1,05,000.00	1,05,000.00
(iii)	12,59,825 (31 मार्च, 2020 तक 12,59,825) 8.55% टैक्स फ्री बॉन्ड किश्त III सीरीज 3ए अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 27/03/2034 को भुनाया जा सकता है	12,598.25	12,598.25	12,598.25	12,598.25
(iv)	12,87,311 (31 मार्च, 2020 तक 12,87,311) 8.80% टैक्स फ्री बॉन्ड किश्त III सीरीज 3बी अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 27/03/2034 को भुनाया जा सकता है	12,873.11	12,873.11	12,873.11	12,873.11
(v)	125,470 (31 मार्च 2020 तक 125,470) 8.55% टैक्स फ्री बॉन्ड किश्त III अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 27/03/2034 को भुनाया जा सकता है	1,254.70	1,254.70	1,254.70	1,254.70
(vi)	5,15,765 (31 मार्च 2020 तक 5,15,765) 8.66% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज IV अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 22/01/2034 को भुनाया जा सकता है	5,157.65	5,157.65	5,157.65	5,157.65
(vii)	75,43,989 (31 मार्च 2020 तक 75,43,989) 8.66% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज IV अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 22/01/2034 को भुनाया जा सकता है	75,439.89	75,439.89	75,439.89	75,439.89
(viii)	54,43,232 (31 मार्च 2020 तक 54,43,232) 8.91% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज IV अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 22/01/2034 को भुनाया जा सकता है	54,432.32	54,432.32	54,432.32	54,432.32
(ix)	1,59,113 (31 मार्च 2020 तक 1,59,113) 8.50% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज III अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 12/11/2033 को भुनाया जा सकता है	1,591.13	1,591.13	1,591.13	1,591.13
(x)	18,68,982 (31 मार्च, 2020 तक 18,68,982) 8.50% अंकित मूल्य के 8.50% टैक्स फ्री बांड 1,000 रुपये प्रत्येक, 12/11/2033 को प्रतिदेय	18,689.82	18,689.82	18,689.82	18,689.82
(xi)	24,20,508 (31 मार्च 2020 तक 24,20,508) 8.75% अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड ₹ 1,000 प्रत्येक, 12/11/2033 को प्रतिदेय	24,205.08	24,205.08	24,205.08	24,205.08
(xii)	265 (31 मार्च 2020 तक 265) 8.37% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज VI अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 30/08/2033 को भुनाया जा सकता है	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00

(xiii)	(31 मार्च 2020 तक) 8.19% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज V अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 23/08/2033 को भुनाया जा सकता है	200.00	200.00	200.00	200.00
(xiv)	42,472 (31 मार्च 2020 तक 42,472) 7.08% अंकित मूल्य के ₹1,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड, 26/03/2033 को प्रतिदेय	424.72	424.72	424.72	424.72
(xv)	1,90,693 (31 मार्च 2020 तक 1,90,693) 7.58: अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड ₹ 1,000 प्रत्येक, 26/03/2033 को भुनाया जा सकता है	1,906.93	1,906.93	1,906.93	1,906.93
(xvi)	1,01,62,809 (31 मार्च 2020 तक 1,01,62,809) 7.40% अंकित मूल्य के 7.40% कर मुक्त बांड प्रत्येक 1,000, 22/01/2033 को भुनाए जा सकते हैं	1,01,628.09	1,01,628.09	1,01,628.09	1,01,628.09
(xvii)	14,01,415 (31 मार्च, 2020 तक 14,01,415) 7.90: अंकित मूल्य के 7.90% कर मुक्त बांड 1,000 रुपये प्रत्येक, 22/01/2033 को प्रतिदेय	14,014.15	14,014.15	14,014.15	14,014.15
(xviii)	210 (31 मार्च 2020 तक 210) 7.41: टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज IV—C अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 21/11/2032 को भुनाया जा सकता है	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
(xix)	3,400 (31 मार्च 2020 तक 3,400) 7.41% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज III—C अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 15/11/2032 को भुनाया जा सकता है	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
(xx)	1,22,807 (31 मार्च 2020 तक 1,22,807) 8.55% टैक्स फ्री बॉन्ड किशत III अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 27/03/2029 को भुनाया जा सकता है	1,228.07	1,228.07	1,228.07	1,228.07
(xxi)	1,59,58,486 (31 मार्च 2020 तक 1,59,58,486) 8.55% टैक्स फ्री बॉन्ड किशत III सीरीज 2ए अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 27/03/2029 को भुनाया जा सकता है	1,59,584.86	1,59,584.86	1,59,584.86	1,59,584.86
(xxii)	27,11,062 (31 मार्च 2020 तक 27,11,062) 8.80% टैक्स फ्री बॉन्ड किशत III सीरीज 2बी अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 27/03/2029 को भुनाया जा सकता है	27,110.62	27,110.62	27,110.62	27,110.62
(xxiii)	67,908 (31 मार्च 2020 तक 67,908) 8.48% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज IV अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 22/01/2029 को भुनाया जा सकता है	679.08	679.08	679.08	679.08
(xxiv)	27,98,922 (31 मार्च 2020 तक 27,98,922) 8.48% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज IV अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 22/01/2029 को भुनाया जा सकता है	27,989.22	27,989.22	27,989.22	27,989.22
(xxv)	14,10,950 (31 मार्च 2020 तक 14,10,950) 8.73% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज IV अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 22/01/2029 को भुनाया जा सकता है	14,109.50	14,109.50	14,109.50	14,109.50
(xxvi)	89,009 (31 मार्च 2020 तक 89,009) 8.38: टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज III अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 12/11/2028 को भुनाया जा सकता है	890.09	890.09	890.09	890.09
(xxvii)	30,35,330 (31 मार्च 2020 तक 30,35,330) 8.38% अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड ₹ 1,000 प्रत्येक, 12/11/2028 को भुनाया जा सकता है	30,353.30	30,353.30	30,353.30	30,353.30
(xxviii)	15,71,311 (31 मार्च, 2020 तक 15,71,311) 8.63% अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड 1,000 रुपये प्रत्येक, 12/11/2028 को प्रतिदेय	15,713.11	15,713.11	15,713.11	15,713.11
(xxix)	11,297 (31 मार्च 2020 तक 11,297) 8.48% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज VII अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 05/09/2028 को भुनाया जा सकता है	1,12,970.00	1,12,970.00	1,12,970.00	1,12,970.00
(xxx)	11,597 (31 मार्च 2020 तक 11,597) 8.46% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज VI अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 30/08/2028 को भुनाया जा सकता है	1,15,970.00	1,15,970.00	1,15,970.00	1,15,970.00

(xxxi)	6,303 (31 मार्च 2020 तक 6,303) 8.26% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज V अंकित मूल्य का प्रत्येक 10 लाख, 23/08/2028 को भुनाया जा सकता है	63,030.00	63,030.00	63,030.00	63,030.00
(xxxii)	3,51,554 (31 मार्च, 2020 तक 3,51,554) 7.02% अंकित मूल्य के 7.02: कर मुक्त बांड प्रत्येक 1,000 रुपये, 26/03/2028 को प्रतिदेय	3,615.54	3,615.54	3,615.54	3,615.54
(xxxiii)	1,04,064 (31 मार्च 2020 तक 1,04,064) 7.52% अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड ₹ 1,000 प्रत्येक, 26/03/2028 को भुनाया जा सकता है	1,040.64	1,040.64	1,040.64	1,040.64
(xxxiv)	67,41,162 (31 मार्च, 2020 तक 67,41,162) 7.36% अंकित मूल्य के कर शुल्क बांड 1,000 रुपये, 22/01/2028 को प्रतिदेय	67,411.62	67,411.62	67,411.62	67,411.62
(xxxv)	8,68,391,501 (31 मार्च 2020 तक 8,68,391) 7.86% अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड ₹ 1,000 प्रत्येक, 22/01/2028 पर प्रतिदेय	8,683.91	8,683.91	8,683.91	8,683.91
(xxxvi)	500 (31 मार्च 2020 तक 500) 7.38% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज IV-B अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 21/11/2027 को भुनाया जा सकता है	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
(xxxvii)	1,000 (31 मार्च 2020 तक 1,000) 7.38% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज III-B अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 15/11/2027 को भुनाया जा सकता है	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
(xxxviii)	38,58,714 (31 मार्च 2020 तक 38,58,714) 8.16% टैक्स फ्री बॉन्ड किश्त III सीरीज 1ए अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 27/03/2024 को भुनाया जा सकता है	38,587.14	38,587.14	38,587.14	38,587.14
(xxxix)	12,80,511 (31 मार्च 2020 तक 12,80,511) 8.41% टैक्स फ्री बॉन्ड ट्रांच III सीरीज 1बी अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 27/03/2024 को भुनाया जा सकता है	12,805.11	12,805.11	12,805.11	12,805.11
(xL)	41,188 (31 मार्च 2020 तक 41,188) 8.16% कर मुक्त बांड किश्त III अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 27/03/2024 को भुनाया जा सकता है	411.88	411.88	411.88	411.88
(xLi)	1,91,778 (31 मार्च 2020 तक 1,91,778) 8.41% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज IV अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 22/01/2024 को भुनाया जा सकता है	1,917.78	1,917.78	1,917.78	1,917.78
(xLii)	79,57,885 (31 मार्च 2020 तक 79,57,885) 8.41% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज IV अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 22/01/2024 को भुनाया जा सकता है	79,578.85	79,578.85	79,578.85	79,578.85
(xLiii)	41,69,571 (31 मार्च 2020 तक 41,69,571) 8.66% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज IV अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 22/01/2024 को भुनाया जा सकता है	40,695.71	40,695.71	40,695.71	40,695.71
(xLiv)	17,26,340 (31 मार्च 2020 तक 17,26,340) 8.01% अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड ₹ 1,000 प्रत्येक, 12/11/2023 को भुनाया जा सकता है	17,263.40	17,263.40	17,263.40	17,263.40
(xLv)	12,31,739 (31 मार्च, 2020 तक 12,31,739) 8.26% अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड 1,000 रुपये प्रत्येक, 12/11/2023 को प्रतिदेय	12,317.39	12,317.39	12,317.39	12,317.39
(xLvi)	27,719 (31 मार्च 2020 तक 27,719) 8.01% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज III अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 12/11/2023 को भुनाया जा सकता है	277.19	277.19	277.19	277.19
(xLvii)	50 (31 मार्च 2020 तक 50) 8.11% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज VII अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 05/09/2023 को भुनाया जा सकता है	500.00	500.00	500.00	500.00
(xLviii)	100 (31 मार्च 2020 तक 100) 8.01% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज VI अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 30/08/2023 को भुनाया जा सकता है	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

(xLix)	19,27,319 (31 मार्च 2020 तक 19,27,319) 6.86% अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड ₹ 1,000 प्रत्येक, 26/03/2023 को प्रतिदेय	19,273.19	19,273.19	19,273.19	19,273.19
(L)	98,318 (31 मार्च 2020 तक 98,318) 7.36% अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड ₹ 1,000 प्रत्येक, 26/03/2023 को भुनाए जाने योग्य	983.18	983.18	983.18	983.18
(Li)	84,46,348 (31 मार्च, 2020 तक 84,46,348) 7.19% अंकित मूल्य के 7.19% कर मुक्त बांड, प्रत्येक 1,000 रुपये, 22/01/2023 को प्रतिदेय	85,463.48	85,463.48	85,463.48	85,463.48
(Lii)	11,18,644 (31 मार्च 2020 तक 11,18,644) 7.69% अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड ₹ 1,000 प्रत्येक, 22/01/2023 को प्रतिदेय	11,186.44	11,186.44	11,186.44	11,186.44
(Liii)	2,140 (31 मार्च 2020 तक 2,140) 7.21% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज IV-ए अंकित मूल्य का प्रत्येक 10 लाख, 21/11/2022 को भुनाया जा सकता है	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00
(Liv)	600 (31 मार्च 2020 तक 600) 7.20% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज III-। अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 15/11/2022 को भुनाया जा सकता है	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
(Lv)	79,110 (31 मार्च 2020 तक 79,110) अंकित मूल्य के 8.30% बांड ₹ 1000 प्रत्येक, 29/3/2018 को जल्द से जल्द बायबैक के साथ 28/3/2026 को भुनाया जा सकता है	791.10	791.10	791.10	791.10
(Lvi)	5,38,811 (31 मार्च 2020 तक 5,38,811) 8.15% अंकित मूल्य के बांड 1000 प्रत्येक, 28/3/2021 को रिडीम करने योग्य 29/3/2016 को जल्द से जल्द बायबैक के साथ	-	-	5,388.11	5,388.11
		14,88,997.24	14,88,997.24	14,94,385.35	14,94,385.35
	अप्रतिभूति बांड^				
(i)	10,000 8.55% अंकित मूल्य के बांड ₹ 10 लाख प्रत्येक, 03/11/2024 को भुनाया जा सकता है#	1,00,000.00	1,00,000.00	1,00,000.00	1,00,000.00
(ii)	4,000 8.12% अंकित मूल्य के बांड ₹ 10 लाख प्रत्येक, 24/08/2024 को भुनाया जा सकता है#	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
(iii)	6,000 8.12% अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक 10 लाख, 12/08/2024 को भुनाया जा सकता है#	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
(iv)	5,000 7.90% अंकित मूल्य के बांड ₹ 10 लाख प्रत्येक, 28/04/2024 को भुनाया जा सकता है#	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(v)	5,000 8.10% अंकित मूल्य के बांड 10 लाख प्रत्येक, 08/04/2024 को भुनाया जा सकता है#	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(vi)	₹10 लाख अंकित मूल्य के 2,000 8.68% बांड, 18/12/2023 को भुनाए जा सकते हैं#	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
(vii)	₹10 लाख अंकित मूल्य के 2,000 9.35% बांड, 17/11/2023 को भुनाया जा सकता है#	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
(viii)	₹10 लाख अंकित मूल्य के 2,000 8.82% बांड, 19/12/2022 को भुनाया जा सकता है#	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
		3,60,000.00	3,60,000.00	3,60,000.00	3,60,000.00
	कुल सकल (क)	18,48,997.24	18,48,997.24	18,54,385.35	18,54,385.35
	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	18,48,997.24	18,48,997.24	18,54,385.35	18,54,385.35
	भारत के बाहर ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
	कुल सकल (ख)	18,48,997.24	18,48,997.24	18,54,385.35	18,54,385.35
	कुल (ख) के साथ मिलान करने के लिए (क)	18,48,997.24	18,48,997.24	18,54,385.35	18,54,385.35

^	आईआईएफसीएल द्वारा जारी किए गए सभी प्रतिभूत और अप्रतिभूत बांड गैर-परिवर्तनीय हैं और सममूल्य पर प्रतिदेय हैं। इसके अलावा, सुरक्षित बांड सभी अधिकारों, शीर्षकों, हितों, लाभ, दावों और मांगों के आधार पर कंपनी के खातों में से जो भी प्रकृति, वर्तमान और भविष्य की कंपनी की प्राप्य राशि सहित सुरक्षित हैं।				
	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और वर्ष के दौरान रेटिंग का स्थानांतरण: आईआईएफसीएल के घरेलू ऋण लिखतों में “AAA” रेटिंग है— CRISIL, CARE, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, ICRA और ब्रिकवर्क्स— क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग। कंपनी को दी गई रेटिंग को स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा बीबीबी- / नेगेटिव/ए-3 के रूप में पुष्टि की गई थी जो कि सॉवरेन रेटिंग के बराबर हैं। वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।				
#	अप्रतिभूत बांड भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत हैं 31 मार्च 2021 को शून्य सहित (31 मार्च 2020 को शून्य) रिपोर्टिंग अवधि के अंत से 1 वर्ष के भीतर देय राशि है,	3,60,000.00	3,60,000.00	3,60,000.00	3,60,000.00
	बांड या डिबेंचर रिडीम किया गया जिसे आईआईएफसीएल के पास फिर से जारी करने की शक्ति है।	शून्य		शून्य	

नोट 14: उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
क)	सावधि ऋण अन्य दलों से अप्रतिभूत ऋण:				
(i)					
क.		10,67,195.03	10,67,195.03	10,80,662.67	10,80,662.67
ख.		1,15,355.34	1,15,355.34	1,25,481.34	1,25,481.34
ग.		1,70,189.02	1,70,189.02	1,66,099.20	1,66,099.20
घ.		13,815.95	13,815.95	16,300.14	16,300.14
ड.	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी	1,76,960.00	1,76,960.00	1,04,475.00	1,04,475.00
ख)	मांग पर चुकाने योग्य ऋण				
i)	सुरक्षित ऋण:				
	बैंकों से	5,77,550.63	5,77,550.63	3,00,358.40	3,00,358.40
	(31 मार्च 2021 को ₹ 6,38,201.00 लाख की सावधि जमा रसीदों को गिरवी रखकर सुरक्षित (31 मार्च 2020 तक ₹ 5,03,198.50 लाख))				
	कुल (क)	21,21,065.97	21,21,065.97	17,93,376.75	17,93,376.75
	भारत में उधार	5,77,550.63	5,77,550.63	3,00,358.40	3,00,358.40
	भारत-एफसी ऋण के बाहर उधार	15,43,515.34	15,43,515.34	14,93,018.35	14,93,018.35
	कुल (ख) के साथ मिलान करने के लिए (क)	21,21,065.97	21,21,065.97	17,93,376.75	17,93,376.75

अन्य पार्टियों से सभी असुरक्षित सावधि ऋण भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत हैं, जिसमें से [₹ 48,678.93 लाख, ₹ 481.28 लाख, ₹ 6,994.71 लाख, ₹ 11,479.87 लाख और 31 मार्च 2021 को शून्य राशि (₹ 47,742.07 लाख, ₹ 3,198.59 लाख, ₹ 7,173.72 लाख और ₹ 11,073.29 लाख 31 मार्च 2020 तक) रिपोर्टिंग अवधि के अंत से 1 वर्ष के भीतर क्रमशः एडीबी, क्रेडिटल्यू, विश्व बैंक, ईआईबी और जेआईसीए को देय राशि है।

* डेबिट बैलेंस का नेट

0.14

0.14

0.15

0.15

लंबी अवधि के ऋणों की चुकौती की शर्तें

i) एशियाई विकास बैंक

ट्रैच	अनुबंध के अनुसार किस्त ऋण राशि (\$ लाख में)	ब्याज दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
I	3000	6एम यूएसडी एलआईबीओआर +20बीपीएस	15.12.2012	15.06.2032	अर्ध-वार्षिक	ऋण राशि के 2.50% की प्रत्येक किस्त
II	2000	6एम यूएसडी एलआईबीओआर +20बीपीएस	15.06.2014	15.12.2033	अर्ध-वार्षिक	ऋण राशि के 2.50% की प्रत्येक किस्त
III	2100	6एम यूएसडी एलआईबीओआर +20बीपीएस	15.12.2014	15.06.2034	अर्ध-वार्षिक	बलूनिंग किस्तें 0.827816% से शुरू होकर 5.55031% ऋण राशि तक
IV	2500	6एम यूएसडी एलआईबीओआर +30बीपीएस	15.12.2015	15.06.2035	अर्ध-वार्षिक	
V	2400	6एम यूएसडी एलआईबीओआर +40बीपीएस	15.12.2016	15.06.2036	अर्ध-वार्षिक	
VI	4000	6एम यूएसडी एलआईबीओआर +40बीपीएस	15.03.2018	15.03.2033	अर्ध-वार्षिक	बलूनिंग किस्तें 2.173900% से शुरू होकर ऋण राशि के 4.559913% तक
VII	3000	6एम यूएसडी एलआईबीओआर +50बीपीएस	01.05.2023	01.05.2038	अर्ध-वार्षिक	बलूनिंग किस्तें 2.173900% से शुरू होकर ऋण राशि के 4.559913% तक
योग	19000					

ii) आईबीआरडी (विश्व बैंक)

अनुबंध के अनुसार किस्त ऋण राशि (\$ लाख में)	ब्याज दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
1950*	6एम यूएसडी एलआईबीओआर +परिवर्तनशील वृद्धि	15.04.2017	15.04.2037	अर्ध-वार्षिक	15.10.2036 तक ऋण राशि का 2.44% और 15.04.2037 को 2.40% की किस्त

*आईबीआरडी (विश्व बैंक) की ऋण राशि 18 दिसंबर 2013 को अपनी ऋण सीमा के पुनर्गठन के कारण 1,950 लाख डॉलर तक कम हो गई है, जिसमें 10,000 लाख डॉलर की ऋण राशि को रद्द करने का विवरण दिया गया है।

iii) क्रेडिटएन्स्टाल्ट फर विडेरुफुबाऊ (केएफडब्ल्यू)

द्वैच	अनुबंध के अनुसार किशत ऋण राशि (यूरो लाख में)	ब्याज दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
I	165.89	0.75%	30.06.2020	30.06.2050	अर्ध-वार्षिक	- यूरो 271,000 30.06.2020 से 30.12.2021 तक 30.06.2022 से 30.12.2049 तक यूरो 272,000 और 30.06.2050 को यूरो 272581.03
II	334.11	4.99%	30.06.2015	30.06.2020	अर्ध-वार्षिक	30.06.2015 से 30.06.2018 तक यूरो 3,037,000 30.12.2018 से 30.12.2019 तक यूरो 3,038,000 और 30.06.2020 को यूरो 3,038,418.97
कुल	500.00					

iv) यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक

द्वैच	अनुबंध के अनुसार किशत ऋण राशि (यूरो लाख में)	ब्याज दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
I	350.00	6 मिलियन यूरोबोर +0.275% का संपूर्ण प्रसार	22.06.2020	20.12.2034	अर्ध-वार्षिक	प्रत्येक किस्त 11,66,666.67 यूरो
II	400.00	6 मिलियन यूरोबोर +0.436% का संपूर्ण प्रसार	21.06.2021	20.12.2034	अर्ध-वार्षिक	प्रत्येक किस्त 14,28,571.43 यूरो
III	400.00	6 मिलियन यूरोबोर +0.426% का संपूर्ण प्रसार	21.06.2021	20.12.2034	अर्ध-वार्षिक	प्रत्येक किस्त 14,28,571.43 यूरो
IV	850.00	6 मिलियन यूरोबोर +0.346% का संपूर्ण प्रसार	21.06.2021	20.12.2034	अर्ध-वार्षिक	प्रत्येक किस्त 30,35,714.29 यूरो
कुल	2000.00					

v) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी

द्वैच	अनुबंध के अनुसार किशत ऋण राशि (जापानी येन लाख में)	ब्याज दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
भाग-I	10,000.00	6एम जेपीवाई एलआईबीओआर 0.10% की प्लोर और 6.208% की उच्चतम सीमा के साथ	20.03.2022	20.03.2036	अर्ध-वार्षिक	ऋण राशि की पहली किस्त 3.448328% और उसके बाद ऋण राशि के 3.448274% की किस्तें।
भाग-II	90,000.00	6एम जेपीवाई एलआईबीओआर 0.10% की प्लोर और 6.208% की उच्चतम सीमा के साथ	20.03.2022	20.03.2036	अर्ध-वार्षिक	ऋण राशि की पहली किस्त 3.448328% और उसके बाद ऋण राशि के 3.448274% की किस्तें।

नोट 15: अन्य वित्तीय देनदारियां

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
(i)	प्रतिभूति जमाएं प्राप्त	7.15	14.15
(ii)	अन्य	2,757.40	4,037.90
(iii)	ब्याज उपार्जित लेकिन उधार पर देय नहीं बांड और सावधि ऋण पर	69,585.57	74,610.08
	कुल	72,350.12	78,662.13

नोट 16: प्रावधान

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(i)	छुट्टी नकदीकरण	138.80	153.43
(ii)	बीमारी की छुट्टी	158.81	163.69
(iii)	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	858.08	789.56
(iv)	छुट्टी किराया छूट	69.18	68.13
(v)	वेतन संशोधन	966.84	658.11
	अन्य		
(i)	व्युत्पन्न पर बाजार के नुकसान के लिए चिह्नित	876.74	1,830.89
(ii)	मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान	12,608.80	10,788.99
(iii)	अवमानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	8,353.21	16,361.59
(iv)	संदिग्ध आस्तियों के प्रति प्रावधान	2,19,613.84	2,13,474.61
(v)	पुनर्चित आस्तियों के प्रति प्रावधान	5,028.08	492.35
(vi)	एनपीए की ओर से व्यय	625.10	477.40
(vii)	भारतीय लेखा मानक के अनुसार अपेक्षित ऋण हानि	1,56,871.25	2,05,690.58
	कुल	4,06,168.73	4,50,949.33

नोट 17: अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
(क)	अन्य देयताएं		
(i)	देय सांविधिक देयताएं	768.30	828.11
(ii)	बांड पर दावा न किया गया ब्याज	1.38	1.38
(iii)	देय प्रतिबद्धता शुल्क	71.98	96.63
(iv)	फुटकर देनदारी खाता (ब्याज पूंजीकरण)	46,904.51	3,142.55
(v)	अन्य	313.32	307.74
	कुल	48,059.49	4,376.41

नोट 18: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
क.	प्राधिकृत ₹10 / प्रत्येक के 10,000,000,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020 तक ₹10/- प्रत्येक के 10,000,000,000 इक्विटी शेयर) निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त	10,00,000.00	10,00,000.00
ख.	10 रु. प्रत्येक के 9,999,916,230 के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020 को 10 रु. प्रत्येक के 9,999,916,230 इक्विटी शेयर)	9,99,991.62	9,99,991.62
	कुल	9,99,991.62	9,99,991.62

फुटनोट:

क) रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	
	शेयरों की संख्या	(₹ लाख में)	शेयरों की संख्या	(₹ लाख में)
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में बकाया शेयर	9,99,99,16,230	9,99,991.62	4,20,23,16,230	4,20,231.62
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	5,79,76,00,000	5,79,760.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयर	9,99,99,16,230	9,99,991.62	9,99,99,16,230	9,99,991.62

ख) कंपनी की संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी भारत सरकार और उसके नामांकित व्यक्तियों के पास है।

नोट 19: अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
(क)	पूंजी आरक्षित निधि (गैर चालू प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ)		
	प्रारंभिक शेष	585.14	585.14
	अंतिम शेष	585.14	585.14
(ख)	प्रतिभूति प्रीमियम खाता (बॉन्ड पर)		
	प्रारंभिक शेष	235.50	235.50
	अंतिम शेष	235.50	235.50
(ग)	डिबेंचर/बांड रिडेम्पशन आरक्षित निधि		
	प्रारंभिक शेष	99,995.05	99,995.05
	अंतिम शेष	99,995.05	99,995.05
(घ)	नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि		
	प्रारंभिक शेष	(33,957.27)	(13,299.11)
	जोड़ें: वर्ष के दौरान कैश प्लो हेज आरक्षित निधि	6,304.12	(20,658.17)
	अंतिम शेष	(27,653.15)	(33,957.27)
(ङ)	अन्य आरक्षित निधि		
(i)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षण (फुटनोट 1)		
	प्रारंभिक शेष	1,42,145.82	1,42,145.82
	जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष से स्थानांतरण (शुद्ध)	3,795.09	-
	अंतिम शेष	1,45,940.91	1,42,145.82
(ii)	कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि (फुटनोट 2)		
	प्रारंभिक शेष	26.72	50.51

(iii)	जोड़ें: लाभ और हानि खाते के अधिशेष से स्थानांतरण	67.40	8.45
	घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि और लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष को हस्तांतरित	19.02	32.23
	अंतिम शेष	75.10	26.72
(iv)	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि (फुटनोट 3)		
	प्रारंभिक शेष	133.78	2,633.78
	कम: उपयोग की गई राशि	11.33	2,500.00
	अंतिम शेष	122.45	133.78
(iv)	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के तहत आरक्षित निधि निधि (फुटनोट 4)		
	प्रारंभिक शेष	3,057.24	2,033.18
	जोड़ें: लाभ और हानि खाते के अधिशेष से स्थानांतरण	5,715.27	1,024.06
	अंतिम शेष	8,772.52	3,057.24
(च)	लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष		
	प्रारंभिक शेष	(1,81,635.68)	(1,85,755.71)
	जोड़ें: कर पश्चात लाभ	28,527.43	5,091.81
	जोड़ें: स्टाफ वेलफेयर आरक्षित निधि से स्थानांतरण	19.02	32.23
	घटाएं: स्टाफ वेलफेयर आरक्षित निधि में स्थानांतरण	67.40	8.45
	घटाएं: डिबेंचर रिडेम्पशन आरक्षित निधि में स्थानांतरण	-	-
	घटाएं: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(अपपप) के तहत विशेष आरक्षित निधि में स्थानांतरण	3,795.09	-
	घटाएं: परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्माप लाभ/(हानि)	(48.94)	(28.49)
	घटाएं: धारा 45-आईसी के तहत आरक्षित निधि में ट्रांसफर	5,715.27	1,024.06
	अंतिम शेष	(1,62,618.06)	(1,81,635.68)
	कुल	65,455.45	30,586.29
फुटनोट: 1 विशेष आरक्षित निधि भारत में बुनियादी ढांचे की सुविधा के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने वाली कंपनियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक वैधानिक आरक्षित निधि है। 2 स्टाफ वेलफेयर आरक्षित निधि को कर्मचारियों, खेल, सांस्कृतिक और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के बीच बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। 3 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष से, आईआईएफसीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक सीएसआर व्यय के लिए सीएसआर आरक्षित निधि नहीं बनाया है और 3 जुलाई 2015 के पत्र के माध्यम से इस मुद्दे को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) को संदर्भित किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर के तहत खर्च की जाने वाली राशि के अलावा सीएसआर आरक्षित निधि बनाने और इसके उपयोग को जारी रखने पर स्पष्टीकरण के लिए डीपीई से उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है। 4 आरक्षित निधि निधि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के अनुसार बनाया गया है।			

नोट 20: ब्याज आय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियां	
		31.03.2021	31.03.2020
(i)	प्रत्यक्ष उधार के अंतर्गत ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	1,55,756.12	2,24,937.78
(ii)	पीएमडीओ योजना के तहत ऋण पर ब्याज	109.41	104.87
(iii)	पुनर्वित्त योजना के तहत ऋण और अग्रिम पर ब्याज	47,038.26	17,593.13
(iv)	टेकआउट वित्तपोषण योजना के तहत ऋण और अग्रिम पर ब्याज	41,635.46	76,767.31
(v)	दंडात्मक ब्याज	2,480.43	1,161.88
(vi)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	33,720.16	515.48
(vii)	बांड पर ब्याज	-	713.30
(viii)	बैंकों में जमा राशियों पर ब्याज	49,529.40	54,958.23
	कुल	330,269.24	3,76,751.98

नोट 21: शुल्क और कमीशन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2021	31.03.2020
(i)	अग्रिम शुल्क	1,270.30	989.13
(ii)	प्रक्रिया शुल्क	75.74	75.74
(iii)	पूर्व भुगतान शुल्क	1,183.99	1,970.06
(iv)	प्राप्त कमीशन	11.92	92.68
(v)	ऋण संवृद्धि से शुल्क	585.63	573.77
(vi)	अन्य शुल्क	1,159.47	855.70
	कुल	4,287.05	4,557.07

नोट 22: अन्य आय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2021	31.03.2020
(i)	बट्टे खाते में डाले गए ऋण की वसूली	20,260.54	848.67
(ii)	बट्टे खाते में डाली गई ऋण आस्तियों पर प्रावधान से अन्य राशियां/प्रावधान	117.24	85.50
(iii)	विविध आय	254.54	392.06
(iv)	स्वैप सौदों पर लाभ	45,184.43	31,991.32
(v)	मार्क टू मार्केट (लाभ)/डेरिवेटिव्स पर हानि	954.16	(142.18)
(vi)	दायित्व जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	-	6,831.85
	कुल	66,770.91	40,007.22

नोट 23: वित्त लागत

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		परिशोधन लागत पर मापे गए वित्तीय लिखतों पर	
		31.03.2021	31.03.2020
(i)	बांड और डिबेंचर पर ब्याज	1,54,119.90	1,55,258.94
(ii)	बैंक उधार पर ब्याज	8,247.16	2,385.43
(iii)	एडीबी से ऋण पर ब्याज	52,527.12	52,550.70
(iv)	आईबीआरडी (विश्व बैंक) से ऋण पर ब्याज	7,657.37	7,893.12
(v)	केएफडब्ल्यू से ऋण पर ब्याज	185.96	563.26
(vi)	ईआईबी से ऋण पर ब्याज	140.12	135.37
(vii)	जेआईसीए से ऋण पर ब्याज	41.05	91.80
	कुल	222,918.68	2,18,878.62

नोट 24: शुल्क और कमीशन व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2021	31.03.2020
(i)	सरकारी गारंटी शुल्क	4,632.55	4,282.56
(ii)	बांड शोधन व्यय	117.47	153.02
(iii)	प्रतिबद्धता शुल्क	184.48	247.79
	कुल	4,934.50	4,683.36

नोट 25: उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल हानि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2021	31.03.2020
	(क) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ/हानि		
	(i) व्यापार पोर्टफोलियो पर		
	(ii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय लिखतों पर	2,537.32	2,315.22
	उचित मूल्य परिवर्तन पर कुल निवल लाभ/(हानि) (ख)	2,537.32	2,315.22
	उचित मूल्य परिवर्तन: (ग)		
	—शोध्य	-	-
	—अशोध्य	2,537.32	2,315.22
	कुल निवल लाभ/(हानि) उचित मूल्य परिवर्तन (ख) के साथ मिलान करने के लिए (ग)	2,537.32	2,315.22
	*इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के अलावा हैं।		

नोट 26: कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2021	31.03.2020
(i)	वेतन और मजदूरी	1,945.49	1,777.90
(ii)	भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	242.40	242.99
(iii)	कर्मचारी कल्याण व्यय	952.27	813.93
	कुल	3,140.16	2,834.82

नोट 27: वित्तीय लिखतों पर ह्रास

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		परिशोधन लागत पर मापे गए वित्तीय लिखतों पर	
		31.03.2021	31.03.2020
(i)	ऋण और अग्रिम	(44,332.94)	18,078.08
(ii)	निवेश	(649.37)	369.48
(iii)	अनर्जक आस्तियों पर व्यय	147.70	477.40
	कुल	(44,834.61)	18,924.96

नोट 28: अन्य व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2021	31.03.2020
(i)	किराया, कर और ऊर्जा लागतें	71.87	65.12
(ii)	मुद्रा और लेखन सामग्री	13.29	7.19
(iii)	विज्ञापन और प्रचार	19.56	5.16
(iv)	निदेशक की फीस, भत्ते और खर्चे	0.74	1.24
(v)	लेखापरीक्षकों की फीस और खर्चे	13.50	13.70
(vi)	कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	278.49	192.19
(vii)	बीमा	5.05	1.58
(viii)	विदेशी मुद्रा लेनदेन और रूपांतरणों पर निवल हानि	37,807.52	74,157.76
(ix)	अन्य व्यय	1,225.45	4,319.87
(x)	बट्टे खाते में डाली गई ऋण राशि (नोट 1(ख)(20(ख)) देखें,	1,40,203.69	1,22,297.10
	कुल	1,79,639.16	2,01,060.92

नोट 1: 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और अन्य नोट

आईआईएफसीएल कंपनियों के प्रावधानों के तहत भारत में अधिवासित और निगमित एक सार्वजनिक कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 5वीं मंजिल, प्लेट ए और बी, ब्लॉक 2, एनबीसीसी टॉवर, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली, भारत में स्थित है।

आईआईएफसीएल की स्थापना व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए योजना के माध्यम से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। भारतीय आरक्षित निधि बैंक ने 9 सितंबर 2013 को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – गैर जमा – इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी एंड एनडी एंड आईएफसी) के रूप में पंजीकरण संख्या-14.03288 का प्रमाण पत्र जारी किया है। आरबीआई ने आईआईएफसीएल को सार्वजनिक जमा स्वीकार न करने वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है।

क) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. तैयारी का आधार

1.1 लेखा परंपरा: आईआईएफसीएल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के खंड III में दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। वित्तीय विवरण प्रोद्भव आधार पर और ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय

क. अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत वित्तीय आस्तियां,

ख. व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों,

ग. लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय आस्तियां और देनदारियां।

घ. परिभाषित लाभ योजनाएं – उचित मूल्य पर मापी गई योजना आस्तियां।

जिनमें से सभी को प्रासंगिक इंड-एस द्वारा अपेक्षित या अनुमत उचित मूल्य पर मापा गया है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को निकटतम लाख रुपये में पूर्णांकित किया जाता है, जब तक कि अन्यथा संकेत न दिया गया हो।

1.2 प्राक्कलनों: आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और धारणा बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तारीख में आस्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और राजस्व की रिपोर्ट की गई मात्रा और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान खर्च और उसके प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम अमल में आते हैं।

आईआईएफसीएल ने रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में कोई धारणा नहीं बनाई है, जिसके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के भीतर आस्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में सामग्री समायोजन का एक महत्वपूर्ण जोखिम है।

2. अनुपालन का विवरण

दिनांक 16 फरवरी 2015 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016, राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस. आर.111(ई) दिनांक 30 मार्च 2016 के अनुसार आईआईएफसीएल के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इंड-एस की आवश्यकताओं के अनुसार, गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

ये भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण आईआईएफसीएल द्वारा भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने के लिए भारतीय लेखांकन मानक संक्रमण तिथि से तुलनात्मक वित्तीय विवरणों के रूप में उपयोग के लिए तैयार किए गए हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिए अभिप्रेत नहीं हैं।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को 10 अगस्त 2019 को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अधिकृत और अनुमोदित किया गया था।

3. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

वित्तीय आस्ति और वित्तीय देनदारियों को आम तौर पर तुलन पत्र में सकल मूल्य की सूचना दी जाती है। वे केवल ऑफसेट और रिपोर्ट किए गए निवल मूल्य हैं, जब भविष्य की घटना पर आकस्मिक हुए बिना मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए बिना शर्त कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होने के अलावा, पार्टियां निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में निवल आधार पर समझौता करने का इरादा रखती हैं:

- व्यवसाय का सामान्य क्रम
- चूक की घटना

- आईआईएफसीएल और/या इसके प्रतिपक्षकारों के ऋण-अशोधन या दिवालियेपन की घटना

मास्टर नेटिंग व्यवस्था (जैसे आईएसडीए) के साथ व्युत्पन्न आस्ति और देनदारियों को केवल तभी निवल मूल्य प्रस्तुत किया जाता है जब वे उपरोक्त सभी मानदंडों के लिए नेटिंग की पात्रता को पूरा करते हैं, न कि केवल चूक की स्थिति में।

4. आय/व्यय की पहचान

- परिशोधन लागत पर मापे गए सभी वित्तीय लिखतों के लिए, बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत ब्याज वाली वित्तीय आस्ति और एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय लिखतों के लिए, ब्याज आय या व्यय को ईआईआर का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। गणना वित्तीय लिखतों की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान विकल्प) को ध्यान में रखती है और इसमें कोई भी शुल्क या वृद्धिशील लागत शामिल है जो सीधे लिखत के लिए जिम्मेदार हैं और ईआईआर का एक अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन भविष्य के ऋण नुकसान हेतु नहीं। जब किसी वित्तीय आस्ति या समान वित्तीय आस्तियों के समूह के रिकॉर्ड किए गए मूल्य को हानि से कम किया गया है, तो ब्याज आय को क्षति को मापने के उद्देश्य से भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर का उपयोग करके पहचाना जाना जारी है।
- दिए गए ऋण पर अग्रिम शुल्क आय को प्रोद्भवन के आधार पर आय के रूप में माना जाता है, जहां आवंटित राशि पर ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क को व्यय के रूप में शामिल किया जाता है जब ऋण की आहरण ऋण समझौते के अनुसार ऋण की स्वीकृत राशि से कम होती है।
- उधारकर्ता के खातों में वसूली संबंधित ऋण समझौतों के अनुसार विनियोजित की जाती है।
- बट्टे खाते में डाले गए ऋण आस्तियों से वसूली को वसूली की प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।
- जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तो लाभांश का हिसाब उपार्जन के आधार पर किया जाता है। हालांकि, अंतिम लाभांश प्राप्त करने का अधिकार केवल शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन पर उत्पन्न होता है।
- पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय, जो कुल आय के 0.1% से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।
- आंशिक ऋण वृद्धि गारंटी शुल्क को लेखा वर्ष में प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है जब वसूली का उचित अधिकार स्थापित हो जाता है। अग्रिम में प्राप्त किसी भी आंशिक ऋण वृद्धि गारंटी शुल्क को आस्थगित कर दिया जाता है और इसे प्रोद्भवन की अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर ब्याज/छूट या किसी अन्य शुल्क सहित आय को तभी मान्यता दी जाती है जब इसे वास्तव में वसूल किया जाता है। आस्ति के गैर-निष्पादित होने और अप्राप्त शेष रहने से पहले मान्यता प्राप्त ऐसी किसी भी आय को उलट दिया जाता है।
- आयकर रिफंड पर ब्याज वास्तविक आधार पर हिसाब में लिया जाता है, यानी आयकर रिफंड की प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में स्वीकृत माना जाता है।

5. वित्तीय लिखत:

5.1. मान्यता और प्रारंभिक माप:

कंपनी शुरू में निपटान तिथि पर वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों को पहचानती है। एक वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है, साथ ही एक आइटम के लिए जो एफवीटीपीएल में नहीं है, लेनदेन लागत जो सीधे इसके अधिग्रहण या जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं।

5.2. वर्गीकरण:

क. वित्तीय आस्तियां:

कंपनी की वित्तीय आस्तियों में नकद और नकद समकक्ष, बैंक शेष, सहायक और संयुक्त उद्यमों के अलावा अन्य कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, सहायक कंपनियों/कर्मचारियों को ऋण, कर्मचारियों को अग्रिम, सुरक्षा जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर, एक वित्तीय आस्ति को वर्गीकृत किया जाता है:

क) परिशोधन लागत:

वित्तीय लिखतों को परिशोधन लागत पर मापा जाता है जब:

- संविदात्मक शर्तों जो निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को उत्पन्न करती हैं, जो केवल मूलधन के भुगतान और बकाया मूलधन पर ब्याज का प्रतिनिधित्व करती हैं; तथा
- एक व्यापार मॉडल के भीतर धारित किया जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय आस्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है।

इन उपकरणों को शुरू में उचित मूल्य के साथ-साथ सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों पर मान्यता दी जाती है, जिसका प्रभाव कुल आय के 0.5% से अधिक होता है। ऋण हानि का मापन नोट 6.7 वित्तीय आस्तियों की क्षति में वर्णित तीन-चरण अपेक्षित ऋण हानि मॉडल पर आधारित है।

ख. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य

वित्तीय लिखतों का मापन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं किया जाता है जब:

- संविदात्मक शर्तों जो निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को उत्पन्न करती हैं, जो केवल मूलधन के भुगतान और बकाया मूलधन पर ब्याज का प्रतिनिधित्व करती हैं; तथा
- एक व्यापार मॉडल के भीतर धारित किया जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय आस्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है।

इन लिखतों को शुरू में उचित मूल्य के साथ-साथ प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेनदेन लागतों पर मान्यता दी जाती है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तन से होने वाले लाभ और हानि को इक्विटी के एक अलग घटक के भीतर अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है। हानि हानि या उत्क्रमण, ब्याज राजस्व और विदेशी मुद्रा लाभ और हानि लाभ और हानि में पहचाने जाते हैं। निपटान पर, अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से आय विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ऋण हानि का मापन परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों पर लागू होने वाले तीन चरणों वाले प्रत्याशित ऋण हानि मॉडल पर आधारित है। अपेक्षित ऋण लॉस मॉडल।

ग) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य:

- व्यापार के लिए रखे गए आइटम;
- संविदात्मक शर्तों वाले ऋण लिखत जो केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर धारित वित्तीय लिखतों को शुरू में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है, लेन-देन लागतों को आय विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके बाद, उन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है और किसी भी लाभ या हानि को आय विवरण में पहचाना जाता है जैसे वे उत्पन्न होते हैं। जहां एक वित्तीय आस्ति को उचित मूल्य पर मापा जाता है, वहां प्रतिपक्ष की ऋण योग्यता को दर्शाने के लिए एक ऋण मूल्यांकन समायोजन शामिल किया जाता है, जो ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य में आवागमन का प्रतिनिधित्व करता है।

व्यापार के लिए धारित वित्तीय लिखत

एक वित्तीय लिखत को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे मुख्य रूप से निकट अवधि में बेचने या पुनर्खरीद करने के उद्देश्य से अधिग्रहित या खर्च किया जाता है, या वित्तीय लिखतों के एक पोर्टफोलियो का हिस्सा बनता है जो एक साथ प्रबंधित होते हैं और जिसके लिए या व्युत्पन्न जो विशेषक बचाव व्यवस्था संबंध अल्पावधि लाभप्रदता नहीं है।

इसके अलावा, प्रारंभिक मान्यता पर, आईआईएफसीएल अपरिवर्तनीय रूप से एक वित्तीय आस्ति को नामित कर सकता है जो अन्यथा परिशोधन लागत पर या एफवीटीपीएल के रूप में एफवीओसीआई पर मापी जाने वाली आवश्यकताओं को पूरा करती है, यदि ऐसा करने से एक लेखांकन बेमेल को समाप्त या महत्वपूर्ण रूप से कम किया जाता है जो अन्यथा उत्पन्न होता है।

घ) इक्विटी लिखतें

इक्विटी लिखतों में निवेश जो न तो व्यापार के लिए धारित है और न ही आकस्मिक विचार आईआईएफसीएल द्वारा एक व्यावसायिक संयोजन में मान्यता प्राप्त है, जिस पर भारतीय लेखांकन मानक 103 'व्यापार संयोजन' लागू होता है, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जहां प्रबंधन द्वारा एक अपरिवर्तनीय चुनाव किया गया है। अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत राशि को बाद में लाभ या हानि में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। ऐसे निवेशों पर लाभांश को

लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

अन्य सभी वित्तीय आस्तियों को एफवीटीपीएल में मापा एवं वर्गीकृत किया गया है।

परिवर्ती मापन

संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी गई आस्तियां जहां वे नकदी प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है। एक ऋण निवेश पर एक लाभ या हानि जिसे बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब आस्ति की पहचान या हानि होती है। इन वित्तीय आस्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके वित्त आय में शामिल किया जाता है, जिसका प्रभाव कुल आय के 0.5% से अधिक होता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य परिवर्तन अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में पहचाने जाते हैं। हालांकि, कंपनी आय विवरण में ब्याज आय, हानि हानि और उत्क्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचानती है।

पुनर्वर्गीकरण

वित्तीय आस्तियों को उनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय उस अवधि को छोड़कर जब आईआईएफसीएल वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करता है।

ख. वित्तीय देयताएं

कंपनी की वित्तीय देनदारियां किसी अन्य इकाई को नकद या अन्य वित्तीय आस्ति वितरित करने या कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय आस्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान-प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हैं।

वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य घटाकर लेनदेन लागत पर मान्यता दी जाती है जो सीधे वित्तीय देनदारियों के मुद्दे के कारण होती है, जिसका प्रभाव कुल आय के 0.5% से अधिक होता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है और फीस या लागत जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग है। आय (लेनदेन लागत का शुद्ध) और मोचन राशि के बीच किसी भी अंतर को ईआईआर का उपयोग करके उधार की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

परिवर्ती मापन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है लाभ और हानि को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया गया है।

संविदात्मक नकदी प्रवाह को केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान परिभाषित के तौर पर करना:

इस मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, 'मूलधन' को प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय आस्ति के उचित मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। 'ब्याज' को पैसे के समय मूल्य और किसी विशेष अवधि के दौरान बकाया मूल राशि से जुड़े ऋण जोखिम और अन्य बुनियादी उधार जोखिमों और लागतों (जैसे तरलता जोखिम और प्रशासनिक लागत) साथ ही साथ मुनाफे का अंतर के लिए प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया गया है।

ग. व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें:

व्युत्पन्न वित्तीय लिखत ऐसे अनुबंध होते हैं जिनका मूल्य एक या एक से अधिक अंतर्निहित मूल्य, सूचकांक या अन्य चर से प्राप्त होता है, और आमतौर पर इसमें स्वैप, वायदा दर समझौते, सौदे और विकल्प जैसे उपकरण शामिल होते हैं। आईआईएफसीएल विदेशी विनिमय दर में भिन्नता के कारण जोखिम को कम करने के लिए बचाव व्यवस्था संपर्कों की प्रकृति में व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों में प्रवेश करता है, जहां उचित मूल्य पर तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त इन अनुबंधों के विदेशी मुद्रा उधारों में लागू होता है और व्यापार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जहां उन्हें नामित किया जाता है। एक प्रभावी बचाव संबंध का एक हिस्सा और बचाव व्यवस्था व्युत्पन्न के रूप में वर्गीकृत। एक व्युत्पन्न का वहन मूल्य अनुबंध के पूरे जीवन में उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है और उचित मूल्य नकारात्मक होने पर देनदारियों के रूप में व्युत्पन्न को आस्ति के रूप में ले जाया जाता है।

- क. भारतीय लेखांकन मानक-21 के अनुसार जहां कहीं भी कंपनी ने वायदा अनुबंध या एक लिखत में प्रवेश किया है, अर्थात्, एक वायदा विनिमय अनुबंध के सार में, वायदा दर और विनिमय दर के बीच के अंतर को वायदा विनिमय अनुबंध की तारीख पर अनुबंध के जीवन पर आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- ख. विदेशी मुद्रा ऋणों पर ली गई बचाव व्यवस्था को विदेशी मुद्रा (अर्थात् प्राकृतिक बचाव) में दिए गए ऋणों के समायोजन के बाद फीफो आधार पर समायोजित किया जाता है।
- ग. ब्याज दर स्वैप सहित वायदा विनिमय अनुबंधों के रद्दीकरण या नवीनीकरण पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- घ. कंपनी द्वारा दर्ज जेपीवाई येन में ब्याज दर स्वैप लेनदेन के संबंध में, कंपनी तुलन पत्र की तारीख के अनुसार दैनिक बाजार मूल्य पर हानि प्रदान कर रही है।
- ङ. वायदा अनुबंध की शुरुआत में स्पॉट विनिमय दर में अंतर के कारण अधिशेष या घाटा और बचाव व्यवस्था अनुबंध के अनुसार क्रमशः प्रतिपक्षकारों से वसूल या भुगतान किए गए अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व की चुकौती को पुनर्भुगतान के समय लाभ या हानि के रूप में इस तरह के ऋण की मान्यता दी जाती है।
- च. विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेनदेन है) और स्वैप अनुबंध (उपरोक्त ऋण पर होने वाले किसी भी नुकसान के खिलाफ बचाव के लिए) को अलग लेनदेन के रूप में माना जाता है।
- छ. विदेशी मुद्रा उधार भारतीय लेखा मानक (इंड एस 21), विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार पुनर्कथित हैं।

जून 2015 में आईसीएआई द्वारा जारी "व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन" पर मार्गदर्शन नोट, कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है। पिछली रिपोर्टिंग के बाद से रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार विदेशी मुद्रा उधार की राशि पर विनिमय दर में कोई भी परिवर्तन तारीख और अवधि के दौरान ड्रॉडाउन उधार की तारीख से, व्युत्पन्न अनुबंधों के उचित मूल्य के खिलाफ सेट ऑफ किया जाता है और किसी भी लाभ या हानि को नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि के रूप में मान्यता दी जाती है। व्युत्पन्न अनुबंधों का उचित मूल्य संबंधित प्रतिपक्षकारों द्वारा प्रदान किया जाता है।

मार्गदर्शक नोट के अनुसार, आरक्षित निधि के तहत, बचाव व्यवस्था इंस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर मापा जाता है, लेकिन किसी भी लाभ या हानि को प्रभावी हेज के रूप में निर्धारित किया जाता है, जिसे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, जैसे, कैश फ्लो हेज रिजर्व। इसका उद्देश्य उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में अस्थिरता से बचना है जब हेज की गई वस्तुओं पर लाभ या हानि की वसूली नहीं की जाती है।

5.3. मान्यता न देना:

वित्तीय आस्तियां

आईआईएफसीएल एक वित्तीय आस्ति की मान्यता समाप्त कर देता है जब वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या यह एक लेनदेन में संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित करता है जिसमें वित्तीय आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया जाता है। या जिसमें आईआईएफसीएल स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित करता है और न ही रखता है और यह वित्तीय आस्ति का नियंत्रण नहीं रखता है।

उपरोक्त के अलावा, ऋण आस्तियों के मामले में:

- (क) परियोजनाएं जहां परियोजना प्राधिकरण द्वारा रियायत समझौते (सीए) को समाप्त कर दिया गया है, उस वित्तीय वर्ष में खाते को अमान्य कर दिया गया है जिसमें अनुबंध समाप्त किया गया है।
- (ख) जिन परियोजनाओं में रियायत समझौते (सीए) को छूटग्राही द्वारा समाप्त कर दिया गया है, मामले के गुण और तथ्यों के आधार पर हानि की जाती है।
- (ग) ऐसे मामलों में जहां आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों आदि से मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रस्ताव के आधार पर वित्तीय आस्ति का कुछ मूल्य संलग्न किया जा सकता है, कमी की सीमा तक हानि की जाती है।
- (घ) रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना (एसडीआर), तनावग्रस्त आस्तियों की सतत संरचना के लिए योजना (एस 4 ए), बाहरी सामरिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) योजना के तहत मामलों के अलावा अन्य ऋण आस्ति आरबीआई विनियमों के अनुसार लागू होती है और आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/131 डीबीआर नंबर बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017-18

दिनांक 12 फरवरी 2018 के अनुसार वापस ले ली जाती है। या किसी अन्य पारस्परिक रूप से सहमत पुनर्गठन/निपटान प्रक्रिया को गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने की स्थिति में मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। (एनपीए) 5 साल से अधिक या परियोजना के अनुसूचित वाणिज्यिक संचालन में 4 साल से अधिक की देरी हुई है जब तक कि ऋण आस्ति की बिक्री / वसूली के लिए कोई वास्तविक प्रस्ताव उपलब्ध न हो।

वित्तीय देनदारियां

आईआईएफसीएल एक वित्तीय दायित्व को तब मान्यता देता है जब उसके संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन या रद्द कर दिया जाता है, या समाप्त हो जाता है। एक वित्तीय देयता की अग्रणीत राशि के बीच का अंतर जिसे समाप्त कर दिया गया है या किसी अन्य पार्टी को स्थानांतरित कर दिया गया है और भुगतान किए गए विचार, किसी भी गैर-नकद आस्ति को हस्तांतरित या ग्रहण की गई देनदारियों सहित, अन्य आय या वित्त लागत के रूप में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

एक मौजूदा उधारकर्ता और ऋण लिखतों के ऋणदाता के बीच काफी भिन्न शर्तों के साथ एक विनिमय को मूल वित्तीय देयता की समाप्ति और एक नई वित्तीय देयता की मान्यता के रूप में माना जाएगा। इसी तरह, मौजूदा वित्तीय देयता या उसके एक हिस्से की शर्तों में पर्याप्त संशोधन (चाहे या देनदार की वित्तीय कठिनाई के कारण नहीं) को मूल वित्तीय दायित्व की समाप्ति और एक नए वित्तीय दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाएगा।

5.4. संशोधन

वित्तीय आस्तियां

यदि किसी वित्तीय आस्ति की शर्तों को संशोधित किया जाता है, तो कंपनी मूल्यांकन करती है कि संशोधित आस्ति का नकदी प्रवाह काफी भिन्न है या नहीं। यदि नकदी प्रवाह काफी हद तक भिन्न है, तो मूल वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो गए माने जाते हैं। इस मामले में, मूल वित्तीय आस्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है और एक नई वित्तीय आस्ति को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

यदि परिशोधित लागत पर किए गए संशोधित आस्ति के नकदी प्रवाह काफी भिन्न नहीं हैं, तो संशोधन के परिणामस्वरूप वित्तीय आस्ति की मान्यता समाप्त नहीं होती है। इस मामले में, कंपनी वित्तीय आस्ति की सकल वहन राशि की पुनर्गणना करती है और लाभ और हानि के विवरण में संशोधन लाभ या हानि के रूप में सकल वहन राशि को समायोजित करने से उत्पन्न राशि को पहचानती है। वित्तीय आस्ति की सकल अग्रणीत राशि की पुनर्गणना या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के रूप में की जाएगी, जिसे वित्तीय आस्ति की मूल प्रभावी ब्याज दर (या खरीदे गए या उत्पन्न ऋण-हानि वित्तीय के लिए ऋण-समायोजित प्रभावी ब्याज दर पर छूट दी गई हैं संपत्ति) या, जब लागू हो, संशोधित प्रभावी ब्याज दर यदि ऐसा संशोधन उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों के कारण किया जाता है, तो लाभ या क्षति के साथ प्रस्तुत की जाती है। अन्य मामलों में, इसे ब्याज आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

5.5. उचित मूल्य मापन

वित्तीय लिखतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तुलन पत्र पर उचित मूल्य पर दर्शाया जाता है।

'उचित मूल्य' वह मूल्य है जो किसी आस्ति को बेचने के लिए प्राप्त होता है या मूलधन में माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में एक दायित्व को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है या, इसकी अनुपस्थिति में, कंपनी के लिए सबसे लाभप्रद बाजार है। किसी दायित्व का उचित मूल्य उसके गैर-निष्पादन जोखिम को दर्शाता है।

जब कोई उचित मूल्य उपलब्ध होता है, तो कंपनी उस उपकरण के लिए एक सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य का उपयोग करके एक उपकरण के उचित मूल्य को मापती है। एक बाजार को सक्रिय माना जाता है यदि आस्ति या दायित्व के लिए लेन-देन पर्याप्त आवृत्ति और मात्रा के साथ होता है ताकि मूल्य निर्धारण की जानकारी निरंतर आधार पर प्रदान की जा सके।

यदि एक सक्रिय बाजार में कोई उद्धृत मूल्य नहीं है, तो आईआईएफसीएल मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करता है और गैर-अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को कम करता है। चुनी गई मूल्यांकन तकनीक में उन सभी कारकों को शामिल किया गया है जो बाजार सहभागियों को लेनदेन के मूल्य निर्धारण में ध्यान में रखना होगा।

प्रारंभिक मान्यता पर एक वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत आम तौर पर लेनदेन मूल्य होता है – यानी दिए गए या प्राप्त प्रतिफल का उचित मूल्य। यदि आईआईएफसीएल यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य लेन-देन मूल्य से भिन्न है और उचित मूल्य न तो एक समान आस्ति या देयता के लिए एक सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य द्वारा प्रमाणित है और न ही एक मूल्यांकन तकनीक पर आधारित है जिसके लिए किसी भी अप्राप्य इनपुट का न्याय किया जाता है माप के संबंध में महत्वहीन होने के लिए, वित्तीय लिखत को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है, प्रारंभिक मान्यता और लेनदेन मूल्य पर उचित मूल्य के बीच अंतर को स्थगित करने के लिए समायोजित किया जाता है। इसके बाद, उस अंतर को उचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

मांग विशेषता (जैसे मांग जमा) वाली वित्तीय दायित्व के उचित मूल्य राशि मांग पर देय है।

आईआईएफसीएल के पास उपलब्ध जानकारी की उपलब्धता के आधार पर, गैर-उद्धृत इक्विटी का उचित मूल्य नीचे दिए गए दृष्टिकोण के आधार पर, पदानुक्रम के क्रम में है जिसमें वे दिखाई देते हैं:

क. कंपनी के नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों से निवेशिती इकाई का ब्रेक-अप मूल्य।

ख. एक रुपये पर, यदि नवीनतम वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है।

अवसंरचना ऋण निधियों और वैकल्पिक निवेश निधि की इकाइयों का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध निवल आस्ति मूल्य के अनुसार किया जाता है। सुरक्षा प्राप्तियों का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध निवल परिसंपत्ति मूल्य या बही मूल्य, जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

5.6. उचित मूल्य मापन के लिए मूल्यांकन तकनीक

यह दिखाने के लिए कि उचित मूल्य कैसे प्राप्त किए गए हैं, वित्तीय लिखतों को मूल्यांकन तकनीकों के पदानुक्रम के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसा कि नीचे संक्षेप में दिया गया है:

- स्तर 1 वित्तीय लिखत – वे जहां मूल्यांकन में उपयोग किए गए इनपुट समान आस्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों से असमायोजित उद्धृत मूल्य हैं, जिनकी कंपनी के पास माप तिथि पर पहुंच है। कंपनी बाजारों को तभी सक्रिय मानती है, जब उसके संबंध में पर्याप्त व्यापारिक गतिविधियाँ हों समान आस्ति या देनदारियों की मात्रा और तरलता के लिए और जब तुलन पत्र की तारीख पर बाध्यकारी और प्रयोग करने योग्य मूल्य उद्धरण उपलब्ध हों।
- स्तर 2 वित्तीय लिखत—वे जहां इनपुट जो मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाते हैं और महत्वपूर्ण हैं, उपकरण के जीवन की पूरी अवधि में उपलब्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य बाजार डेटा से प्राप्त होते हैं। इस तरह के इनपुट में सक्रिय बाजारों में समान आस्ति या देनदारियों के लिए उद्धृत मूल्य, निष्क्रिय बाजारों में समान उपकरणों के लिए उद्धृत मूल्य और उद्धृत कीमतों जैसे ब्याज दरों और उपज घटता, निहित अस्थिरता और ऋण स्प्रेड के अलावा अन्य अवलोकन योग्य इनपुट शामिल हैं। इसके अलावा, आस्ति की स्थिति या स्थान के लिए समायोजन की आवश्यकता हो सकती है या यह उस सीमा तक हो सकती है जिससे यह उन मदों से संबंधित है जो मूल्यवान लिखत से तुलनीय हैं। हालांकि, अगर इस तरह के समायोजन गैर-अवलोकन योग्य इनपुट पर आधारित हैं जो संपूर्ण माप के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आईआईएफसीएल उपकरणों को स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत करेगा।
- स्तर 3 वित्तीय लिखत वे जिनमें एक या एक से अधिक गैर-अवलोकन योग्य इनपुट शामिल हैं जो सम्पूर्ण मापन के लिए पर्याप्त हैं।

5.7. वित्तीय आस्तियों की हानि

आईआईएफसीएल निम्नलिखित श्रेणियों की वित्तीय आस्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानियों (ईसीएल) को मापने के लिए तीन-चरणीय दृष्टिकोण लागू करता है, जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता हैरू

- अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत और उचित मूल्य पर मापा गया ऋण लिखत;
- ऋण प्रतिबद्धताएं; तथा
- वित्तीय गारंटी अनुबंध।

इक्विटी निवेश पर कोई ईसीएल मान्यता प्राप्त नहीं है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में परिवर्तन के आधार पर वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित तीन चरणों में वर्गीकृत किया गया है:

चरण 1: ईसीएल को 12-महीने

सभी एक्सपोजर जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है और जो कि उत्पत्ति के बाद से ऋण प्रभावित नहीं हैं, उन्हें इस चरण के तहत वर्गीकृत किया गया है।

चरण 2: आजीवन – हानि वाले ऋण नहीं

सभी एक्सपोजर जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन ऋण खराब नहीं हैं उन्हें इस चरण के तहत वर्गीकृत किया गया है। 30 दिनों के पिछले देय को ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में माना जाता है।

चरण 3: आजीवन – ईसीएल – हानि वाले ऋण

जब एक या एक से अधिक घटनाएं जो उस आस्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं, तो सभी जोखिम को ऋण बिगड़ा हुआ के रूप में मूल्यांकन किया जाता है, इस चरण में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे एक्सपोजर के लिए जो ऋण बिगड़ा हुआ है, आजीवन ईसीएल को मान्यता दी जाती है और ब्याज राजस्व की गणना सकल वहन राशि के बजाय परिशोधन लागत (प्रावधान का शुद्ध) के लिए प्रभावी ब्याज दर को लागू करके की जाती है।

ऋण आस्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना भारतीय आरक्षित निधि बैंक के विनियमों के अनुसार प्रावधानीकरण आवश्यकताओं की न्यूनतम होगी जो निम्नानुसार है:

- (i) मानक आस्तियां: वर्ष के अंत में 0.40 पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन बकाया नहीं होने पर ऋण की बकाया राशि पर सामान्य प्रावधान किया जाता है।
- (ii) उप-मानक आस्तियां: कुल बकाया राशि के 10 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान किया जाता है।
- (iii) संदिग्ध आस्ति
- (क) उस सीमा तक 100 प्रतिशत प्रावधान, जिस हद तक कंपनी के पास वैध सहारा के लिए सुरक्षा के वसूली योग्य मूल्य द्वारा अग्रिम कवर नहीं किया गया है।
- (ख) उपरोक्त मद (क) के अलावा, जिस अवधि के लिए आस्ति संदिग्ध बनी हुई है, उसके आधार पर सुरक्षित हिस्से के 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की सीमा तक प्रावधान किया जाता है अर्थात बकाया का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य, निम्नलिखित आधार पर किया जाता है :

अवधि जिसके लिए आस्ति को संदिग्ध माना गया है	प्रावधान का प्रतिशत
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्ष	30
तीन वर्ष से अधिक	50

- (iv) हानि आस्ति
संपूर्ण आस्ति को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, हालांकि यदि किसी भी कारण से आस्ति को बहीखातों में रहने की अनुमति दी जाती है, तो बकाया का 100 प्रतिशत प्रदान किया जाता है।
- (v) पुनर्गठित ऋण आस्ति
निम्नलिखित मामलों के लिए, पुनर्गठित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय आरक्षित निधि बैंक के मानदंडों के अनुसार होगा, जिसमें उचित मूल्य में कमी का प्रावधान भी शामिल है:
- (क) परियोजना ऋण पुनर्गठित 24 जनवरी 2014, प्रावधान 5 प्रतिशत की दर से होगा।
- (ख) सभी कंपनियों को 23 जनवरी 2014 को पुनर्गठित बकाया ऋणों का स्टॉक (आरबीआई के अनुसार बकाया पुनर्गठित ऋण के स्टॉक के मामले में, प्रावधान 5 प्रतिशत है।

वित्तीय आस्ति के वर्गीकरण के लिए चरण का निर्धारण

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, सभी वित्तीय आस्तियों को रिपोर्टिंग तिथि और प्रारंभिक मान्यता की तारीख के बीच अपेक्षित जीवन पर होने वाले चूक के जोखिम की तुलना करके प्रारंभिक मान्यता के बाद से एक्सपोजर के लिए ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के आधार पर तीन चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी उचित और सहायक जानकारी पर विचार करती है जो इस उद्देश्य के लिए बिना किसी लागत या प्रयास के प्रासंगिक और उपलब्ध है।

आस्ति की गुणवत्ता के बिगड़ने पर एक्सपोजर चरण 1 से चरण 3 तक जाएगा। यदि, बाद की अवधि में, आस्ति की गुणवत्ता में सुधार होता है और ऋण जोखिम में पहले से मूल्यांकन की गई महत्वपूर्ण वृद्धि को भी उलट देता है। 30 दिनों से कम समय के एक्सपोजर को चरण 1 माना जाता है।

चरण 1 के रूप में मानी जाने वाली वित्तीय आस्तियों के लिए खराब और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान 12 महीने की अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) पर आधारित है। जबकि चरण 2 और चरण 3 के रूप में मानी जाने वाली वित्तीय आस्तियों के लिए हानि और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान की गणना लाइफ टाइम ईसीएल मॉडल के आधार पर की जाती है। जब कोई आस्ति संग्रहणीय नहीं होती है, तो उसे संबंधित प्रावधान के विरुद्ध मान्यता से मुक्त कर दिया जाता है। सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने और हानि की राशि का निर्धारण करने के बाद ऐसी आस्तियों की मान्यता रद्द कर दी जाती है।

हालांकि, एक खंडन योग्य धारणा है कि चूक तब तक नहीं होता है जब एक वित्तीय आस्ति 90 दिन पहले देय होती है जब तक कि एक इकाई के पास यह प्रदर्शित करने के लिए उचित और समर्थन योग्य जानकारी नहीं होती है कि एक अधिक पश्चवर्ती चूक संबंधी मानदंड अधिक उपयुक्त है। इन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली चूक की परिभाषा सभी वित्तीय लिखतों पर लगातार लागू होती है जब तक कि ऐसी जानकारी उपलब्ध न हो जाए जो दर्शाती है कि किसी विशेष वित्तीय लिखत के लिए एक और ऋण हानि परिभाषा अधिक उपयुक्त है।

तदनुसार, एक खाते को ऋण हानि माना जाएगा और इसलिए इसे चरण 3 में ले जाया जाएगा, यदि निम्न में से कोई भी घटना होती है:

- खाता 90 दिनों के पिछले देय (डीपीडी) से अधिक है;
- आईआईएफसीएल ऋण दायित्व के एक व्यथित पुनर्गठन के लिए सहमति देता है जहां इसके परिणामस्वरूप मूलधन, ब्याज या (जहां प्रासंगिक) शुल्क की सामग्री माफी, या स्थगन के कारण कम वित्तीय दायित्व होने की संभावना है।

विगत दिनों से देय (डीपीडी) को ब्याज के दिनों की संख्या के लिए मापा जाता है और/या मूलधन का भुगतान नहीं किया जाता है, एक बिल अतिदेय रहता है, एक खाता लगातार सीमा / आहरण शक्ति से अधिक रहता है, या खाते में जमा ब्याज से कम है।

निम्न ऋण जोखिम धारणा

भारतीय लेखांकन मानक 101 – "वित्तीय लिखत" में कहा गया है कि "पैराग्राफ 5.5.10 के प्रयोजनों के लिए एक वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम कम माना जाता है, यदि वित्तीय लिखत में चूक का कम जोखिम है, तो उधारकर्ता के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने की एक मजबूत क्षमता है। निकट अवधि में संविदात्मक नकदी प्रवाह दायित्वों और लंबी अवधि में आर्थिक और व्यावसायिक स्थितियों में प्रतिकूल परिवर्तन, लेकिन जरूरी नहीं कि, उधारकर्ता की संविदात्मक नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को कम कर देगा। (पैरा बी 5.5.22)' इसके अलावा, जबकि इसने कम ऋण जोखिम वाले 'निवेश ग्रेड' की बाहरी रेटिंग का उदाहरण दिया है, यह स्वीकार करता है कि वित्तीय लिखतों को कम ऋण जोखिम के रूप में माना जाने के लिए बाहरी रूप से मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। (पैरा बी 5.5.23)।

तदनुसार एक लिखत को निम्नलिखित स्थितियों में कम ऋण जोखिम वाला माना जाता है:

- शून्य अप्रत्याशित हानि जैसा कि शून्य नियामक जोखिम भार द्वारा दर्शाया गया है: यह देखते हुए कि नियामक जोखिम-भार के अनुसार अनुमानित अप्रत्याशित हानि 0% है, अपेक्षित हानि भी शून्य होगी। ऐसे मामलों में ईसीएल शून्य होगा। ऐसे आस्ति वर्गों के उदाहरण घरेलू संप्रभु, "एए" या बेहतर की अंतरराष्ट्रीय रेटिंग वाले विदेशी संप्रभु हैं।
- कम अप्रत्याशित नुकसान जैसा कि 20% नियामक जोखिम भार द्वारा दर्शाया गया है: 20% के जोखिम-भार के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए कम अप्रत्याशित क्षति को देखते हुए, इनसे भी बहुत कम अपेक्षित क्षति हालांकि, ईसीएल गैर-शून्य हो सकता है, या अनुभवजन्य साक्ष्य दिखा सकते हैं कि ऐसे आस्ति वर्ग/पोर्टफोलियो के लिए चूक दरें शून्य हैं। ऐसे आस्ति वर्गों के उदाहरण "ए" की अंतरराष्ट्रीय रेटिंग के साथ विदेशी संप्रभु हैं, घरेलू अनुसूचित आईआईएफसीएल (जो पूंजी पर्याप्तता की नियामक आवश्यकता को विफल कर रहे हैं वे कम ऋण जोखिम नहीं हैं), बाहरी रूप से रेटेड घरेलू "एएए" कॉर्पोरेट्स, स्टाफ ऋण। इन पोर्टफोलियो के लिए देखी गई चूक दरें भी शून्य हैं।

बयानों के लिए, सभी स्टाफ ऋणों को कम ऋण जोखिम माना गया है।

प्रयुक्त पोर्टफोलियो में विभाजन का स्तर

जोखिम मानकों को लागू करने के उद्देश्य से विभाजन को आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) मॉडल के साथ जोड़ा गया है। हालांकि, भविष्योन्मुखी अनुमानों के लिए, आईआईएफसीएल इनमें से कुछ उप-पोर्टफोलियो को व्यापक श्रेणियों में समूहित करना चुन सकता है या कुछ मामलों में उन्हें सामान्य जोखिम चालकों के आधार पर उप-खंडों में विभाजित कर सकता है।

ईसीएल का मापन

ईसीएल अपेक्षित नुकसान के निष्पक्ष और संभाव्यता-भारित अनुमानों से प्राप्त होते हैं, और निम्नानुसार मापा जाता है:

- वित्तीय आस्तियां जो रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण-हानि नहीं हैं: प्रभावी ब्याज दर से छूट वाली वित्तीय आस्ति के अपेक्षित जीवन पर सभी नकदी की कमी के वर्तमान मूल्य के रूप में नकदी की कमी अनुबंध के अनुसार आईआईएफसीएल को देय नकदी प्रवाह और आईआईएफसीएल द्वारा प्राप्त होने वाले नकदी प्रवाह के बीच का अंतर है।
- वित्तीय आस्तियां जो रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण-हानि हैं: सकल वहन राशि और अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच अंतर के रूप में प्रभावी ब्याज दर से छूट दी गई है।
- अनाहरित ऋण प्रतिबद्धताएं: आईआईएफसीएल को देय संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच अंतर के वर्तमान मूल्य के रूप में, यदि प्रतिबद्धता को कम किया जाता है और नकदी प्रवाह जिसे आईआईएफसीएल प्राप्त करने की अपेक्षा करता है।
- वित्तीय गारंटी अनुबंध: धारक की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित भुगतान के रूप में आईआईएफसीएल द्वारा वसूल की जाने वाली किसी भी राशि को घटा दिया गया है।

ईसीएल को लाभ और हानि विवरण में अशोध्य और संदिग्ध ऋण खाते के प्रावधान का उपयोग करके मान्यता प्राप्त है। अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण लिखतों के मामले में, ईसीएल का मापन परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों पर लागू तीन-चरणीय दृष्टिकोण पर आधारित है। आईआईएफसीएल लाभ और हानि में प्रावधान शुल्क को मान्यता देता है, अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त संबंधित राशि के साथ, तुलन पत्र में आस्ति की अग्रणीत राशि में कोई कमी नहीं है।

हासन (क्षति) आरक्षित निधि:

आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/2019-20/170 दिनांक 13 मार्च 2020 के अनुसार, आईआईएफसीएल भारतीय लेखांकन मानक द्वारा आवश्यक हानि भत्ते को धारण करेगा। समानांतर में आईआईएफसीएल भी आस्ति वर्गीकरण को बनाए रखेगा और आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधानों की गणना करेगा, जिसमें उधारकर्ता/लाभार्थी के अनुसार वर्गीकरण, मानक के साथ-साथ पुनर्चित आस्ति, एनपीए अवधि बढ़ने आदि के प्रावधान शामिल हैं।

जहां भारतीय लेखांकन मानक 109 के तहत हानि भत्ता आईआरएसीपी (मानक आस्ति प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान से कम है, आईआईएफसीएल को कर के बाद अपने निवल लाभ या हानि से अंतर को एक अलग 'क्षतिग्रस्त आरक्षित निधि' में उपयुक्त करना आवश्यक है। 'हासन आरक्षित निधि' में शेष राशि को नियामक पूंजी के लिए नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई से पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित निधि से किसी भी आहरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.8. त्वरित प्रावधान

आईआईएफसीएल, एक विवेकपूर्ण ऋणदाता के रूप में, भारतीय आरक्षित निधि बैंक के दिशानिर्देशों/अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के तहत किए जाने वाले सामान्य प्रावधान के अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार गणना की गई, आस्ति वर्गीकरण के आधार पर प्रतिभूत/अप्रतिभूत भागों के लिए निर्धारित प्रतिशत लागू करने के संदर्भ में, जैसा कि हो सकता है समय-समय पर संशोधित किया जाना अपेक्षित वसूली परिदृश्य के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर त्वरित प्रावधान पर विचार करता है।

ऐसे अपवादात्मक मामलों में त्वरित प्रावधान का प्रस्ताव है, जिसमें प्रावधान होने के बावजूद आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त हो, हालांकि, प्रबंधन के विचार में, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो वसूली की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे मामलों में, प्रबंधन एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में त्वरित प्रावधान पर मामला-दर-मामला दृष्टिकोण अपनाता है।

त्वरित प्रावधानीकरण मोटे तौर पर निम्नलिखित मापदंडों पर निर्भर करता है:

- परियोजना की स्थिति।
- धन का उपयोग करने के लिए प्रवर्तक की क्षमता।
- मूर्त प्रतिभूत, नकदी प्रवाह और उपलब्ध रियायतें हैं।
- वसूली के लिए संघ द्वारा उठाए गए कदम।
- प्रबंधन की धारणा।

ऊपर बताए गए कारकों को ध्यान में रखते हुए खाते में किए जाने वाले प्रावधान 10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक हैं

6. पट्टे पर देना

एक ऑपरेटिंग पट्टा के तहत पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

7. आस्ति, संयंत्र और उपकरण

आस्ति, संयंत्र और उपकरण को दिन-प्रतिदिन की सेवाओं, कम संचित मूल्यहास और मूल्य में संचित हानि को छोड़कर अधिग्रहण की लागत पर बताया गया है।

आस्ति, संयंत्र और उपकरण को निपटान पर या जब इसके उपयोग से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है, तो मान्यता रद्द कर दी जाती है। आस्ति की मान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और आस्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को उस तिथि पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब आस्ति की मान्यता समाप्त हो जाती है।

8 अमूर्त आस्ति और विकास के तहत अमूर्त आस्तियां

अलग से अर्जित की गई अमूर्त आस्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त आस्ति को किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर लागत पर ले जाया जाता है।

पहले से ही पूंजीकृत अमूर्त आस्ति पर बाद के व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जब यह मौजूदा आस्ति में शामिल भविष्य के आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और संभावित रूप से परिशोधित किया जाता है।

सॉफ्टवेयर की लागत (जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग नहीं है) आंतरिक उपयोग के लिए अर्जित की गई है और इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण भविष्य के आर्थिक लाभ को एक अमूर्त आस्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब वह इसके उपयोग के लिए तैयार हो।

विकास पर व्यय को अमूर्त आस्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी यदि यह 38 'अमूर्त आस्ति' के रूप में भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार पात्रता मानदंड को पूरा करता है, अन्यथा इसे एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।

अमूर्त आस्ति की एक वस्तु को निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तो उसे अमान्य कर दिया जाता है। एक अमूर्त आस्ति की मान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को निवल निपटान आय और आस्ति की अग्रणी राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और जब आस्ति की पहचान रद्द हो जाती है तो लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

9 मूल्यहास / परिशोधन

मूल्यहास की गणना उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्यों के लिए आस्ति और उपकरणों की लागत को लिखने की विधि मूल्य पद्धति का उपयोग करके की जाती है। उपयोगी जीवन को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार माना जाता है।

आईआईएफसीएल के कार्यालय परिसर को 30 वर्षों की पट्टा अवधि में परिशोधित किया गया है।

अमूर्त आस्ति की लागत को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्यों पर लिखने के लिए सीधी-रेखा पद्धति का उपयोग करके परिशोधन की गणना की जाती है। पट्टा आस्ति के मामले में, अनुमानित उपयोगी जीवन की गणना पट्टा अवधि की समाप्ति के आधार पर की जाती है।

अमूर्त आस्ति के उपयोगी जीवन का आकलन या तो परिमित या अनिश्चित काल के लिए किया जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त आस्ति उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित की जाती है। परिशोधन अवधि और परिमित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त आस्ति के लिए परिशोधन पद्धति की कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन, या भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न में आस्ति, परिशोधन अवधि या कार्यप्रणाली को उपयुक्त के रूप में बदलकर हिसाब में सन्निहित किया जाता है। जिसे बाद में लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त आस्ति पर परिशोधन व्यय आय विवरण में एक अलग रेखा मदों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

10 गैर-वित्तीय आस्तियों की हानि

आईआईएफसीएल प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह पता लगाने के लिए मूल्यांकन करता है कि एक गैर-वित्तीय आस्ति खराब हो सकती है। निर्धारण के अनुसार निर्धारित की गई हानि को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

11 चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

व्यवसाय के सामान्य क्रम में, आईआईएफसीएल बैंकों को चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी करता है, जो आम तौर पर लाभार्थियों के पक्ष में ऋणदाताओं की ओर से चुकौती आश्वासन ऋण/वित्तीय गारंटी जारी करने के लिए सहायक संघ के सदस्यों को होता है। एलओसी को शुरू में वित्तीय विवरणों में 'अन्य देनदारियों' के भीतर उचित मूल्य पर, प्राप्त प्रीमियम के रूप में पहचाना जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रत्येक गारंटी के तहत आईआईएफसीएल की देयता को आय विवरण में मान्यता प्राप्त प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त कम संचयी परिशोधन की उच्च राशि पर मापा जाता है, और गारंटी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले किसी भी वित्तीय दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय का सर्वोत्तम अनुमान है। वित्तीय गारंटी से संबंधित देयता में कोई भी वृद्धि ऋण हानि व्यय में आय विवरण में दर्ज की जाती है। प्राप्त प्रीमियम को आय विवरण में निवल शुल्क और कमीशन आय में गारंटी के जीवन पर एक सीधी रेखा के आधार पर पहचाना जाता है।

12 प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब आईआईएफसीएल के पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) है, और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह और एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है दायित्व की राशि की आवश्यकता होगी। जब ऐसे के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक होता है, आईआईएफसीएल देयता के लिए विशिष्ट वर्तमान दरों को दर्शाते हुए एक पूर्व-कर दर पर अपेक्षित नकदी प्रवाह को छूट देकर प्रावधान का स्तर निर्धारित करता है। किसी भी प्रावधान से संबंधित व्यय अन्य परिचालन व्यय में किसी भी प्रतिपूर्ति के लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

एक आकस्मिक दायित्व को तब पहचाना और प्रकट किया जाता है जब:

- क) एक पिछली घटना से उत्पन्न एक संभावित दायित्व, जिसके अस्तित्व की पुष्टि एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर-घटना से होगी जो समूह के नियंत्रण में नहीं हैं, या
- ख) पिछली घटना से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व जिसे मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूर होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आकस्मिक आस्ति का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और यदि यह निश्चित रूप से निश्चित है कि आर्थिक लाभ का प्रवाह उत्पन्न होगा, तो आस्ति और संबंधित आय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिवर्तन होता है।

प्रतिबद्धताओं में एक ग्राहक को उधार देने के लिए समझौतों के अनुसार ऋण बढ़ाने के लिए बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं, जब तक कि अनुबंध में स्थापित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं होता है।

13. आय पर कर

13.1 वर्तमान कर

वर्तमान और पूर्व वर्षों के लिए वर्तमान कर आस्तियों और देनदारियों को कराधान अधिकारियों से वसूल किए जाने या भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कर की दरें और कर कानून वे हैं जो भारत में रिपोर्टिंग तिथि तक लागू होते हैं, या मूल रूप से अधिनियमित होते हैं, जहां आईआईएफसीएल संचालित होता है और कर योग्य आय उत्पन्न करता है।

इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान आयकर को इक्विटी में मान्यता दी जाती है न कि लाभ या हानि के विवरण में। प्रबंधन समय-समय पर कर रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन उन स्थितियों के संबंध में करता है जिनमें लागू कर नियम व्याख्या के अधीन हैं और जहां उपयुक्त हो वहां प्रावधान स्थापित करते हैं।

13.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर को आस्तियों की अग्रणीत राशि के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है।

कंपनी के वित्तीय विवरणों में देनदारियां और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संबंधित कर आधार और तुलन पत्र देयता पद्धति का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं। आस्थगित कर आस्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर ऋण के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ उन कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर ऋण का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद है जिसमें देयता का निपटारा किया गया है या आस्ति का एहसास हुआ है, कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर जो तुलन पत्र द्वारा अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किए गए हैं।

14 प्रति शेयर आय

आईआईएफसीएल अपने साधारण शेयरों के लिए बुनियादी और तनुकृत ईपीएस डेटा प्रस्तुत करता है। बेसिक ईपीएस की गणना आईआईएफसीएल के इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ या हानि को अवधि के दौरान बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। तनुकृत ईपीएस इक्विटी शेयरधारकों के कारण होने वाले लाभ या हानि को समायोजित करके निर्धारित किया जाता है और सभी कमजोर संभावित साधारण शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित बकाया साधारण शेयरों की भारित-औसत संख्या, जिसमें कर्मचारियों को दिए गए शेयर विकल्प शामिल हैं।

15 कर्मचारी लाभ

15.1 सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उनकी अघोषित राशि पर उस लेखा अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

15.2 कर्मचारियों के पारिश्रमिक और उस पर नियोक्ता के योगदान से काटे गए भविष्य निधि के योगदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफओ) के पास जमा किया जाता है।

15.3 एनपीए सहित परिभाषित अंशदान योजनाओं के तहत कर्मचारी लाभ योजना में योगदान करने के लिए कंपनी के बिना छूट वाले दायित्व पर पहचाने जाते हैं। इसका भुगतान आईडीबीआई बैंक को किया जाता है, जो एनपीए सुविधा के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) सेवा प्रदाता है और अवधि से संबंधित खर्च किया जाता है।

15.4 सभी सेवानिवृत्त और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को उस वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं। बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित देय राशियों के वर्तमान मूल्य पर व्यय की पहचान की जाती है।

15.5 समाप्ति लाभों को तत्काल व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है

15.6 बीमांकिक मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि को उस अवधि में पहचाना जाता है जब वे अन्य व्यापक आय

(ओसीआई) में होते हैं।

- 15.7 कर्मचारी लाभ दायित्व अर्थात् बीमारी की छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा सहायता योजना के बीमांकिक मूल्यांकन पर रिपोर्टिंग की तारीख तक की अवधि के लिए प्रदान किया गया है।
- 15.8 आईआईएफसीएल कर्मचारी समूह उपदान निधि के नाम पर ट्रस्ट के माध्यम से समूह उपदान योजना पर एलआईसी को देय राशि के आधार पर उपदान प्रदान की गई है।
- 15.9 एलआईसी समूह अवकाश नकदीकरण योजना के लिए देय राशि के आधार पर अवकाश नकदीकरण प्रदान किया गया है।
- 15.10 कार्यपालक निदेशकों के अवकाश नकदीकरण, उपदान और बीमारी अवकाश का प्रावधान, जहां कहीं लागू हो, नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उपाजित किया जाता है और देयता की अनुमानित राशि के आधार पर किया जाता है।

16. लेखांकन धारणाएं और अनुमान

आईआईएफसीएल की लेखा नीतियों को लागू करने के लिए निर्णयों, धारणाओं और अनुमानों के उपयोग की आवश्यकता होती है। यदि अलग-अलग अनुमान या धारणा लागू किए गए, तो परिणामी मूल्य बदल जाएंगे, जिससे आईआईएफसीएल की निवल आस्ति और आय प्रभावित होगी। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की गई धारणाएं उस तिथि के सर्वोत्तम अनुमानों पर आधारित होती हैं। हालांकि आईआईएफसीएल के पास यह सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है कि अनुमान विश्वसनीय रूप से मापा जाता है, वास्तविक मात्रा उन अनुमानों से भिन्न हो सकती है। अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होता है। लेखांकन नीतियां जो उपयोग के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील हैं निर्णय, अनुमानों और अनुमानों का विवरण नीचे दिया गया है।

• उचित मूल्य मापन

वित्तीय लिखतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तुलन पत्र पर उचित मूल्य पर ले जाया जाता है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी आस्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। जहां किसी वित्तीय आस्ति या देयता के वर्गीकरण का परिणाम उचित मूल्य पर मापा जाता है, जहां भी संभव हो, उचित मूल्य का निर्धारण सबसे लाभप्रद सक्रिय बाजार में उद्धृत बोली या प्रस्ताव मूल्य के संदर्भ में किया जाता है, जहां आईआईएफसीएल की तत्काल पहुंच है। ऋण जोखिम के लिए एक समायोजन भी उचित मूल्य में उपयुक्त के रूप में शामिल किया गया है। एक निवल खुली स्थिति के लिए उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में उद्धृत एक वित्तीय देयता है, वर्तमान प्रस्ताव मूल्य है, और एक वित्तीय आस्ति के लिए बोली मूल्य, धारित या जारी किए गए उपकरण की इकाइयों की संख्या से गुणा किया जाता है। जहां किसी विशेष आस्ति या देयता के लिए कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है, आईआईएफसीएल उचित मूल्य पर पहुंचने के लिए एक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें हाल ही में हाथ के लेन-देन में प्राप्त लेनदेन की कीमतों का उपयोग, रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण, विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल और अन्य मूल्यांकन तकनीक बाजार की स्थितियों और रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद जोखिमों के आधार पर शामिल हैं।

ऐसा करने में, एक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके उचित मूल्य का अनुमान लगाया जाता है जो देखने योग्य बाजार इनपुट का अधिकतम उपयोग करता है और इकाई-विशिष्ट इनपुट पर न्यूनतम निर्भरता रखता है। प्रारंभिक मान्यता पर एक वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत लेनदेन मूल्य है (अर्थात् दिए गए या प्राप्त प्रतिफल का उचित मूल्य) जब तक कि उस उपकरण का उचित मूल्य अन्य अवलोकन योग्य वर्तमान बाजार लेनदेन के साथ तुलना करके प्रमाणित न हो। उपकरण (अर्थात् संशोधन या पुनः पैकेजिंग के बिना) या एक मूल्यांकन तकनीक पर आधारित जिसके चर में केवल अवलोकन योग्य बाजारों से डेटा शामिल है। जब इस तरह के साक्ष्य मौजूद होते हैं, तो आईआईएफसीएल प्रारंभिक मान्यता (यानी पहले दिन) पर लेनदेन की कीमत और लाभ या हानि में उचित मूल्य के बीच अंतर को पहचानता है।

• ऋण और अग्रिम राशि पर हानि शुल्क

ऋण और अग्रिमों के लिए ह्रासित का निर्धारण करते समय भविष्य के नकदी प्रवाह की राशि और समय के आकलन में प्रबंधन द्वारा निर्णय की आवश्यकता होती है। इन नकदी प्रवाहों का अनुमान लगाने में, आईआईएफसीएल उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति और संपार्श्विक के निवल वसूली योग्य मूल्य के बारे में निर्णय लेता है। ये अनुमान कई कारकों के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं और वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में हानि भत्ता में परिवर्तन हो सकता है। हानि का एक सामूहिक मूल्यांकन ऋण पोर्टफोलियो (जैसे ऋण गुणवत्ता, बकाया के स्तर, ऋण उपयोग, संपार्श्विक अनुपात आदि के लिए ऋण), और जोखिम और आर्थिक डेटा की सांद्रता (बेरोजगारी के स्तर, अचल आस्ति मूल्य सहित) सूचकांक, देश जोखिम और विभिन्न व्यक्तिगत समूहों का प्रदर्शन से डेटा को ध्यान में रखता है।

• ऋण हानि के अलावा अन्य प्रावधान

कर्मचारी पात्रता, पुनर्गठन लागत और मुकदमेबाजी प्रावधानों जैसे भविष्य के दायित्वों की एक श्रृंखला के संबंध में

प्रावधान धारित किए जाते हैं। कुछ प्रावधानों में विभिन्न घटनाओं के संभावित परिणाम और अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। इन प्रावधानों के मापन में लेनदेन के अंतिम परिणामों के बारे में प्रबंधन निर्णयों का प्रयोग शामिल है। भुगतान जो एक वर्ष से अधिक के बाद होने की उम्मीद है, उस दर पर छूट दी जाती है जो वर्तमान ब्याज दरों और उस प्रावधान के लिए विशिष्ट जोखिम दोनों को दर्शाती है।

- **ऋण और अग्रिम**

ऋणों और अग्रिमों को शुरू में उचित मूल्य के साथ-साथ वृद्धिशील प्रत्यक्ष लेनदेन लागतों पर और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके उनकी परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

17 **उधार और ऋण प्रतिभूतियां**

जारी किए गए उधार और ऋण प्रतिभूतियों को शुरू में उचित मूल्य घटाकर वृद्धिशील प्रत्यक्ष लेनदेन लागत पर मापा जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके उनकी परिशोधन लागत पर मापा जाता है, सिवाय इसके कि समूह एफवीटीपीएल में देनदारियों को निर्दिष्ट करता है।

18 **उधार लेने की लागत**

विदेशी मुद्रा उधार पर विनिमय अंतर लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है। स्थानीय मुद्रा उधार पर ब्याज और विदेशी मुद्रा उधार पर ब्याज के बीच अंतर से अधिक विनिमय अंतर की राशि को उधार लागत के रूप में माना जाता है और इसका हिसाब लगाया जाता है।

भारतीय लेखांकन मानक 23 – उधार लेने की लागत और शेष विनिमय अंतर, यदि कोई हो, को भारतीय लेखांकन मानक 21 – विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के तहत हिसाब किया जाता है।

इस प्रयोजन के लिए, स्थानीय मुद्रा उधार के लिए ब्याज दर को कंपनी द्वारा लिए गए बैंक ओवरड्राफ्ट की दर के रूप में माना जाता है।

19 **सहायक में निवेश**

एक सहायक कंपनी, कंपनी द्वारा नियंत्रित एक इकाई है। नियंत्रण तब होता है जब कंपनी के पास इकाई पर अधिकार होता है, उजागर होता है, या इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न के अधिकार होते हैं और इकाई पर अपनी शक्ति का उपयोग करके उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता होती है।

मौजूदा अधिकारों के माध्यम से शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है जो प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की क्षमता देते हैं, जो इकाई के रिटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

सहायक कंपनियों में निवेश लागत पर किया जाता है। लागत में निवेश प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई कीमत और सीधे तौर पर देय लागत शामिल है।

इंड-एएस में लेन-देन की तिथि पर, कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार सहायक कंपनियों में निवेश के वहन मूल्य को इंड-एएस 101 के अनुसार लागत मूल्य माना है।

20 **विदेशी मुद्रा लेनदेन**

20.1 विदेशी मुद्रा में व्यय और आय का हिसाब लेनदेन की तारीख को प्रचलित बैंकों की विनिमय दरों पर किया जाता है।

20.2 खातों को बंद करने की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों (आरबीआई संदर्भ दरों) पर भारतीय मुद्रा में निम्नलिखित शेष राशि का रूपांतरण किया जाता है:

(क) आय या व्यय अर्जित लेकिन विदेशी मुद्रा ऋण और विदेशी मुद्रा उधार पर क्रमशः देय नहीं है।

(ख) विदेशी मुद्रा में जारी चुकौती आश्वासन पत्र के संबंध में आकस्मिक देयता।

20.3 विदेशी मुद्रा ऋण देयता भारतीय मुद्रा में रिपोर्टिंग की तारीख पर प्रचलित आरबीआई संदर्भ दर पर रूपांतरण की जाती है। विनिमय अंतर लेखा मानक 11, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है।

20.4 विदेशी मुद्रा ऋण आस्तियों, देनदारियों और अर्जित/उपार्जित लेकिन अदेय आय और व्यय पर वास्तविक/रूपांतरण लाभ/हानि (शुद्ध) लाभ और हानि के विवरण में जमा/प्रभारित की जाती है।

21 व्युत्पन्नी लेखांकन

- 21.1 जहां कहीं भी कंपनी ने वायदा अनुबंध या एक लिखत में प्रवेश किया है, अर्थात, एक वायदा विनिमय अनुबंध के सार में, वायदा दर और विनिमय दर के बीच के अंतर को अनुबंध एएस-11 के अनुसार वायदा विनिमय अनुबंध की तारीख पर आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- 21.2 विदेशी मुद्रा ऋणों पर ली गई बचाव व्यवस्था विदेशी मुद्रा (अर्थात प्राकृतिक बचाव) में दिए गए ऋणों के समायोजन के बाद फीफो आधार पर समायोजित की जाती है।
- 21.3 ब्याज दर स्वैप सहित वायदा विनिमय अनुबंधों के रद्दीकरण या नवीनीकरण पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- 21.4 कंपनी द्वारा दर्ज जेपीवाई येन में ब्याज दर स्वैप लेनदेन के संबंध में, कंपनी तुलन पत्र की तारीख के अनुसार मार्क टू मार्केट हानि प्रदान कर रही है।
- 21.5 वायदा अनुबंध की शुरुआत में वायदा विनिमय दर में अंतर के कारण अधिशेष या घाटा और बचाव व्यवस्था अनुबंध के अनुसार क्रमशः प्रतिपक्षकारों से वसूल या भुगतान की गई अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व की अदायगी के समय लाभ या हानि के रूप में पहचाना जाता है।
- 21.6 विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेनदेन है) और स्वैप अनुबंध (उपरोक्त ऋण पर होने वाले किसी भी नुकसान के खिलाफ बचाव के लिए) को अलग लेनदेन के रूप में माना जाता है।
- 21.7 विदेशी मुद्रा उधारों को लेखांकन मानक 11, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार पुनर्कथित किया जाता है।

जून 2015 में जारी 'व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन' पर आईसीएआई द्वारा जारी दिशा-निर्देश नोट 1 अप्रैल 2016 से लागू है और इसे कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है। विनिमय दर में कोई भी परिवर्तन, पिछली रिपोर्टिंग तिथि से रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार विदेशी मुद्रा उधार की राशि पर और अवधि के दौरान ड्रॉडाउन उधार लेने की तारीख से, व्युत्पन्न अनुबंधों के उचित मूल्य के खिलाफ सेट किया गया है और कोई लाभ या हानि है नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। व्युत्पन्न अनुबंध का उचित मूल्य संबंधित प्रतिपक्षकारों द्वारा प्रदान किया जाता है।

गाइडेंस नोट के अनुसार, कैश फ्लो हेज के तहत, बचाव व्यवस्था लिखतों को उचित मूल्य पर मापा जाता है, लेकिन किसी भी लाभ या हानि को प्रभावी हेज के रूप में निर्धारित किया जाता है, जिसे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, जैसे, नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था। इसका उद्देश्य उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में अस्थिरता से बचना है, जब बचाव की गई वस्तुओं पर लाभ या हानि की वसूली नहीं की जाती है।

22 राजस्व अनुदान के लिए लेखांकन

- 22.1 अनुदानों को लाभ और हानि के विवरण में 'अन्य आय' के रूप में व्यवस्थित आधार पर उन संबंधित लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधियों के रूप में मान्यता दी जाती है, जिनकी क्षतिपूर्ति करने का उनका इरादा है, बशर्ते कि इसके साथ अनुदान की राशि की स्वीकृति एवं वसूली संलग्न शर्तों के अनुपालन का उचित आश्वासन हो।
- 22.2 पूर्व अवधियों में पहले से किए गए व्यय के संबंध में प्राप्त अनुदानों को अनुदान के अनुमोदन के वर्ष में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।
- 22.3 वर्ष के अंत में अनुदान की अव्ययित राशि, यदि कोई हो, चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई है।

23 नकदी प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकदी प्रवाह की सूचना दी जाती है, जिससे कर पूर्व लाभ को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों और अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगित या प्रोद्भवन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अलग किया जाता है।

(ख) वित्तीय विवरणों के लिए अन्य नोट

1. पूर्व अवधि आय और व्यय (इंड एस-8) जिन्हें लाभ और हानि विवरण में नियमित शीर्षों के अंतर्गत शामिल किया गया है, वे निम्नानुसार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
आय		
ऋण और अग्रिम पर आय	-	-
दंडात्मक ब्याज	-	-
अन्य शुल्क	-	-
कुल (क)	-	-
व्यय		
स्थापना एवं अन्य व्यय	2.22	-
मूल्यहास	(0.56)	-
कुल (ख)	-	-
चालू वर्ष के लाभ पर लाभ/(हानि) के माध्यम से निवल प्रभाव [(क)-(ख)]	1.66	-

2. लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

3. भारतीय लेखा मानक 19 के तहत प्रकटीकरण "कर्मचारी लाभ" (इंड एस-19)

भारतीय लेखांकन मानक-19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार, लेखांकन मानक में परिभाषित प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

- क. **उपदान योजना (वित्त पोषित):** उपदान देयता भविष्य के भुगतानों के कारण उत्पन्न होती है, जो सेवानिवृत्ति, सेवा में मृत्यु या आहरण की स्थिति में किए जाने की आवश्यकता होती है। वही आईआईएफसीएल कर्मचारी समूह उपदान निधि के नाम पर ट्रस्ट के माध्यम से समूह उपदान योजना पर एलआईसी को देय राशि के आधार पर प्रदान किया गया है। आईआईएफसीएल एलआईसी समूह उपदान योजना के तहत कर्मचारियों की उपदान देयता की राशि का भुगतान करता है और वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार उपदान देयता के बीमांकिक मूल्यांकन की राशि को सुनिश्चित नहीं किया गया है।

I. उपदान योजना के लिए अनुमान:

	2020-21	2019-20
मृत्यु दर	100 % आईएलएम (2012 -14)	100 % आईएलएम (2012 -14)
अवधि के आधार पर आहरण दर	1% से 3% अवधि के आधार पर	1% से 3% अवधि के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	6.80%	6.79%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50%	5.50%

II. परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण।

(₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	37,968,975
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(2,395,046)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	2,626,346
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	37,968,975
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	1,291,995
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(1,451,759)

मृत्यु दर और आहरण के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण परिवर्तन का प्रभाव बीमांकिक द्वारा गणना नहीं किया गया है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

आईआरडीए के परिपत्र सं. आईआरडीए/एसीटीएल/आरईजी/सीआईआर/123/06/2013 दिनांक 28 जून 2013, मौजूदा नीति में कोई नया सदस्य नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए, आईआईएफसीएल ने पहले की नीति अर्थात् नीति संख्या 331776 के अतिरिक्त नए कर्मचारियों के लिए एक नई नीति अर्थात् नीति संख्या 103001183 की सदस्यता ली।

(₹ लाख में)

1.	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	379.69	365.41
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	480.64	404.97
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति/(देयता)	100.95	39.55
2.	योजना आस्तियों में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	404.97	332.65
ख)	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	30.88	26.66
ग)	मृत्यु दर	(0.47)	(0.35)
घ)	नियोक्ता योगदान	104.55	92.03
ङ)	भुगतान किए गए लाभ	(56.29)	(46.03)
च)	अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	480.64	404.97
3.	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	365.41	278.53
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	24.81	21.34
घ)	सेवा लागत	47.44	48.63
ङ)	पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है	-	-
च)	भुगतान किए गए लाभ	(56.29)	(46.03)
छ)	कुल बीमांकिक (लाभ)/बाध्यता पर हानि	(1.69)	62.95
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	379.69	365.41
4.	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(39.55)	86.00
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	47.44	66.46
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	(2.69)	6.59
ङ)	पुनः मापन	(1.60)	(5.61)
च)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	(104.55)	-
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(100.95)	153.43
5.	वर्गीकरण बीमांकिक लाभ/दायित्व पर हानि		
क)	जनसांख्यिकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	(0.22)
ख)	वित्तीय परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.50)	38.92
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.19)	24.25

क) **अर्जित अवकाश देयता:** एक कर्मचारी के कारण अर्जित छुट्टी वह अवधि है जो कर्मचारी ने अर्जित की है, कर्मचारी द्वारा वास्तव में ली गई छुट्टी की अवधि से कम हो गई है। यह कर्तव्य के ग्यारहवें भाग पर अर्जित किया जाता है।

छुट्टी नकदीकरण योजना के लिए अनुमान:

	2020-21	2019-20
मृत्यु दर	100 % आईएलएम (2012 -14)	100 % आईएलएम (2012 -14)
आहरण दर	1 % to 3 % की अवधि के आधार पर	1 % to 3 % की अवधि के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	6.80 %	6.79 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	57,087,805
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(3,601,576)
ख)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	3,889,999
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान	57,087,805
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	3,936,659
ख)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(3,629,010)

मृत्यु दर और आहरण के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति और जीवन से पहले पेंशन की वृद्धि दर के रूप में संवेदनशीलता प्रत्याशा लागू नहीं है।

(₹ लाख में)

1.	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	570.88	477.46
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	432.08	324.03
ग)	निवल आस्ति / (देयता) तुलन पत्र में प्रावधान	(138.80)	(153.43)
2. योजना आस्तियों में परिवर्तन			
क)	अवधि की शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	324.03	357.44
ख)	योजनागत आस्ति पर वास्तविक रिटर्न	28.24	25.27
ग)	मृत्यु शुल्क	(2.20)	(2.20)
घ)	नियोक्ता का योगदान	121.53	-
ङ)	भुगतान किए गए लाभ	(39.53)	(56.48)
च)	अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	432.08	324.03
3. लाभ दायित्व में परिवर्तन			
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	477.46	443.44
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	32.42	33.97

घ)	सेवा लागत	74.21	66.46
ङ)	पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है	-	-
च)	भुगतान किए गए लाभ	(39.53)	(56.48)
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	26.32	(9.92)
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	570.88	477.46
4.	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	153.43	86.00
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	74.21	66.46
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	10.42	6.59
ङ)	पुनः मापन	22.27	(5.61)
च)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	(121.53)	-
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	138.80	153.43
5.	दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का वर्गीकरण		
क)	जनसांख्यिकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	(0.29)
ख)	वित्तीय परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.75)	48.94
ग)	अनुभव समायोजन 27.07 (58.58) से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	27.07	(58.58)

II. अन्य कर्मचारी लाभ (अनिधिक)

अन्य कर्मचारी लाभों के लिए बीमांकिक धारणाएं (अनिधिक)

ग) छुट्टी किराया रियायत: कंपनी के सभी पूर्णकालिक कर्मचारी जिन्होंने यात्रा की तारीख को निरंतर अस्थायी सेवा सहित एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे इस सुविधा के लिए पात्र हैं। रियायत दो साल के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार स्वीकार्य होगी और इस तरह के सेट / ब्लॉक में से पहला उस महीने की पहली तारीख से शुरू होगा जिसमें एक कर्मचारी कंपनी में शामिल होता है, लेकिन उसका लाभ अस्थायी सेवा / परिवीक्षा अवधि सहित एक वर्ष की निरंतर सेवा के पूरा होने के बाद ही लिया जा सकता है।

छुट्टी किराया रियायत के लिए अनुमान:

	2020-21	2019-20
मृत्यु दर	100 % आईएलएम (2012 -14)	100 % आईएलएम (2012 -14)
आहरण दर	1 % to 3 % की अवधि के आधार पर	1 % to 3 % की अवधि के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	6.80 %	6.79 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,918,338
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(401,052)
ख)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	440,733

मृत्यु दर और आहरण के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है। भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति और जीवन से पहले पेंशन की वृद्धि दर के रूप में संवेदनशीलता प्रत्याशा लागू नहीं है।

(₹ लाख में)

1.	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	69.18	68.13
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	तुलन पत्र में प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति/(देयता)	(69.18)	(68.13)
2.	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान	68.13	59.31
ख)	ब्याज लागत	4.63	4.54
ग)	सेवा लागत	12.01	10.36
घ)	भुगतान किए गए लाभ	(0.08)	(91.10)
ङ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(15.50)	85.02
च)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	69.18	68.13
3.	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	68.13	59.31
ख)	सेवा लागत	12.01	10.36
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	4.63	4.54
घ)	पुनः मापन	(15.50)	85.02
ङ)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	-	-
च)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	(0.08)	(91.10)
छ)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	69.18	68.13
4.	दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का वर्गीकरण		
क)	जनसांख्यिकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	(0.04)
ख)	वित्तीय परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.08)	8.40
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(15.42)	76.66

घ) बीमारी के लिए छुट्टी: बीमारी के लिए छुट्टी आधा छुट्टी वेतन है। जहां एक कर्मचारी ने कम से कम तीन साल की अवधि के लिए कंपनी की सेवा की है, कर्मचारी, अनुरोध पर, कर्मचारी की सेवा की पूरी अवधि के दौरान, अधिकतम वर्षों तक छुट्टी वेतन पर बीमार छुट्टी का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है, ऐसे अवकाश वेतन को कर्मचारी के बीमार अवकाश खाते में कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टी की अवधि के दुगुने के रूप में दर्ज किया जा रहा है।

बीमारी अवकाश योजना के लिए मान्यताएँ:

	2020-21	2019-20
मृत्यु दर	100 % आईएलएम (2012 -14)	100 % आईएलएम (2012 -14)
आहरण दर	1 % to 3 % की अवधि के आधार पर	1 % to 3 % की अवधि के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	6.80 %	6.79 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण।

(₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,880,985
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(1,068,555)
ख)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	1,157,427
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,880,985
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	1,171,425
ख)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(1,076,469)

मृत्यु दर और आहरण के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति और जीवन से पहले पेंशन की वृद्धि दर के रूप में संवेदनशीलता प्रत्याशा लागू नहीं है।

(₹ लाख में)

1.	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	158.81	163.69
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति/(देयता)	(158.81)	(163.69)
2.	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	163.69	201.73
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	11.11	15.45
घ)	सेवा लागत	19.64	23.00
ङ)	पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है	-	-
च)	भुगतान किए गए लाभ	-	-
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(35.64)	(76.50)
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	158.81	163.69
3.	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	163.69	201.73
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	19.64	23.00
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	11.11	15.45
ङ)	पुनः मापन	(35.64)	(76.50)
च)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	-	-
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	158.81	163.69
4.	दायित्व पर वर्गीकरण बीमांकिक लाभ/हानि		
क)	जनसांख्यिकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	158.81	(0.20)
ख)	वित्तीय परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	18.43
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(158.81)	(94.74)

ड) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) (सितंबर 2015 से शुरू): भारतीय लेखांकन मानक-19 के अनुसार 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) देयता का बीमांकिक मूल्यांकन। कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) योजना के लिए अनुमान:

(₹ लाख में)

	2020-21	2019-20
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012 -14)	100 % आईएएलएम (2012 -14)
आहरण दर	1 % to 3 % की अवधि के आधार पर	1 % to 3 % की अवधि के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	6.80 %	6.76 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण।

(₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	85,807,992
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(1,186,900)
ख)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	1,304,481

मृत्यु दर और आहरण के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं हैं और इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, पहले पेंशन की वृद्धि दर के संबंध में संवेदनशीलता सेवानिवृत्ति और जीवन प्रत्याशा लागू नहीं हैं।

(₹ लाख में)

1.	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	858.08	789.56
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	निवल आस्ति/(देयता) तुलन पत्र में प्रावधान	(858.08)	(789.56)
2.	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	789.56	764.47
ख)	ब्याज लागत	53.37	58.56
ग)	सेवा लागत	55.87	66.28
घ)	भुगतान किए गए लाभ	(1.83)	(0.13)
ड)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(38.89)	(99.62)
चा)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	858.08	789.56
3.	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	789.56	764.47
ख)	सेवा लागत	55.87	66.28
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	53.37	58.56
घ)	पुनः मापन	(38.89)	(99.62)
ड)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	-	-
चा)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	(1.83)	(0.13)
छ)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	858.08	789.56

4.	दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का वर्गीकरण		
क)	जनसांख्यिकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(2.37)	-
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(36.52)	(99.62)

च) प्रत्येक कर्मचारी लाभ के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त राशि निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

कर्मचारी लाभ	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
अर्जित अवकाश पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(26.32)	9.92
उपदान पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	1.69	(62.95)
एलएफसी पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	15.50	(85.02)
पीआरएमबी पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	38.89	99.62
एसएल पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	35.64	76.50
कुल	65.40	38.08

4. कंपनी का मुख्य व्यवसाय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए वित्त/पुनर्वित्त प्रदान करना है और कंपनी के पास भारतीय लेखा मानक-108, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए प्रचालनिक खंड के संदर्भ में एक से अधिक रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं हैं।

5. भारतीय लेखा मानक-24 के अनुसार, संबंधित पक्ष प्रकटीकरण, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

क) प्रबंधकीय पारिश्रमिक और संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

(i) **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**

पूर्णकालिक निदेशक

श्री पंकज जैन	—	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (28.05.2020 तक)
श्री पी.आर. जयशंकर	—	प्रबंध निदेशक (29.05.2020 से प्रभावी)
श्री पवन के कुमार	—	उप प्रबंध निदेशक (01.10.2020 से प्रभावी)

निदेशकों के अलावा

श्री राजीव मुखीजा	—	मुख्य महाप्रबंधक—सीएफओ
श्रीमती मंजरी मिश्रा	—	उप महाप्रबंधक—कंपनी सचिव

(ii) **पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी:**

- (क) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड
- (ख) आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
- (ग) आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

ख) संबंधित पक्षों के साथ 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान लेनदेन (पिछले वर्ष 31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ):

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
(क)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक (पूर्णकालिक निदेशक)		
	श्री पी आर जयशंकर (प्रबंध निदेशक) (29 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक)		
	पारिश्रमिक*	33.32	-
	श्री पवन के कुमार (उप प्रबंध निदेशक) (01 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक)		
	पारिश्रमिक#	16.92	-

(ख)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक (निदेशकों के अलावा)		
	(i) श्री राजीव मुखीजा (मुख्य महाप्रबंधक— सीएफओ)		
	पारिश्रमिक	47.68	43.86
	(ii) श्रीमती मंजरी मिश्रा (उप महाप्रबंधक—सीएस)		
	पारिश्रमिक	34.07	29.56
(ग)	सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों से प्राप्त/वसूली योग्य किराया		
	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	76.88	88.45
	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	83.48	95.60
(घ)	सहायक कंपनियों से वसूल/वसूली योग्य किराए के अलावा अन्य राशि:		
	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	14.13	27.43
	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	14.75	23.88
	आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	-	-
(ङ)	वर्ष के दौरान निवेश:		
	आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	-	18845.52

*29 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक

1 अक्टूबर से 31 मार्च 2021 तक

ग) बकाया राशि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
i)	इक्विटी शेयरों में निवेश :		
	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक :		
	(क) आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	42,240.33	42,240.33
	(ख) आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	475.00	475.00
	(ग) आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	1,250.00	1,250.00
	अनुषंगियों/सहयोगियों से वसूली योग्य राशि		
	(क) आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	51.92	44.46
	(ख) आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	115.81	120.29
	(ग) आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	0.32	0.34

6. **इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया** द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक-33, प्रति शेयर आय के संदर्भ में, प्रति शेयर आय (मूल और तनुकृत) निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	
	शेयर	राशि ₹ लाख में	शेयर	राशि ₹ लाख में
शेयर का नाममात्र मूल्य (₹)	10/-		10/-	
इक्विटी शेयर की संख्या (संख्या लाख में)	99,999.16		99,999.16	
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में) (अंश)	99,999.16		46,883.93	
निवल लाभ (कर के बाद) (अंश)		28,576.37		5,120.30
प्रति शेयर आय (मूल) (₹)		0.29		0.11
प्रति शेयर आय (तनुकृत) (₹)		0.29		0.11

7. कंपनी के पास मौजूद अचल आस्तियों को 'कॉर्पोरेट आस्तियों' के रूप में माना जाता है, न कि 'नकद सृजन करने वाली इकाई' के रूप में, जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक-36 द्वारा "आस्ति की हानि" पर परिभाषित किया गया है। 31 मार्च 2021 को, ऐसी कोई घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं हुआ, जो आस्ति में किसी हानि का संकेत देता हो।
8. (क) भारतीय लेखा मानक 37 के तहत प्रकटीकरण प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्ति (भारतीय लेखांकन मानक-37)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
प्रस्तावित वेतन संशोधन		
प्रारंभिक शेष	658.11	350.02
अवधि के दौरान वृद्धि	308.73	308.09
वर्तमान देनदारियों को भुगतान की गई हस्तांतरित राशि	-	-
अंतिम शेष	966.84	658.11
मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	10,788.99	11,368.19
अवधि के दौरान वृद्धि	1,816.71	2,563.74
अंतिम शेष	12,604.80	10,788.99
अवमानक आस्तियों के प्रति प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	16,361.29	21,907.60
अवधि के दौरान वृद्धि	8,353.21	16,361.59
एनपीए बट्टे खाते में डालने पर प्रावधान का प्रतिलेखन	(16,361.29)	(21,907.60)
अंतिम शेष	8,353.21	16,361.29
पुनर्रचित आस्तियों के प्रति प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	492.35	1,599.92
अवधि के दौरान जोड़/समायोजन	4,535.73	239.68
एनपीए बट्टे खाते में डालने पर प्रावधान का प्रतिलेखन	-	(1,347.25)
अंतिम शेष	5,028.08	492.35
संदिग्ध आस्तियों के प्रति प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	213,474.61	213,320.21
अवधि के दौरान वृद्धि	6,139.23	38,129.67
एनपीए बट्टे खाते में डालने पर प्रावधान का प्रतिलेखन	-	(37,975.28)
अंतिम शेष	2,19,613.84	2,13,474.61
निवेश में कमी का प्रावधान		
प्रारंभिक शेष राशि	17,201.01	16,831.53
अवधि के दौरान वृद्धि	(649.37)	434.58
निवेश की बिक्री होने के कारण समायोजित प्रावधान	-	(65.10)
अंतिम शेष	16,551.64	17,201.01

ख. अन्य प्रकटीकरण:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
आयकर (निवल)		
प्रारंभिक शेष	-	(1,995.80)

अवधि के दौरान वृद्धि	15,045.65	-
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	16,400.00	1,995.80
अंतिम शेष	1,354.35	-
यात्रा रियायत छूट		
प्रारंभिक शेष	68.13	59.31
अवधि के दौरान वृद्धि	1.13	99.92
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	0.08	91.10
अंतिम शेष	68.18	68.13
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		
प्रारंभिक शेष	789.56	764.46
अवधि के दौरान जोड़	70.35	25.22
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	1.83	0.12
अंतिम शेष	858.08	789.56
छुट्टी नकदीकरण		
प्रारंभिक शेष	153.43	86.00
अवधि के दौरान वृद्धि	24.90	123.91
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	39.53	56.48
अंतिम शेष	138.80	153.43
बीमारी की छुट्टी		
प्रारंभिक शेष	163.69	201.73
अवधि के दौरान वृद्धि	(4.88)	(38.44)
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	-	-
अंतिम शेष	(158.81)	163.69
व्युत्पन्न पर एम टू एम हानि		
प्रारंभिक शेष	1,830.89	1,688.71
अवधि के दौरान वृद्धि	-	142.18
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	(954.15)	-
अंतिम शेष	876.74	1,830.89

9 आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है) निम्नानुसार हैं

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
(क)	आकस्मिक देनदारियां:		
	(क) कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है'		
	(i) आयकर विभाग आदेश दिनांक 7 मार्च 2014 द्वारा आकलन वर्ष 2008-09 के लिए बकाया आयकर की मांग।	94.33	159.00
	(ii) आयकर विभाग आदेश दिनांक 28 दिसम्बर 2018 के द्वारा निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए बकाया आयकर की मांग।	682.33	682.33
	(iii) आयकर विभाग आदेश दिनांक 28 मई 2020 कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए बकाया आयकर की मांग।	19.33	1,425.27
	(iv) बकाया सेवा कर की मांग - 31 मार्च 2021 के बाद विरोध के तहत ब्याज सहित भुगतान की गई मांग	71.52	-
	(ख) गारंटी	शून्य	शून्य

	(ग) अन्य धनराशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है:		
	(i) साख पत्र (एलसी) जारी करने के लिए चुकौती आश्वासन पत्र (कंपनी ने संबंधित उधारकर्ताओं की ओर से एलसी जारी करने के लिए संबंधित अग्रणी बैंकों/सदस्य बैंक को एलसी की राशि जारी करने के लिए चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं।	14,185.32	14,185.32
	(ii) ऋण वृद्धि योजना के तहत दी गई गारंटी	28,069.40	28,443.40
(ख)	प्रतिबद्धताएं :		
	(क) पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया: पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिमों का निवल)	889.94	1033.55
	(ख) आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों और अन्य निवेशों पर अनावश्यक देयता: आईडीएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ट्रस्ट II की उद्यम पूंजी यूनिट्स के संबंध में पूंजी प्रतिबद्धता के कारण अनपेक्षित देयता	-	-
	(ग) अन्य प्रतिबद्धताएं: कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत अनुबंधों की अनुमानित राशि निष्पादित की जानी बाकी है (अग्रिमों का शुद्ध)	589.59	589.59

10. विदेशी मुद्रा में आय और व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
(क) विदेशी मुद्रा में कमाई (आईआरएस व्युत्पन्न अनुबंधों के तहत प्राप्त ब्याज को छोड़कर वास्तविक रसीद):		
ब्याज	-	-
प्राप्त अनुदान	-	-
प्राप्त लाभांश	-	-
कुल	-	-
(ख) ब्याज और अन्य मामलों के कारण विदेशी मुद्राओं में व्यय (वास्तविक व्यय):		
उधार पर ब्याज	60,551.61	61,234.25
प्रतिबद्धता शुल्क	184.48	204.30
विदेश यात्रा	-	8.17
अन्य व्यय	26.32	41.19
कुल	60,762.41	46,017.49

11. उद्यम पूंजी इकाइयों में निवेश

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने आईडीएफसी, सिटी बैंक (निवेश की संचयी राशि) के साथ-साथ कंपनी द्वारा प्रवर्तित आईडीएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ट्रस्ट II की उद्यम पूंजी इकाइयों में शून्य (31 मार्च 2020 तक शून्य) का निवेश किया है। 31 मार्च 2021 को कंपनी द्वारा ₹ 10,000 लाख की कुल प्रतिबद्धता में से, कंपनी ने ₹ 9,247.56 लाख उद्यम में निवेशक के रूप में योगदान दिया है और इसका संयुक्त नियंत्रण नहीं है। चूंकि निधि में कोई वितरण योग्य लाभ नहीं है, ऐसे निवेशों के संबंध में बही खातों में कोई आय नहीं है। हालांकि, कंपनी को समाप्त वर्ष के दौरान उद्यम पूंजी इकाइयों के मोचन के संबंध में कर भुगतान शून्य (31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान शून्य लाख) सहित ₹ 30.19 लाख (31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान शून्य) की राशि प्राप्त हुई है।

12. कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 12,014.10 लाख की निवल आस्थगित कर आस्ति बनाई है (₹ 955.37 लाख की आस्थगित कर देयता में वृद्धि और ₹ 12,969.47 लाख की आस्थगित कर आस्ति में वृद्धि), पिछले वर्ष 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 34,230.71 लाख की निवल आस्थगित कर देयता को उलट दिया गया (₹ 15,528.30 लाख की आस्थगित कर देयता में कमी और ₹ 18,702.41 लाख की आस्थगित कर आस्ति में वृद्धि)।

आईआईएफसीएल ने 31 मार्च 2021 को समाप्त चालू वर्ष की आस्थगित कर आस्ति (निवल) और 31 मार्च 2020 को समाप्त पिछले वर्ष की आस्थगित कर देयता (निवल) को तुलन पत्र पर अलग लाइन आइटम के रूप में प्रस्तुत किया है।

13. कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, ऐसे आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता हैं जो 31 मार्च 2021 को 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006' के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के रूप में पंजीकृत हैं। इसलिए कंपनी के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रति बकाया देयता और इस अधिनियम के तहत निर्धारित की जाने वाली अन्य जानकारी शून्य है।

14. व्युत्पन्नी लेनदेन

क) वर्ष 2007-08 के दौरान, कंपनी ने 5,000 लाख प्रत्येक (जेपीवाई 2,73,23.62 लाख के काल्पनिक मूलधन के बराबर) की काल्पनिक मूल राशि के दो ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) लेनदेन किए थे जो 19 दिसंबर 2022 को परिपक्व होंगे। इन आईआरएस सौदों के अनुसार, कंपनी 7.46 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगी जेपीवाई काल्पनिक राशि पर (जिसमें कूपन भुगतान 5 वर्षों के लिए 1 जेपीवाई = एक सौदे में ₹ 0.3658 और दूसरे सौदे में जेपीवाई = ₹ 0.3662 की दर से स्थिर रहता है) और ब्याज प्राप्त करते हैं 8.82 प्रतिशत प्रति वर्ष काल्पनिक मूलधन राशियों प्रति दर पर कंपनी ने पूरे मार्क-टू-मार्केट हानि के लिए प्रावधान किया है, जैसा कि प्रतिपक्षकारों बैंकों द्वारा गणना की गई है और अन्य मूल्यांकक द्वारा पुष्टि की गई है, उपरोक्त स्वैप लेनदेन पर 31 मार्च 2021 को ₹ 876.74 लाख (31 मार्च 2020 तक ₹ 1,830.89 लाख) जिसमें 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 954.16 लाख का लाभ शामिल है (31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 142.18 लाख की हानि)।

ख) उपरोक्त नोट 14(क) में संदर्भित दो ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) लेनदेन में से ₹ 2,000 लाख की काल्पनिक मूल राशि, 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान समाप्त हो गई थी। नतीजतन, दो ब्याज दर की कुल काल्पनिक मूल राशि ऊपर नोट 14(क) में संदर्भित स्वैप (आईआरएस) लेनदेन को घटाकर ₹ 8,000 लाख कर दिया गया है।

ग) कंपनी ने बहुपक्षीय संस्थानों से विदेशी मुद्रा उधार पर फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए मिश्रित अनुबंध यानी पारस्परिक मुद्रा स्वैप (मूल और ब्याज) किया है :

(₹ लाख में)

संस्थान	पारस्परिक मुद्रा स्वैप की राशि	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):		
अमरीकी डालर	11,811.91	11,066.71
भारतीय रुपया	8,68,231.17	8,34,274.31
क्रेडिटनस्टाल्ट फुर विडेरुफबाउ (केएफडब्ल्यू)		
यूरो	-	100.00
भारतीय रुपया	-	8,305.01
आईबीआरडी विश्व बैंक:		
अमरीकी डालर	1,545.22	1,664.41
भारतीय रुपया	1,13,580.64	1,25,473.29

उपरोक्त अनुबंधों पर प्रतिपक्षकारों बैंकों और अन्य मूल्यांककों द्वारा प्रस्तुत मार्क-टू-मार्केट (एम2एम) मूल्यांकन के अनुसार, 31 मार्च 2021 को निवल एम2एम लाभ ₹ 60,487.04 लाख (कुल लाभ ₹ 63,041.57 लाख घटा सकल हानि) 2,554.53 लाख) और 31 मार्च 2020 को एम2एम का लाभ ₹ 99,157.34 लाख (सकल लाभ ₹ 1,03,978.38 लाख घटा सकल हानि ₹ 4,821.03 लाख)।

31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय मांगी, ताकि कंपनी को विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में लेखांकन उपचार के लिए कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले सही लेखांकन उपचार पर सलाह दी जा सके। इस संबंध में, आईसीएआई ने पत्र दिनांक 22 सितंबर 2015 द्वारा मामले में राय

प्रदान की। आईसीएआई ने जून 2015 में "व्युत्पन्न कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लेखांकन" पर मार्गदर्शन नोट भी जारी किया जो 1 अप्रैल 2016 से लागू है और इसे कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है। विदेशी मुद्रा उधार की राशि पर विनिमय दर में कोई भी परिवर्तन पिछली रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार और अवधि के दौरान ड्रॉडाउन उधार की तारीख से, व्युत्पन्न अनुबंधों के उचित मूल्य के खिलाफ सेट ऑफ किया जाता है और किसी भी लाभ या हानि को नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था आरक्षित निधि के रूप में मान्यता दी जाती है। व्युत्पन्न अनुबंधों का उचित मूल्य संबंधित प्रतिपक्षकारों द्वारा प्रदान किया जाता है।

इस संबंध में, आईआईएफसीएल ने 26 दिसंबर 2016 के पत्र के माध्यम से भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) को सूचित किया, आईआईएफसीएल द्वारा बाजार से संबंधित मुद्दों/व्युत्पन्नों पर मार्गदर्शन नोट लागू करते समय हेज अनुबंधों पर उचित मूल्य, आरक्षित निधि को एक प्रति के साथ बैंक ऑफ इंडिया को उनके पत्र दिनांक 3 मई 2017 के अनुसार मामले को आईसीएआई की अनुसंधान समिति को भेजा गया है।

भारतीय लेखामानक-11 के अनुरूप अंतिम दर पर पुनर्कथित ऋण के बचाव वाले हिस्से का विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

संस्थान	बचाव स्थिति की राशि	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):		
अमरीकी डालर	11,811.91	11,066.71
भारतीय रुपया	8,68,231.17	8,34,274.31
क्रेडिटनस्टाल्ट/फुर विडेरउफबाउ (केएफडब्ल्यू)		
यूरो	-	100.00
भारतीय रुपया	-	8,305.01
आईबीआरडी विश्व बैंक:		
अमरीकी डालर	1,545.22	1,664.41
भारतीय रुपया	1,13,580.64	1,25,473.29

व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार वित्तीय मुद्रा एक्सपोजर का प्रकटीकरण निम्नवत है:

(₹ लाख में)

I. आस्ति	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
		विनिमय दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि (₹ लाख में)	विनिमय दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि (₹ लाख में)
प्राप्य (व्यापार और अन्य)	-	-	-	-	-	-	-
अन्य मौद्रिक आस्तियां (जैसे आईसीडी/एफसी में दिए गए ऋण)	-	-	-	-	-	-	-
कुल प्राप्य (क)	-	-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्नी अनुबंधों द्वारा बचाव (ख)	-	-	-	-	-	-	-
बिना बचाव वाले प्राप्य (ग = क - ख)	-	-	-	-	-	-	-

II. देयताएं	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
		विनिमय दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि (₹ लाख में)	विनिमय दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि (₹ लाख में)
देय (व्यापार एवं अन्य)	-	-	-	-	-	-	-
उधार (ईसीबी और अन्य)	यूएसडी यूरो जेपीवाई	73.5047 86.0990 0.6636	16,088.09 2,137.73 2,66,666.67	11,82,550.36 184,004.96 1,76,960.00	75.3859 83.0496 0.6965	15,999.60 2,196.27 1,50,000.00	12,06,144.00 1,82,399.34 1,04,475.00
कुल देय (घ)	यूएसडी यूरो जेपीवाई	73.5047 86.0990 0.6636	16,088.09 2,137.73 2,66,666.67	11,82,550.36 184,004.96 1,76,960.00	75.3859 83.0496 0.6965	15,999.60 2,196.27 1,50,000.00	12,06,144.00 1,82,399.34 1,04,475.00
व्युत्पन्न अनुबंधों द्वारा बचाव (ङ)	यूएसडी यूरो जेपीवाई	73.5047 86.0990 0.6636	13,357.73 - -	9,81,811.81 - -	75.3859 83.0496 0.6965	12,731.13 100.00 -	9,59,747.61 8,305.01 -
बिना बचाव वाले देय (च = घ - ङ)	यूएसडी यूरो जेपीवाई	73.5047 86.0990 0.6636	2,730.96 2,137.73 2,66,666.67	2,00,738.55 1,84,004.97 1,76,960.00	75.3859 83.0496 0.6965	3,268.47 2096.27 1,50,000.00	2,46,396.39 1,74,094.33 1,04,475.00
III- आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
		विनिमय दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि (₹ लाख में)	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि (₹ लाख में)
आकस्मिक देयताएं	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिबद्धताएं	-	-	-	-	-	-	-
कुल (छ)	-	-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्नी अनुबंधों द्वारा बचाव (ज)	-	-	-	-	-	-	-
बिना बचाव वाले भुगतान (झ = छ - ज)	-	-	-	-	-	-	-
कुल बिना बचाव वाले एफसी एक्सपोजर (ञ = ग + च + झ)	-	-	-	-	-	-	-

घ) विदेशी मुद्रा ऋणों की बिना बचाव वाले स्थिति निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

संस्थान	बिना बचाव वाली स्थिति की राशि	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):		
अमरीकी डालर	2,706.82	3,268.36
भारतीय रुपया	1,98,963.86	2,46,388.35
क्रेडिटनस्टाल्ट फुर विडेरारुफबाउ (केएफडब्ल्यू)		
यूरो	160.47	96.27
भारतीय रुपया	13,815.95	7,995.13
आईबीआरडी विश्व बैंक:		

अमरीकी डालर	24.14	0.11
भारतीय रुपया	1,774.70	8.04
यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)		
यूरो	1,976.67	2,000.00
भारतीय रुपया	1,70,189.02	1,66,099.20
जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए)		
जेपीवाई	2,66,666.67	1,50,000.00
भारतीय रुपया	1,76,960.00	1,04,475.00

ड) लेखा नीति 6.6.2 के अनुसार, खातों को बंद करने की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरें (अर्थात् आरबीआई संदर्भ दरें) इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
1	यूएसडी/आईएनआर	73.5047	75.3859
2	यूरो/आईएनआर	86.099	83.0496
3	जेपीवाई/आईएनआर	0.6636	0.6965

15. बंधपत्र मोचन आरक्षित निधि का निर्माण

क) निजी तौर पर रखे गए बंधपत्रों के संबंध में: चूंकि कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(72) के तहत अधिसूचना संख्या एसओ 143 (ई) (एफ संख्या 3/5/2008) के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है। केंद्र सरकार के दिनांक 14 जनवरी 2009, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 11 फरवरी 2013 को जारी परिपत्र संख्या 04/2013 के अनुसार निजी रखे गए बंधपत्रों के संबंध में बंधपत्र मोचन आरक्षित निधि बनाने की आवश्यकता नहीं है।

ख) सार्वजनिक रूप से रखे गए बंधपत्रों के संबंध में: कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 1,000 के अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड जारी किए, जो कुल मिलाकर ₹ 3,15,631.89 लाख, वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 6,87,754.25 लाख और दीर्घकालिक अवसंरचना सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹ 9,096.18 लाख के कुल ₹ 10,12,482.32 लाख के बांड जारी किए।

कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम 2014 के नियम 18(7)(B)(ii) के अनुसार, कंपनी आरबीआई की धारा 45-आईए (संशोधन) के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी के लिए डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) बनाएगी। अधिनियम, 1997, डीआरआर की 'पर्याप्तता' वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008 के अनुसार सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी डिबेंचर के मूल्य का 25% होगी, और कोई डीआरआर निजी तौर पर रखे गए डिबेंचर के मामले में आवश्यक नहीं है।

31 मार्च 2021 तक ₹ 99.95.05 लाख का मोचन आरक्षित (31 मार्च 2020 तक ₹ 99.95.05 लाख)। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 19-अगस्त-2019 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी नियमों में संशोधन किया है। तदनुसार कंपनी को प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने पर डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि बनाने की आवश्यकता नहीं है।

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीयन समझौते में निहित प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार, यह कहा गया है कि कंपनी ने व्यक्तियों, सहयोगियों और फर्मों/कंपनियों को ऋण की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया है, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं। इसके अलावा, किसी भी ऋण (उधारकर्ता) ने कंपनी या उसकी सहायक कंपनी के शेयरों में कोई निवेश नहीं किया है।

16. कंपनी के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 नवंबर 2017 से देय है। वेतन के लंबित संशोधन, 1 नवंबर 2017 से (31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए ₹ 966.84 लाख का अनुमानित प्रावधान 31 मार्च 2020 को ₹ 658.11 लाख) तक किया गया है।

17. (क) आरबीआई ने सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के कारोबार को चलाने के लिए आईआईएफसीएल को 9 सितंबर 2013 को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया।

(ख) एनबीएफसी-आईएफसी के लिए आरबीआई द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंड कंपनी पर लागू होते हैं। एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में पंजीकरण करने पर, कंपनी को सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी होने के नाते, सरकार के परामर्श से एनबीएफसी विनियमों के विभिन्न तत्वों के अनुपालन के लिए एक रोडमैप तैयार करना था और उसे भारतीय आरक्षित निधि बैंक (गैर विभाग) को प्रस्तुत करना था।

दिनांक 12 दिसंबर 2006 को आरबीआई गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण अधिसूचना संख्या डीएनबीएस पीडी/सीसी नंबर 86/03.02.089/2006-07 निर्देशानुसार द्वारा आवश्यकता के अनुपालन में, कंपनी ने आरबीआई को दिनांक 21 नवंबर 2014 के पत्र के माध्यम से आरबीआई विनियमन के विभिन्न तत्वों का अनुपालन करने के लिए 1 जनवरी 2015 को रोडमैप प्रस्तुत किया है।

(ग) कंपनी ने 31 मार्च 2021 के दौरान 3 ऋण खातों का पुनर्गठन / पुनर्निर्धारण किया है

31 मार्च 2021 के दौरान 40,037.12 लाख बकाया राशि (31 मार्च 2020 को शून्य ऋण खातों में शून्य) और 31 मार्च 2021 को इन खातों में सुरक्षा के मूल्य में कोई कमी नहीं है, नोट 1 (क) (5.7) (अ) देखें।)

18. लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल हैं :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क	9.00	9.00
कराधान मामले	1.80	1.80
प्रमाणन कार्य	0.20	2.90
30 सितंबर 2020/2019 को समाप्त छमाही के लिए लेखापरीक्षा शुल्क	2.70	2.70
कुल	13.70	16.40

19. विभिन्न निर्धारण वर्ष (वर्षों) के लिए आयकर के लंबित निर्धारण की स्थिति निम्नानुसार है:

कर निर्धारण वर्ष	स्थिति
2008-09	आईआईएफसीएल ने आयकर विभाग द्वारा दिनांक 28.02.2014 के आदेश द्वारा उठाये गये निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए ₹ 159 लाख के आयकर बकाया की मांग के खिलाफ अपील दायर की है। आयकर आयुक्त [अपील-4] आदेश दिनांक 08.09.2015 को पारित किया और आईआईएफसीएल की अपील को खारिज कर दिया। आईआईएफसीएल ने आईटीएटी के समक्ष दिनांक 16.11.2015 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। आईटीएटी ने आदेश दिनांक 29.08.2017 के द्वारा मामले को सीआईटी (क) को बहाल कर दिया है। आईआईएफसीएल ने वर्ष के लिए विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणापत्र दाखिल किया है। विभाग द्वारा फॉर्म 1 में घोषणापत्र दाखिल करने के क्रम में फॉर्म 3 जारी कर रुपये की मांग की गई है। आईआईएफसीएल द्वारा 94.33 लाख जुटाए गए हैं। आईआईएफसीएल फॉर्म 4 दाखिल करने की प्रक्रिया में है।
2011-12	धारा 148 के तहत 29.11.2016 को अस्वीकरण के बाद मूल्यांकन आदेश प्राप्त हुआ। 27.12.2016 को सीआईटी (क) को अपील दायर की गई और 7.95 करोड़ रुपये की आयकर मांग जमा की गई। सीआईटी (क) ने आंशिक रूप से अस्वीकृत खर्चों की अनुमति दी। आयकर विभाग ने सीआईटी (क) द्वारा दी गई राहत के खिलाफ आईटीएटी में अपील दायर की है।
2013-14	23.03.2016 को निर्धारण आदेश धारा 143(3) दिनांक 04.02.2016 23.02.2016 को प्राप्त हुआ। सीआईटी (क) के साथ अपील दायर की गई और आंशिक अस्वीकृति के बाद 20.10.2016 को आदेश प्राप्त हुआ। 19.12.2016 को आईटीएटी में अपील दायर की गई। 48.31 लाख रुपये की आयकर मांग जमा की गई है। आईटीएटी ने आदेश दिनांक 17.01.2020 के द्वारा आईआईएफसीएल की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। आईआईएफसीएल ने आगे कोई अपील नहीं की है और 22.06.2020 को एओ को अपील प्रभाव पत्र दायर किया है। आईआईएफसीएल ने 67 लाख रुपये की वापसी के साथ इस वर्ष के लिए विवाद से विश्वास योजना को चुनने के लिए घोषणा पत्र दायर की है। कर विभाग ने फॉर्म 3 जारी किया है जिसमें 18.83 लाख रुपये का रिफंड है। निर्धारण इस टिप्पणी के साथ किया गया है कि आईटीएटी अपील प्रभाव आदेश में 14 मार्च 2017 से पहले भुगतान किए गए करों के ऋण की अनुमति दी जाएगी। तदनुसार 48.31 लाख रुपये के चालान की ऋण की अनुमति नहीं थी। आईआईएफसीएल अब फॉर्म 4 भरने की प्रक्रिया में है।
2014-15	अस्वीकरण के बाद 29.11.2016 को प्राप्त मूल्यांकन आदेश 27.12.2016 को सीआईटी (क) को अपील दायर की गई और 9.35 करोड़ रुपये की आयकर मांग जमा की गई। सीआईटी (क) ने आंशिक रूप से अस्वीकृत खर्चों की अनुमति दी। आयकर विभाग ने सीआईटी (क) द्वारा दी गई राहत के खिलाफ आईटीएटी में अपील दायर की है।
2015-16	मूल्यांकन आदेश धारा 143(3) के तहत अस्वीकृतियों के बाद दिनांक 28.12.2017 को पारित किया गया था। 26.01.2018 को सीआईटी (क) को अपील दायर की गई। सीआईटी (क) ने आगे खर्चों को अस्वीकार कर दिया। आईटीएटी में अपील दायर नहीं की गई। कर निर्धारण अधिकारी ने 19.33 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। आईआईएफसीएल ने सीआईटी (क) के खिलाफ अपील की।

2016-17	दिनांक 28.12.2018 निर्धारण आदेश धारा 143(3) के तहत 28.12.2018 को प्राप्त हुआ। सीआईटी (क) के समक्ष 25.01.2019 को निर्धारण आदेश में की गई अस्वीकृतियों के खिलाफ अपील दायर की गई और रुपये की 20% कर मांग जमा की गई। विरोध के तहत 137 लाख और रु. 46.71 लाख को निर्धारण वर्ष 2011-12 की वापसी से समायोजित किया गया है। अपील वर्तमान में निर्णय के लिए सीआईटी (क) के समक्ष लंबित है। सूचना धारा 154/155 के तहत रु. 81.88 लाख प्राप्त हुए, जिसके विरुद्ध दिनांक 25.03.2020 को उत्तर प्रस्तुत किया गया
---------	--

20. अन्य प्रकटीकरण:

- क. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को निवल शून्य लाख रुपये (31 मार्च 2020 को शून्य लाख रुपये) की निवल बही मूल्य वाली वित्तीय आस्ति सौंपी थी। कंपनी के पास DBOD. BP.BC.No. 98/21.04.132/2013-14 दिनांक 26 फरवरी 2014 और आरबीआई मास्टर परिपत्र डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.043/03.10.119/2015-16 आय मान्यता और आस्ति वर्गीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर दिनांक 1 जुलाई 2015 आठ तिमाहियों की अवधि में शून्य (31 मार्च 2020 तक शून्य) की निवल कमी पाई। नतीजतन, 31 मार्च 2021 को समाप्त छमाही के दौरान शून्य राशि का शुल्क लिया गया है (31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान शून्य लाख)।
- ख. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 1,40,203.69 लाख (31 मार्च 2020 तक 12 ऋण खातों में ₹ 1,22,297.10 लाख) नोट 1(ए)(5.3) देखें। 15 खातों को बड़े खाते में डाल दिया था।
- ग. आईआईएफसीएल ने वित्त वर्ष 2020-21 में 16,551.64 लाख रुपये के निवेश में कमी का प्रावधान किया था। जो निम्नानुसार है:
- 2017-18 के दौरान बकाया ऋण मूलधन रु. 52,000.00 लाख और उस पर ब्याज अन्य बकाया रु. मैसर्स आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सज लिमिटेड (एपीएनआरएल) से 2,545.99 लाख रुपये के प्रतिफल पर एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी), एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचा गया। 38,884.95 लाख रुपये की अग्रिम वसूली सहित 108.18 लाख, एपीएनआरएल की इक्विटी शेयर पूंजी 9,710.71 लाख रु (अर्थात् 10 रुपये के पूर्ण भुगतान वाले इक्विटी शेयर) और 38,884.95 लाख रुपये की सुरक्षा रसीदें, कुल मिलाकर 4945.70 लाख रु 1.2045 प्रति शेयर कुल 595.72 लाख रु ईएआरसी ने एक साथ रुपये के एपीएनआरएल के 10 रु प्रत्येक इक्विटी शेयर खरीदे। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने ईएआरसी द्वारा आईआईएफसीएल को भुगतान किए गए एपीएनआरएल के इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए कीमत को उचित मूल्य माना। तदनुसार, 31 मार्च 2018 को एपीएनआरएल में आईआईएफसीएल द्वारा रखे गए शेष इक्विटी शेयरों का मूल्य 1.2045 रु. प्रति शेयर, 4,191.05 लाख रुपये के निवेश में कमी का निवल प्रावधान रहा।
 - मैसर्स टॉपवर्थ टोलवेज प्रा. लि. के मामले में रियायतग्राही के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप बकाया ऋण राशि रु. 8,000.00, रुपये की राशि के बाहर 6,078.00 लाख रु. का भुगतान किया जा चुका है या 0.01% कूपन जारी करके वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर कूपन दर / नए रियायतग्राही यानी बंसल पाथवेज प्रा. लिमिटेड का 0.01% सालाना बकाया 1,922.00 लाख रुपये का ऋण बकाया बंसल पाथवेज (मंगवां-चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड को दिया जाएगा। तदनुसार, 5,252.07 लाख रुपये की कमी के लिए प्रावधान के निवेश में बंसल पाथवेज (मंगवां-चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी डिबेंचर द्वारा बुक किया गया है, इन डिबेंचर की प्राप्ति से 25 वर्षों के बाद सममूल्य पर चुकाने योग्य हैं।
 - मैसर्स सूरत हजीरा एनएच-6 टोलवेज प्रा. लि. के मामले में अगस्त 2018 में संकल्प योजना के अनुमोदन के परिणामस्वरूप लिमिटेड, 29,024.00 लाख रुपये का वित्त पोषित जोखिम, कट-ऑफ तिथि के अनुसार, 15,238 लाख रुपये के स्थायी ऋण और 13,786.00 लाख रुपये के अस्थिर ऋण में परिवर्तित किया गया था। अनुमोदित योजना, अन्य बातों के साथ, ब्याज दर में कमी, चुकौती अवधि के विस्तार आदि के रूप में राहत शामिल है। तदनुसार, 7,108.52 लाख रुपये की कमी के लिए प्रावधान किया गया है।

घ. 31 मार्च 2021 को निवेश और सुरक्षा रसीद का प्रकटीकरण:

(₹ लाख में)

विवरण	विगत 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर	5 वर्ष से पहले लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर	8 साल से पहले जारी किए गए प्रतिभूति रसीदें
(i) बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य अंतर्निहित	36,108.05	9,719.08	-
(ii) धारित प्रावधान हेतु	-	-	-

(ii)	अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य अंतर्निहित के रूप में	-	-	-
	(ii) धारित प्रावधान हेतु	-	-	-
कुल (i) + (ii)		36,108.05	9,719.08	-

21. वर्ष के दौरान, कंपनी ने 31 दिसंबर 2020 तक उधारकर्ताओं और बैंकों, पार्टियों आदि द्वारा साविधिक लेखा परीक्षकों को शेष राशि की पुष्टि करने का अनुरोध करते हुए पत्र भेजे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण, उधार और अन्य डेबिट और ऋण बैलेंस के तहत दिखाई देने वाली कुछ शेष राशि 31 मार्च 2021 तक पुष्टि और सुलह के अधीन हैं और प्रबंधन की राय में, इस तरह की पुष्टि और सुलह का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है और वित्तीय विवरणों पर कुछ मामलों में ब्याज दरों के लंबित रीसेट के कारण भी प्रत्याशित है। 31 मार्च 2021 के बाद, 31 दिसंबर 2020 को कुल बकाया राशि ₹ 26,11,559.83 लाख (पिछले वर्ष ₹ 23,63,435.37 लाख) (एनपीए खातों को छोड़कर) के साथ बकाया राशि के 87.08 प्रतिशत (पिछले वर्ष 97.35 प्रतिशत) का प्रतिनिधित्व करने वाले उधारकर्ता। बकाया राशि वाले बैंकों और अन्य पार्टियों ने भी 31 मार्च 2021 को डेबिट/ऋण की बकाया राशि की पुष्टि नीचे दी गई है :

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2019-20	
	शेष पुष्टि राशि (₹ लाख में)	पुष्टिकृत शेष का %	शेष पुष्टि राशि (₹ लाख में)	पुष्टिकृत शेष का %
विदेशी संस्थाओं से उधार	15,43,515.33	100%	1,493,018.35	100%
बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधा	5,77,550.63	100%	3,00,358.40	100%
उद्यम पूंजी इकाइयों में निवेश	1,644.68	100%	1,674.87	100%
प्रतिभूति रसीदों में निवेश	45,827.13	100%	50,568.58	100%
सावधि जमा में निवेश	10,17,714.50	100%	939,974.25	100%
बांड/सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (अभौतिकीकरण फॉर्म में)	529,760.00	100%	529,760.00	100%
म्युचुअल निधि में निवेश	26,632.85	100%	26,020.13	100%

22. आईसीएआई द्वारा 15 मई 2015 को जारी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर व्यय के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट से संबंधित प्रकटीकरण:

सीएसआर व्यय में शामिल व्यय के विभिन्न मदों का विवरण:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	संगठन का नाम	परियोजना का विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
1	पीएम केयर निधि	भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार की चल रही पहल का समर्थन करने के लिए।	-	2500.00
2.	मेसर्स दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (बांग्ला साहब गुरुद्वारा)	लॉक डाउन के बीच दिल्ली एनसीआर में वंचितों को पका हुआ खाना सप्लाई किया।	2.50	-
3.	मेसर्स दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा	लॉक डाउन के बीच दिल्ली एनसीआर में वंचितों को पका हुआ खाना सप्लाई किया।	2.50	-

4.	मेसर्स प्रभाव फाउंडेशन	लॉक डाउन के बीच दिल्ली एनसीआर में वंचितों को पका हुआ खाना सप्लाई किया।	2.50	-
5.	मेसर्स ध्यान फाउंडेशन	लॉक डाउन के बीच दिल्ली एनसीआर में वंचितों को पका हुआ खाना सप्लाई किया।	2.50	-
6.	सीएसआर उपरि व्यय		1.33	-
कुल योग			11.33	2,500.00

ख) सीएसआर व्यय के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण :

- 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक सकल राशि ₹ 11.33 लाख रुपए थी (31 मार्च, 2020 तक ₹ 589.59 लाख)।
- वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष			31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष		
	नकद में भुगतान किया गया	नकद में भुगतान होना अभी बाकी है	कुल	नकद में भुगतान किया गया	नकद में भुगतान होना अभी बाकी है	कुल
किसी आस्ति का निर्माण/अधिग्रहण*	-	-	-	-	-	-
(i) उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्य पर	11.33	-	11.33	2,500.00	-	2,500.00
कुल	11.33	-	11.33	2,500.00	-	2,500.00

23. गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार नहीं करने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 के पैरा 13 के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त जानकारी का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण बकाया राशि	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि
देयता पक्ष:				
(1) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम, उस पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया:				
(क) डिबेंचर : प्रतिभूत	14,88,997.24		14,94,385.35	
: अप्रतिभूत	3,60,000.00		3,60,000.00	
(सार्वजनिक जमा के अर्थ में आने के अलावा)				
(ख) आस्थगित ऋण			-	
(ग) सावधि ऋण	15,43,515.33		1,493,018.35	
(घ) अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और उधार		-		-
(ङ) वाणिज्यिक पत्र		-		-
(च) अन्य ऋण (अल्पकालिक बैंक ऋण)	5,77,550.63	-	300,358.40	-
आस्ति पक्ष :		बकाया राशि		
		31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को	
(2) प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का विवरण [नीचे (4) में शामिल के अलावा] :				
(क) प्रतिभूत		24,48,376.64	27,56,095.59	
(ख) अप्रतिभूत		12,21,883.33	607,626.69	

(3) पट्टे पर दी गई आस्ति और किराए पर स्टॉक और एएफसी गतिविधियों की गणना करने वाली अन्य आस्तियों की गणना		
i) विविध देनदारों के तहत पट्टा किराया सहित पट्टा आस्ति		
(क) वित्तीय पट्टा	-	-
(ख) प्रचालन पट्टा	-	-
(ii) विविध देनदारों के तहत किराया प्रभार सहित भाड़े पर स्टॉक:		
(क) किराए पर आस्ति	-	-
(ख) जब्त की गई आस्ति	-	-
(iii) एएफसी गतिविधियों के लिए गिने जाने वाले अन्य ऋण		
(क) ऋण जहां आस्ति को पुनः कब्जे में कर लिया गया है	-	-
(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य ऋण	-	-
(4) निवेश की गणना		
वर्तमान निवेश:		
1. उद्भूत:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी	-	-
(ख) अधिमानी	-	-
(ii) डिबेंचर और बांड	-	-
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयाँ	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-
2. गैर-उद्भूत:	-	-
(i) शेयर: (क) इक्विटी	-	-
(ख) अधिमानी	-	-
(ii) डिबेंचर और बांड	-	-
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयाँ	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-
दीर्घकालिक निवेश:		
1. उद्भूत:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी	-	-
(ख) अधिमानी	-	-
(ii) डिबेंचर और बांड	-	-
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयाँ	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-
2. गैर-उद्भूत:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी	49,141.34	49,141.34
(ख) अधिमानी	-	-
(ii) डिबेंचर और बांड	19,864.00	19,864.00
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयाँ	26,632.85	26,020.13
सरकारी प्रतिभूतियां	529,760.00	529,760.00

(iv) अन्य (इक्विटी शेयर पूंजी पर अग्रिम) (उद्यम पूंजी इकाइयों में निवेश)	1,644.68	1,674.87
(v) सुरक्षा प्राप्तियों में निवेश	45,827.13	50,368.58
कुल	43,43,129.97	40,40,551.21

(5) उपरोक्त (2) और (3) के अनुसार वित्तपोषित आस्तियों का समूह-वार उधारकर्ता वर्गीकरण :

श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2021 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) एक ही समूह में कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	20,59,405.55	12,07,007.78	32,66,413.33
कुल	20,59,405.55	12,07,007.78	32,66,413.33
श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2020 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) एक ही समूह में कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	23,15,852.78	6,00,035.25	2,915,888.03
कुल	23,15,852.78	6,00,035.25	2,915,888.03

(6) शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर-उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का समूह-वार निवेशक वर्गीकरण

श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2021 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	43,965.32	43,965.32
(ख) एक ही समूह में कंपनियां	-	26,632.85	26,632.85
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	-	984.98	984.98
श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2020 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	43,965.32	43,965.32
(ख) एक ही समूह में कंपनियां	-	26,020.13	26,020.13
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	-	984.98	984.98

(7) अन्य जानकारी		
विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
(i) सकल अनर्जक आस्तियां		
(क) संबंधित पक्ष	-	-
(ख) संबंधित पक्षों के अलावा	5,10,043.88	662,307.29
(ii) निवल अनर्जक आस्तियां		
(क) संबंधित पक्ष	-	-
(ख) संबंधित पक्षों के अलावा	1,97,718.01	3,27,832.88
(iii) कर्ज चुकाव में अर्जित आस्ति	शून्य	शून्य

24. भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीएनबीआर(पीडी) सीसी सं.002/03.10.001/2014-15 दिनांक 10 नवंबर 2014 के अनुसरण में प्रकटीकरण

24.1 पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
टियर I पूंजी	10,91,914.54	10,63,924.51
टियर II पूंजी	39,938.00	10,788.99
कुल पूंजी	11,31,852.54	10,74,713.49
कुल जोखिम भारित आस्तियां	36,67,338.97	34,84,135.01
पूंजी अनुपात		
कुल जोखिम आस्तियों के प्रतिशत के रूप में टियर I पूंजी (%)	29.77	30.54
कुल जोखिम आस्तियों के प्रतिशत के रूप में टियर II पूंजी (%)	1.09	0.31
कुल पूंजी (%)	30.86	30.85
टियर-II पूंजी के रूप में जुटाए गए अधीनस्थ ऋण की राशि	-	-
चिरस्थायी ऋण लिखत जारी करने से जुटाई गई राशि	-	-

24.2 निवेश

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
1	निवेश का मूल्य		
(i)	निवेश का सकल मूल्य	6,72,870.00	676,828.93
(क)	भारत में	6,30,629.68	634,588.60
(ख)	भारत के बाहर	42,240.32	42,240.32
(ii)	मूल्यहास के प्रावधान		-
(क)	भारत में	16,551.64	17,201.01
(ख)	भारत के बाहर	-	-
(iii)	निवेश का निवल मूल्य	6,56,318.37	659,627.91
(क)	भारत में	6,14,078.05	617,387.59
(ख)	भारत के बाहर	42,240.32	42,240.32
2	निवेश के मूल्यहास की दिशा में धारित प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
(i)	प्रारंभिक शेष	17,201.01	16,831.15
	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	369.86
	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बड़े खाते में डालना/प्रतिलेखन	649.37	-
	अंतिम शेष	16,551.64	17,201.01

24.3 व्युत्पन्नियां

24.3.1 वायदा दर कर/ब्याज दर स्वैप

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
1	कल्पित मूलधन का स्वैप करार	8000.00	8,000.00
2	हानियाँ जो उपगत होंगी यदि प्रतिपक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे	-	-
3	एनबीएफसी द्वारा प्रवेश करने पर आवश्यक संपार्श्विक अदला-बदली	-	-
4	स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण	-	-
5	स्वैप बही का उचित मूल्य	(876.74)	(1,830.89)

24.3.2 व्युत्पन्नियों में जोखिम जोखिम:

गुणात्मक प्रकटीकरण

एनबीएफसी को व्युत्पन्नियों से संबंधित अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों का विशेष संदर्भ में वर्णन करना होता है कि किस हद तक व्युत्पन्न का उपयोग किया जाता है तथा संबंधित जोखिम और व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। 10 नवंबर, 2014 के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, इसे निम्नानुसार प्रकट किया जा रहा है:

- क) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा उधारों की मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए व्युत्पन्न लेनदेन करता है। कंपनी ने बचाव व्यवस्था नीति बनाई है जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित संसाधन और कोषागार नीति का एक हिस्सा है। कंपनी के व्युत्पन्न लेनदेन इस नीति द्वारा शासित होते हैं जो उन उपकरणों की रूपरेखा तैयार करता है जिनका उपयोग अंतर्निहित देनदारियों के अनुसार बचाव व्यवस्था के लिए किया जाएगा।
- ख) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा उधारों पर उत्पन्न होने वाली ब्याज दर और मुद्रा जोखिम (बाजार जोखिम) को कम करने और बचाव के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेनदेन करता है।
- ग) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा उधारों के बचाव व्यवस्था विनिमय और ब्याज दर जोखिम के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेनदेन करता है न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए। व्युत्पन्न लेनदेन की शर्तें निरंतर प्रभावशीलता के लिए संबंधित अंतर्निहित (देनदारियों) से मेल खाती हैं। समान शब्द की संकल्पना के माध्यम से हेज की स्थापना के समय उक्त प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है।
- घ) आईआईएफसीएल व्युत्पन्न लेनदेन की स्थिति और उनके एमटीएम की रिपोर्ट वरिष्ठ प्रबंधन को मासिक आधार पर और निदेशक मंडल को तिमाही आधार पर देता है। इसके अलावा त्रैमासिक आधार पर आईआईएफसीएल के आर एंड टी सलाहकारों द्वारा एमटीएम की स्वतंत्र रूप से निगरानी की जा रही है।
- ङ) आईआईएफसीएल की बही में विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न शून्य हैं।
- च) आईआईएफसीएल अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज करने के लिए परस्पर लेन-देन की मुद्रा ब्याज दर स्वैप करता है। मात्रात्मक प्रकटीकरण में दिखाए गए आंकड़ों को अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि सौदों को मूलधन और ब्याज नकदी प्रवाह के लिए समेकित आधार पर बही में दर्ज किया जाता है।
- छ) बचाव और गैर बचाव लेनदेन की रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन नीति; आय की पहचान और छूट की मान्यता; बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन; संपार्श्विक और ऋण जोखिम शमन का खुलासा लेखांकन नीति 1(क)(5.2) में प्रावधान किया गया है।
- ज) निदेशक मंडल की प्रबंधन और निवेश समिति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित संसाधन और कोषागार नीति के अनुसार, आईआईएफसीएल कुल एक्सपोजर के 65-70 प्रतिशत के बीच अपनी स्थिति को हेज करेगा। इसके अलावा, वायदा प्रीमियम की बचत के साथ ओपन पोजीशन निवल के एक्सचेंज में उतार-चढ़ाव का अंतर किसी भी समय कंपनी के निवल मूल्य के 10 प्रतिशत का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि पोर्टफोलियो के आधार पर वित्तीय वर्ष के भीतर रुपये में 5 प्रतिशत या उससे अधिक की गिरावट आती है, तो आईआईएफसीएल अपनी स्थिति को लगभग 75 प्रतिशत हेज करके रखेगा।

जोखिम प्रबंधन अवसंरचना

- क) आईआईएफसीएल निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचे के अनुसार जोखिम का प्रबंधन करता है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल की संसाधन और कोषागार नीति को बोर्ड की प्रबंधन और निवेश समिति द्वारा वार्षिक रूप से अनुमोदित किया जाता है। ये रूपरेखा नीति, मार्गदर्शक मानदंड प्रदान करती है जिसके आधार पर आईआईएफसीएल मुद्रा जोखिम के प्रबंधन के लिए निर्णय लेता है, जो विदेशी मुद्रा ऋण के कारण जोखिम पूर्ण होते हैं।

ख) आईआईएफसीएल ने व्यवसाय संचालन में जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड स्तर की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ समिति) का भी गठन किया है। एएलसीओ तरलता और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी करता है जिसमें आस्ति प्राप्तियों और ऋण सेवा दायित्वों की अल्पकालिक और दीर्घकालिक तरलता प्रोफाइल का आवधिक विश्लेषण शामिल है। व्युत्पन्न लेनदेन में देनदारियों को हेज करने के लिए परस्पर लेन-देन स्वेप और मुद्रा स्वेप शामिल हैं। ये व्युत्पन्न लेनदेन बचाव व्यवस्था उद्देश्य के लिए किए जाते हैं न कि व्यापार या सट्टा उद्देश्य के लिए।

अंतर्निहित जोखिमों के प्रकार

- ऋण जोखिम – ऋण जोखिम में एक उधारकर्ता की ऋण गुणवत्ता में कमी से उत्पन्न होने वाली हानि के जोखिम के साथ-साथ यह जोखिम भी होते हैं कि उधारकर्ता ऋण या अग्रिम के तहत संविदात्मक पुनर्भुगतान पर चूक कर सकता है। आईआईएफसीएल के पास बुनियादी ढांचे को उधार देने में ऋण जोखिम का प्रबंधन करने के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचा है।
- बाजार जोखिम – बाजार जोखिम एक उपकरण या उपकरणों के पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य (कीमत) में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण हानि का जोखिम है। बाजार जोखिम में मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम शामिल हैं। मुद्रा जोखिम रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर में किसी भी परिवर्तन / उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होता है। ब्याज दर जोखिम मुख्य रूप से समय की अवधि में ब्याज दरों में बदलाव से होता है। आईआईएफसीएल अपनी व्यावसायिक गतिविधि के एक भाग के रूप में बाजार जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों का सामना करता है।
- चलनिधि जोखिम – चलनिधि जोखिम संस्थान की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने या उचित मूल्य पर उधार ली गई निधियों का उपयोग करके लेनदेन निष्पादित करने में विफलता के कारण हानि का जोखिम है। बाजार चलनिधि जोखिम या निधियन चलनिधि जोखिम हो सकता है। आईआईएफसीएल पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखते हुए और संयुक्त ऋण लाइनों की पर्याप्त मात्रा के माध्यम से वित्त पोषण तक पहुंच के द्वारा तरलता जोखिम का प्रबंधन करता है।
- परिचालन जोखिम – परिचालन जोखिम अपर्याप्त प्रणाली और नियंत्रण, सूचना प्रणाली में कमियों, मानवीय त्रुटि या प्रबंधन की विफलता के परिणामस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। आईआईएफसीएल की परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति परिचालन जोखिमों का प्रबंधन करना चाहती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
(i)	व्युत्पन्न (काल्पनिक मूलधन राशि)	9,00,794.88	9,00,794.88	8,10,203.15	8,10,203.15
	बचाव व्यवस्था के लिए	9,00,794.88	9,00,794.88	8,10,203.15	8,10,203.15
(ii)	बाजार से बाजार स्थितियां (1)	60,487.04	60,487.04	1,22,778.08	1,22,778.08
	क. आस्ति (+)	63,041.57	63,041.57	1,24,421.35	1,24,421.35
	ख. देयताएं (-)	(2,554.53)	(2,554.53)	(1,643.27)	(1,643.27)
(iii)	ऋण एक्सपोजर	-	-	-	-
(iv)	बिना बचाव वाले एक्सपोजर	5,61,703.52	5,61,703.52	5,24,965.72	5,24,965.72

24.4 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
(i)	खातों की संख्या	-	-
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	-	-
(iii)	समस्त प्रतिफल	-	-

(iv)	पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर सकल (लाभ)/हानि	-	-

24.5 बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
(i)	बेचे गए खातों की संख्या	-	-
(ii)	कुल बकाया	-	-
(iii)	कुल प्राप्त प्रतिफल	-	-

24.6 आस्ति देयता प्रबंधन:

31 मार्च 2021 को आस्ति और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान:

(₹ लाख में)

विवरण	1 महीने तक	1 महीने से 2 महीने तक	2 महीने से 3 महीने तक	3 महीने से 6 महीने तक	6 महीने से 1 साल तक	1 साल से 3 साल तक	3 साल से 5 साल तक	5 साल से अधिक	कुल
देयताएं									
बैंक से उधार	5,77,550.63	-	-	-	-	-	-	-	5,77,550.63
बाजार से उधार		-	-	-	-	4,09,660.74	3,00,791.10	11,38,545.40	18,48,997.24
आस्तियां									
वित्तीय गतिविधि के तहत प्राप्तियां	23,885.70	19,483.89	1,54,191.10	1,90,476.50	3,66,989.00	13,48,482.01	7,25,595.02	24,23,274.79	52,52,378.00
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	5,29,760.00	5,29,760.00
विदेशी मुद्रा आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देनदारियां	3,520.92	-	22,421.89	7,597.69	34,094.28	1,73,176.35	1,91,428.70	11,11,275.49	15,43,515.34

31 मार्च 2020 को आस्ति और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान:

(₹ लाख में)

विवरण	1 महीने तक	1 महीने से 2 महीने तक	2 महीने से 3 महीने तक	3 महीने से 6 महीने तक	6 महीने से 1 साल तक	1 साल से 3 साल तक	3 साल से 5 साल तक	5 साल से अधिक	कुल
देयताएं									
बैंक से उधार	3,00,358.40	-	-	-	-	-	-	-	3,00,358.40
बाजार से उधार	-	-	-	-	-	5,388.11	7,09,660.74	11,39,336.50	18,54,385.35
आस्तियां									
वित्तीय गतिविधि के तहत प्राप्तियां	10,132.31	9,630.75	83,020.14	1,29,690.85	2,60,667.10	12,91,744.88	7,38,199.76	48,96,804.05	74,19,889.83
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	5,29,760.00	5,29,760.00
विदेशी मुद्रा आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देनदारियां	7,235.78	3,586.86	-	24,477.53	33,296.13	1,46,028.51	1,71,298.49	11,07,095.05	14,93,018.35

24.7 एक्सपोजर

24.7.1 रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

31 मार्च 2021 (पिछले वर्ष शून्य) तक कंपनी का रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश नहीं है।

24.7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर:

(₹लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल निधि की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है;	-	-
(ii)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल निधि की इकाइयों में निवेश के लिए स्पष्ट आधार पर अग्रिम;	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है;	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम, जहां प्राथमिक सुरक्षा शेयरों / परिवर्तनीय बांडों / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि की इकाइयों के अलावा 'अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करता है;	-	-
(v)	स्टॉक ब्रोकर्स को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर्स और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बांडों / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के खिलाफ या स्वच्छ आधार पर कॉर्पोरेट को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को दिए गए ऋणों को कम करना;	-	-
(viii)	उद्यम पूंजी निधियों में सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	1,644.68	1,674.87

24.8 अतिरिक्त प्रकटीकरण:प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹लाख में)

क्र.सं.	लाभ और हानि के विवरण में परिलक्षित प्रावधानों और आकस्मिकताओं का विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
(i)	एनपीए के लिए प्रावधान	1,97,718.01	3,34,474.41
(ii)	आयकर का प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	3,015.12	(34,240.27)
(iii)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (पुनर्गठित खातों और एसडीआर खातों सहित)	90,149.31	1,12,333.71

24.9 अग्रिमों का संकेंद्रण, एक्सपोजर और एनपीए:

(i) अग्रिमों का संकेंद्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	21,55,342.24	16,45,094.89
एनबीएफसी के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	58.75%	48.97%

(ii) एक्सपोजर का संकेंद्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल एक्सपोजर	21,55,342.24	16,45,094.89
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	58.75%	48.97%

(iii) एनपीए का संकेंद्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	1,65,927.36	2,04,886.07

(iv) क्षेत्रवार-एनपीए

क्र.सं.	क्षेत्र	एनपीए का सेक्टर% उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में	
		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	-	-
2	एमएसएमई	-	-
3	कॉर्पोरेट उधारकर्ता	13.90%	19.70%
4	सेवाएं	-	-
5	अप्रतिभूत व्यक्तिगत ऋण	-	-
6	ऑटो ऋण	-	-
7	अन्य व्यक्तिगत ऋण	-	-

(v) एनपीए में उतार-चढ़ाव:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
(i)	निवल एनपीए से निवल अग्रिम (%)	5.39%	9.84%
(ii)	एनपीए में उतार-चढ़ाव (सकल)		
	(क) प्रारंभिक शेष	6,62,307.29	6,51,076.51
	(ख) वर्ष के दौरान जोड़/प्रत्यावर्तन	54,979.25	1,38,931.07
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती/बढ़े खाते में डालना	2,07,242.66	1,27,700.29
	(ग) अंतिम शेष	5,10,043.88	662,307.29
(iii)	निवल एनपीए में उतार-चढ़ाव		
	(क) प्रारंभिक शेष	3,27,832.88	3,45,613.65
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	23,784.91	(16,993.49)

	(ग)	वर्ष के दौरान कटौती	1,53,899.59	787.28
	(घ)	अंतिम शेष	1,97,718.20	3,27,832.88
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	3,34,474.41	3,06,462.86
	(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	31,194.34	1,55,924.57
	(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को बढ़े खाते में डालना/ प्रतिलेखन करना	53,343.07	1,26,913.02
	(घ)	अंतिम शेष	3,12,325.68	3,34,474.41

24.10 ग्राहकों की शिकायतें

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
(क)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	828	547
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	828	547
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0

24.11 अतिरिक्त प्रकटीकरण

क्र.सं.	प्रकटीकरण	टिप्पणी
(i)	अन्य वित्तीय नियामक से प्राप्त पंजीकरण / लाइसेंस / प्राधिकरण	कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से प्राप्त कॉर्पोरेट पहचान संख्या U67190DL2006GOI144520
(ii)	ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और कंपनी द्वारा जारी घरेलू बांडों के लिए विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा आवंटित वर्ष के दौरान	एएए स्थिर रेटिंग का स्थानांतरण। 2019-20 के लिए कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय ऋण रेटिंग S&P BBB है – चालू वर्ष 2019-20 के दौरान रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
(iii)	किसी नियामक द्वारा लगाया गया दंड, यदि कोई हो,	शून्य
(iv)	सूचना अर्थात् क्षेत्र, देश और संयुक्त उद्यम भागीदार	
	संयुक्त उद्यम	कोई नहीं
	विदेशी सहायक कंपनियां	आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी लंदन, यूनाइटेड किंगडम से संचालित होती है और भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है,

24.12 पुनर्निर्चित खातों का प्रकटीकरण

क्र. सं.	सीडीआर के तहत पुनर्गठन का प्रकार	सीडीआर तंत्र के तहत	एसएमई ऋण पुनर्गठन तंत्र	अन्य (₹ लाख में)					कुल (₹ लाख में)				
				मानक	उप मानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	उप मानक	संदिग्ध	हानि	योग
	विवरण												
1	01.04.2020 को पुनर्निर्चित खाते	-	-	2	2	19	-	23	2	2	19	0	23
	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	9,847.05	53,391.57	1,35,086.34		1,98,324.96	9,847.05	53,391.57	1,35,086.34		1,98,324.96
	बकाया राशि	-	-	492.35	5,339.16	63,213.85		69,045.36	492.35	5,339.16	63,213.85		69,045.36
	उस पर प्रावधान	-	-										
2	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नए पुनर्निर्चना			3		0		3	3		0		3
	उधारकर्ताओं की संख्या			40,037.12		0.00		40,037.12	40,037.12		0.00		40,037.12
	बकाया राशि			4,731.48		4,693.15		9,424.63	4,731.48		4,693.15		9,424.63
	उस पर प्रावधान				1			1		1			1
3	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्निर्चित मानक श्रेणी में उन्नयन				39,800.00			39,800.00		39,800.00			39,800.00
	उधारकर्ताओं की संख्या				2,620.85			2,620.85		2,620.85			2,620.85
	बकाया राशि												
	उस पर प्रावधान												
4	पुनर्निर्चित मानक अग्रिम जो वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और/या अतिरिक्त जोखिम भार को आकर्षित करना बंद कर देते हैं और इसलिए अगले वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत में पुनर्निर्चित मानक अग्रिमों के रूप में नहीं दिखाए जाने की आवश्यकता है												
	उधारकर्ताओं की संख्या												
	बकाया राशि												
	उस पर प्रावधान												
5	डाउनग्रेडेशन वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्निर्चित खातों की संख्या			1				1	1				1
	उधारकर्ताओं की संख्या			3,915.05				3,915.05	3,915.05				3,915.05
	बकाया राशि			195.75				195.75	195.75				195.75
	उस पर प्रावधान												
6	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्निर्चित खातों का बड़े खाते में डालना/पूर्व भुगतान					3		3			3		3
	उधारकर्ताओं की संख्या					44,748.23		44,748.23			44,748.23		44,748.23
	बकाया राशि					0.00		0.00			0.00		0.00
	उस पर प्रावधान												
7	31.03.2021 को पुनर्निर्चित खाते (अंतिम आंकड़े)			4	1	16		21	4	1	16		21
	उधारकर्ताओं की संख्या			45,969.12	13,591.57	90,338.11		1,49,898.80	45,969.12	13,591.57	90,338.11		1,49,898.80
	बकाया राशि			5,028.08	2,718.31	67,907.00		75,653.39	5,028.08	2,718.31	67,907.00		75,653.39
	उस पर प्रावधान												

24.13 विदेशी आस्ति (विदेश में संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों के लिए)

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम	संयुक्त उद्यम में अन्य भागीदार	देश	कुल आस्ति (\$ में राशि)
आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	कोई नहीं	यूनाइटेड किंगडम	शून्य, आईआईएफसीएल के पास आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड की कोई विदेशी आस्ति नहीं है।

25. पूंजी प्रबंधन:

भारतीय लेखा मानक 1 के पैरा 134-136 की आवश्यकता के अनुसार पूंजी प्रबंधन के संबंध में प्रकटीकरण के संदर्भ में, वित्तीय विवरण की प्रस्तुति में यह उल्लेख किया गया है कि आईआईएफसीएल एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी— इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी), है। आईआईएफसीएल आरबीआई विनियमों के अनुसार, पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसे स्वामित्व वाली निधि के रूप में संदर्भित किया जाता है।

आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुसार – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016, स्वामित्व वाली निधि का अर्थ है प्रदत्त इक्विटी पूंजी, वरीयता शेयर जो अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय हैं, मुक्त भंडार, शेयर प्रीमियम खाते में शेष और आस्ति की बिक्री आय से उत्पन्न होने वाले अधिशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले पूंजीगत भंडार, आस्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाए गए भंडार को छोड़कर, संचित हानि शेष, अमूर्त आस्ति के बही मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो।

भारत सरकार ने समय-समय पर आईआईएफसीएल में पूंजी डाली है। इसने आईआईएफसीएल को आरबीआई द्वारा निर्धारित पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सक्षम बनाया है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल भारत सरकार के निर्देशों के अधीन पूंजी यानी निवल स्वामित्व वाली निधियों पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लाभांश के वितरण पर विचार करता है। रिपोर्टिंग वर्षों के दौरान पूंजी प्रबंधन उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।

- निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ.सं. 5/1/2016-नीति दिनांक 27 मई 2016 के माध्यम से "सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश" जारी किए। दिशानिर्देश लाभांश के भुगतान, बोनस शेयरों को जारी करने, शेयरों की बायबैक और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा शेयरों के बंटवारे के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। बोनस शेयर जारी करने, शेयरों की बायबैक और शेयरों के बंटवारे के लिए दिशानिर्देश आईआईएफसीएल पर लागू नहीं हैं। लाभांश के भुगतान के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आईआईएफसीएल को मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन न्यूनतम वार्षिक लाभांश पीएटी का 30% या निवल मूल्य का 5%, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना आवश्यक था। हालांकि, आईआईएफसीएल ने पत्र दिनांक 21 सितंबर 2016 के माध्यम से सरकार से कम से कम 3 वर्षों के लिए लाभांश के भुगतान से छूट के लिए अनुरोध किया था जो कि वित्त वर्ष 2015-16 में ₹36,323.41 लाख, वित्त वर्ष 2016-17 में ₹37,119.74 लाख, वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹31,995.93 लाख था और वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹23,442.79 लाख और वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹51,528.90 लाख था। इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने 19 सितंबर 2019 के पत्र के माध्यम से सरकार से कम से कम वित्त वर्ष 2021-22 तक लाभांश के भुगतान से छूट का अनुरोध किया था। वित्त वर्ष 2020-21 के लाभांश का भुगतान ₹53,272.35 लाख है। आईआईएफसीएल के पत्र का जवाब प्रतीक्षित है।

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा के दौरान, लेखा परीक्षकों ने निम्नानुसार संकेत दिया है: सहायक कंपनी में निवेश का मूल्यांकन उचित मूल्य के बजाय वहन लागत पर किया गया है। सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार, कंपनी की निवल आस्ति का भी क्षरण हुआ है। जैसा कि हमें बताया गया है, यूके की सहायक कंपनी का वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एस) के तहत तैयार किया गया है और अपेक्षित ऋण हानि मॉडल के तहत भारी प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, कंपनी में संपूर्ण उधार की गारंटी भारत सरकार और आरबीआई द्वारा दी गई है। प्रबंधन की राय में, आईआईएफसी यूके के वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न पर तैयार किए जाते हैं और वे पूंजी में रुपये के किसी भी क्षरण की उम्मीद नहीं करते हैं। कंपनी ने 233.95 करोड़ का निवेश किया।

जैसा कि हमें बताया गया है, आईआईएफसी यूके आईआईएफसीएल की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, निवेश के उचित मूल्य का आकलन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, सहायक कंपनी में निवेश के उचित मूल्यांकन के अभाव में, हम हानि, यदि कोई हो, पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

प्रबंधन का प्रत्युत्तर:

यह प्रस्तुत किया जाता है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड (आईआईएफसी (यूके)) को एक निर्दिष्ट स्तर पर पूंजी बनाए रखने की कोई नियामक आवश्यकता नहीं है। हालांकि, आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2008 से वित्त वर्ष 2010 के दौरान आईआईएफसी (यूके) में 50 मिलियन अमरीकी डालर की इक्विटी डाली। आईआईएफसी (यूके) ने वित्त वर्ष 2012-13 में 30 मिलियन अमरीकी डालर और वित्त वर्ष 2015-16 में 20 मिलियन अमरीकी डालर का लाभांश घोषित किया जो कुल मिलाकर 50 मिलियन अमरीकी डालर था।

इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने इसके परिणामस्वरूप अपनी ऋण बही का गहन प्रावधान और जांच की

- आरबीआई परिपत्र दिनांक 12 फरवरी 2018 (दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान – संशोधित ढांचा) जारी करना जिसके परिणामस्वरूप संकटग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए ढांचा, सीडीआर, मौजूदा दीर्घकालिक परियोजना ऋणों की लचीली संरचना, एसडीआर, एसडीआर के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन जैसी सभी योजनाओं को वापस ले लिया गया।
- दिवाला और दिवालियापन संहिता का कार्यान्वयन जिसके परिणामस्वरूप एनपीए मामलों को अनिवार्य रूप से समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए एनसीएलटी के पास भेजा जाता है।

आईआईएफसीएल की तर्ज पर आईआईएफसी (यूके) में ऋण बही की समान गहन प्रावधान और जांच की गई। इसके परिणामस्वरूप आईआईएफसी (यूके) की निवल आस्ति में गिरावट आई।

आईआईएफसीएल 10 वर्षों की अवधि में आईआईएफसी (यूके) की 250 मिलियन अमरीकी डालर तक की इक्विटी पूंजी की सदस्यता लेकर आईआईएफसी (यूके) को नई पूंजी प्रदान करने का इरादा रखता है।

चूंकि आईआईएफसीएल वित्तीय सेवाओं की गतिविधियों (आरबीआई के फेमा नियमों के अनुसार एक आवश्यकता) से पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान निवल लाभ अर्जित करने के मानदंडों को पूरा नहीं करता था और सहायक ६ समूह कंपनियों में निवेश करने के लिए टियर 1 पूंजी में हेडरूम नहीं था, इसने आरबीआई के नियमों के अनुसार अनुमोदन देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से अनुरोध किया। आरबीआई ने इस ईमेल के साथ संलग्न फाइल में निहित पत्र दिनांक 13 जनवरी 2020 के माध्यम से फेमा कोण से आईआईएफसीएल के अनुरोध को मंजूरी दी और 20 मार्च 2020 के पत्र के नियामक दृष्टिकोण से इस ईमेल के साथ संलग्न एक अन्य फाइल में भी शामिल किया। आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, आईआईएफसीएल ने 31 मार्च 2020 तक आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में प्रति शेयर 25 मिलियन अमरीकी डालर / यूएसडी 1 (अंकित मूल्य) की इक्विटी शेयर पूंजी का संचार किया था।

28. आईआईएफसीएल ने पीएफसी (प्रमुख ऋणदाता) और आरबीआई के साथ संघ में इंड-बाराथ पावर (मद्रास) लिमिटेड (आईबीपीएमएल) को तृतीकोरिन, तमिलनाडु में 1 × 660 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए आंशिक रूप से वित्त पोषित किया है। आईआईएफसीएल ने 250 करोड़ रुपये के आरटीएल को मंजूरी दी थी और एक्सिस बैंक के साथ रखे गए टीआरए खाते में 89.24 करोड़ रुपये का वितरण किया था। टीआरए से धन को उधारकर्ता द्वारा डायवर्ट किया गया था। कंसोर्टियम ने ऋण वापस ले लिया था और 08 फरवरी, 2018 को ईओडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी, जिसकी जांच की जा रही है। 22 मार्च, 2018 को हुई बैठक में आईआईएफसीएल के बोर्ड को खाते के घटनाक्रम की सूचना दी गई थी और 28 मार्च, 2018 को आरबीआई को धोखाधड़ी की घटना की सूचना दी गई थी।
29. पॉलिसी संख्या 1(ए)(5.2(ए)(ए)) के अनुसार, अग्रिम शुल्क, प्रक्रिया शुल्क या कोई अन्य शुल्क जो सीधे ऋण आस्तियों के कारण होता है जो कुल आय का 0.5% से अधिक नहीं है, शुरू में लाभ और हानि के विवरण में प्रोद्भवन आधार पर मान्यता प्राप्त है।
30. आस्ति, संयंत्र और उपकरण में भवनों के सकल ब्लॉक में अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित 262.47 लाख रुपये शामिल हैं।
31. भारत सरकार ने पत्र दिनांक 9 फरवरी 2012 द्वारा आईआईएफसीएल को सूचित किया कि यह निर्णय लिया गया है कि आईआईएफसीएल द्वारा 4.1% की सीमा तक राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी) की इक्विटी का अधिग्रहण किया जाएगा, भले ही आईआईएफसीएल के लिए अनिवार्य नहीं है। सिफटी के अनुसार इक्विटी शेयर का अधिग्रहण, व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना, जिसके तहत आईआईएफसीएल अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है।
32. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत आईआईएफसीएल के खातों की अनुपूरक लेखा परीक्षा धारित करते हैं। सीएण्डएजी का कार्यालय वित्तीय वर्ष के लिए आईआईएफसीएल के पूरक लेखा परीक्षा को पूरा करने के बाद 31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ। 5 जनवरी 2021 को एक पत्र जारी किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को सूचित किया गया है:
 - क) "नकदी प्रवाह विवरण में कमी है जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:
 - सरकारी प्रतिभूतियों में 5297.60 करोड़ रुपये का निवेश गतिविधियों के बजाय परिचालन गतिविधियों के तहत दिखाया गया है जो कि भारतीय लेखा मानक 7 का उल्लंघन है।
 - इसी तरह, 97.87 करोड़ रुपये की रसीद सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के मद में निवेश गतिविधियों के बजाय परिचालन गतिविधियों के तहत दिखाया गया है।
 - इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड, (आईआईएफसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) में 188.45 करोड़ रुपये का इक्विटी आसव को निवेश गतिविधियों के बजाय परिचालन गतिविधियों के तहत दिखाया गया है।

आईआईएफसीएल ने नकदी प्रवाह विवरण में सरकारी प्रतिभूतियों के निवेश/मोचन और इक्विटी निवेश के वर्गीकरण के संबंध में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान से राय देने का अनुरोध किया है। आईसीएआई के जवाब का इंतजार है।

ख) पश्चिम हरियाणा राजमार्ग प्रा. लिमिटेड (100.21 करोड़ रुपये) को 101.57 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए गए। और पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क लिमिटेड (1.36 करोड़ रुपये), मार्च 2015 और अप्रैल 2014 क्रमशः में अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया।

महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 5.3 (डी) के मद्देनजर कंपनी द्वारा मान्यता से वंचित किया जाना चाहिए था। लेकिन 75.84 करोड़ रुपये (वेस्ट हरियाणा हाईवे प्राइवेट लिमिटेड के लिए 75.16 करोड़ रुपये और पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क लिमिटेड के लिए 0.68 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है जो लेखा नीति के अनुपालन में नहीं है। इसकी समीक्षा करने की जरूरत है।

आईआईएफसीएल ने उपरोक्त मामलों में 75% हानि/प्रावधान किया है। बड़े खाते में डालने पर लाभ और हानि के विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

33. कोविड-19 महामारी ने व्यापक प्रसार में व्यवधान पैदा किया है, जिससे कम क्षमता पर इकाइयों का कामकाज या राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के कारण अस्थायी रूप से बंद हो गया है। उद्योगों और उधारदाताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए, आरबीआई ने 27 मार्च, 2020 के अपने परिपत्र के माध्यम से कोविड-19 महामारी के कारण व्यवधानों के कारण उत्पन्न ऋण सेवा के बोझ को कम करने के लिए कुछ नियामक उपायों की घोषणा की है।

व्यवहार्य व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, मीयादी ऋणों के भुगतान का पुनर्निर्धारण निम्नलिखित विवरण/ तरीकों के साथ किया जाता है:

- (i) मूलधन और/या ब्याज घटकों के भुगतान पर तीन महीने की मोहलतय (ii) 1 मार्च, 2020 और 31 मई, 2020 के बीच देय बुलेट पुनर्भुगतान की अनुमति है।
- स्थगन अवधि के तीन महीने बाद ऐसे ऋणों के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची और शेष अवधि को भी पूरे बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अधिस्थगन अवधि के दौरान सावधि ऋण के बकाया हिस्से पर ब्याज अर्जित करना जारी रहेगा।
- यह उन खातों के लिए उपलब्ध है जो 01.03.2020 को मानक हैं। राहत के लिए स्थगन के अनुरोध की प्राप्ति पर समीक्षा की जाएगी। सावधि ऋणों के लिए, जहां चुकौती शुरू नहीं हुई है, केवल तीन महीने के लिए ब्याज हिस्से की गणना की जानी चाहिए।
- कोई दंडात्मक ब्याज या शुल्क देय नहीं होगा।
- अधिस्थगन के दौरान ब्याज की राशि तीन महीने की अवधि के लिए अर्जित की जाएगी और इस तरह के अर्जित ब्याज भुगतान का निर्णय अग्रणी बैंक के निर्णय के मामलों के आधार पर किया जाएगा। चूंकि आईआईएफसीएल केवल सहायक संघ व्यवस्था (पुनर्वित्त खातों को छोड़कर) के तहत उधार देता है और अग्रणी बैंक का अनुसरण करता है, इसलिए उक्त राहत अग्रणी ऋणदाता के अनुमोदन के अनुरूप होगी। उन खातों के संबंध में जहां आईआईएफसीएल अग्रणी ऋणदाता है, आरबीआई के प्रावधान के अनुपालन में सहायक संघ के अन्य ऋणदाताओं के साथ चर्चा में लागू राहत प्रदान की जाएगी।
- एकमात्र उधार में, आईआईएफसीएल अपनी पुनर्वित्त योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऐसे खातों में, शेष अवधि के लिए चुकौती अनुसूची को अधिस्थगन अवधि के तीन महीने बाद स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिसमें आरओआई अपरिवर्तित रहेगा और संचित ब्याज का भुगतान अधिस्थगन के बाद अगली देय तिथि पर किया जाएगा।
- उक्त संदर्भित आरबीआई परिपत्र के संदर्भ में, चूंकि उधारकर्ताओं को कोविड-19 से आर्थिक गिरावट से निपटने में सक्षम बनाने के लिए विवरण स्थगन/अधिस्थगन प्रदान किया जा रहा है, इसे ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों में रियायत या परिवर्तन के रूप में नहीं माना जाएगा। भारतीय आरक्षित निधि बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा) निदेश, 2019 दिनांक 7 जून, 2019 ("प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क") के अनुबंध के पैराग्राफ 2 के तहत उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई के कारण, नतीजतन, इस तरह के एक उपाय, अपने आप में, आस्ति वर्गीकरण डाउनग्रेड का परिणाम नहीं होगा। सावधि ऋणों का आस्ति वर्गीकरण जिन्हें आरबीआई के उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 2 के अनुसार राहत दी गई है, का निर्धारण संशोधित देय तिथियों और संशोधित पुनर्भुगतान अनुसूची के आधार पर किया जाएगा।

34. कोविड-19 नियामक पैकेज दिनांक 27 मार्च 2020 और 17 अप्रैल 2020 से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी को किश्तों के भुगतान पर 3 महीने की मोहलत देने की अनुमति दी है। सभी सावधि ऋण जो 29 फरवरी 2020 तक मानक आस्ति थे। इसका उद्देश्य उधारकर्ताओं की

कठिनाई को कम करने में मदद करना था जो कि राष्ट्रीय लॉकडाउन द्वारा लाया गया था। 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच गिरने वाले मूलधन / या ब्याज घटकों आदि सहित सभी किश्तों के भुगतान पर शुरू में तीन महीने के लिए अधिस्थगन प्रदान किया गया था। 22 मई 2020 को, आरबीआई ने इस अधिस्थगन अवधि को 3 महीने यानी अगस्त 31, 2020 तक बढ़ा दिया। अधिस्थगन अवधि के दौरान ऋण के बकाया हिस्से पर ब्याज मिलता रहा। उन सभी खातों के लिए जहां अधिस्थगन प्रदान किया गया था, अधिस्थगन अवधि के दौरान खातों की अवधि बढ़ने की स्थिति स्थिर रही। उधारदाताओं को अपने ग्राहकों को स्थगन की पेशकश करने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को लागू करना आवश्यक था। ऋणदाताओं ने अधिस्थगन की पेशकश में या तो 'ऑफ्ट-इन' या 'ऑफ्ट-आउट' संरचना की पेशकश करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए हैं।

आईआईएफसीएल ने आरबीआई के परिपत्रों के अनुसार मार्च 2020 से अगस्त 2020 की अवधि के लिए दिए गए सावधि ऋण के पात्र मामलों में ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए अधिस्थगन बढ़ा दिया है। ऐसे मामलों में सृजित सुविधा का पुनर्भुगतान मूल सावधि ऋण की चुकौती अवधि के भीतर निर्धारित किया गया है। 30 सितंबर 2020 को समाप्त छमाही के दौरान, आईआईएफसीएल ने 1 जुलाई के निर्देश संख्या डीसीबी.बीपीडी (पीसीबी) एमसी नंबर 12/09.14.000/2015-16 के संदर्भ में पुनर्रचना के रूप में विचार किए बिना अधिस्थगन ऋण मामलों में आस्थगित ब्याज आय को मान्यता दी। आईआईएफसीएल ने 12 नवंबर, 2020 के पत्र के माध्यम से आरबीआई से यह मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया कि आईआईएफसीएल द्वारा ब्याज आय की मान्यता नियामक अनुरूपता के अनुरूप है। इस संबंध में आरबीआई के जवाब का अभी इंतजार है। नतीजतन, 31 मार्च 2021 को, आईआईएफसीएल ने बाद में वसूली तक स्थगन ऋण मामलों पर स्थगन अवधि के लिए 45,914.50 लाख रु की अप्राप्त ब्याज आय की मान्यता को रूढ़िवादी रूप से स्थगित कर दिया है।

35. 17 अप्रैल 2020 के भारतीय आरक्षित निधि बैंक के परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 के अनुसार, आवश्यक प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

- एसएमए/अतिदेय श्रेणियों में राशि 6,63,930.60 लाख रु. जहां अधिस्थगन/स्थगन बढ़ाया गया था।
- संबंधित राशि जहां आस्ति वर्गीकरण लाभ दिया जाता है वह शून्य है।
- डिफॉल्ट खाते लेकिन मानक जहां अधिस्थगन प्रदान किया जाता है, और आस्ति वर्गीकरण लाभ बढ़ाया जाता है, आईआईएफसीएल ने ऐसे खातों के कुल बकाया के कम से कम 10 प्रतिशत के सामान्य प्रावधान किए हैं। चौथी तिमाही वित्त वर्ष 2020 और प्रथम तिमाही वित्त वर्ष 2021 के दौरान किए गए प्रावधान क्रमशः शून्य रु और शून्य रु।
- विचलन और शेष प्रावधानों के खिलाफ संबंधित लेखा अवधि के दौरान समायोजित प्रावधान शून्य है।

36. "कोविड 19 नियामक पैकेज की समाप्ति के बाद आस्ति वर्गीकरण और आय मान्यता" पर आरबीआई परिपत्र दिनांक 07.04.2021 के निर्देशों के अनुसार, बैंक उन सभी उधारकर्ताओं सहित सभी उधारकर्ताओं से वसूला गया 'ब्याज पर ब्याज' वापस करेगा/समायोजित करेगा। अधिस्थगन अवधि अर्थात् 01.03.2020 से 31.08.2020 के दौरान कार्यशील पूंजी सुविधाओं का लाभ उठाया, भले ही अधिस्थगन का पूर्ण या आंशिक रूप से लाभ उठाया गया हो या नहीं लिया गया हो। इन निर्देशों के अनुसरण में, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा अन्य उद्योग सहभागियों/निकायों के परामर्श से, विभिन्न सुविधाओं के लिए वापसी/समायोजित की जाने वाली राशि की गणना के लिए पद्धति को अंतिम रूप दिया गया है, जिसे सभी ऋणदाता संस्थानों द्वारा अपनाया जाएगा। तदनुसार, आईबीए ने अपने पत्र दिनांक 19.04.2021 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार रिफंड/समायोजन के लिए अंतिम रूप दी गई कार्यप्रणाली को सूचित किया है। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान 2,500 लाख रुपये की ब्याज आय पर ब्याज की अनुमानित राशि को मान्यता नहीं दी है।

37. आरबीआई परिपत्र डीबीआर बी.पी.ई.पू. 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर, आईआईएफसीएल के पास नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 2 खातों में 10,751.52 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान है।

उधारकर्ता का प्रकार	(क) उन खातों की संख्या जहां भारतीय आरक्षित निधि बैंक के परिपत्र डीओआर. सं.बीपी. बीसी/3/21.04. 048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त 2020 के अनुसार समाधान योजना लागू की गई है।	(ख) अनावरण पहले (क) में उल्लिखित खातों के लिए योजना का कार्यान्वयन	(ग) का (ख), ऋण की कुल राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया था	(घ) अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत, यदि कोई हो, योजना के लागू होने और कार्यान्वयन	(ङ) संकल्प योजना के कार्यान्वयन के कारण प्रावधानों में वृद्धि सहित
अन्य	2	रु. 32,919.56 लाख	शून्य	शून्य	रु. 10,751.52 लाख

भारतीय लेखांकन मानक की कर दर (इंड एस 12) से गुणा करके कर व्यय और लेखा लाभ का समाधान:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
कर पूर्व लाभ	31,542.57	(29,148.48)
सांविधिक आयकर दर	25.17%	25.17%
अपेक्षित आयकर व्यय	7,938.63	(7,336.09)
आयकर समायोजन का कर प्रभाव:		
आयकर अधिनियम की धारा 36(1) के तहत कटौती का लाभ –	-	-
निवल प्रावधान अस्वीकृत	(11,283.98)	4,763.03
आयकर की गैर-अनुमति	21,925.02	760.49
विगत वर्ष के आयकर	-	-
अन्य	(33,625.35)	1,812.56
आस्थगित कर	12,030.53	(34,240.27)
कर व्यय	(3,015.14)	(34,240.27)

नोट: 8,145.59 लाख रु कर देयता की गणना अग्रेषित हानियों और अनवशोषित मूल्यहास के समायोजन के बाद की गई है।

39. परिशोधन लागत/उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य माप पदानुक्रम:

क. उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1— समान आस्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (अनसमायोजित)

स्तर 2— उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट जो स्तर 1 के भीतर शामिल हैं जो आस्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी व्युत्पन्न फॉर्म मूल्य) देखने योग्य हैं।

स्तर 3— आस्ति या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अवृश्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2021		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय आस्ति:			
परिशोधन लागत			53,44,278.42
एफवीटीपीएल	-	72,459.98	71,496.83
वित्तीय देयता:			
परिशोधन लागत	18,48,997.24	-	21,93,416.08

विवरण	31.03.2020		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय आस्ति:			
परिशोधन लागत	-	-	49,40,345.72
एफवीटीपीएल	-	76,388.71	1,33,863.19
वित्तीय देयता:			
परिशोधन लागत	18,54,385.35	-	18,72,038.87

ख. वित्तीय आस्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है:

विवरण	31.03.2021		31.03.2020	
	वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय आस्ति	53,44,278.42	53,44,278.42	49,40,345.72	49,40,345.72
वित्तीय देयताएं	40,42,413.32	40,42,413.32	37,26,424.22	37,26,424.22

40. चरण-वार एक्सपोजर और हानि क्षति का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
31 मार्च 2021 तक				
कुल एक्सपोजर	30,03,616.43	1,47,594.66	5,10,043.88	36,61,254.97
हानि भत्ता	39,938.19	50,211.11	3,12,325.87	4,02,475.18
ईसीएल%	1.33%	34.02%	61.24%	10.99%
31 मार्च 2020 तक				
कुल एक्सपोजर	24,22,370.53	2,74,875.78	6,62,307.29	33,59,553.61
हानि भत्ता	30,060.77	82,272.94	3,34,474.41	4,46,808.12
ईसीएल%	1.24%	29.93%	50.50%	13.30%

41. आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधानों के समाधान के लिए प्रकटीकरण और चरणवार अपेक्षित ऋण हानि:

(₹ लाख में)

भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखाकन मानक 109 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखाकन मानक के अनुसार सकल धारणीय राशि	भारतीय लेखाकन मानक 109 में अपेक्षित हानि भत्ता(प्रावधान)	निवल धारणीय राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भारतीय लेखाकन मानक 109 के प्रावधानों एवं आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
-1	-2	-3	-4	(5)=(3)-(4)	-6	(7)=(4)-(6)
अर्जक आस्तियां						
	चरण 1	30,03,616.43	39,938.19	29,63,678.23	12,014.47	27,923.73
मानक	चरण 2	1,47,594.66	50,211.11	97,383.55	590.38	49,620.74
	एफआईटीएल	7,633.55	0.00	7,633.55	0.00	0.00
उप-योग		31,58,844.63	90,149.31	30,68,695.33	12,604.84	77,544.46
अनर्जक आस्तियां (एनपीए)						
अवमानक	चरण 3	54,979.25	18,703.72	36,275.53	8,353.21	10,350.52
संदिग्ध -1 वर्ष तक	चरण 3	25,483.36	17,741.30	7,742.06	7,645.01	1,54,137.66
1 से 3 वर्ष तक	चरण 3	3,08,361.66	1,84,208.96	1,24,152.71	1,22,693.51	61,515.44
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	1,21,219.61	91,672.21	29,547.39	89,275.33	2,396.89
संदिग्ध का उप-योग		4,55,064.63	2,93,622.47	1,61,442.16	2,19,613.84	74,008.63
हानि	चरण 3	0	0	0	0	0
एनपीए का उप-योग		5,10,043.88	3,12,326.19	1,97,717.69	2,27,967.05	84,359.14

अन्य मदें जैसे कि गारंटियां, ऋण प्रतिबद्धताएं आदि जो भारतीय लेखांकन मानक 109 के कार्यक्षेत्र में आते हैं	चरण 3			0		0
	चरण 3			0		0
	चरण 3			0		0
उप-योग		0	0	0	0	0
	चरण 1	30,03,616.43	39,938.19	29,63,678.23	12,014.47	27,923.73
	एफआईटीएल	7,633.55	0.00	7,633.55	0.00	0.00
	चरण 2	1,47,594.66	50,211.11	97,383.55	590.38	49,620.74
योग	चरण 3	5,10,043.88	3,12,326.19	1,97,717.69	2,27,967.05	84,359.14
	योग	36,68,888.51	4,02,475.50	32,66,413.02	2,40,571.89	1,61,903.60

42. जहां कहीं आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है।

भाटिया और भाटिया के लिए सम
तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण No: 003202N)

ह0 / -
अनंत भाटिया
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 507832

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21.06.2021

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के
निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0 / -
पवन कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीन संख्या: 8901398

ह0 / -
मंजरी मिश्रा
(डीजीएम और कम्पनी सेक्रेटरी)

ह0 / -
पीआर जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीन संख्या: 6711526

ह0 / -
राजीव मुखीजा
(चीफ जनरल मैनेजर- CFO)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-एन के तहत आईआईएफसीएल का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण के अनुसरण में अतिरिक्त प्रकटीकरण:

1. चलनिधि जोखिम पर सार्वजनिक प्रकटीकरण:

i. महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा और उधार दोनों) पर आधारित निधिकरण संकेंद्रण:

क्र. सं.	महत्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या	राशि (₹ करोड़)	कुल जमा का%	कुल देयताओं का%
1.	एशियाई विकास बैंक	10,671.95	-	23.73%
2.	विश्व बैंक	1,153.55	-	2.57%
3.	यूरोपीय निवेश बैंक	1,701.89	-	3.78%
4.	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी	1,769.60	-	3.94%

ii. शीर्ष 20 बड़ी जमा राशियाँ (राशि ₹ करोड़ में और कुल जमा का %) – शून्य

iii. शीर्ष 10 उधार (राशि ₹ करोड़ में और कुल उधार का %) – ₹39,700.63 करोड़ और 100%।

iv. महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद के आधार पर निधिकरण संकेंद्रण:

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद का नाम	राशि (₹ करोड़)	कुल देयताओं का%
1.	प्रतिभूत बांड	14,889.97	33.11%
2.	अप्रतिभूत बांड	3,600.00	8.01%
3.	विदेशी मुद्रा उधार	15,435.15	34.33%
4.	बैंक ओवरड्राफ्ट	5,775.51	12.84%

v. स्टॉक अनुपात:

(क) कुल सार्वजनिक धन, कुल देनदारियों और कुल आस्ति के% के रूप में वाणिज्यिक पत्र – शून्य

(ख) गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता) कुल सार्वजनिक धन, कुल देनदारियों और कुल आस्ति के% के रूप में – शून्य

(ग) अन्य अल्पकालिक देनदारियाँ, यदि कोई हों: के रूप में

- कुल सार्वजनिक धन – शून्य
- कुल देनदारियाँ – 14.35%
- कुल आस्ति – 11.60%

vi. चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा:

आईआईएफसीएल का प्रयास आईआईएफसीएल की संसाधन और कोषागार नीति के अनुसार अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त तरलता बनाए रखना है। हालाँकि, आईआईएफसीएल का चलनिधि जोखिम प्रबंधन आईआईएफसीएल (एएलएम नीति) के आस्ति देयता प्रबंधन ढांचे के माध्यम से किया जाता है और इसके लिए संगठनात्मक सेटअप नीचे दिया गया है:

- निदेशक मंडल
- आस्ति-देयता प्रबंधन समिति
- एएलएम सहायता समूह
- जोखिम प्रबंधन समिति
- जोखिम प्रबंधन विभाग

साथ ही, जोखिम प्रबंधन समिति, जो बोर्ड को रिपोर्ट करती है और जिसमें निदेशक, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक शामिल हैं, तरलता जोखिम सहित आईआईएफसीएल द्वारा सामना किए जाने वाले समग्र जोखिम के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल न केवल चलनिधि की स्थिति को निरंतर आधार पर मापता है बल्कि यह भी जांचता है कि निम्नलिखित उपकरणों/तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न मान्यताओं के तहत चलनिधि आवश्यकताओं के कैसे विकसित होने की संभावना है:

- बकेटिंग और बकेटिंग अनुमान
- गतिशील चलनिधि रिपोर्ट
- पुनः परीक्षण
- स्टॉक आधारित दृष्टिकोण – चलनिधि अनुपात
- चलनिधि जोखिम के लिए दबाव परीक्षण ढांचा
- मुद्रा जोखिम
- नकदी प्रवाह मापन – संरचनात्मक तरलता रिपोर्ट
- ब्याज दर जोखिम
- सीमा निगरानी
- चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)
- वित्त पोषण रणनीति
- आकस्मिक निधि योजना

ख) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) से संबंधित तिमाही प्रकटीकरण:

अर्थ सुलभ (लिविडिटी) व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) प्रकटीकरण टैब्लेट									
		30-06-2020		30-09-2020		31-12-2020		31-03-2021	
करोड़ भारतीय रुपयों में		कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल भांरित मूल्य (औसत)	कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल भांरित मूल्य (औसत)	कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल भांरित मूल्य (औसत)	कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल भांरित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता की अर्थसुलभ (लिविडिटी) आस्तियां									
1	**कुल उच्च गुणवत्ता की अर्थसुलभ आस्तियां (एचक्यूएलए)	3,915.90	3,915.90	3,668.28	3,668.28	6,712.87	6,712.87	3,692.61	3,692.61
नकदी प्रवाह									
2	जमाएं (जमाएं लेने वाली कंपनियों हेतु)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	अप्रतिभूत एकमुश्त निधीयन								
4	प्रतिभूत एकमुश्त निधीयन	128.83	148.15	35.11	40.38		-	35.21	40.49
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसका								
(i)	बहिर्गमन व्युत्पन्नी एक्सपोजर से संबद्ध हो और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं हों	-	-	66.73	76.74		-	65.87	75.75
(ii)	कर्ज पर निधीयन के हानि से संबद्ध नकदी बहिर्गमन उत्पाद	-	-		-		-		-
(iii)	क्रेडिट एवं लिक्विडिटी (अर्थसुलभता) सुविधा	128.61	147.90	78.07	89.78	97.12	111.69	59.80	68.77
6	अन्य संविदात्मक निधीयन दायित्व	103.49	119.01	9.36	10.76	42.98	49.42	91.96	105.76
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	-	-		-		-		
8	कुल नकद बहिर्गमन	360.93	415.07	189.27	217.66	140.10	161.11	252.84	290.77
नकदी अंतर्वाह									
9	प्रतिभूत ऋण देना		-		-		-		-
10	पूर्णतः निष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह	279.47	209.61	261.86	196.40	242.01	181.51	238.86	179.14
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	106.12	79.59	225.65	169.24	30.68	23.01	36.31	27.23
12	कुल नकदी अंतर्वाह	385.59	289.20	487.51	365.63	277.69	204.52	275.16	206.37
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
13	कुल एचक्यूएलए	3,915.90	3,915.90	3,668.28	3,668.28	6,712.87	6,712.87	3,692.61	3,692.61
14	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		125.87	125.87	54.41	54.41	40.28	40.28	84.40
15	अर्थसुलभ (लिविडिटी) व्याप्ति अनुपात (%)	3,111.00	3,111.00	6,741.33	6,741.33	16,666.14	16,666.14	4,375.31	4,375.31

*एचओएलए बैंक में नकदी शेष होता है जो बैंक की सावधि जमाओं का असमाहित अंश है।

ग. प्रदान किए गए परिणामों और आंकड़ों की समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए एलसीआर के आसपास गुणात्मक चर्चा:

आरबीआई ने परिपत्र दिनांक 4.11.2019 के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक की आस्ति आकार वाली सभी गैर-जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन को कवर करने वाले दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों का उद्देश्य एलसीआर के संदर्भ में एक तरलता बफर बनाए रखना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास अगले 30 दिनों तक चलने वाले किसी भी तीव्र तरलता तनाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति (एचक्यूएलए) है। एचक्यूएलए को आरबीआई द्वारा तरल आस्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे आसानी से बेचा जा सकता है या तुरंत नकद में परिवर्तित किया जा सकता है या मूल्य का कोई नुकसान नहीं होता है या तनाव स्थितियों में धन प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, एलसीआर की आवश्यकता 1 दिसंबर, 2020 से एनबीएफसी पर बाध्यकारी होगी, जिसमें न्यूनतम एचक्यूएलए एलसीआर का 50% होगा, जो 1 दिसंबर 2024 तक उत्तरोत्तर 100% के आवश्यक स्तर तक पहुंच जाएगा।

जैसा कि स्पष्ट है, वर्तमान में आईआईएफसीएल का तरलता कवरेज अनुपात 50% की नियामक सीमा के भीतर है।

2. धोखाधड़ी ऋण आस्तियों के संबंध में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विवरण
1.	मेसर्स एसई एलएसवाई हाईवे लिमिटेड	आईआईएफसीएल ने 240 करोड़ रुपये के सावधि ऋण को मंजूरी दी थी और 89.45 करोड़ रुपये के कुल ऋण के आंशिक वित्तपोषण के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य में एसएच 57 के दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री खंड को चार लेन का बनाने वाली परियोजना के लिए 1700 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया था। फॉरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर, पीएनबी (अग्रणी उधारकर्ता) ने 27.03.2019 को खाते को धोखाधड़ी घोषित किया और अन्य ऋणदाताओं से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। मई 2019 में अग्रणी बैंक द्वारा कथित परियोजना खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किए जाने के बाद, अग्रणी बैंक ने एक शिकायत/एफआईआर दर्ज की है, जिसे सीबीआई द्वारा 19.08.2019 को प्रस्तुत किया गया और विधिवत प्राप्त किया गया। यह मामला आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल के समक्ष 29 फरवरी, 2020 को हुई अपनी बैठक में रखा गया था और बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ खाते को धोखाधड़ी घोषित करने का संकल्प लिया था। ऋणदाताओं ने अपनी सुविधा वापस ले ली थी और 10.08.2017 को डीआरटी, हैदराबाद में वसूली आवेदन दायर किया था।
2.	मेसर्स रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड	आईआईएफसीएल ने 140 करोड़ रुपये के सावधि ऋण को मंजूरी दी थी और 126.04 करोड़ रुपये के परियोजना ऋण के आंशिक वित्तपोषण के लिए। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चरण प् के तहत बीओटी (वार्षिक) आधार पर झारखंड राज्य में रांची-रारगांव-जमशेदपुर खंड के चार लेन वाली परियोजना के लिए 1111.60 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.11.2017 के आदेश के माध्यम से गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को जांच करने और यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या इस मामले में धोखाधड़ी का गंभीर मामला शामिल है जिसकी जांच की आवश्यकता है। एसएफआईओ ने जांच की और उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार, उधारकर्ता ने कुल 264.01 करोड़ रुपये परियोजना कार्य के लिए निर्धारित है। एसएफआईओ रिपोर्ट के निष्कर्षों/निष्कर्ष के आधार पर, माननीय उच्च न्यायालय ने मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच करने का आदेश दिया और सीबीआई, रांची ने 12 मार्च, 2019 को प्राथमिकी दर्ज की थी और मामले की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक लेखापरीक्षा ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह भी देखा है कि प्रवर्तक द्वारा निधि के राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से इक्विटी / असुरक्षित ऋण का संचार किया गया था। साथ ही, ईपीसी अग्रिम/भुगतान के लिए प्रदान की गई धनराशि का उपयोग परियोजना कार्य के लिए नहीं किया गया था। इसके अलावा, प्रवर्तकों द्वारा दिए गए इक्विटी/असुरक्षित ऋण को संबंधित कंपनियों को मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निधियों के डायवर्जन/साइफनिंग के समान डायवर्ट कर दिया गया था। मामला आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल के समक्ष 29 फरवरी, 2020 को हुई अपनी बैठक में रखा गया था और बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ खाते को धोखाधड़ी घोषित करने का संकल्प लिया था। ऋणदाताओं ने अपनी सुविधा वापस ले ली थी और 15.06.2020 को डीआरटी, हैदराबाद में वसूली आवेदन दायर किया था।
3.	मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम)	आईआईएफसीएल ने रुपये के सावधि ऋण को 250 करोड़ रुपये मंजूर किया था और होल्डिंग कंपनी/सहायक कंपनियों में सृजित की जाने वाली प्रस्तावित आस्तियों के अभिन्न अंग के रूप में पूंजीगत व्यय के हिस्से के रूप में आरकॉम में आस्तियों के निर्माण के लिए खाते में 248 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया था। फॉरेंसिक लेखापरीक्षा ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह भी देखा है कि उधार ली गई धनराशि रुपये की सीमा तक है। 15,436 करोड़ का हेराफेरी किया गया था और यह स्वीकृति पत्रों की शर्तों के अनुपालन में नहीं है और इसे धन का डायवर्जन माना जाता है। चालान वित्तपोषण/छूट का उपयोग संबंधित पक्षों को और/या ऋणों की राउंड-ट्रिपिंग के लिए किया गया था। प्रबंधन से सहायक दस्तावेजों के अभाव में, ये लेन-देन दुर्विनियोजन प्रतीत होते हैं और इन्हें मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण निधियों के विचलन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

		मार्च 2021 को हुई बैठक के दौरान आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल के समक्ष मामला रखा गया था और बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ खाते को एसबीआई के अनुरूप धोखाधड़ी के रूप में घोषित करने का संकल्प लिया था। खाते को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत, 21/05/2018 से शुरू किया गया।
4.	जेएएस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड	आईआईएफसीएल ने जनवरी 2011 में 525.00 करोड़ रु और सुपरक्रिटिकल पैरामीटर सीरिया, बैंक जिला, बिहार के साथ 2 x 660 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए जून 2012 में 14.13 करोड़ रुपये का सावधि ऋण मंजूर किया था। इस परियोजना का प्रचार अभिजीत पावर लिमिटेड और कॉरपोरेट इस्पात एलॉयज लिमिटेड द्वारा किया गया था। आईआईएफसीएल के साथ खाता 30.10.2013 को घटिया श्रेणी में फिसल गया, क्योंकि 2012 के दौरान महुआगढ़ी कोयला ब्लॉक, परियोजना को आवंटित कैप्टिव ब्लॉक अगस्त, 2012 में कोयला ब्लॉक आवंटन पर सीएजी की रिपोर्ट में दिखाई दिया। फॉरेंसिक लेखापरीक्षार ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि उधार ली गई धनराशि को उधारकर्ता कंपनी से समूह कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया है, बिना कोई आस्ति बनाए, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार ली गई धनराशि को अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था। आदि। पीएनबी (दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता) ने खाते को धोखाधड़ी घोषित किया है और मार्च 2019 में सीबीआई के पास शिकायत दर्ज की है। आईआईएफसीएल के बोर्ड ने 29 जून, 2020 को हुई अपनी बैठक में खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित करने को मंजूरी दी है।
5.	टॉपवर्थ टोलवेज (बेला) प्रा. लिमिटेड	आईआईएफसीएल ने 40.00 करोड़ रुपये के कुल ऋण के आंशिक वित्तपोषण के लिए मध्य प्रदेश राज्य में सतना से बेला रोड (एनएच-75) के निर्माण, विकास, रखरखाव और प्रबंधन से संबंधित परियोजना के लिए 315.74 करोड़ रुपये का सावधि ऋण मंजूर किया था। चूंकि रियायतग्राही परियोजना को पूरा करने के लिए आधार हासिल करने में विफल रहा। रियायती प्राधिकरण अर्थात् मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) ने सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्णय के अनुसार दिनांक 11.05.2015 को छूटग्राही को समाप्ति नोटिस जारी किया था। फॉरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अवलोकन पर उचित विचार-विमर्श के बाद और आवश्यक जानकारी प्रस्तुत न करने पर, फॉरेंसिक लेखापरीक्षा के साथ-साथ ऋणदाताओं द्वारा बार-बार अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, सहायक संघ ऋणदाताओं ने खाता धोखाधड़ी के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, अग्रणी बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) ने खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित कर दिया था। 07.12.2019 और आरबीआई को मामले की सूचना दी। इसके बाद, आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने 21.12.2019 को धारित अपनी बैठक में उक्त परियोजना खाते को धोखाधड़ी घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की। आईआईएफसीएल ने जनवरी 2019 में कंपनी के खिलाफ डीआरटी मुंबई में वसूली का मुकदमा दायर करने के बाद 26.09.2017 को उधारकर्ता कंपनी को रिकॉल नोटिस जारी किया था।
6.	इंड-भरत पावर (मद्रास) लिमिटेड	आईआईएफसीएल ने पीएफसी (अग्रणी ऋणदाता) और आरईसी के साथ सहायक संघ में इंड-भरत पावर (मद्रास) लिमिटेड (आईबीपीएमएल) को तूतीकोरिन, तमिल में 1 x 660 कोयला आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए आंशिक रूप से वित्त पोषित किया है। आईआईएफसीएल ने 250 करोड़ रुपये के आरटीएल को मंजूरी दी थी और एक्सिस बैंक के साथ रखे गए टीआरए खाते में 89.24 करोड़ रुपये का वितरण किया था। टीआरए से धन को उधारकर्ता द्वारा डायवर्ट किया गया था। सहायक ने ऋण वापस ले लिया था और 08 फरवरी, 2018 को ईओडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी, जिसकी जांच की जा रही है। 22 मार्च, 2018 को हुई बैठक में आईआईएफसीएल के बोर्ड को खाते के घटनाक्रम की सूचना दी गई थी और 28 मार्च, 2018 को आरबीआई को धोखाधड़ी की घटना की सूचना दी गई थी।

7.	गंगोत्री झाबुआ जोबत कुक्षी टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड	आईआईएफसीएल ने मध्य प्रदेश राज्य में निर्माण-परिचालन-अंतरण के आधार पर (95.00 कि.मी. लम्बी) सड़क के झाबुआ जोबत कुक्षी खंड (राज्य राजमार्ग-39) को 0.00 कि.मी. तक दो लेन का बनाने हेतु मैसर्स गंगोत्री इंटरप्राइजेज लि0 द्वारा प्रवर्तित परियोजना आंशिक वित्तपोषण के लिए 39.11 करोड़ रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत और वितरित किया था। फॉरेंसिक लेखापरीक्षा ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताया था कि कर्जदार टोल से प्राप्त राशि एस्करो खाते में जमा नहीं कर रहा है। आईआईएफसीएल ने अग्रीण बैंक और प्राधिकरण जैसे एमपीआरडीसी के साथ टोल जमा न करने का मामला उठाया है। ऋणदाताओं और एमपीआरडीसी ने भी ऋणी को अनुबंध के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया था, जिसमें विफल रहने पर उधारकर्ता के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपरोक्त गैर-अनुपालन के कारण खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया गया था और फरवरी 2020 में आरबीआई को इसकी सूचना दी गई थी। आईआईएफसीएल ने डीआरटी, नई दिल्ली में वसूली का मुकदमा दायर किया है।
----	---	--

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम के 143(10) धारा के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 04 अक्टूबर 2021 की अपनी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है जो उनकी 21 जून 2021 की पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्ट का स्थान लेता है।

मैंने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखापरीक्षा किया है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है। सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संपूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई मेरी तीन लेखापरीक्षा आपत्तियों को प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया गया है।

इसके अलावा, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।

क. लाभप्रदता पर टिप्पणी

क.1 आस्तियां

क. 1.1 वित्तीय आस्तियां – ऋण – रु. 36646.92 करोड़ (नोट संख्या 4)

कर पूर्व लाभ/(हानि) – रु. 315.42 करोड़

आईआईएफसीएल ने किरतपुर-नेर-चौक खंड के चार लेन के विकास और निर्माण के लिए 280 करोड़ रुपये रु. का ऋण मंजूर किया (24 सितंबर 2012)। आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को और 222.73 करोड़ रुपये वितरित किए गए। यह ऋण खाता 31 दिसंबर 2018 को गैर-निष्पादित आस्ति में बदल गया और ₹ 222.71 करोड़ की बकाया राशि को आईआईएफसीएल के बोर्ड के दिनांक 16 मार्च 2021 के संकल्प के अनुसार वित्तीय विवरण से बड़े खाते में डाल दिया गया था। मार्च 2020 तक 106.98 करोड़ रुपये की बकाया राशि के खिलाफ प्रावधान किया गया था।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और किरतपुर-नेर-चौक एक्सप्रेसवे लिमिटेड के बीच निपटान के संबंध में आईएल एंड एफएस बनाम भारत संघ के मामले में, एनसीएलटी ने (24 फरवरी 2021) निवल निपटान राशि के अनुसार 672.62 करोड़ रुपये का आदेश दिया। संशोधित वितरण ढांचे के साथ जिसे संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक (9 मार्च 2021) में अधिकांश उधारदाताओं द्वारा स्वीकार किया गया था। आईआईएफसीएल ने निपटान प्रस्ताव के खिलाफ अपील (10 मार्च 2021) को प्राथमिकता दी। इसके अलावा, इसने अग्रणी बैंकर से अनुरोध किया कि केएनसीईएलएनएचएआई से शेष राशि का दावा करने में ऋणदाता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एनएचएआई द्वारा जारी निपटान राशि, यदि कोई हो, को ऋणदाताओं द्वारा विनियोजित किया जा सकता है। एनएचएआई ने एस्करो खाते में 662.53 करोड़ रुपये जारी किए (31 मार्च 2021) और आईआईएफसीएल को 122.80 करोड़ रुपये का अपना हिस्सा (9 अप्रैल 2021) प्राप्त हुआ। , हालांकि, यह राशि वित्तीय विवरणों में दर्ज नहीं की गई थी जिन्हें 21 जून 2021 को अंतिम रूप दिया गया था।

इसके परिणामस्वरूप 'कर और अन्य इक्विटी से पूर्व लाभ' को रु. 122.80 करोड़ था ।

क.1.2 वित्तीय आस्ति – ऋण – रु. 36646.92 करोड़ (नोट संख्या 4)

कर पूर्व लाभ/(हानि) – रु. 315.42 करोड़.

आईआईएफसीएल ने एचकेआर रोडवेज लिमिटेड को 181 करोड़ रु. का ऋण मंजूर किया (जनवरी 2011)। ऋण खाता 30 सितंबर 2018 को गैर-निष्पादित आस्ति में बदल गया। 31 मार्च 2021 तक, 163.01 करोड़ रु. बकाया था, जिसके विरुद्ध रु. 81.50 करोड़ का प्रावधान हो चुका है।

800 करोड़ रुपये के लिए एचकेआर रोडवेज लिमिटेड का एकमुश्त निपटान यानि वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) प्रस्ताव को 1 नवंबर 2019 को कट-ऑफ तारीख के साथ कंसोर्टियम उधारदाताओं के बकाये के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए आईआईएफसीएल बोर्ड द्वारा 15 मार्च 2021 को मंजूरी दी गई थी और 26 मार्च 2021 को निपटान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ओटीएस के अनुसार, आईआईएफसीएल का हिस्सा 95.04 करोड़, रु था जिसमें से 11.87 करोड़ रुपये. 31 मार्च 2021 तक प्राप्त हो चुके थे और शेष रु. 13 मई 2021 को 83.17 करोड़ प्राप्त हुए थे, हालांकि, यह राशि वित्तीय विवरणों में दर्ज नहीं की गई थी जिन्हें 21 जून 2021 को अंतिम रूप दिया गया था।

इसके परिणामस्वरूप प्रावधान को अधिक बताया गया है और रु. 13.54 करोड़ के कर पूर्व लाभ को दर्ज किया गया।

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट'
(सीएंडएजी की टिप्पणियों के आधार पर हमने रिपोर्ट में बदलाव किया है)

सेवा में,

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

के सभी सदस्य

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर योग्य राय

सशर्त मत

हमने **इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** (कंपनी) के समेकित भारतीय लेखांकन मानकों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 तक तुलन पत्र लाभ और हानि विवरण (अन्य समग्र आय सहित) और इक्विटी में परिवर्तल के उस तारीख को समाप्त वर्ष के अंत में नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी जानकारी सहित "समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (इसके पश्चात समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण" कहा जाए) शामिल है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त सशर्त मत वाले पैराओं के लिए आधार में उल्लिखित मामले के प्रभाव को छोड़कर उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण द्वारा अपेक्षित सूचना इस प्रकार अपेक्षित तरीके से देती है, जो कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015. [यथा संशोधित भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं] दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी के क्रियाकलापों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ (अन्य समग्र आय सहित विपरीत निष्पादन), इक्विटी में परिवर्तन व उसके नकद प्रवाह की एक सही एवं स्पष्ट दृष्टि देती है।

सशर्त मत का आधार

क. यूके में सहायक कंपनी में निवेश

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) एक सहायक कंपनी में निवेश का मूल्यांकन कंपनी द्वारा वहनीय लागत अर्थात् 42,240.32 लाख रुपए पर किया गया है। जैसा कि सहायक कंपनी की वित्तीय विवरणों से पता चला है, यूके में सहायक कंपनी का निवल मूल्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत तैयार किये गये हैं और संभावित ऋण हानि मॉडल के तहत भारी प्रावधान किए गए हैं। प्रबंधन के मतानुसार, यूके में सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किये गये हैं और जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, यूके में सहायक कंपनी के निवेश के उचित मूल्य का आकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए यूके में सहायक कंपनी के निवेश के उचित मूल्यांकन के बिना, हम लाभ हानि खाते, आरक्षित निधि और निवेश (राशि मूल्यांकित) के द्वांसन यदि कोई हो के प्रभाव पर कोई भी टिप्पणी देने में असमर्थ है।

ख. विविध देयता (ब्याज पूंजीकरण)

कोविड-19 नियामक पैकेज दिनांक 27 मार्च, 2020 और 17 अप्रैल 2020 से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी को सभी अवधि की किश्तों के भुगतान पर 3 महीने की मोहलत देने की अनुमति दी है। वे ऋण जो 29 फरवरी, 2020 तक मानक आस्ति थे, उनका प्रारंभिक अधिस्थगन अवधि 1 मार्च, 2020 और 31 मई 2020 के बीच भुगतान किया गया था। 22 मई 2020 को, आरबीआई ने अधिस्थगन अवधि को 3 महीने यानी 31 अगस्त तक बढ़ाने की अनुमति दी। एक अन्य अधिस्थगन अवधि के दौरान ऋण के बकाया हिस्से पर ब्याज अर्जित करना जारी रहेगा। सभी खातों के लिए यह निर्धारित करता है कि जहां अधिस्थगन प्रदान किया जाता है, खातों की अवधि बढ़ने पर अधिस्थगन अवधि के दौरान स्थिर रहेगा। उधारदाताओं को अपने ग्राहकों को स्थगन की पेशकश करने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को लागू करना आवश्यक था।

आईआईएफसीएल ने आरबीआई के परिपत्रों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, मार्च 2020 से अगस्त 2020 की अवधि के लिए दिए गए सावधि ऋण के पात्र मामलों में ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए अधिस्थगन बढ़ा दिया है।

45914.50 लाख रुपये की राशि का ब्याज आय से परिवर्धित कर दिया गया है और ब्याज के कारण विविध देयता (ब्याज पूंजीकरण खाता) में जमा किया गया है, जो कि सावधि ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान अर्जित हुआ है, जिसने अधिस्थगन का लाभ उठाया है।

कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 45,914.50 लाख रुपये से कम करके आंका गया है और विविध देनदारियों को उसी राशि से अधिक बताया गया था। हमें प्रबंधन द्वारा समझाया गया है कि आईआईएफसीएल ने मामले को भारतीय आरक्षित निधि बैंक को स्पष्टीकरण के लिए भेजा है और उस पर जवाब अभी भी लंबित है।

*भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के कार्यालय ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईआईएफसीएल के वित्तीय विवरणों की अनुरूप लेखा परीक्षा के दौरान, अगस्त 2021 में आईआईएफसीएल के सांविधिक लेखा परीक्षकों को जारी किए गए अतिरिक्त निर्देशों के तहत प्रकटीकरण के संबंध में आवाज मॉडल जारी किया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा की। 21 जून, 2021 की रिपोर्ट में तदनुसार, आईआईएफसीएल के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर 4 अक्टूबर, 2021 को संशोधित स्टैंडअलोन और समेकित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी की।

इसके परिणामस्वरूप गैर-वित्तीय आस्तियों (आस्थगित कर आस्तियों) को 96.26 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है और गैर-वित्तीय देनदारियों (आस्थगित कर देनदारियों) को 19.29 करोड़ रुपये से कम बताया गया है।

इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ को कम करके दिखाया गया है – “कर से पहले निवल लाभ” और “अन्य परिचालन देनदारियों में वृद्धि / (कमी)” 459.15 करोड़ रु नकदी प्रवाह विवरण में कर से पहले संचालन से नकदी प्रवाह का अधिक विवरण दिखाया गया है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा का निष्पादन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुरूप किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व की और अधिक व्याख्या हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणी खंड से संबंधित लेखा परीक्षकों के दायित्वों में दी गई है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के साथ-साथ अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं और नैतिक आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्व पूरे किए हैं। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे सशर्त मत के लिए आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और समीचीन हैं।

मामले का महत्व

1. हम आरबीआई मास्टर दिशा-निर्देश डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016-17 दिनांक 17 फरवरी, 2020 को अद्यतन निर्देश संख्या 16 के अनुसार ऋण आस्तियों की राशि से ऋण आस्तियों पर प्रावधान/क्षति के गैर-निवल के संबंध में ऋण आस्तियों के नोट संख्या 4 में दिए गए फुट नोट पर ध्यान आकर्षित करते हैं।
2. हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 1 (बी) 33 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो कोविड-19 महामारी के कारण व्यापक प्रसार व्यवधानों के संबंध में की गई कार्रवाइयों के अनिश्चितताओं के साथ-साथ लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंध और कोविड-19 महामारी की स्थिति से संबंधित शर्तों, जिसके लिए बाद की अवधि में प्रभाव का एक निश्चित मूल्यांकन परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भर है क्योंकि वे विकसित होते हैं, के वित्तीय प्रभाव के प्रबंधन के आकलन के बारे में बताता है। इसके अलावा, भारतीय आरक्षित निधि बैंक ('आरबीआई') कोविड -19 नियामक पैकेज के अनुसार, कंपनी ने सभी पात्र उधारकर्ताओं को किश्तों के भुगतान पर स्थगन की पेशकश की है। चिंताओं को दूर करने के लिए, आरबीआई ने 27 मार्च, 2020 और 22 मई, 2020 के अपने परिपत्रों के माध्यम से कोविड-19 महामारी के कारण व्यवधानों के कारण उत्पन्न ऋण सेवा के बोझ को कम करने के लिए कुछ नियामक उपायों की घोषणा की है।
3. हम 36 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 1(बी) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो बताता है कि आईआईएफसीएल ने आरबीआई परिपत्र दिनांक 07.04.2021 के निर्देशों के अनुसार “कोविड 19 नियामक पैकेज की समाप्ति के बाद आस्ति वर्गीकरण और आय मान्यता” पर, 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान 2,500 लाख रुपये की ब्याज-पर-ब्याज आय की अनुमानित राशि को मान्यता नहीं दी है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है:

क्र. सं.	प्रबंधन	हमारी लेखापरीक्षा में मामले का कैसे निवारण किया गया था
1.	ग्राहकों को दिये गए ऋण और अग्रिम राशि की हानि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का नोट संख्या 1(क) 5 : स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का नोट सं. 16: अपेक्षित ऋण हानि का अनुमान एवं बोध-निर्धारण का उपयोग एवं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का नोट सं. 5.7 ऋण देखें। ऋण की हानि इंड-एस-109-वित्तीय लिखतों के अनुसार अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल पर आधारित है। कंपनी की हानि भत्ता ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों और हानि अनुपात सहित कुछ प्रबंधन अनुमानों पर आधारित है।	
	ऋण और अग्रिमों की हानि की पहचान और माप में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय शामिल है। जिन क्षेत्रों में प्रबंधन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है वे हैं: • ऋण चरणबद्धता मापदंड • चूक की संभावना की गणना / चूक को देखते हुए हानि • चूक के जोखिम का निर्धारण • संभाव्यता भारित परिदृश्यों और भविष्योन्मुखी मैक्रो-आर्थिक कारकों पर विचार • ईसीएल मॉडल की प्रयोज्यता के लिए कई डेटा इनपुट की आवश्यकता होती है। इससे डेटा की पूर्णता और सटीकता का जोखिम बढ़ जाता है जिसका उपयोग मॉडल में धारणा बनाने के लिए किया गया है।	हमने नीचे दी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया: डिजाइन / नियंत्रण • इंड एस 109, हमारी व्यावसायिक समझ और उद्योग अभ्यास की आवश्यकताओं के आधार पर प्रबंधन द्वारा उपयोग किए जाने वाले हानि सिद्धांतों की उपयुक्तता का मूल्यांकन • हानि शुल्क की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली ऋण हानि प्रक्रिया पर प्रमुख आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन और कार्यान्वयन का मूल्यांकन • प्रबंधन के परिव्यय के अनुमानों को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रासंगिक जानकारी के मिलान पर प्रबंधन के नियंत्रण का मूल्यांकन • परीक्षित समीक्षा वित्तीय विवरणों में हानि भत्तों और प्रकटीकरण के मापन पर नियंत्रण की जांच
2.	व्युत्पन्नी लिखतों एवं बचाव व्यवस्था संबंधी लेखांकन का मूल्यांकन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट 1(क)5.2 में व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का नोट सं. 3: व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें में लेखांकन नीतियां देखें।	
	उधार पर विदेशी विनिमय दर जैसे जोखिमों का प्रबंधन और बचाव करने के लिए कंपनी व्युत्पन्नी अनुबंधों सम्पन्न करती है। कंपनी या तो नकदी प्रवाह में प्रवेश करती है या जोखिम से बचाव के आधार पर उचित मूल्य बचाव करती है। व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें और बचाव प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना जटिल और परिचालन रूप से बोझिल है और इसके लिए कंपनी के प्रबंधन से कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है। हमारी प्रक्रिया में शामिल हैं	हमारी प्रक्रिया में शामिल हैं डिजाइन/नियंत्रण जोखिम प्रबंधन नीतियों और परीक्षण किए गए प्रमुख नियंत्रणों की समझ प्राप्त की (i) नामांकित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण सहित बचाव व्यवस्था संबंधी के पदनाम के समयय बचाव लेनदेन की शुरुआत में प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज (ii) बचाव प्रभावशीलता के परीक्षण सहित प्रबंधन द्वारा बचाव संबंधों की चल रही निगरानी और समीक्षा के संबंध में।
		मूल परीक्षण • चयनित नमूनों के लिए व्युत्पन्न उपकरणों की पहचान और माप की जांच की गई है, जो इंड एस 109 के अनुसार है • इंड एस 109 आवश्यकताओं के साथ प्रलेखन के अनुपालन का आकलन करने के लिए नमूना आधार पर बचाव प्रलेखन की जांच की • नमूना आधार पर नमूना जांच की गई है कि तीसरे पक्ष से प्राप्त स्वतंत्र पुष्टिकरण के लिए व्युत्पन्न उपकरणों का मिलान

		- नमूना आधार पर हेज लेखांकन की प्रयोज्यता और सटीकता की जांच की गई - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में वित्तीय जोखिम प्रबंधन, व्युत्पन्न लिखतों और बचाव लेखांकन के संबंध में प्रकटीकरण की उपयुक्तता पर विचार किया गया।
3.	सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सक्षम लेखा प्रणाली का एकीकरण	
		हमारी प्रक्रियाओं में शामिल हैं
	कंपनी ने वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड में सूचना प्रणाली पर प्रभावी निर्भरता और स्वचालित नियंत्रण पर निर्भरता सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान एसएपी प्रणाली लागू की। कंपनी अभी भी आईटी सक्षम लेखा प्रणाली के स्थिरीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया में है। हमने 'आईटी सिस्टम्स एंड कंट्रोलस' को प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना क्योंकि यह पूर्ण स्वचालन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुकूलन की प्रक्रिया में है और प्रमुख वित्तीय कारकों की गणना में शामिल पैमाने और जटिलता जैसे कि ऋण की हानि, व्युत्पन्नी का मूल्यांकन और बचाव वित्तीय गणना ईआरपी प्रणाली से विदेशी मुद्रा लाभ और हानि। इसके अलावा, एफआईटीएल बनाकर वर्ष के दौरान उलटी गई ब्याज आय को ईआरपी सिस्टम में मैनुअल रूप से पोस्ट किया गया है। आस्तियों की हानि, व्युत्पन्न आस्तियों, विदेशी मुद्रा लाभ और हानि और वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण की गणना की मूल्यांकन प्रक्रिया।	हमने इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 'ग' में सिस्टम की नियंत्रण कमजोरी के रूप में भी इसका उल्लेख किया है। स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त अन्य सूचना और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त अन्य सूचना और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक शामिल हैं, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन इंड-एस वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं। बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की लेखापरीक्षा की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के समनुरूप है या अन्यथा प्राप्त हमारी जानकारी महत्वपूर्ण रूप से मिथ्या रूप में उल्लिखित की गई प्रतीत होती है।

जब हम बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक को पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण मिथ्याकथन है, तो हमसे उन प्रभारों के लिए मामले को शासन को संप्रेषित करना, और यदि आवश्यक हो, समीचीन कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इस एकल वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के तहत जिम्मेदार है, जो कि वास्तविक और निष्पक्ष लेखे प्रदान करते हैं। कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित लेखाकार सिद्धांतों

के अनुसार आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह पर वास्तविक और स्पष्ट विचार देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की आस्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त अभिलेखों और रखरखाव और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकना उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और निर्णय लेना और अनुमान लगाना उचित और विवेकसम्मत और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन कार्यान्वयन और रखरखाव सहित संबंधित लेखा का रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, को सुनिश्चित करना भी प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन कम्पनी की सतत प्रतिष्ठान के रूप में चालू रहने की कम्पनी की क्षमता का आकलन करने, सतत प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने, जैसा भी प्रयोज्य हो, और लेखांकन के सतत प्रतिष्ठान आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जब तक कि या तो कम्पनी दिवालिया होने लिए अभिप्रेत न हो या प्रचालन बंद न कर दे इसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई भी यथार्थपरक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में औचित्यपूर्ण आश्वस्ति प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त है, चाहे यह चूक से हुआ हो या धोखाधड़ी से और लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा मत शामिल हो औचित्यपूर्ण आश्वस्ति उच्च स्तर की आश्वस्ति है, किंतु ये गारंटी नहीं कि एसए के अनुसार की गई कोई लेखा परीक्षा सदैव किसी महत्वपूर्ण मिथ्याकथन को ढूँढ लेगी जहां यह विद्यमान हो। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और इसे महत्वपूर्ण समझा जाता है यदि इनसे व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप से, इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की औचित्यपूर्ण रूप से संभावना है।

एसए के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम व्यावसायिक निर्णय का उपयोग करते हैं और और सम्पूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक समय को ध्यान में रखते हैं। हम यह भी करते हैं

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों की पहचान और आकलन करना चाहे ये धोखाधड़ी से हुए हो या चूक द्वारा उन जोखिमों पर प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षाएँ डिजाइन या निष्पादित करना है और ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना है जो हमारे मत के लिए एक आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और समीचीन हो धोखाधड़ी से परिणत होने वाले महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि ने परिणत होने वाले मिथ्याकथन से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में साठ-गांठ, जालसाजी, इरादतन लोप, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- ऐसी लेखा प्रक्रियाओं को तैयार करने में लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त हो कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (3) (झ) के अंतर्गत हम इस बारे में भी अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है कि या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभावोत्पादकता विद्यमान है।
- लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों की तर्क संगति और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के आधार पर प्रबंधन के चालू प्रतिष्ठान आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता निश्चित करना जो प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा सत्य पर आधारित हो कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है। जिनसे कम्पनी की सतत प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न हो सकता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, ऐसे में हमसे अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में किए गए संबंधित प्रकटीकरणों के प्रति ध्यान आकर्षित करें अथवा, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होतो अपना मत संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथा भविष्य की घटनाओं या स्थितियों की वजह से कम्पनी एक सतत प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, और यह मूल्यांकन करना कि क्या विवरणी अंतर्निहित सव्यवहारों और घटनाओं को ऐसे तरीके से प्रस्तुत करती है जो उचित प्रस्तुतीकरण प्राप्त कर सके।

- स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार विवरणों में गलत विवरण महत्वपूर्ण होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से सकल रूप से इसे संभाव्य बनाते हैं कि वित्तीय विवरणों के औचित्यपूर्ण रूप से जानकारी प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (1) अपने लेखापरीक्षा कार्य के स्कोप का नियोजन करने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने और (2) वित्तीय विवरणों में किसी भी चिन्हित मिथ्याकथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण कारकों पर विचार करते हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र और समयसीमा और उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी उल्लेखनीय खामियां शामिल हैं जिन्हें हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान निर्णित करते हैं के बारे में प्रशासन के लिए प्रभारित को संप्रेषित करते हैं।

हम प्रशासन के लिए प्रभारित पक्षों को यह विवरण भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों को प्रेषित करते हैं जिनका प्रभाव पूर्ण रूप से हमारी स्वतंत्र और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षोपायों पर माना जा सकता है।

प्रशासन के लिए प्रभारित पक्षों को संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू अवधि की वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक उल्लेखनीय हो और इस प्रकार प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हो। हम अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में उन मामलों का उल्लेख करते हैं जब तक कि कानून और विनियम में मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरणों से मना किया गया हो या जब अत्यंत विरल परिस्थितियों में हम निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से ऐसे संप्रेषण के लोक हित के लाभों से ऊपर होने की संभावना है।

सीएजी की टिप्पणियों के परिणामस्वरूप, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संशोधित किया गया है और योग्य राय के लिए आधार के पैरा (ख) और सीएजी द्वारा जारी अतिरिक्त पूरक निर्देशों को शामिल करने के लिए अनुलग्नक 'ख' को संशोधित किया गया है।

अन्य मामले

- जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149(1) के तहत स्वतन्त्र निदेशकों की वांछित संख्या में नियुक्त किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। तदनुसार बोर्ड के गठन की कार्रवाई की उपरोक्त अपेक्षाओं के अनुसरण के बिना यथा संघटित रहेगी।
- निवेश और सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी को कर पश्चात लाभ के 30 प्रतिशत या सीपीएसई के निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना चाहिए, जो मौजूदा कानूनी प्रावधान के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन है। हालांकि, आईआईएफसीएल ने 14 जनवरी, 2016 के पत्र के माध्यम से सरकार से कम से कम 3 वर्षों के लिए लाभांश के भुगतान से छूट का अनुरोध किया था और किसी भी लाभांश का भुगतान नहीं किया है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने 19 सितंबर 2019 के पत्र के माध्यम से सरकार से कम से कम वर्ष 2021-22 तक लाभांश के भुगतान से छूट का अनुरोध किया था। आईआईएफसीएल के पत्र का जवाब प्रतीक्षित है।
- कंपनी ने आईएल एंड एफएस एनवायरनमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के 4.52 करोड़ रुपये की ऋण राशि के खिलाफ 100 प्रतिशत प्रावधान किया है। जबकि इसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखापरीक्षा पर अपनी टिप्पणियों के माध्यम से सीएजी द्वारा प्रस्तावित के अनुसार बड़े खाते में डाल दिया जाना चाहिए था।

इन मामलों में हमारी राय संशोधित नहीं है

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- कंपनियों द्वारा यथापेक्षित (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार जारी किए गए आदेश 2016 (आदेश) की अपेक्षा के अनुरूप उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में उल्लिखित मामलों के सम्बन्ध में लागू सीमा तक हम अनुलग्नक क में एक विवरण दे रहे हैं।
- भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत दिए गए निर्देशों / उप-निर्देशों को कम्पनी के 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा करते समय सत्यापित किया गया और दिशा-निर्देशों के अनुपालन सम्बन्धी रिपोर्ट अनुलग्नक-ख पर संलग्न है।
- जैसा कि हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं:

- (क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;
- (ख) उपर्युक्त सशर्त मत के आधार में उल्लिखित मामले के सम्भावित प्रभाव को छोड़कर, हमारी राय में लेखों की हमारी जांच से यह प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने संबंधी कानून में अपेक्षित खाते की बहियों को उचित रूप से रखा गया है;
- (ग) इस रिपोर्ट के साथ संलग्न समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण, तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से अनुरक्षित लेखा बहियों के अनुरूप है;
- (घ) उपर्युक्त अनुच्छेद में उल्लिखित मामले के सम्भावित प्रभाव को छोड़कर हमारी राय में उपर्युक्त भारतीय लेखांकन मानक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी कंपनी (लेखा) नियमों 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप है;
- (ङ) निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप धारा (2) की आवश्यकता अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया।
- (च) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की पर्याप्तता और इन नियन्त्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में "अनुलग्नक-ग" में दी गई अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियन्त्रणों की पर्याप्तता और इन नियन्त्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में असंशोधित राय व्यक्त की गई है।
- (छ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 प्रबंधकीय पारिश्रमिक लागू नहीं है।
- (ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- i. जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अनुलग्नक क" के खंड vii (ख) में सूचीबद्ध आयकर मुकदमे को छोड़कर उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।
 - ii. कंपनी ने लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किए हैं, जो कि व्युत्पन्न अनुबंधों सहित भौतिक नुकसान या दीर्घकालिक अनुबंधों के लिए हैं।
 - iii. ऐसी कोई राशि नहीं जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

कृते भाटिया एंड भाटिया

सनदी लेखाकार

एफआरएन सं: 003202N

ह/-

भागीदार: अनंत भाटिया

एम.सं0 : 507832

यूडीआईएन: 21507832AAAAGD8840

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 4 अक्तूबर, 2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक “क”

“हमारी रिपोर्ट के कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” पैराग्राफ 2 (च) खण्ड के तहत संदर्भित अनुलग्नक कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2021 के अनुसार इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (“कम्पनी”) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा किया है, जो कंपनी के उस तिथि को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के साथ किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर बताए गए मार्गदर्शन नोट के आधार पर कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें अनुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, उसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित, अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार जरूरी विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की समय पर तैयारी शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा-परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग (“मार्गदर्शी नोट”) और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में जारी मानदंडों को लेकर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट के अनुसार लेखापरीक्षा का संचालन किया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों को आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षा के लिए लागू किया गया है और दोनों भारतीय संस्थान के सनदी लेखाकार द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शी नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और उसके अनुपालन के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनायें और लेखा परीक्षा का पालन करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित रखा गया हो और इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में कारगर ढंग से संचालित किया गया है।

हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि सामग्री की कमजोरी मौजूद है, और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और ऑपरेटिंग प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना और अनुमान लगाना शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक गलतियों के जोखिम के आकलन शामिल हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या किसी तरह के त्रुटि के कारण।

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग से कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षण को लेकर राय बनाने का आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षण के प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी करने की एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की आस्तियों के लेनदेन और प्रकृति को दर्शाती हैं (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक रूप में दर्ज किए जाते हैं और कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्तियां और व्यय ही बताती रही हैं और (3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव हो सकता है कि कंपनी की आस्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण संगठित या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों के रद्द किये जाने की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलतफहमी हो सकती है और इसे चिह्नित नहीं किया

जा सकता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं व वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रहता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति में कमी आ सकती है।

- ईआरपी सभी लेनदेनों के स्वचालित रूप से रिकॉर्ड का स्थिरीकरण एवं एकीकरण के प्रक्रिया में है जिसके कारण कुछ लेनदेन जैसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार ह्रासन हानि की संगणना एवं ऋणों पर संदिग्ध कर्जों का प्रावधान, अग्रिमों का वर्गीकरण/आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण, विदेशी मुद्रा के लेनदेनों, बचाव व्यवस्था की संविदाओं में विदेशी मुद्रा में लाभ/हानि की संगणना एसएपी (ईआरपी) से अलग की जाती है।
- तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट/समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट हमारी समीक्षा के लिए हमें प्रस्तुत नहीं की गई है। हमें बताया गया है कि इसे देखते हुए कोविड-19 के कारण बार-बार लॉकडाउन होने के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा/समवर्ती लेखापरीक्षा का कार्य पूरा नहीं किया जा सका। हम अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट के निष्कर्ष के बाद इस अवधि से संबंधित किसी भी अवलोकन पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं जो आंतरिक लेखा परीक्षक/समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया जा सकता है।

अभिमत

हमारी राय में, उपर्युक्त पैरा को छोड़कर, अपनी पूरी जानकारी तथा विश्वास के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (सीआईएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा सम्बन्धी दिशानिर्देशों में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग से कंपनी की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली होती है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

कृते भाटिया एंड भाटिया,

सनदी लेखाकार

एफआरएन सं. : 003202N

ह0/-

भागीदार : अनंत भाटिया

सदस्यता सं. : 507832

यूडीआईएन. : 21507832AAAAGD8840

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 4 अक्तूबर, 2021

अनुपालना प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा जारी निदेशों/उप-निदेशों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वार्षिक समेकित लेखाओं की लेखा-परीक्षा की है और यह प्रमाणित करते हैं कि हमने, सभी जारी निदेशों/उप-निदेशों का पालन किया है।

कृते भाटिया एंड भाटिया,

सनदी लेखाकार

एफआरएन सं. : 003202N

ह0/—

भागीदार : अनंत भाटिया

सदस्यता सं. : 507832

यूडीआईएन. : 21507832AAAAGD8840

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 21 जून, 2021

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

31 मार्च 2021 वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र का विवरण

सीआईएन सं. U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2021 तक (लेखापरीक्षा किये हुए)	31.03.2020 तक (लेखापरीक्षा किये हुए)
I	आस्तियां			
1	वित्तीय आस्ति			
(क)	नकद और नकदी के समतुल्य	2	47,244.86	10,153.25
(ख)	उपरोक्त के अलावा अन्य बैंक बैलेंस		1,351,785.29	1,354,013.47
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों	3	61,363.78	1,24,349.31
(घ)	प्राप्तियों	4	939.31	900.10
(ङ)	ऋण	5	4,832,775.29	4,469,919.25
(च)	निवेश	6	6,12,353.05	6,15,662.59
(छ)	अन्य वित्तीय आस्ति	7	52,374.74	72,457.47
	उप योग (1)		6,958,836.32	6,647,455.45
2	गैर-वित्तीय आस्ति			
(क)	वर्तमान कर आस्तियां (शुद्ध)	8	37,816.23	36,451.98
(ख)	आस्थगित कर आस्ति (शुद्ध)	9	9,726.05	-
(ग)	सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	10	26,070.03	26,981.86
(घ)	पूँजीगत कार्य – प्रगति पर	11	-	-
(ङ)	अन्य अमूर्त आस्ति	12	279.45	450.87
(च)	अन्य गैर-वित्तीय आस्तियां	13	845.40	443.63
	उप योग (2)		74,737.16	64,328.33
	कुल आस्ति (1+2)		7,033,573.48	6,711,783.78
II	देयता एवं इक्विटी			
क	देयताएं			
1	वित्तीय देनदारियां			
(क)	ऋण प्रतिभूतियों	14	32,18,389.80	32,58,824.67
(ख)	उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	15	21,21,066.14	17,93,421.58
(ग)	अन्य वित्तीय देयताएं	16	73,170.42	81,472.86
	उप योग (क-1)		5,412,626.36	5,133,719.10
2	गैर-वित्तीय देयताएं			
(क)	वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)	17	13,657.70	13,525.14
(ख)	प्रावधानों	18	5,61,835.49	5,99,870.58
(ग)	आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	9	-	2,318.82
(घ)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	19	48,140.13	4,408.43
	उप योग (क-2)		6,23,633.32	6,20,122.98
	उप योग (क)		6,036,259.68	5,753,842.08
ख	इक्विटी			
(क)	इक्विटी शेयर पूँजी	20	9,99,991.62	9,99,991.62
(ख)	अन्य इक्विटी	21	(2,677.82)	(42,049.92)
	उप योग (ख)		9,97,313.80	9,57,941.70
	कुल देयताएं और इक्विटी (क+ख)		7,033,573.48	6,711,783.78

1 से 30 तक के नोट खातों का अभिन्न भाग हैं।

कृते भाटिया और भाटिया
सनदी लेखाकार की सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
(फर्म पंजीकरण संख्या: 003202N)

कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से

ह./
अनंत भाटिया
(भागीदार)
सदस्यता संख्या: 507832
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21.06.2021

ह./
पवन कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8901398
ह./
मंजरी मिश्रा
(डीजीएम और कंपनी सचिव)

ह./
पीआर जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 6711526
ह./
राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
31 मार्च 2021 वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि का विवरण
सीआईएन सं. U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2021 तक (लेखापरीक्षा किये हुए)	31.03.2020 तक (लेखापरीक्षा किये हुए)
I	आय			
क	संचालन से आय			
(क)	ब्याज आय	22	3,68,338.49	4,26,277.12
(ख)	शुल्क और कमीशन आय	23	5,492.37	9,466.21
	संचालन से कुल राजस्व (क)		3,73,830.86	4,35,743.32
ख	अन्य कमाई	24	66,589.57	39,795.44
	कुल आय I (क+ख)		4,40,420.43	4,75,538.76
II	खर्च			
(क)	वित्तीय लागत	25	2,37,619.99	2,54,872.66
(ख)	शुल्क और कमीशन व्यय	26	13,344.28	12,757.77
(ग)	उचित मूल्य परिवर्तन पर कुल घाटा	27	2,536.56	2,315.22
(घ)	कर्मचारी लाभार्थ प्रयोजन व्यय	28	4,293.22	3,699.91
(ङ)	वित्तीय लिखतों पर हानि	29	(34,513.36)	25,390.82
(च)	मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	10,11,12	1,472.88	1,783.48
(छ)	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व		-	-
(ज)	अन्य खर्च	30	1,80,141.36	2,01,490.41
	कुल व्यय II		4,04,894.93	5,02,310.26
	असाधारण खर्च और लागू कर से पहले का लाभ (III-IV)		35,525.50	(26,771.50)
	असाधारण खर्च		-	-
	लाभ/(हानि) कर लागू होने के पूर्व (I-II)		35,525.50	(26,771.50)
	कर व्यय:			
	(i) वर्तमान कर			
	- वर्तमान साल		(15,210.25)	(89.44)
	विगत साल		128.53	2,066.18
	(ii) आस्थगित कर		12,057.78	34,248.71
	कुल कर व्यय IX (i+ii)		(3,023.94)	36,225.45
	वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		32,501.56	9,453.95
	I (i) वे आइटम जिन्हें लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	लाभ/(हानि) परिभाषित लाभ दायित्व का पुनर्मूल्यांकन		51.61	(5.34)
	(ii) परिभाषित लाभ के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित आयकर			
	ऑब्लिगेशन		(12.99)	1.35
	अन्य व्यापक आय (क)		38.62	(4.00)
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)		32,540.18	9,449.95
	प्रति इक्विटी शेयर की आय (निरंतर संचालन के लिए)			
	बेसिक (₹.)		0.33	0.09
	डाईल्यूटेड (₹.)		0.33	0.09

1 से 30 तक के नोट खातों का अभिन्न भाग हैं।

कृते भाटिया और भाटिया
सनदी लेखाकार की सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
(फर्म पंजीकरण संख्या: 003202N)

कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से

ह./
अनंत भाटिया
(भागीदार)
सदस्यता संख्या: 507832
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21.06.2021

ह./
पवन कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8901398
ह./
मंजरी मिश्रा
(डीजीएम और कंपनी सचिव)

ह./
पीआर जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 6711526
ह./
राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
31 दिसंबर 2020 वर्ष के नौ महीनों के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण
सीआईएन सं. U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक (लेखापरीक्षा किये हुए)	31.03.2020 तक (लेखापरीक्षा किये हुए)
क	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
(i)	कर पूर्व कुल लाभ	35,525.50	(26,771.50)
	समायोजन:		
(ii)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	1,472.88	1,783.48
(iii)	प्रावधान/बट्टे खाते में डाले गए व्यय:	1,01,727.02	71,452.96
(iv)	प्रावधान/राशि जो वापस लिखी गई	(117.24)	(85.50)
(v)	उधार पर विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव हानि/ (लाभ)	37,807.52	74,157.76
(vi)	(लाभ)/ अचल आस्तियों की बिक्री पर हानि	3.17	5.09
(vii)	ऋण और अग्रिमों पर अर्जित और देय ब्याज	3,805.71	11,658.34
(viii)	ब्याज उपार्जित लेकिन उधार पर देय नहीं	(7,163.85)	(2,457.10)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	1,73,060.71	1,29,743.53
(i)	उधार संचालन से नकदी प्रवाह	(5,00,525.67)	1,08,794.83
(ii)	निवेशों में/(जोड़) की बिक्री	3,309.54	(5,16,149.33)
(iii)	(व्यापार प्राप्तियों में वृद्धि)/ कमी	(39.21)	(811.38)
(iv)	(अन्य परिचालन आस्तियों में वृद्धि)/ कमी	83,440.83	(89,211.22)
(v)	(अन्य बैंक शेष में वृद्धि)/ कमी	2,228.18	(5,72,112.96)
(vi)	अन्य परिचालन देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	41,151.51	(34,176.14)
	कर से पहले के कार्यों से नकदी प्रवाह	(1,97,374.12)	(9,73,922.67)
	भुगतान किया गया कर (कुल)	(15,081.73)	1,976.74
	संचालन से कुल नकद	(2,12,455.85)	(9,71,945.93)
ख	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(i)	संयंत्र, आस्ति और उपकरण की खरीद	(411.78)	(2,194.83)
(ii)	संयंत्र, आस्ति और उपकरण की बिक्री	18.60	-
(iii)	पूंजीगत वर्क इन प्रोग्रेस कार्य में कमी/(वृद्धि)	-	2,259.46
	निवेश गतिविधियों से कुल नकद	(393.18)	64.62
ग	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(i)	शेयर पूंजी के निर्गम/आवंटन से प्राप्त आय	-	5,79,760.00
(ii)	उधार से आय	2,89,837.05	2,79,007.50
(iii)	ऋण प्रतिभूतियों से प्राप्त/(चुकोती)	(40,434.87)	1,15,778.00
	वित्तीय गतिविधियों से कुल नकद	2,49,402.18	9,74,545.50
घ	विदेशी मुद्रा में अनुवाद अंतर का प्रभाव	538.41	(2,327.43)
	नकद और नकद समतुल्य में कुल परिवर्तन (ए+बी+सी+डी)	37,091.60	336.77
	जोड़ें: नकद और ओपनिंग नकद बैलेंस	10,153.25	9,816.46
	समामेलन पर परिवर्धन	-	-
	क्लोजिंग नकद और नकद समकक्ष	47,244.85	10,153.24
(i)	कैश इन हैंड	0.81	0.12
(ii)	करंट अकाउंट	36,432.43	1,522.34
(iii)	प्लेक्सी जमा खाते	10,811.62	8,630.79
	कुल	47,244.85	10,153.25

1) पिछली अवधि (अवधि) के आँकड़ों को रिपोर्टिंग अवधि के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनर्वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है प्रेजेंटेशन

2) निम्नलिखित बैंक बैलेंस कंपनी द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं:

(वृद्धि)/ 31 मार्च 2021 को ₹ 2,228.18 लाख के अन्य बैंक बैलेंस में कमी (₹ 571,890.91 लाख) 31 मार्च 2020 तक) में शामिल है

31 मार्च 2021 को ₹ 46,600 लाख (31 मार्च 2020 को ₹ 21,920.00 लाख) जिस पर बांड के ब्याज भुगतान के लिए ग्रहणाधिकार चिह्नित किया गया है

और 31 मार्च 2021 को ₹ 6,43,315.55 लाख (31 मार्च 2020 को ₹ 5,73,506.01 लाख) जिस पर ओवरड्राफ्ट के लिए ग्रहणाधिकार चिह्नित किया गया है

कृते भाटिया और भाटिया

सनदी लेखाकार की सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

(फर्म पंजीकरण संख्या: 003202N)

ह./

अनंत भाटिया

(भागीदार)

सदस्यता संख्या: 507832

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21.06.2021

ह./

पवन कुमार

(उप प्रबंध निदेशक)

डीआईएन संख्या: 8901398

ह./

मंजरी मिश्रा

(डीजीएम और कंपनी सचिव)

ह./

पीआर जयशंकर

(प्रबंध निदेशक)

डीआईएन संख्या: 6711526

ह./

राजीव मुखीजा

(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

**कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से**

डिडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	9,99,991.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	
(क) वर्ष के दौरान जारी की गयी इक्विटी शेयर पूंजी	-
31 मार्च 2021 तक की शेष राशि	9,99,991.62

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष										कुल	कुल
	पूँजीगत आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	डिबेंचर बांड/ रिडेम्प्शन आरक्षित निधि	नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिजर्व	स्टाफ वेल्फेयर आरक्षित निधि	कॉर्पोरेट समाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि	निधि आरक्षित निधि बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के तहत	अन्य व्यापक आय	प्रतिधारित आय		
पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	585.14	235.50	99,995.05	(33,957.27)	1,42,145.82	26.75	133.78	14,083.23	7,164.93	3,057.24	(2,75,520.08)	(42,049.92)
पूर्व अवधि की त्रुटियाँ												
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्दिष्ट शेष राशि	-	-									-	-
इस साल का मुनाफा	585.14	235.50	99,995.05	(33,957.27)	1,42,145.82	26.75	133.78	14,083.23	7,164.93	3,057.24	(2,75,520.08)	(42,049.92)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-		32,501.53	32,501.53
अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
अवधि के दौरान नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-		32,501.53	32,501.53
बरकरार रखी गई कमाई में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	(23.00)	(11.33)	-			(2,373.47)	(2,407.80)
प्रतिधारित कमाई से स्थानांतरण	-	-	-	6,304.12								6,304.12
31 मार्च 2021 को शेष राशि								538.41				538.41
रिटैन्ड अर्निंग में ट्रांसफर	-	-	-	-	-	-	-	-			19.02	19.02
प्रतिधारित कमाई से स्थानांतरण	-	-	-	-	3,795.09	71.38	-	-	(7,164.93)	5,715.28	-	2,416.82
31 मार्च 2021 तक शेष राशि	585.14	235.50	99,995.05	(27,653.15)	1,45,940.91	121.13	122.45	14,621.64	0.00	8,772.52	(2,45,373.00)	(2,677.81)

31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण राशि
क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	(₹ लाख में)	राशि
1 अप्रैल, 2019 तक शेष राशि		4,20,231.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
(क) वर्ष के दौरान जारी की गयी इक्विटी शेयर पूंजी		5,79,760.00
31 मार्च 2020 तक शेष राशि		9,99,991.62

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित निधि और अधिशेष											र लाख में
	कैपिटल रिजर्व	सिक्युरिटी प्रीमियम खाता	डिबेंचर/ बांड रिडेम्पशन आरक्षित निधि	कैश प्लो हेज आरक्षित निधि	विशेष रिजर्व 36(1)(viii) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार	कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि	मुद्रा अनुवाद अंतर आरक्षित निधि	क्षति रिजर्व	रिजर्व निधि भारतीय आरक्षित निधि बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के तहत	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल, 2019 को शेष राशि	585.14	235.50	99,995.05	(13,299.11)	1,42,145.82	50.53	2,633.78	16,410.66	-	2,033.18	(2,81,274.61)	(30,484.06)
पूर्व अवधि की वृद्धियाँ	-											-
वर्ष की शुरुआत में पुनः शेष राशि	585.14	235.50	99,995.05	(13,299.11)	1,42,145.82	50.53	2,633.78	16,410.66	-	2,033.18	(2,81,274.61)	(30,484.06)
इस साल का मुनाफा	-										24,789.71	24,789.71
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय											-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-	-	-	-	-	-	-			24,789.71	24,789.71
अवधि के दौरान नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था आरक्षित निधि						17.00					13,351.17	13,368.17
बबरकरार रखी गई कमाई में स्थानांतरण												-
प्रतिधातित कमाई से स्थानांतरण								(1,163.21)				(1,163.21)
31 मार्च 2020 तक शेष राशि											17.00	17.00
रिस्टेन्ड अरनिंग से स्थानांतरण											3,565.18	14,263.67
31 मार्च तक शेष राशि 2020	585.14	235.50	99,995.05	(12,311.23)	1,51,856.43	33.53	2,633.78	15,247.44	-	5,598.36	(2,69,819.07)	(5,945.07)

कृते भाटिया और भाटिया
सनदी लेखाकार की सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
(फर्म पंजीकरण संख्या: 003202N)

ह./ अनंत भाटिया
(भागीदार)
सदस्यता संख्या: 507832
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21.06.2021

ह./ पवन कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8901398
ह./ मंजरी मिश्रा
(डीजीएम और कंपनी सचिव)

कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से

ह./ पीआर जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 6711526
ह./ राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

नोट 2: नकद और नकद समकक्ष

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(क)	नकद और नकद समकक्ष		
(i)	नकदी	0.81	0.12
(ii)	बैंक का बैलेंस	36,432.43	1,522.34
(iii)	बैंकों के साथ सावधि जमा (बिना भार के)	10,811.62	8,630.79
	उप-कुल (क)	47,244.86	10,153.25
(ख)	अन्य बैंकों का बैलेंस		
(i)	बांडों पर दावा न किए गए ब्याज के लिए बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि	1.38	1.38
(ii)	बैंकों के साथ सावधि जमा (बिना भार के) (मूल परिपक्वता तीन से अधिक और बारह महीने तक)	3,32,913.50	4,14,952.37
(iii)	बैंकों के साथ सावधि जमा (बिना भार के) (मूल परिपक्वता बारह महीने से अधिक)	3,28,953.86	3,43,633.71
(क)	बांड के ब्याज भुगतान के खिलाफ प्रतिभूति के रूप में धारित	46,600.00	21,920.00
(ख)	बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधा लेने का संकल्प किया	6,43,316.55	5,73,506.01
	उप-कुल (ख)	13,51,785.29	13,54,013.47
	कुल	13,99,030.15	13,64,166.71

नोट 3: व्युत्पन्न वित्तीय लिखत

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
		काल्पनिक शुल्क	उचित मूल्य	काल्पनिक शुल्क	उचित मूल्य
	आस्तियां				
	अन्य व्युत्पन्नियां				
	क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	9,00,794.88	61,363.78	8,10,203.15	1,24,349.31
	कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	9,00,794.88	61,363.78	8,10,203.15	1,24,349.31

नोट 4: व्यापार प्राप्तियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
	प्राप्य वस्तुएं, अप्रतिभूत		
	अन्य	939.31	900.10
	कुल	939.31	900.10

नोट 5: ऋण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(क)	ऋण		
(i)	सावधि ऋण		
I	अवसंरचनात्मक ऋण: मानक आस्तियां		
क.	प्रत्यक्ष उधार	22,58,289.63	22,06,420.31
ख.	समोहित नगर पालिका ऋण दायित्व (पीएमडीओ) योजना	393.00	451.91
ग.	टेकआउट फाइनेंसिंग योजना	5,34,327.39	6,77,617.01
घ.	पुनर्वित्त योजना	12,21,883.33	6,07,575.05
II	अवसंरचनात्मक ऋण: उप-मानक आस्तियां		
क.	प्रत्यक्ष उधार	54,979.25	1,92,460.97
ख.	समोहित नगर पालिका ऋण दायित्व (पीएमडीओ) योजना	-	-
ग.	टेकआउट फाइनेंसिंग योजना	-	-
III	अवसंरचनात्मक ऋण: संदिग्ध आस्ति		
क.	प्रत्यक्ष उधार	6,63,028.43	6,87,011.76
ख.	समोहित नगर पालिका ऋण दायित्व (पीएमडीओ) योजना	7,385.33	7,444.01
ग.	टेकआउट फाइनेंसिंग योजना	96,647.17	97,629.51
IV	कर्मचारियों को ऋण*	1,241.27	997.86
(ii)	अन्य		
I	संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम प्रदान		
(क)	सहायक कंपनियों के लिए किए गए खर्च	168.05	51.65
	कुल (क) सकल	48,38,342.85	44,77,660.03
	घटाएँ: हानि हानि भत्ता:	-	-
	कुल (क) निवल	48,38,342.85	44,77,660.03
(ख)	(i) मूर्त आस्ति और अमूर्त आस्ति द्वारा सुरक्षित।		
	स्वस्थ समझा गया	27,94,251.28	28,85,487.09
	वर्गीकृत संदिग्ध	8,22,040.18	9,84,546.25
	(ii) असुरक्षित	12,22,051.39	6,07,626.69
	कुल (ख) सकल	48,38,342.85	44,77,660.03
	घटाएँ: हानि हानि भत्ता	-	-
	घटाएँ: विनियोग लंबित राशि	5,567.56	7,740.78
	कुल (ख) निवल	48,32,775.29	44,69,919.25
(ग)	(i) सार्वजनिक सेक्टर	12,21,883.33	6,07,575.05
	(ii) सार्वजनिक सेक्टर के अलावा	36,10,891.96	38,62,344.20
	कुल (ग) सकल	48,32,775.29	44,69,919.25
	घटाएँ: हानि हानि भत्ता	-	-
	कुल (ग) निवल	48,32,775.29	44,69,919.25
	कुल	48,32,775.29	44,69,919.25

फुटनोट

क्षेत्र	प्रतिभूति का विवरण:	राशि (₹ लाख में)	
उर्जा एवं अन्य सेक्टर	बंधक: उधारकर्ता की सभी अचल आस्तियों, वर्तमान और भविष्य के बंधक के रूप में पहला पारि-पासु प्रभार दृष्टिबंधक: संयंत्र और मशीनरी आदि सहित ऋणी की सभी चल आस्ति का दृष्टिबंधक के रूप में पहला पारि-पासु प्रभार शेयरों की गिरवी न्यूनतम 51% एस्करो खाता और ऋण लेने वालों के सभी अधिकार और शीर्षक और हित पारी-पासु	23,41,162.07	25,29,808.05
सड़क और हवाई अड्डा (पीपीपी)	परियोजना की वार्षिकी और टोल संग्रह प्राप्त करने का अधिकार एस्करो खाता और उधारकर्ता के सभी अधिकार और शीर्षक और हित रैंक पारी-पासु दृष्टिबंधक: उधारकर्ता की सभी चल आस्तियों के दृष्टिबंधन के रूप में पहला पारि-पासु प्रभार	12,73,888.13	13,39,227.43
पुनर्वित्त योजना के तहत वित्तीय संस्थान	अप्रतिभूत	12,21,883.33	6,07,575.05
	योग#	48,36,933.53	44,76,610.53

उपरोक्त सुरक्षा का विवरण देते हुए फुटनोट में इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण राशि में 1 मार्च 2021 को ₹ 582,205.47 लाख (31 मार्च 2020 को ₹ 4,74,033.92 लाख) एक वर्ष के भीतर देय ऋण की राशि और मूलधन अतिदेय राशि शामिल है इसके अलावा, 31 मार्च 2021 तक के कुल अग्रिमों (31 मार्च 2020 तक ₹ 5,95,485.01 लाख) के प्रति ₹ 5,57,763.19 लाख का कुल प्रावधान किया गया है

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के लागू होने के अनुसरण में w.e.f. 1 अप्रैल 2014 और 20 मई 2014 को हुई बैठक में निदेशक मंडल की मंजूरी, मुख्य महाप्रबंधक- मुख्य वित्तीय अधिकारी को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक माना जाता है तदनुसार, उसे दिए गए गृह निर्माण ऋण को संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है 31 मार्च 2021 को ऋण की कुल राशि ₹ 1.93 लाख थी (31 मार्च 2020 को ₹ 4.03 लाख).

नोट: आरबीआई मास्टर निदेश डीएनबीआर के संदर्भ में. पीडी. 008/03.10.119/2016-17 दिनांक 1 सितंबर 2016 को 2 अगस्त 2019 को अद्यतन किया गया, आईआईएफसीएल ने अलग से ईसीएल के अनुसार प्रावधान सहित ऋण आस्तियों पर प्रावधान का खुलासा किया है, (नोट 17) उन्हें बुनियादी ढांचे के मूल्य से घटाए बिना बनाया गया है। ऋण आस्ति (नोट 5).

बकाया राशि का विनियोग ऋण खातों में देय तिथि पर ब्याज/मूलधन और/अथवा ऋण खातों में पूर्व भुगतान के लिए समायोजित किया जा सकता है।

नोट 6: निवेश

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक				31.03.2020 तक			
		एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत	अन्य*	कुल	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत	अन्य*	कुल
(i)	म्यूचुअल फण्ड	17,893.17	-	-	17,893.17	17,206.96	-	-	17,206.96
(ii)	आईआईएफसीएल म्यूचुअल निधि आईडीएफ सीरीज I	8,739.68	-	-	8,739.68	8,813.18	-	-	8,813.18
	II	26,632.85	-	-	26,632.85	26,020.13	-	-	26,020.13
	सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.35% भा.स. 2020	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.90% भा.स. 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.85% एसएल (आंध्र प्रदेश) 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.27% एसएल (केरल) 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.29% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति-2030	-	88,760.00	-	88,760.00	-	88,760.00	-	88,760.00
	6.34% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति-2031	-	88,200.00	-	88,200.00	-	88,200.00	-	88,200.00
	6.34% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति-2032	-	88,200.00	-	88,200.00	-	88,200.00	-	88,200.00
	6.39% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति-2033	-	88,200.00	-	88,200.00	-	88,200.00	-	88,200.00
	6.39% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति-2034	-	88,200.00	-	88,200.00	-	88,200.00	-	88,200.00
	6.44% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति-2035	-	88,200.00	-	88,200.00	-	88,200.00	-	88,200.00
		-	5,29,760.00	-	5,29,760.00	-	5,29,760.00	-	5,29,760.00
	ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
	डिबेंचर में निवेश (उद्धृत नहीं) (पूर्ण भुगतान किया हुआ)	6,078.00	-	-	6,078.00	6,078.00	-	-	6,078.00
	बंसल पाथवेज में डिबेंचर (मंगवां-चाकघाट) प्राइवेट लिमिटेड	13,786.00	-	-	13,786.00	13,786.00	-	-	13,786.00
	सूत हजीरा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड के डिबेंचर	19,864.00	-	-	19,864.00	19,864.00	-	-	19,864.00

क.	इक्विटी लिखत गैर-उद्धृत इक्विटी लिखत दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास- कारपोरेशन लिमिटेड आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (आईआईएफसीएल की ओर से सुरक्षा ट्रस्टी द्वारा आयोजित)	411.03	-	-	411.03	411.03	-	-	411.03
		4,765.00	-	-	4,765.00	4,765.00	-	-	4,765.00
		5,176.02	-	-	5,176.02	5,176.02	-	-	5,176.02
क.	अन्य उद्यम पूंजी में निवेश (उद्धृत नहीं) (पूरी तरह से भुगतान किया गया)								
(i)	आईडीएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ट्रस्ट II (पूरी तरह से भुगतान किया गया)	1,644.68	-	-	1,644.68	1,674.87	-	-	1,674.87
ख.	सिक्कुरिटी प्राप्ति में निवेश (उद्धृत नहीं) (पूरी तरह से भुगतान किया गया)								
(i)	एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 135-सीरीज)	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 207-सीरीज I)	5,986.93	-	-	5,986.93	6,502.40	-	-	6,502.40
(iii)	एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्किल-एससी-VIII-ट्रस्ट)	3,125.77	-	-	3,125.77	4,952.10	-	-	4,952.10
(iv)	फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (फीनिक्स ट्रस्ट वित्तीय वर्ष 16-20)	606.39	-	-	606.39	1,972.00	-	-	1,972.00
(v)	एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 276-सीरीज I)	36,108.05	-	-	36,108.05	36,942.08	-	-	36,942.08
	कुल (क) सकल	45,827.14	-	-	45,827.14	50,368.58	-	-	50,368.58
(i)	विदेशी निवेश	99,144.69	5,29,760.00	-	6,28,904.69	1,03,103.60	5,29,760.00	-	6,32,863.60
(ii)	भारत में निवेश	99,144.69	5,29,760.00	-	6,28,904.69	1,03,103.60	5,29,760.00	-	6,32,863.60
	कुल (ख)	99,144.69	5,29,760.00	-	6,28,904.69	1,03,103.60	5,29,760.00	-	6,32,863.60
	कुल (क) के साथ मिलान करने के लिए (ख) घटा: हानि के लिए भत्ता (ग)	99,144.69	5,29,760.00	-	6,28,904.69	1,03,103.60	5,29,760.00	-	6,32,863.60
		16,551.64	-	-	16,551.64	17,201.01	-	-	17,201.01
	कुल निवल घ = (क) - (ग)	82,593.05	5,29,760.00	-	6,12,353.05	85,902.59	5,29,760.00	-	6,15,662.59

क्षति हानि के लिए भत्ते का विवरण

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक			31.03.2020 तक		
		परिशोधन लागत	अन्य	कुल	परिशोधन लागत	अन्य	कुल
(i)	एफवीटीपीएल आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (आईआईएफसीएल की ओर से सुरक्षा ट्रस्टी द्वारा आयोजित)	4,191.05	-	-	4,191.05	-	4,191.05
(ii)	बंसल पाथवेज (संगवा-चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड में डिबेंचर	5,252.07	-	-	5,323.38	-	5,323.38
(iii)	सूरत हजीरा में डिबेंचर	7,108.52	-	-	7,686.58	-	7,686.58
	कुल	16,551.64	-	-	17,201.01	-	17,201.01
* वित्तीय लिखतों को लागत पर मापा गया है।							
फुटनोट							
उद्धृत निवेश की कुल राशि :							
(क)	लागत / बही मूल्य			-			-
(i)	बाजार मूल्य			-			-
(ख)	गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि- लागत / बही मूल्य			6,12,353.05			6,15,662.59
(ग)	व्यक्तिगत निवेश के मूल्यांकन के लिए नोट 1(ए)(6.2) देखें.						
(घ)	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और वर्ष के दौरान रेटिंग का स्थानांतरण:						
आईआईएफसीएल के घरेलू ऋण लिखतों में "AAA" रेटिंग है- CRISIL, CARE, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, ICRA और ब्रिकवर्क्स- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग. कंपनी को दी गई रेटिंग को स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा बीबीबी- /नेगेटिव/ए-3 के रूप में पुष्टि की गई थी जो कि सॉवरेन रेटिंग के बराबर हैं. वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।							
* 'निम्नलिखित निवेश की प्रति यूनिट एनएवी (रुपये में) इस प्रकार हैं:							
(i)	आईआईएफसीएल म्यूचुअल निधि आईडीएफ सीरीज			13,76,397.86			13,23,612.04
(ii)	आईआईएफसीएल म्यूचुअल निधि आईडीएफ सीरीज			8,73,968.04			8,81,317.80
(iii)	ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 135-शृंखला			-			-
(iv)	ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 207-शृंखला			972.13			1,055.83
(v)	ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 276-शृंखला			939.19			960.93
(vi)	आर्किल-एसटी-VIII-ट्रस्ट			315.60			800.00
(vii)	फीनिक्स ट्रस्ट वित्तीय वर्ष 16-20			246.00			500.00
एनएवी में उतार-चढ़ाव को अस्थायी माना जाता है।							

नोट 7: अन्य वित्तीय आस्तियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
क	अग्रिमों		
	कर्मचारियों से वसूली योग्य अग्रिम	36.73	32.54
	प्रतिभूति के रूप में जमा राशि का भुगतान	39.82	35.53
	अन्य	1,096.98	1,669.50
	उप-कुल (क)	1,173.53	1,737.57
ख	ऋण और अग्रिमों पर अर्जित और देय ब्याज		
	उप-कुल (ख)	5,437.42	9,243.14
ग	अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं:		
	बैंकों के साथ सावधि जमा	16,624.52	35,740.89
	सरकारी प्रतिभूतियां	93.66	93.66
	ऋण और अग्रिम	29,045.60	25,642.20
	उप-कुल राशि (ग)	45,763.78	61,476.75
	कुल (क)+(ख)+(ग)	52,374.73	72,457.47

नोट 8: वर्तमान कर आस्ति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	निवल आयकर वसूली योग्य	36,316.77	21,211.33
(ii)	वसूली योग्य जीएसटी कर	53.20	371.20
(iii)	निवल अग्रिम कर वसूली योग्य	1,446.26	14,869.45
	कुल	37,816.23	36,451.98

नोट 9: आस्थगित कर आस्ति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(I)	आस्थगित कर आस्तियों के कारण:		
(i)	कर के लिए प्रस्तावित विविध देयता खाते (ब्याज पूंजीकरण) में जमा किया गया ब्याज	13,171.98	2,011.26
(ii)	अपेक्षित ऋण का हानि	29,851.29	29,523.86
(iii)	छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	45.35	45.53
(iv)	मूल्यह्रास	830.33	(337.61)
(v)	बीमारी अवकाश के लिए प्रावधान	39.97	41.20
(vi)	अन्य	1,970.01	1,265.09
(vii)	चिकित्सा सहायता योजना का प्रावधान	226.20	205.68
(viii)	वेतन संशोधन का प्रावधान	28.22	188.11
(ix)	अवकाश किराया रियायत का प्रावधान	26.70	24.75
(x)	उपदान के लिए प्रावधान	9.66	6.66

(xi)	आईएमसीएल की आस्थगित कर आस्ति	36.29	21.11
(xii)	आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान'	220.66	460.80
	आस्थगित कर आस्तियां	46,456.66	33,456.43
(II)	आस्थगित कर देयता के कारण:		
(i)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष अवसंरचना आरक्षित निधि	36,730.41	35,775.26
(ii)	खर्च जिन पर टीडीएस नहीं काटा गया	0.20	(0.02)
	विलम्बित टैक्स देयता	36,730.61	35,775.24
	आस्थगित कर आस्ति/(देयता) (नेट)	9,726.05	(2,318.82)

*आस्थगन पर बाजारी हानि के संदर्भ में चिह्नकन किया गया।

नोट 10 : अवल आस्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यहास				निवल ब्लाक	
	दिनांक	जोड़	निपटान /	दिनांक	दिनांक	अवधि	कटौतियां / उलटफेर के लिए	दिनांक	दिनांक
	01.04.2020		समायोजन	31.03.2021	01.04.2020	के लिए		31.03.2021	31.03.2020
मूर्त आस्ति									
फर्नीचर और फिटिंग	613.64	4.42	-	618.06	232.70	93.58	-	326.28	380.94
वाहन	69.79	64.52	31.37	102.94	18.56	24.89	20.58	22.87	51.24
कार्यालय उपकरण	332.77	7.93	0.17	340.53	172.98	73.43	0.16	246.25	159.79
प्लान्ट व यंत्र	139.83	0.70	1.17	139.36	84.63	22.88	-	107.51	55.20
कंप्यूटर हार्डवेयर	237.77	55.45	107.31	185.91	101.70	80.14	101.94	79.90	136.06
लीजहोल्ड डेवलपमेंट्स	92.58	-	0.36	92.22	43.38	4.63	-	48.01	49.20
बिल्डिंग	27,201.12	267.84	-	27,468.96	1,220.53	917.87	-	2,138.40	25,980.59
विद्युत उपकरण	346.41	-	-	346.41	177.56	77.58	-	255.14	168.85
कुल	29,033.93	400.87	140.38	29,294.39	2,052.05	1,294.99	122.69	3,224.36	26,981.87
विगत वर्ष	27,070.78	2,059.34	96.20	29,033.93	539.27	1,589.00	76.23	2,052.05	26,531.49

नोट 11 : पूंजीगत कार्य में प्रगति

विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यहास				निवल ब्लाक	
	दिनांक	जोड़	निपटान /	दिनांक	दिनांक	अवधि	कटौतियां / उलटफेर के लिए	दिनांक	दिनांक
	01.04.2020		समायोजन	31.03.2021	01.04.2020	के लिए		31.03.2021	31.03.2020
पूंजीगत कार्य में प्रगति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विगत वर्ष	2,259.46	-	2,259.46	-	-	-	-	-	-

नोट 12: अमूर्त आस्ति										
विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यहास				निवल ब्लाक	
	दिनांक	जोड़	निपटान/ समायोजन	दिनांक	अवधि	कटौतियां/ उलटफेर के लिए	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक
	01.04.2020			31.03.2021	01.04.2020	के लिए	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2020
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,052.37	7.74	7.91	1,052.20	601.46	178.29	7.00	772.75	279.45	450.91
कुल	1,052.37	7.74	7.91	1,052.20	601.46	178.29	7.00	772.75	279.45	450.91
विगत वर्ष	902.30	151.08	1.05	1,052.37	399.43	202.37	0.34	601.46	450.91	502.87
*कंपनी द्वारा धारित अमूर्त आस्ति आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त आस्ति के अलावा अन्य हैं।										
नोट: आईआईएफसीएल का कार्यालय 1 जनवरी 2019 से नए परिसर में स्थानांतरित हो गया है। परिसर के अधिग्रहण के लिए भुगतान की गई राशि को लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत किया गया है। चूंकि पट्टा एग्रीमेंट अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है, इसलिए आईआईएफसीएल ने 30 साल की पट्टा अवधि में राशि का परिशोधन किया है।										

नोट 13: अन्य गैर वित्तीय आस्तियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	पूर्व चुकता व्यय	43.74	21.64
(ii)	अन्य अग्रिम	793.63	421.45
(iii)	पूर्व स्टाफ लागत	8.03	0.55
	कुल	845.40	443.63

नोट 14: ऋण प्रतिभूतियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(a)	अन्य				
i	सुरक्षित बांड^				
(i)	500 (31 मार्च 2020 तक 500) 9.36% अंकित मूल्य के बांड ₹ 10 लाख प्रत्येक, 27/07/2042 को रीडिम किया जा सकता है	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
(ii)	10,500 (31 मार्च 2020 तक 10,500) 9.41% अंकित मूल्य के बांड ₹ 10 लाख प्रत्येक, 27/07/2037 को रीडिम किया जा सकता है	1,05,000.00	1,05,000.00	1,05,000.00	1,05,000.00
(iii)	12,59,825 (31 मार्च 2020 तक 12,59,825) 8.55% कर फ्री बांड्स ट्रांच III श्रृंखला 3ए जिसका अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक है, जो 27/03/2034 को रीडिम किया जा सकता है	12,598.25	12,598.25	12,598.25	12,598.25
(iv)	12,87,311 (31 मार्च 2020 तक 12,87,311) 8.80% टैक्स फ्री बॉन्ड्स किश्त III सीरीज 3बी अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 27/03/2034 को रीडिम किया जा सकता है	12,873.11	12,873.11	12,873.11	12,873.11
(v)	125,470 (31 मार्च 2020 तक 125,470) 8.55% कर मुक्त बांड किश्त III अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 27/03/2034 को रीडिम किया जा सकता है	1,254.70	1,254.70	1,254.70	1,254.70
(vi)	5,15,765 (31 मार्च 2020 तक 5,15,765) अंकित मूल्य का 8.66% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज IV ₹ 1,000 प्रत्येक, 22/01/2034 को रीडिम किया जा सकता है	5,157.65	5,157.65	5,157.65	5,157.65
(vii)	75,43,989 (31 मार्च 2020 तक 75,43,989) अंकित मूल्य का 8.66% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज IV ₹ 1000 प्रत्येक, 22/01/2034 को रीडिम किया जा सकता है	75,439.89	75,439.89	75,439.89	75,439.89
(viii)	54,43,232 (31 मार्च 2020 तक 54,43,232) अंकित मूल्य का 8.91% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज IV ₹ 1000 प्रत्येक, 22/01/2034 को रीडिम किया जा सकता है	54,432.32	54,432.32	54,432.32	54,432.32
(ix)	1,59,113 (31 मार्च 2020 तक 1,59,113) अंकित मूल्य का 8.50% टैक्स फ्री बांड सीरीज III ₹ 1,000 प्रत्येक, 12/11/2033 को रीडिम किया जा सकता है	1,591.13	1,591.13	1,591.13	1,591.13
(x)	18,68,982 (18,68,982 31 मार्च 2020 तक) 8.50% अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड ₹1,000 प्रत्येक, 12/11/2033 को रीडिम किया जा सकता है	18,689.82	18,689.82	18,689.82	18,689.82
(xi)	24,20,508 (31 मार्च 2020 तक 24,20,508) 8.75% अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड ₹ 1,000 प्रत्येक, 12/11/2033 को रीडिम किया जा सकता है	24,205.08	24,205.08	24,205.08	24,205.08

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(xii)	265 (31 मार्च 2020 तक 265) 8.37% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज VI अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 30/08/2033 को रीडिम किया जा सकता है	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
(xiii)	20 (20 31 मार्च 2020 तक) 8.19% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज V अंकित मूल्य ₹10 लाख प्रत्येक, 23/08/2033 को रीडिम किया जा सकता है	200.00	200.00	200.00	200.00
(xiv)	42,472 (31 मार्च 2020 तक 42,472) 7.08% अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड ₹ 1,000 प्रत्येक, 26/03/2033 को रीडिम किया जा सकता है	424.72	424.72	424.72	424.72
(xv)	1,90,693 (31 मार्च 2020 तक 1,90,693) 7.58% अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड ₹ 1,000 प्रत्येक, 26/03/2033 को रीडिम किया जा सकता है	1,906.93	1,906.93	1,906.93	1,906.93
(xvi)	1,01,62,809 (31 मार्च 2020 तक 1,01,62,809) 7.40% अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड ₹ 1,000 प्रत्येक, 22/01/2033 को रीडिम किया जा सकता है	1,01,628.09	1,01,628.09	1,01,628.09	1,01,628.09
(xvii)	14,01,415 (31 मार्च 2020 तक 14,01,415) 7.90% अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड ₹ 1,000 प्रत्येक, 22/01/2033 को रीडिम किया जा सकता है	14,014.15	14,014.15	14,014.15	14,014.15
(xviii)	210 (31 मार्च 2020 तक 210) 7.41% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज IV-C अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 21/11/2032 को रीडिम किया जा सकता है	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
(xix)	3,400 (31 मार्च 2020 तक 3,400) 7.41% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज III-C अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 15/11/2032 को रीडिम किया जा सकता है	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
(xx)	1,22,807 (31 मार्च 2020 तक 1,22,807) 8.55% कर मुक्त बांड अंकित मूल्य का तृतीय चरण ₹ 1,000 प्रत्येक, 27/03/2029 को रीडिम किया जा सकता है	1,228.07	1,228.07	1,228.07	1,228.07
(xxi)	1,59,58,486 (31 मार्च 2020 को 1,59,58,486) 8.55% टैक्स फ्री बॉन्ड्स ट्रंच III सीरीज 2ए अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 27/03/2029 को रीडिम किया जा सकता है	1,59,584.86	1,59,584.86	1,59,584.86	1,59,584.86
(xxii)	27,11,062 (31 मार्च 2020 तक 27,11,062) 8.80% टैक्स फ्री बॉन्ड्स किश्त III सीरीज 2बी अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 27/03/2029 को रीडिम किया जा सकता है	27,110.62	27,110.62	27,110.62	27,110.62
(xxiii)	67,908 (31 मार्च 2020 तक 67,908) 8.48% कर मुक्त बांड श्रृंखला IV अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 22/01/2029 को रीडिम किया जा सकता है	679.08	679.08	679.08	679.08
(xxiv)	27,98,922 (31 मार्च 2020 तक 27,98,922) अंकित मूल्य का 8.48% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज IV 1000 प्रत्येक, 22/01/2029 को रीडिम किया जा सकता है	27,989.22	27,989.22	27,989.22	27,989.22
(xxv)	14,10,950 (31 मार्च 2020 तक 14,10,950) 8.73% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज IV का अंकित मूल्य 1000 प्रत्येक, 22/01/2029 को रीडिम किया जा सकता है	14,109.50	14,109.50	14,109.50	14,109.50
(xxvi)	89,009 (31 मार्च 2020 तक 89,009) 8.38% कर मुक्त बांड सीरीज III अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 12/11/2028 को रीडिम किया जा सकता है	890.09	890.09	890.09	890.09

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(xxvii)	30,35,330 (31 मार्च 2020 तक 30,35,330) 8.38% प्रत्येक ₹ 1,000 के अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड, 12/11/2028 को रीडिम किया जा सकता है	30,353.30	30,353.30	30,353.30	30,353.30
(xxviii)	15,71,311 (31 मार्च 2020 तक 15,71,311) 8.63% अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड, 12/11/2028 को रीडिम किया जा सकता है	15,713.11	15,713.11	15,713.11	15,713.11
(xxix)	11,297 (31 मार्च 2020 तक 11,297) 8.48% कर मुक्त बांड श्रृंखला VII अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 05/09/2028 को रीडिम किया जा सकता है	1,12,970.00	1,12,970.00	1,12,970.00	1,12,970.00
(xxx)	11,597 (31 मार्च 2020 तक 11,597) 8.46% कर मुक्त बांड श्रृंखला VI अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 30/08/2028 को रीडिम किया जा सकता है	1,15,970.00	1,15,970.00	1,15,970.00	1,15,970.00
(xxxi)	6,303 (31 मार्च 2020 तक 6,303) 8.26% टैक्स फ्री सीरीज V अंकित मूल्य 10 लाख का प्रत्येक बॉन्ड, 23/08/2028 को रीडिम किया जा सकता है	63,030.00	63,030.00	63,030.00	63,030.00
(xxxii)	3,51,554 (31 मार्च 2020 तक 3,51,554) 7.02% अंकित मूल्य 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड, 26/03/2028 को रीडिम किया जा सकता है	3,615.54	3,615.54	3,615.54	3,615.54
(xxxiii)	1,04,064 (31 मार्च 2020 तक 1,04,064) 7.52% अंकित मूल्य ₹1,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड, 26/03/2028 को रीडिम किया जा सकता है	1,040.64	1,040.64	1,040.64	1,040.64
(xxxiv)	67,41,162 (31 मार्च 2020 तक 67,41,162) 7.36% अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक के कर शुल्क बांड, 22/01/2028 को रीडिम किया जा सकता है	67,411.62	67,411.62	67,411.62	67,411.62
(xxxv)	8,68,391,501 (31 मार्च 2020 तक 8,68,391) 7.86% अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड, 22/01/2028 को रीडिम किया जा सकता है	8,683.91	8,683.91	8,683.91	8,683.91
(xxxvi)	500 (31 मार्च 2020 तक 500) 7.38% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज IV-B अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 21/11/2027 को रीडिम किया जा सकता है	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
(xxxvii)	1,000 (31 मार्च 2020 तक 1,000) 7.38% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज III-B अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 15/11/2027 को रीडिम किया जा सकता है	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
(xxxviii)	38,58,714 (31 मार्च 2020 तक 38,58,714) 8.16% कर मुक्त बांड किश्त III सीरीज 1ए अंकित मूल्य ₹1000 प्रत्येक, 27/03/2024 को रीडिम किया जा सकता है	38,587.14	38,587.14	38,587.14	38,587.14
(xxxix)	12,80,511 (31 मार्च 2020 तक 12,80,511) 8.41% टैक्स फ्री बॉन्ड्स किश्त III सीरीज 1बी अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 27/03/2024 को रीडिम किया जा सकता है	12,805.11	12,805.11	12,805.11	12,805.11
(xl)	41,188 (31 मार्च 2020 तक 41,188) 8.16% कर मुक्त बांड किश्त III अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 27/03/2024 को रीडिम किया जा सकता है	411.88	411.88	411.88	411.88
(xli)	1,91,778 (31 मार्च 2020 तक 1,91,778) 8.41% का टैक्स फ्री बांड सीरीज IV अंकित मूल्य 1,000 प्रत्येक, 22/01/2024 को रीडिम किया जा सकता है	1,917.78	1,917.78	1,917.78	1,917.78
(xlii)	79,57,885 (79,57,885 31 मार्च 2020 को) 8.41% का टैक्स फ्री बांड सीरीज IV अंकित मूल्य 1000 प्रत्येक, 22/01/2024 को रीडिम किया जा सकता है	79,578.85	79,578.85	79,578.85	79,578.85

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(xliii)	41,69,571 (31 मार्च 2020 तक 41,69,571) 8.66% का टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज IV अंकित मूल्य 1000 प्रत्येक, 22/01/2024 को रीडिम किया जा सकता है	40,695.71	40,695.71	40,695.71	40,695.71
(xliv)	17,26,340 (31 मार्च 2020 तक 17,26,340) 8.01% के कर मुक्त बांड अंकित मूल्य 1,000 रुपये प्रत्येक, 12/11/2023 को रीडिम किया जा सकता है	17,263.40	17,263.40	17,263.40	17,263.40
(xlv)	12,31,739 (31 मार्च 2020 तक 12,31,739) 8.26% के कर मुक्त बांड अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 12/11/2023 को रीडिम किया जा सकता है	12,317.39	12,317.39	12,317.39	12,317.39
(xlvi)	27,719 (31 मार्च 2020 तक 27,719) 8.01% कर मुक्त बांड सीरीज III अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 12/11/2023 को रीडिम किया जा सकता है	277.19	277.19	277.19	277.19
(xlvii)	50 (31 मार्च 2020 तक 50) 8.11% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज VII अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 05/09/2023 को रीडिम किया जा सकता है	500.00	500.00	500.00	500.00
(xlviii)	100 (31 मार्च 2020 तक 100) 8.01% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज VI अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 30/08/2023 को रीडिम किया जा सकता है	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
(xlix)	19,27,319 (31 मार्च 2020 तक 19,27,319) 6.86% के कर मुक्त बांड अंकित मूल्य 1,000 प्रत्येक, 26/03/2023 को रीडिम किया जा सकता है	19,273.19	19,273.19	19,273.19	19,273.19
(l)	98,318 (31 मार्च 2020 तक 98,318) 7.36% कर मुक्त बांड अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 26/03/2023 को रीडिम किया जा सकता है	983.18	983.18	983.18	983.18
(li)	84,46,348 (31 मार्च 2020 तक 84,46,348) 7.19% कर मुक्त बांड ₹ 1,000 प्रत्येक अंकित मूल्य के, 22/01/2023 को रीडिम किया जा सकता है	85,463.48	85,463.48	85,463.48	85,463.48
(lii)	11,18,644 (31 मार्च 2020 तक 11,18,644) 7.69% के कर मुक्त बांड अंकित मूल्य ₹ 1,000 प्रत्येक, 22/01/2023 को रीडिम किया जा सकता है	11,186.44	11,186.44	11,186.44	11,186.44
(liii)	2,140 (31 मार्च 2020 तक 2,140) 7.21% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज IV-A अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 21/11/2022 को रीडिम किया जा सकता है	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00
(liv)	600 (31 मार्च 2020 तक 600) 7.20% टैक्स फ्री बॉन्ड सीरीज III-A अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 15/11/2022 को रीडिम किया जा सकता है	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
(lv)	79,110 (31 मार्च 2020 तक 79,110) 8.30% अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक के बांड, 29/3/2018 को जल्द से जल्द बायबैक के साथ 28/3/2026 को रीडिम किये जा सकते हैं	791.10	791.10	791.10	791.10
(lvi)	5,38,811 (31 मार्च 2020 तक 5,38,811) 8.15% अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक के बांड, 29/3/2016 को जल्द से जल्द बायबैक के साथ 28/3/2021 को रीडिम किये जा सकते हैं	-	-	5,388.11	5,388.11
		14,88,997.24	14,88,997.24	14,94,385.35	14,94,385.35

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
ii	असुरक्षित बांड^a				
(i)	10,000 8.55% के बांड ₹ अंकित मूल्य 10 लाख प्रत्येक, 03/11/2024 को रीडिम किया जा सकता है #	1,00,000.00	1,00,000.00	1,00,000.00	1,00,000.00
(ii)	4,000 8.12% के बांड अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 24/08/2024 को रीडिम किया जा सकता है #	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
(iii)	6,000 8.12% के बांड प्रत्येक अंकित मूल्य 10 लाख, 12/08/2024 को रीडिम किया जा सकता है #	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
(iv)	5,000 7.90% के बांड अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 28/04/2024 को रीडिम किया जा सकता है #	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(v)	5,000 8.10% के बांड अंकित मूल्य 10 लाख प्रत्येक, 08/04/2024 को रीडिम किया जा सकता है #	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(vi)	₹ 10 लाख अंकित मूल्य के 2,000 8.68% बांड, 18/12/2023 को रीडिम किये जा सकते हैं #	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
(vii)	₹ 10 लाख अंकित मूल्य के 2,000 9.35% बांड, 17/11/2023 को रीडिम किया जा सकता है #	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
(viii)	₹ 10 लाख अंकित मूल्य के 2,000 8.82% बांड, 19/12/2022 को रीडिम किया जा सकता है #	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
(ix)	919 ब्याज यूएस \$ 6 महीने के लिबोर बांड से जुड़ा हुआ है, जिसका अंकित मूल्य 1 मिलियन डॉलर है, जिसे आरबीआई द्वारा सब्सक्राइब किया गया है, जिसे 06/04/2024 को रीडिम किया जा सकता है।	2,84,364.40	2,84,364.40	2,91,642.12	2,91,642.12
(x)	400 ब्याज यूएस \$ 6 महीने से जुड़ा हुआ है लिबोर नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड, अंकित मूल्य \$ 1 मिलियन प्रत्येक, आरबीआई द्वारा सब्सक्राइब किया गया, 29/01/2029 को सममूल्य पर रीडिम किया जा सकता है #	3,94,555.69	3,94,555.69	4,04,653.53	4,04,653.53
(xi)	231 ब्याज यूएस \$ 6 महीने के लिबोर बांड से जुड़ा हुआ है, जिसका अंकित मूल्य \$ 1 मिलियन प्रत्येक है, जिसे आरबीआई द्वारा सब्सक्राइब किया गया है, जिसे 06/03/2024 को रीडिम किया जा सकता है।	1,71,320.24	1,71,320.24	1,75,704.82	1,75,704.82
(xii)	160 ब्याज यूएस \$ 6 महीने से जुड़ा हुआ है लिबोर गैर परिवर्तनीय बांड, अंकित मूल्य \$ 1 मिलियन प्रत्येक, आरबीआई द्वारा सब्सक्राइब किया गया, 04/03/2023 को सममूल्य पर रीडिम किया जा सकता है #	1,18,663.37	1,18,663.37	1,21,700.31	1,21,700.31
(xiii)	117 ब्याज यूएस \$ 6 महीने के लिबोर गैर परिवर्तनीय बांड से जुड़ा हुआ है, जिसका अंकित मूल्य \$ 1 मिलियन प्रत्येक है, जिसे आरबीआई द्वारा सब्सक्राइब किया गया है, जो 05/07/2022 को सममूल्य पर रीडिम किया जा सकता है	86,772.59	86,772.59	88,993.35	88,993.35
(xiv)	123 ब्याज यूएस \$ 6 महीने के लिबोर नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जिसका अंकित मूल्य \$ 1 मिलियन प्रत्येक है, जिसे आरबीआई द्वारा सब्सक्राइब किया गया है, जो 30/03/2022 को सममूल्य पर रीडिम किया जा सकता है।	91,222.46	91,222.46	93,557.11	93,557.11
(xv)	170 ब्याज यूएस \$ 6 महीने से जुड़ा हुआ है, 1 मिलियन डॉलर अंकित मूल्य के लिबोर गैर परिवर्तनीय बांड, आरबीआई द्वारा सब्सक्राइब किया गया, 27/02/2022 को सममूल्य पर रीडिम किया जा सकता है रु	1,26,079.83	1,26,079.83	1,29,306.58	1,29,306.58

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(xvi)	130 ब्याज यूएस \$ 6 महीने के लिबोर गैर परिवर्तनीय बांडों से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक का अंकित मूल्य \$ 1 मिलियन है, जिसे आरबीआई द्वारा सब्सक्राइब किया गया है, 16/09/2021 को सममूल्य पर रीडिम किया जा सकता है।	96,413.99	96,413.99	98,881.50	98,881.50
		17,29,392.56	17,29,392.56	17,64,439.32	17,64,439.32
	कुल सकल (क)	32,18,389.80	32,18,389.80	32,58,824.67	32,58,824.67
	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	18,48,997.24	18,48,997.24	18,54,385.35	18,54,385.35
	भारत के बाहर ऋण प्रतिभूतियां	13,69,392.56	13,69,392.56	14,04,439.32	14,04,439.32
	कुल सकल (ख)	32,18,389.80	32,18,389.80	32,58,824.67	32,58,824.67
	कुल (ख) (क) के साथ मिलान करने के लिए	32,18,389.80	32,18,389.80	32,58,824.67	32,58,824.67

^ आईआईएफसीएल द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षित और असुरक्षित बांड गैर-परिवर्तनीय हैं और सममूल्य पर प्रतिदेय हैं। इसके अलावा, सुरक्षित बांड सभी अधिकारों, शीर्षकों, हितों, लाभ, दावों और प्राप्तियों सहित कंपनी के खातों में से जो भी हो, पारी-पासु के आधार पर सुरक्षित हैं।

कंपनी के लिए चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, वर्तमान और भविष्य की **क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और वर्ष** के दौरान रेटिंग का माइग्रेशन: आईआईएफसीएल के घरेलू ऋण लिखतों में "एएए" रेटिंग है— क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, आईसीआरए और ब्रिकवर्क्स— क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग।

कंपनी को दी गई रेटिंग की पुष्टि स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा की गई थी: BBB- / नेगेटिव / A-3 जो सॉवरेन रेटिंग के बराबर हैं। वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

असुरक्षित बांड भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत हैं [31 मार्च 2021 को शून्य सहित (31 मार्च 2020 को शून्य) रिपोर्टिंग अवधि के अंत से 1 वर्ष के भीतर देय राशि हैं]

बांड या डिबेंचर रिडीम किया गया जिसे आईआईएफसीएल पुनः जारी करने की शक्ति रखता है।

17,29,392.56 17,29,392.56 17,64,439.32 17,64,439.32

शून्य

शून्य

लंबी अवधि के ऋणों की चुकौती की शर्तें

i) एशियाई विकास बैंक

अंश	अनुबंध के अनुसार ऋण राशि (अत्यावधि सहित) (लाख में)	ब्याज की दर	चुकौती कि शुरुआत	उस अवधि तक चुकौती	चुकौती की आवृत्ति	चुकौती राशि
I	3000	6 मिलियन अमरीकी डॉलर लिबोर +20बीपीएस	15.12.2012	15.06.2032	अर्द्ध वार्षिक	ऋण राशि के 2.50% की प्रत्येक किस्त है
II	2000	6 मिलियन अमरीकी डॉलर लिबोर +20बीपीएस	15.06.2014	15.12.2033	अर्द्ध वार्षिक	ऋण राशि के 2.50% की प्रत्येक किस्त है
III	2100	6 मिलियन अमरीकी डॉलर लिबोर +20बीपीएस	15.12.2014	15.06.2034	अर्द्ध वार्षिक	
IV	2500	6M अमरीकी डॉलर लिबोर +30 बीपीएस	15.12.2015	15.06.2035	अर्द्ध वार्षिक	बलूनिंग किश्तें 0.827816% से शुरू होकर ऋण राशि के 5.55031% तक
V	2400	6M अमरीकी डॉलर लिबोर +40बीपीएस	15.12.2016	15.06.2036	अर्द्ध वार्षिक	
VI	4000	6M अमरीकी डॉलर लिबोर +40बीपीएस	15.03.2018	15.03.2033	अर्द्ध वार्षिक	बलूनिंग किश्तें 2.173900% से शुरू होकर ऋण राशि के 4.559913% तक
VII	3000	6M अमरीकी डॉलर लिबोर +50बीपीएस	01.05.2023	01.05.2038	अर्द्ध वार्षिक	बलूनिंग किश्तें 2.173900% से शुरू होकर ऋण राशि के 4.559913% तक
कुल	19000					
ii) आईबीआरडी (विश्व बैंक)						
	अनुबंध के अनुसार ऋण राशि (+ लाख में)	ब्याज की दर	चुकौती कि शुरुआत	उस अवधि तक चुकौती	चुकौती की आवृत्ति	चुकौती राशि
1950*		6 मिलियन अमरीकी डॉलर लिबोर + वेरिबल स्प्रेड	15.04.2017	15.04.2037	अर्द्ध वार्षिक	15.10.2036 तक ऋण राशि की 2.44% की किस्त और 15.04.2037 को 2.40% की किस्त
	*आईबीआरडी (विश्व बैंक) की ऋण राशि 18 दिसंबर 2013 को अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट के पुनर्गठन के कारण 1,950 लाख डॉलर तक कम हो गई है, जिसमें 10,000 लाख डॉलर की ऋण राशि को रद्द करने का विवरण दिया गया है।					

[illegible]

नोट 15: उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
क)	सावधि ऋण				
(i)	अन्य पार्टियों से				
क.	असुरक्षित ऋण:				
ख.	एशियाई विकास बैंक (एडीबी)	10,67,195.03	10,67,195.03	10,80,662.67	10,80,662.67
ग.	आईबीआरडी (विश्व बैंक)	1,15,355.34	1,15,355.34	1,25,481.34	1,25,481.34
घ.	यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (EIB)	1,70,189.02	1,70,189.02	1,66,099.20	1,66,099.20
ङ.	क्रेडीट्सटाल्ट फर वीडेरौफ्यू (केएफडब्ल्यू)	13,815.95	13,815.95	16,300.14	16,300.14
च.	जापान के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी	1,76,960.00	1,76,960.00	1,04,475.00	1,04,475.00
ख)	के मांग पर चुकाने योग्य ऋण				
i)	सुरक्षित ऋण:				
	बैंकों से	5,77,550.80	5,77,550.80	3,00,403.23	3,00,403.23
	(31 मार्च 2021 को ₹ 6,43,316.55 लाख की सावधि जमा रसीदों को गिरवी रखकर सुरक्षित (31 मार्च 2020 तक ₹ 5,03,198.50 लाख))				
	कुल (क)	21,21,066.14	21,21,066.14	17,93,421.58	1,793,421.58
	भारत में लिया गया उधार	5,77,550.80	5,77,550.80	3,00,403.23	3,00,403.23
	भारत-एफसी ऋण के बाहर उधार	15,43,515.34	15,43,515.34	14,93,018.35	14,93,018.35
	कुल (ख) (क) के साथ मिलान करने के लिए	2,121,066.14	2,121,066.14	1,793,421.58	1,793,421.58

अन्य पार्टियों से सभी असुरक्षित सावधि ऋण भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत हैं, जिसमें से ₹ 48,678.93 लाख, ₹ 481.28 लाख, ₹ 6,994.71 लाख, ₹ 11,479.87 लाख और ₹ 31 मार्च 2021 को शून्य राशि (₹ 47,742.07 लाख, ₹ 3,198.59 लाख), ₹ 7,173.72 लाख और ₹ 31 मार्च 2020 को ₹ 11,073.29 लाख) रिपोर्टिंग अवधि के अंत से 1 वर्ष के भीतर क्रमशः एडीबी, केएफडब्ल्यू, विश्व बैंक, आईबी और जेआईसीए को देय राशि है।

* डेबिट बैलेंस का निवल

0.14

0.14

0.15

0.15

नोट 16: अन्य वित्तीय देनदारियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	प्राप्त प्रतिभूति जमाएं	7.15	14.15
(ii)	अन्य	2,979.64	4,111.23
(iii)	ब्याज उपार्जित लेकिन उधार पर देय नहीं बांड और सावधि ऋण पर	70,183.63	77,347.48
	कुल	73,170.42	81,472.86

नोट 17: वर्तमान कर देनदारियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	आयकर के लिए प्रावधान	13,657.70	13,525.14
(ii)	आयकर (शुद्ध)	-	-
	कुल	13,657.70	13,525.14

नोट 18: प्रावधान

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(i)	अवकाश नकदीकरण	211.23	206.40
(ii)	बीमारी के लिए अवकाश	158.81	163.69
(iii)	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	940.60	813.57
(iv)	अवकाश किराया छूट	105.95	100.66
(v)	वेतन संशोधन	1,109.89	721.35
(vi)	उपदान	43.98	71.63
	अन्य		
(i)	डेरिवेटिव्स पर बाजार के मार्क टू मार्केट हानि	876.74	1,830.89
(ii)	मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान	22,412.38	26,678.88
(iii)	अवमानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	8,353.21	32,471.00
(iv)	संदिग्ध आस्तियों के खिलाफ प्रावधान	3,37,547.34	3,37,317.13
(v)	पुनर्चित आस्तियों के लिए प्रावधान	5,028.08	492.35
(vi)	एनपीए के व्यय	625.10	477.40
(vii)	भारतीय लेखा मानक के अनुसार अपेक्षित ऋण हानि	1,84,422.18	1,98,525.65
	कुल	5,61,835.49	5,99,870.58

नोट 19 : अन्य गैर-वित्तीय दायित्व

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(क)	अन्य देनदारियां		
(i)	सांविधिक देय देय	804.97	860.14
(ii)	बांड पर दावा न किया गया ब्याज	1.38	1.38
(iii)	देय प्रतिबद्धता शुल्क	71.98	96.63
(iv)	विविध देयताएं खाता (ब्याज पूंजीकरण)	46,904.51	3,142.55
(v)	अन्य	357.29	307.74
	कुल	48,140.13	4,408.43

नोट 20: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
क.	प्राधिकृत		
	₹ 10/- के 10,000,000,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020 तक प्रत्येक ₹ 10/- के 10,000,000,000 इक्विटी शेयर)	1,000,000.00	6,00,000.00
	जारी, अभिदत्त एवं चुकता		
ख.	9,999,916,230 (31 मार्च 2020 तक 9,999,916,230) ₹ 10/- प्रत्येक के पूर्ण भुगतान वाले इक्विटी शेयर	9,99,991.62	9,99,991.62
	कुल	9,99,991.62	9,99,991.62

पाद टिप्पणियां

क) रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च 2021		वर्ष समाप्ति 31 मार्च 2020	
	शेयरों की संख्या	₹ लाख में	शेयरों की संख्या	₹ लाख में
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में बकाया शेयर	9,99,99,16,230	9,99,991.62	4,20,23,16,230	4,20,231.62
शेयर रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इशु किये गए शेयर	-	-	5,79,76,00,000	5,79,760.00
बकाया शेयर रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक	9,99,99,16,230	9,99,991.62	9,99,99,16,230	9,99,991.62

ख) कंपनी की संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी भारत सरकार और उसके नामांकित व्यक्तियों के पास है।

नोट 21: अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(क)	कैपिटल रिज़र्व (गैर-वर्तमान प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ)		
	प्रारंभिक शेष रकम	585.14	585.14
	समाप्ति के समय शेष रकम	585.14	585.14
(ख)	प्रतिभूति प्रीमियम खाता (बॉन्ड पर)		
	प्रारंभिक शेष रकम	235.50	235.50
	समाप्ति के समय शेष रकम	235.50	235.50
(ग)	डिबेंचर/बांड रिडेम्पशन आरक्षित निधि		
	प्रारंभिक शेष रकम	99,995.05	99,995.05
	जोड़ें: लाभ और हानि विवरण में अधिशेष से स्थानांतरण		-
	समाप्ति के समय शेष रकम	99,995.05	99,995.05
(घ)	कैश फ्लो हेज आरक्षित निधि		
	प्रारंभिक शेष रकम	(33,957.27)	(13,299.11)
	जोड़ें: अवधि के दौरान कैश फ्लो हेज आरक्षित निधि	6,304.12	(20,658.17)
	समाप्ति के समय शेष रकम	(27,653.15)	(33,957.27)
(ङ)	अन्य रिज़र्व		
(i)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिज़र्व, (फुटनोट 1)		
	प्रारंभिक शेष रकम	1,42,145.82	1,42,145.82
	जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष से स्थानांतरण (शुद्ध)	3,795.09	-
	समाप्ति के समय शेष रकम	1,45,940.91	1,42,145.82
(ii)	कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि (फुटनोट 2)		
	प्रारंभिक शेष रकम	26.75	50.53
	जोड़ें: लाभ और हानि खाते के अधिशेष से स्थानांतरण	71.38	8.45
	घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि और लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष को हस्तांतरित	23.00	32.23
	समाप्ति के समय शेष रकम	75.13	26.75
(iii)	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि (फुटनोट 3)		
	प्रारंभिक शेष रकम	133.78	2,633.78
	घटाएं: उपयोग की गई राशि	11.33	2,500.00
	समाप्ति के समय शेष रकम	122.45	133.78
(iv)	विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर आरक्षित निधि		
	प्रारंभिक शेष रकम	14,083.23	16,410.66
	जोड़ें / घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन	538.41	(2,327.43)
	समाप्ति के समय शेष रकम	14,621.64	14,083.23
(v)	इम्पेयरमेंट आरक्षित निधि (फुटनोट 4)		
	प्रारंभिक शेष रकम	7,164.93	-
	जोड़ें / घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन	(7,164.93)	7,164.93
	समाप्ति के समय शेष रकम	-	7,164.93

(vi)	भारतीय आरक्षित निधि बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के तहत आरक्षित निधि (फुटनोट 5)		
	प्रारंभिक शेष रकम	3,057.24	2,033.18
	जोड़ें: लाभ और हानि खाते के अधिशेष से स्थानांतरण	5,715.28	1,024.06
	समाप्ति के समय शेष रकम	8,772.52	3,057.24
(च)	लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष		
	प्रारंभिक शेष रकम	(2,75,520.08)	(2,81,274.61)
	जोड़ें: कर पश्चात लाभ	32,501.53	9,453.95
	जोड़ें: स्टाफ वेलफेयर आरक्षित निधि से स्थानांतरण	19.02	32.23
	जोड़ें: कर समायोजन	4.73	-
	घटाएं: प्रारंभिक बैलेंस में अंतर के कारण समायोजन	-	(4,471.60)
	घटाएं: स्टाफ वेलफेयर आरक्षित निधि में स्थानांतरण	71.38	8.45
	घटाएं: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि में स्थानांतरण	3,795.09	-
	घटाएं: क्षति भत्ता आरक्षित निधि में स्थानांतरण	(7,164.93)	7,164.93
	कम: पूर्व अवधि का आइटम	-	1.82
	घटाएं: परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्माप लाभ/(हानि)	(38.62)	4.00
	घटाएं: धारा 45-आईसी के तहत आरक्षित निधि में ट्रांसफर	5,715.28	1,024.06
	समाप्ति के समय शेष रकम	(2,45,373.00)	(2,75,520.08)
	कुल	(2,677.81)	(42,049.92)

फुटनोट

- विशेष आरक्षित निधि भारत में बुनियादी ढांचे की सुविधा के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने वाली कंपनियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक वैधानिक आरक्षित है।
- स्टाफ वेलफेयर आरक्षित निधि को कर्मचारियों, खेल, सांस्कृतिक और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के बीच बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।
- 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष से, आईआईएफसीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक सीएसआर व्यय के लिए सीएसआर आरक्षित निधि नहीं बनाया है और 3 जुलाई 2015 के पत्र के माध्यम से इस मुद्दे को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) को संदर्भित किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर के तहत खर्च की जाने वाली राशि के अलावा सीएसआर आरक्षित निधि बनाने और इसके उपयोग को जारी रखने पर स्पष्टीकरण के लिए उद्घृत किया है। डीपीई के जवाब का अभी इंतजार है।
- इंपेयरमनेट अलाउंस आरक्षित निधि आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2019-20/170 दिनांक 13 मार्च 2020 के अनुसार इंड एस के अनुसार ऋण आस्तियों पर हानि के लिए आरबीआई की आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के प्रावधानों से कम है।
- आरक्षित निधि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के अनुसार बनाया गया है।

नोट 22: ब्याज आय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक	
		परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियों पर	
		31.03.2021	31.03.2020
(i)	प्रत्यक्ष उधार के अंतर्गत ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	1,85,620.65	2,62,596.02
(ii)	पीएमडीओ योजना के तहत ऋण पर ब्याज	109.41	104.87
(iii)	पुनर्वित्त योजना के तहत ऋण और अग्रिम पर ब्याज	47,038.26	17,593.13
(iv)	टेकआउट वित्त पोषण योजना के तहत ऋण और अग्रिम पर ब्याज	41,635.46	76,767.31
(v)	दंडात्मक ब्याज	2,480.43	1,161.88
(vi)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	33,720.16	515.48
(vii)	बांड पर ब्याज	-	713.30
(viii)	बैंकों में जमाराशियों पर ब्याज	57,734.12	66,825.13
	कुल	3,68,338.49	4,26,277.12

नोट 23: शुल्क और कमीशन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक	
		31.03.2021	31.03.2020
(i)	अग्रिम शुल्क	1,570.75	989.13
(ii)	प्रक्रमण संसाधन शुल्क	75.74	75.74
(iii)	पूर्व भुगतान शुल्क	1,183.99	2,068.49
(iv)	कमीशन प्राप्त	11.92	92.68
(v)	ऋण संवृद्धि से हासिल शुल्क	585.63	573.77
(vi)	परामर्श और सेवा शुल्क	386.22	173.72
(vii)	निवेश प्रबंधन शुल्क	473.63	392.39
(viii)	अन्य शुल्क	1,204.49	5,100.28
	कुल	5,492.37	9,466.21

नोट 24: अन्य आय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक	
		31.03.2021	31.03.2020
(i)	बट्टे खाते में डाले गए ऋण की वसूली	20,260.54	848.67
(ii)	वापस लिखी गई ऋण आस्तियों पर प्रावधान के अलावा अन्य राशियां / प्रावधान	117.24	85.50
(iii)	विविध आय	70.06	174.07
(iv)	तनावमुक्त ब्याज आय कर्मचारी ऋण (आय)	2.75	2.23
(v)	स्वैप सौदों पर लाभ	45,184.43	31,991.32
(vi)	मार्क टू मार्केट (लाभ) / व्युत्पन्नियों पर हानि	954.16	(142.18)
(vii)	दायित्व जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	-	6,831.85
(viii)	आयकर वापसी पर ब्याज	0.39	3.97
	कुल	66,589.57	39,795.44

नोट 25: वित्त लागत

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक	
		परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय देनदारियों पर	
		31.03.2021	31.03.2020
(i)	बांड और डिबेंचर पर ब्याज	1,54,119.90	1,55,258.94
(ii)	बैंक उधार पर ब्याज	22,948.47	38,379.47
(iii)	एडीबी से ऋण पर ब्याज	52,527.12	52,550.70
(iv)	आईबीआरडी (विश्व बैंक) से ऋण पर ब्याज	7,657.37	7,893.12
(v)	केएफडब्ल्यू के ऋण पर ब्याज	185.96	563.26
(vi)	ईआईबी के ऋण पर ब्याज	140.12	135.37
(vii)	जेआईसीए के ऋण पर ब्याज	41.05	91.80
	कुल	2,37,619.99	2,54,872.66

नोट 26: शुल्क और कमीशन व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक	
		31.03.2021	31.03.2020
(i)	सरकारी गारंटी शुल्क	13,042.33	12,356.96
(ii)	बांड सर्विसिंग व्यय	117.47	153.02
(iii)	प्रतिबद्धता शुल्क	184.48	247.79
	कुल	13,344.28	12,757.77

नोट 27: उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक	
		31.03.2021	31.03.2020
	(क) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर नेट लाभ/(हानि)		
	(i) ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर		
	(ii) उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय लिखतों पर लाभ या हानि के माध्यम से	2,536.56	2,315.22
	उचित मूल्य परिवर्तन पर कुल निवल लाभ/(हानि) (ख)	2,536.56	2,315.22
	उचित मूल्य परिवर्तन: (ग)		
	—प्राप्य	-	-
	—अप्राप्य	2,536.56	2,315.22
	उचित मूल्य परिवर्तन (ख) में कुल निवल लाभ/(हानि) के साथ (ग) मिलान करने के लिए	2,536.56	2,315.22
	* इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के अलावा हैं.		

नोट 28: कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक	
		31.03.2021	31.03.2020
(i)	वेतन और तनखाह	3,003.28	2,555.42
(ii)	भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	320.73	309.75
(iii)	कर्मचारी कल्याण खर्च	968.31	833.96
(iv)	प्रीपेड स्टाफ लागत	0.90	0.77
	कुल	4,293.22	3,699.91

नोट 29: वित्तीय लिखतों पर क्षति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक	
		परिशोधन लागत पर मापे गए वित्तीय लिखतों पर	
		31.03.2021	31.03.2020
(i)	ऋण आस्ति	(34,011.69)	24,543.94
(ii)	निवेश	(649.37)	369.48
(iii)	एनपीए के व्यय	147.70	477.40
	कुल	(34,513.36)	25,390.82

नोट 30: अन्य व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक	
		31.03.2021	31.03.2020
(i)	किराया, कर और ऊर्जा लागत	205.12	112.23
(ii)	मुद्रण और छपाई	13.29	9.24
(iii)	विज्ञापन और प्रचार	19.56	5.16
(iv)	निदेशक की फीस, भत्ते और खर्चे	4.74	77.67
(v)	लेखा परीक्षक की फीस और खर्चे	15.32	15.20
(vi)	कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	375.60	242.10
(vii)	बीमा	17.14	9.26
(viii)	विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद पर निवल हानि	37,807.52	74,157.76
(ix)	अन्य खर्चों	1,479.38	4,564.69
(x)	बट्टे खाते में डाली गई ऋण राशि [नोट 1(ख)(20(ख)) देखें]	1,40,203.69	1,22,297.10
	कुल	1,80,141.36	2,01,490.41

नोट 1: 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और अन्य नोट

आईआईएफसीएल कंपनियों के प्रावधानों के तहत भारत में अधिवासित और निगमित एक सार्वजनिक कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 5वीं मंजिल, प्लेट ए और बी, ब्लॉक 2, एनबीसीसी टॉवर, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली, भारत में स्थित है।

आईआईएफसीएल की स्थापना व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए योजना के माध्यम से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 सितंबर 2013 को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – गैर जमा – इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (NBFC-ND-IFC) के रूप में पंजीकरण संख्या N-14.03288 का प्रमाण पत्र जारी किया है आरबीआई ने आईआईएफसीएल को सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है।

(क) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. तैयारी का आधार

1.1 समेकित वित्तीय विवरणों में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (मूल कंपनी) के व्यक्तिगत वित्तीय विवरण और इसकी सहायक कंपनियों, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड (आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड), आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और आईआईएफसीएल एसेट के वित्तीय विवरण शामिल हैं। 31 मार्च 2019 को प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (एक साथ समूह के रूप में गठित) और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

- कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समूह के भीतर लेनदेन को समाप्त करने के बाद आस्ति, देनदारियों, आय और व्यय की समान वस्तुओं के बुक वैल्यू को एक साथ जोड़कर लाइन दर लाइन आधार पर समेकित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभ या हानि हुआ है। "समेकित वित्तीय विवरण" पर इंड एस 110 के तहत.
- विदेशी सहायक की आस्ति और देनदारियां, दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक, समापन विनिमय दर पर अनुवादित की जाती हैं.
- विदेशी सहायक की आय और व्यय मदों को लेनदेन की तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच आरबीआई संदर्भ दर पर अनुवादित किया जाता है।
- सभी परिणामी विनिमय अंतर विदेशी मुद्रा अनुवाद आरक्षित निधि में जमा हो जाते हैं

1.2 निम्नलिखित सहायक कंपनियों के व्यक्तिगत वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरणों में समेकित किए गए हैं:

सहायक कंपनी का नाम	निगमन का देश	वर्तमान अवधि	पूर्व अवधि
		स्वामित्व का अनुपात (%)	स्वामित्व का अनुपात (%)
आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	यूनाइटेड किंगडम	100%	100%
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	भारत	100%	100%
आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	भारत	100%	100%

1.3 पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी यानी आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को मूल कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए लागू भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा प्रथाओं के अनुसार परिवर्तित किया गया है।

1.4 **लेखा परंपरा:** आईआईएफसीएल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन III में प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। वित्तीय विवरण प्रोद्भव आधार पर और ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय

क. अन्य व्यापक आय (FVOCI) के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत वित्तीय आस्तियों के,

ख. व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों,

ग. लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय आस्तियां और देनदारियां.

घ. परिभाषित लाभ योजनाएं – उचित मूल्य पर मापी गई योजना आस्तियां.

जिनमें से सभी को प्रासंगिक इंड-एएस द्वारा अपेक्षित या अनुमत उचित मूल्य पर मापा गया है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को निकटतम लाख रुपये में पूर्णांकित किया जाता है, जब तक कि अन्यथा संकेत न दिया गया हो.

1.5 अनुमानों का उपयोग:

आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तारीख में आस्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और उनके प्रकटीकरण और राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करते हैं रिपोर्टिंग अवधि के दौरान. वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम अमल में आते हैं.

आईआईएफसीएल ने रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में कोई धारणा नहीं बनाई है, जिसके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के भीतर आस्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में सामग्री समायोजन का एक महत्वपूर्ण जोखिम है।

2. अनुपालन का विवरण

आईआईएफसीएल के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इंड-एएस की आवश्यकताओं के अनुसार, गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किए जाते हैं. जी-एस-आर-111(ई) दिनांक 16 फरवरी 2015 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016, राजपत्र अधिसूचना संख्या. जी-एस-आर-365 (ई) दिनांक 30 मार्च 2016.

ये भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण आईआईएफसीएल द्वारा इंड एस को अपनाने के लिए इंड एस संक्रमण तिथि से तुलनात्मक वित्तीय विवरणों के रूप में उपयोग के लिए तैयार किए गए हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिए अभिप्रेत नहीं हैं.

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अधिकृत और अनुमोदित किया गया था 10 अगस्त 2019 को.

3. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

वित्तीय आस्ति और वित्तीय देनदारियों को आम तौर पर तुलन पत्र में सकल मूल्य की सूचना दी जाती है। वे केवल ऑफसेट और रिपोर्ट किए गए निवल मूल्य हैं, जब भविष्य की घटना पर आकस्मिक हुए बिना मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए बिना शर्त कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होने के अलावा, पार्टियां निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में निवल आधार पर समझौता करने का इरादा रखती हैं:

- व्यापार का सामान्य रूप से चलना
- ऋण ना चुकाने की घटना
- आईआईएफसीएल और/या इसके प्रतिपक्षकारों के दिवालियेपन या दिवालियेपन की घटना

मास्टर नेटिंग व्यवस्था (जैसे आईएसडीए) के साथ व्युत्पन्न आस्ति और देनदारियों को केवल तभी निवल मूल्य प्रस्तुत किया जाता है जब वे उपरोक्त सभी मानदंडों के लिए नेटिंग की पात्रता को पूरा करते हैं, न कि केवल डिफॉल्ट की स्थिति में.

4. आय / व्यय की मान्यता

4.1. परिशोधन लागत पर मापे गए सभी वित्तीय लिखतों के लिए, बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत ब्याज वाली वित्तीय आस्ति और एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय लिखत, ब्याज आय या व्यय को आईआईआर का उपयोग

करके दर्ज किया जाता है। गणना वित्तीय लिखत की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान विकल्प) को ध्यान में रखती है और इसमें कोई भी शुल्क या वृद्धिशील लागत शामिल है जो सीधे लिखत के लिए जिम्मेदार हैं और ईआईआर का एक अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन भविष्य के क्रेडिट नुकसान नहीं। जब किसी वित्तीय आस्ति या समान वित्तीय आस्तियों के समूह का दर्ज मूल्य कम कर दिया गया हो एक हानि हानि से, ब्याज आय के हानि को मापने के उद्देश्य से भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर का उपयोग करके पहचाना जाना जारी है।

- 4.2. दिए गए ऋण पर अग्रिम शुल्क आय को प्रोद्भवन के आधार पर आय के रूप में माना जाता है, जहां आवंटित राशि पर ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- 4.3. कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क को व्यय के रूप में शामिल किया जाता है जब ऋण की आहरण ऋण समझौते के अनुसार ऋण की स्वीकृत राशि से कम होती है।
- 4.4. उधारकर्ता के खातों में वसूली संबंधित ऋण समझौतों के अनुसार विनियोजित की जाती है।
- 4.5. बड़े खाते में डाले गए ऋण आस्तियों से वसूली को वसूली की प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।
- 4.6. जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तो लाभांश का हिसाब उपार्जन के आधार पर किया जाता है। हालांकि, अंतिम लाभांश प्राप्त करने का अधिकार केवल शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन पर उत्पन्न होता है।
- 4.7. पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय, जो कुल आय के 0.1% से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाता है।
- 4.8. आंशिक ऋण वृद्धि गारंटी शुल्क को लेखा वर्ष में प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है जब वसूली का उचित अधिकार स्थापित हो जाता है। अग्रिम में प्राप्त किसी भी आंशिक ऋण वृद्धि गारंटी शुल्क को आस्थगित कर दिया जाता है और इसे प्रोद्भवन की अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- 4.9. गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर ब्याज/छूट या किसी अन्य शुल्क सहित आय को तभी मान्यता दी जाती है जब इसे वास्तव में वसूल किया जाता है। आस्ति के गैर-निष्पादित होने और अप्राप्त शेष रहने से पहले मान्यता प्राप्त ऐसी किसी भी आय को उलट दिया जाता है।
- 4.10. आयकर रिफंड पर ब्याज वास्तविक आधार पर हिसाब में लिया जाता है, यानी आयकर रिफंड की प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।

5. वित्तीय लिखत:

5.1. मान्यता और प्रारंभिक माप:

कंपनी शुरू में निपटान तिथि पर वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों को मानती है। एक वित्तीय आस्ति या वित्तीय देनदारी को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है, साथ ही उस वस्तु के लिए जो एफवीटीपीएल में नहीं है, लेनदेन लागत जो सीधे इसके अधिग्रहण या जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं।

5.2. वर्गीकरण:

क. वित्तीय आस्ति:

कंपनी की वित्तीय आस्तियों में नकद और नकद समकक्ष, बैंक शेष, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा अन्य कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, सहायक कंपनियों / कर्मचारियों को ऋण, कर्मचारियों को अग्रिम, सुरक्षा जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर, एक वित्तीय आस्ति को वर्गीकृत किया जाता है:

क) कर्ज चुकाने की लागत:

वित्तीय लिखतों को परिशोधन लागत पर मापा जाता है जहां उनमें:

- संविदात्मक शर्तें हों जो निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं, जो केवल मूलधन के भुगतान और बकाया मूलधन पर ब्याज का प्रतिनिधित्व करती हैं; तथा
- एक व्यवसाय मॉडल के भीतर धारित किया जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के द्वारा प्राप्त किया जाता है।

इन उपकरणों को शुरू में उचित मूल्य के साथ-साथ सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों पर मान्यता दी जाती है, जिसका प्रभाव कुल आय के 0.5% से अधिक होता है। ऋण हानि का मापन नोट 6.7 वित्तीय आस्तियों की हानि में वर्णित तीन-चरण अपेक्षित ऋण हानि मॉडल पर आधारित है।

ख) अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य:

वित्तीय लिखतों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है जहां उनमें:

- संविदात्मक शर्तें हों जो निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं, जो केवल मूलधन के भुगतान और बकाया मूलधन पर ब्याज का प्रतिनिधित्व करती हैं; तथा
- एक व्यवसाय मॉडल के भीतर धारित किया जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय आस्ति बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है।

इन लिखतों को शुरू में उचित मूल्य के साथ-साथ प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेनदेन लागतों पर मान्यता दी जाती है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तन से होने वाले लाभ और हानि को इक्विटी के एक अलग घटक के भीतर अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है। हानि या उत्क्रमण, ब्याज राजस्व और विदेशी मुद्रा लाभ और हानि लाभ और हानि के रूप में पहचाने जाते हैं। निपटान पर, अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से आय विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ऋण हानि का मापन परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों पर लागू होने वाले तीन चरणों वाले प्रत्याशित ऋण लोस मॉडल पर आधारित है।

ग) लाभ और नुकसान के माध्यम से उचित मूल्य:

- व्यापार के लिए रखी गई मदें;
- संविदात्मक शर्तों वाले ऋण लिखत जो केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर धारित वित्तीय लिखतों को शुरू में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है, लेन-देन लागतों को आय विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके बाद, उन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है और किसी भी लाभ या हानि को आय विवरण में पहचाना जाता है जैसे ही वे उत्पन्न होते हैं। जहां एक वित्तीय आस्ति को उचित मूल्य पर मापा जाता है, वहां प्रतिपक्ष की क्रेडिट योग्यता को दर्शाने के लिए एक क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन शामिल किया जाता है, जो क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।

व्यापार के लिए वित्तीय लिखत

एक वित्तीय लिखत को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे मुख्य रूप से निकट अवधि में बेचने या पुनर्खरीद करने के उद्देश्य से अधिग्रहित या खर्च किया जाता है, या वित्तीय लिखतों के एक पोर्टफोलियो का हिस्सा बनता है जो एक साथ प्रबंधित होते हैं और जिसके लिए लघु-टर्म प्रॉफिट टेकिंग, या यह एक व्युत्पन्न है जो क्वालिफाइंग हेज रिलेशनशिप में नहीं है।

इसके अलावा, प्रारंभिक मान्यता पर, आईआईएफसीएल अपरिवर्तनीय रूप से एक वित्तीय आस्ति को नामित कर सकता है जो अन्यथा परिशोधन लागत पर या एफवीटीपीएल के रूप में एफवीओसीआई पर मापी जाने वाली आवश्यकताओं को पूरा करती है, यदि ऐसा करने से एक लेखांकन बेमेल को समाप्त या महत्वपूर्ण रूप से कम किया जाता है जो अन्यथा उत्पन्न होता है।

घ) इक्विटी लिखत

इक्विटी लिखतों में निवेश जो न तो व्यापार के लिए धारित है और न ही आकस्मिक विचार आईआईएफसीएल द्वारा एक व्यावसायिक संयोजन में मान्यता प्राप्त है, जिस पर इंड एस 103 'बिजनेस कॉम्बिनेशन' लागू होता है, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जहां प्रबंधन द्वारा एक अपरिवर्तनीय चुनाव किया गया है। अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत राशि को बाद में लाभ या हानि में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। ऐसे निवेशों पर लाभांश को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

अन्य सभी वित्तीय आस्तियों को एफवीटीपीएल में मापा गया हो इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है।

पुनः मापन

संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी गई आस्तियां जहां वे नकदी प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है। एक ऋण निवेश पर एक लाभ या हानि जिसे बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, इसको लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब आस्ति की पहचान या हानि होती है। इन वित्तीय आस्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके वित्त आय में शामिल किया जाता है, जिसका प्रभाव कुल आय के 0.5% से अधिक होता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य परिवर्तन अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में पहचाने जाते हैं। हालांकि, कंपनी आय विवरण में ब्याज आय, हानि और उत्क्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को मानती है।

पुनर्वर्गीकरण

वित्तीय आस्तियों को उनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय उस अवधि को छोड़कर जब आईआईएफसीएल वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करता है।

ख. वित्तीय देनदारियों

कंपनी की वित्तीय देनदारियां किसी अन्य इकाई को नकद या अन्य वित्तीय आस्ति वितरित करने या कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय आस्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान-प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हैं।

वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य घटाकर लेनदेन लागत पर मान्यता दी जाती है जो सीधे वित्तीय देनदारियों के मुद्दे के कारण होती है, जिसका प्रभाव कुल आय के 0.5% से अधिक होता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है और फीस या लागत जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग है। आय (लेनदेन लागत का नेट) और मोचन राशि के बीच किसी भी अंतर को ईआईआर का उपयोग करके उधार की राशि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

पुनः मापन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया गया है।

संविदात्मक नकदी प्रवाह को परिभाषित करना केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान:

इस मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, श्रमलधन को प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय आस्ति के उचित मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। श्रमलधन को पैसे के समय मूल्य के लिए प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया गया है और एक विशेष अवधि के दौरान बकाया मूल राशि से जुड़े क्रेडिट जोखिम के लिए और अन्य बुनियादी उधार जोखिमों और लागतों (जैसे तरलता जोखिम और प्रशासनिक लागत) के लिए, साथ ही साथ मुनाफे का अंतर।

ग. व्युत्पन्न वित्तीय लिखत:

व्युत्पन्न वित्तीय लिखत ऐसे अनुबंध होते हैं जिनका मूल्य एक या अधिक अंतर्निहित मूल्य, सूचकांक या अन्य वेरिएबल से प्राप्त होता है, और आमतौर पर इसमें स्वैप, फॉरवर्ड रेट समझौते, वायदा और विकल्प जैसे उपकरण शामिल होते हैं। आईआईएफसीएल विदेशी विनिमय दर में भिन्नता के कारण जोखिम को कम करने के लिए बचाव व्यवस्था संपर्कों की प्रकृति में व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों में प्रवेश करता है, जहां उचित मूल्य पर तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त इन अनुबंधों के विदेशी मुद्रा उधारों में लागू होता है और व्यापार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जहां उन्हें नामित किया जाता है। एक प्रभावी हेज संबंध का एक हिस्सा और बचाव व्यवस्था व्युत्पन्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक व्युत्पन्न का वहन मूल्य अनुबंध के पूरे काल में उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है और उचित मूल्य नकारात्मक होने पर देनदारियों के रूप में व्युत्पन्न को आस्ति के रूप में लिया जाता है।

- क. जहां कहीं भी कंपनी ने वायदा अनुबंध या एक लिखत में प्रवेश किया है, अर्थात्, एक वायदा विनिमय अनुबंध के सार में, वायदा दर और विनिमय दर के बीच के अंतर को वायदा विनिमय अनुबंध की तारीख पर अनुबंध के जीवन पर आय या व्यय के रूप में इंड एस-21 के अनुसार मान्यता दी जाती है।
- ख. विदेशी मुद्रा ऋणों पर ली गई बचाव व्यवस्था को विदेशी मुद्रा (अर्थात् प्राकृतिक हेज) में दिए गए ऋणों के समायोजन के बाद एफआईएफओ आधार पर समायोजित किया जाता है।
- ग. अगाऊ विनिमय अनुबंधों के रद्दीकरण या नवीनीकरण पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि जिसमें ब्याज दर बदलाव शामिल है उसे वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में लिखा जाता है।
- घ. कंपनी द्वारा दर्ज जापानी येन में ब्याज दर स्वैप लेनदेन के संबंध में, कंपनी तुलन पत्र की तारीख के अनुसार मार्क टू मार्केट लॉस प्रदान कर रही है।
- ङ. अगाऊ अनुबंध की शुरुआत में स्पॉट विनिमय दर में अंतर के कारण अधिशेष या घाटा और बचाव व्यवस्था अनुबंध के अनुसार क्रमशः काउंटर पार्टी से वसूल या भुगतान किए गए अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व की चुकौती को ऐसे ऋण के पुनर्भुगतान के समय लाभ या हानि के रूप में पहचाना जाता है।
- च. विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेनदेन है) और स्वैप अनुबंध (उपरोक्त ऋण पर होने वाले किसी भी नुकसान के खिलाफ बचाव के लिए) को अलग लेनदेन के रूप में माना जाता है।
- छ. विदेशी मुद्रा उधार भारतीय लेखा मानक (इंड एस 21), विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार पुनर्कथित हैं।

जून 2015 में आईसीएआई द्वारा जारी “व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन” पर मार्गदर्शन नोट, कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है। विनिमय दर में कोई भी बदलाव, विदेशी मुद्रा उधार की राशि के संबंध में जैसा पिछली रिपोर्टिंग तिथि से और अवधि के दौरान झाडाउन उधार की तिथि से रिपोर्टिंग तिथि को होगा, उसे व्युत्पन्न अनुबंधों के उचित मूल्य के सामने निर्धारित किया जाता है और कोई भी लाभ या हानि को नकद प्रवाह हेज संचय के रूप में पहचाना जाता है। व्युत्पन्न अनुबंधों का उचित मूल्य संबंधित प्रतिपक्षकारों द्वारा प्रदान किया जाता है।

दिशा-निर्देश के अनुसार, नकदी प्रवाह हेज के तहत, बचाव व्यवस्था लिखत को उचित मूल्य पर मापा जाता है, लेकिन कोई भी लाभ या हानि जिसे प्रभावी हेज के रूप में निर्धारित किया जाता है, उसे इक्विटी माना जाता है, जैसे, नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था आरक्षित निधि। इसका उद्देश्य एक अवधि में लाभ – हानि कथन में अस्थिरता को रोकना है जब हेज की गई आइटमों पर लाभ और हानियों का पता नहीं है।

5.3. अमान्यीकरण वित्तीय आस्तियां

आईआईएफसीएल एक वित्तीय आस्ति की मान्यता समाप्त कर देता है जब वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या यह एक लेनदेन में संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित करता है जिसमें वित्तीय आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया जाता है। या जिसमें आईआईएफसीएल स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित करता है और न ही रखता है और यह वित्तीय आस्ति का नियंत्रण नहीं रखता है।

उपरोक्त के अलावा, ऋण आस्तियों के मामले में:

- (क) जिन परियोजनाओं में परियोजना प्राधिकरण द्वारा रियायत समझौते (सीए) को समाप्त कर दिया गया है, उस वित्तीय वर्ष में खाते को अमान्य कर दिया गया है जिसमें अनुबंध समाप्त किया गया है।
- (ख) जिन परियोजनाओं में रियायती अनुबंध (सीए) को छूटग्राही द्वारा समाप्त कर दिया गया है, हानि मामले के गुण और तथ्यों के आधार पर की जाती है।
- (ग) उन मामलों में जहाँ वित्तीय आस्ति का खास मूल्य आस्ति पुनः निर्माण कंपनियों आदि से मूल्यांकन रिपोर्ट/पेशकश की आधार पर संलग्न किया जा सकता है, कमी की सीमा तक खराबी होती है।
- (घ) सामरिक ऋण पुनर्चना योजना, दबावग्रस्त आस्तियों की सतत संरचना के लिए योजना, बाहरी कार्यनीतिक ऋण पुनर्चना योजना के तहत मामलों के अलावा अन्य ऋण आस्ति आरबीआई के विनियमों के अनुसार लागू होती हैं और आरबीआई अधिसूचना संख्या के अनुसार वापस ली गई मानी जाती हैं। आरबीआई/131 DBR संख्या BP-BC.101/21.04.048/2017-18 तिथि फरवरी 12, 2018 या कोई और पारस्परिक रूप से सहमत पुनर्चना/सेटलमेंट प्रक्रिया को अस्वीकृत किया जाएगा यदि ऋण आस्ति को अनर्जक आस्ति के रूप में 5 वर्षों से अधिक के लिए वर्गीकृत किया जाता है या परियोजना के अनुसूचित व्यवसायिक संचालन 4 वर्षों से अधिक के लिए लंबित हैं जब तक ऋण आस्ति की बिक्री/स्वीकृति के लिए कोई मुख्य पेशकश मौजूद नहीं होती है। एक वित्तीय आस्ति की अस्वीकृति पर, आस्ति की अग्रणीत राशि (या अस्वीकृत आस्ति के हिस्से के लिए आवंटित अग्रणीत राशि) और (i) प्राप्त प्रतिफल (किसी भी नई प्राप्त प्रिसमाप्ती घटाओ ग्रहण की गई कोई नई देनदारी सहित) और (ii) ओसीआई में स्वीकृत कोई भी संचित लाभ या हानि के योग के बीच अंतर को लाभ और हानि के विवरण में देखा जाता है। एफवीओसीआई पर नामित इक्विटी निवेश प्रतिभूतियों के संबंध में ओसीआई में स्वीकृत किसी भी संचयी लाभ/हानि को ऐसी प्रतिभूतियों की मान्यता रद्द होने पर लाभ और हानि के विवरण में देखा नहीं जाता है। हस्तांतरित वित्तीय आस्तियों में कोई भी ब्याज जो अस्वीकृति के योग्य है जिसे कंपनी द्वारा बनाया या कायम रखा जाता है उसे एक अलग आस्ति या देनदारी के रूप में पहचाना जाता है।

वित्तीय देनदारियाँ

आईआईएफसीएल एक वित्तीय देनदारी को अस्वीकृत करता है जब उसकी संविद संबंधी देयताओं का निर्वहन होता है या रद्द किया जाता है, या समाप्त होते हैं। एक वित्तीय देनदारी की मौजूदा राशि के बीच अंतर जो खत्म हो गया है या अन्य पार्टी को ट्रांसफर हो गया है और भुगतान की गई राशि, जिसमें कोई भी ट्रांसफर हुई या गैर-नकदी आस्तियाँ या अनुमानित देनदारियाँ शामिल हैं, उन्हें अन्य आय या वित्त लागत के रूप में लाभ और हानि विवरण में लिखा जाता है।

एक वर्तमान उधारकर्ता और कर्ज लिखतों के ऋणदाता के बीच एक विनिमय जिसकी मुख्य रूप से अलग शर्तें हैं उनकी मूल वित्तीय देनदारी की समाप्ति और नई वित्तीय देनदारी की पहचान के लिए गणना की जाती है। इस तरह, एक मौजूदा वित्तीय देनदारी या उसके हिस्से की शर्तों में मुख्य बदलाव (चाहे ऋणी की वित्तीय समस्या से सम्बंधित है या नहीं) का पता लगाया जाएगा जो कि मूल वित्तीय देनदारी की समाप्ति और नई वित्तीय देनदारी की पहचान से सम्बंधित है।

5.4. संशोधन:

वित्तीय आस्तियाँ

यदि किसी वित्तीय आस्ति की शर्तों को बदला जाता है, तो कंपनी मूल्यांकन करती है कि बदली गई आस्ति का नकदी प्रवाह काफी अलग है या नहीं। यदि नकदी प्रवाह काफी हद तक अलग है, तो मूल वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो गए माने जाते हैं। इस मामले में, मूल वित्तीय आस्ति को अस्वीकृत किया जाता है और एक नई वित्तीय आस्ति को उचित मूल्य पर स्वीकृत किया जाता है।

यदि परिशोधित लागत पर संशोधित आस्ति के नकदी प्रवाह काफी भिन्न नहीं हैं, तो संशोधन के परिणामस्वरूप वित्तीय आस्ति को अस्वीकृत नहीं किया जाता है। इस मामले में, कंपनी वित्तीय आस्ति की कुल राशि की दुबारा गणना करती है और लाभ और हानि कथन में संशोधन लाभ या हानि के रूप में कुल समायोजन राशि से निर्मित राशी की पहचान होती है। वित्तीय आस्ति की कुल राशि की पुनः संचारित या संशोधित अनुबंध नकदी प्रवाह के मौजूदा मूल्य के रूप में पुनः गणना की जाती है जिसे वित्तीय आस्ति की मूल प्रभावी ब्याज दर (या खरीदे गए या उत्पन्न क्रेडिट हानि वित्तीय लिखतों के लिए क्रेडिट समायोजित प्रभावी ब्याज दर) पर छूट प्राप्त होती है या, जब लागू होता है, संशोधित प्रभावी ब्याज दर यदि ऐसा संशोधन उधारकर्ता की वित्तीय समस्याओं के कारण किया जाता है, फिर लाभ या हानि को एक साथ हानि के नुकसानों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अन्य मामलों में, इसे ब्याज आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

5.5. उचित मूल्य मापन

वित्तीय लिखतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तुलन पत्र में उचित मूल्य पर किया जाता है।

'उचित मूल्य' वह कीमत है जिसे मूल में मापन तिथि को बाजार प्रतिभागियों के बीच एक क्रमिक लेन देन में एक आस्ति बेच के प्राप्त किया जाता है या देयता को ट्रांसफर करके अदा किया जाता है या उसकी गैरमौजूदगी में, सबसे लाभकारी बाजार जिस तक उस तिथि को कंपनी की पहुंच है। एक दायित्व का उचित मूल्य उसका गैर-निष्पादन जोखिम दिखाता है।

जब एक उपलब्ध होता है, तो कंपनी उस लिखत के लिए एक सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य का उपयोग करके लिखत के उचित मूल्य को मापती है। एक बाजार को सक्रिय माना जाता है यदि आस्ति या दायित्व के लिए लेन-देन पर्याप्त आवृत्ति और मात्रा के साथ होता है ताकि मूल्य निर्धारण की जानकारी निरंतर आधार पर प्रदान की जा सके।

यदि एक सक्रिय बाजार में कोई उद्धृत मूल्य नहीं है, तो आईआईएफसीएल मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करता है और गैर-अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को कम करता है। चुनी गई मूल्यांकन तकनीक में उन सभी कारकों को शामिल किया गया है जिसे बाजार प्रतिभागी लेनदेन के मूल्य निर्धारण के समय ध्यान में रखते हैं।

शुरुआती पहचान पर एक वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत आम तौर पर लेन देन कीमत होती है—अर्थात् विचार का उचित मूल्य दिया गया है या प्राप्त किया गया है। यदि आईआईएफसीएल यह निर्धारित करता है कि शुरुआती पहचान पर उचित मूल्य लेन देन कीमत से अलग है और उचित मूल्य का सबूत एक समान आस्ति या देयता ना तो सक्रिय बाजार में उद्धृत कीमत से मिलता है ना ही एक मूल्यांकन तकनीक पर आधारित है जिसके लिए ना देखे गए कोई भी इनपुट्स माप के संबंध में महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं, तो आर्थिक लिखत को पहले उचित मूल्य पर मापा जाता है, शुरुआती पहचान और लेन देन की कीमत पर उचित मूल्य के बीच अंतर के तहत समायोजित किया जाता है। इसके बाद, उस अंतर को एक उचित आधार पर लाभ और हानि विवरण में पहचाना जाता है।

डिमांड फीचर (जैसे डिमांड डिपॉजिट) के साथ वित्तीय दायित्व का उचित मूल्य मांग पर देय राशि है।

आईआईएफसीएल के पास उपलब्ध जानकारी की उपलब्धता के आधार पर, गैर-उद्धृत इक्विटी का उचित मूल्य नीचे दिए गए दृष्टिकोण के आधार पर, पदानुक्रम के क्रम में है जिसमें वे दिखाई देते हैं:

क. कंपनी के नए उपलब्ध वित्तीय विवरणों से निवेशिती इकाई का विभाजन मूल्य।

ख. एक रुपये पर, यदि नवीनतम वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है।

वैकल्पिक निवेश निधि की इकाइयों का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध निवल आस्ति मूल्य के अनुसार किया जाता है। हालिया उपलब्ध निवल आस्ति मूल्य या किताब मूल्य के अनुसार सुरक्षा रसीदों का मूल्यांकन किया जाता है, जो भी कम है।

5.6. उचित मूल्य मापन के लिए मूल्यांकन तकनीकें

यह दिखाने के लिए कि कैसे उचित मूल्यों को प्राप्त किया जाता है, वित्तीय लिखतों को मूल्यांकन तकनीकों की पद्धति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- **स्तर 1 वित्तीय लिखत** — वे जहां मूल्यांकन में उपयोग किए गए इनपुट समान आस्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों से असमयोजित उद्धृत मूल्य हैं जिसका कंपनी माप तिथि पर इस्तेमाल कर सकती है। कंपनी बाजार को तभी सक्रिय मानती है केवल यदि आयतन और समान आस्तियों या देनदारियों की तरलता के संबंध में पर्याप्त व्यवसायिक गतिविधियाँ होती हैं और जब तुलन पत्र तिथि को बाध्य और लागू योग्य कीमत उल्लेख मौजूद होते हैं।
- **स्तर 2 वित्तीय लिखत** — वह जहाँ मूल्यांकन के लिए इनपुट्स का उपयोग हुआ है और वह महत्वपूर्ण हैं, उन्हें लिखत के जीवन की पूर्ण अवधि में मौजूद निरीक्षण योग्य बाजार डाटा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। इस तरह के इनपुट में सक्रिय बाजारों में समान आस्तियाँ या देनदारियों के लिए उद्धृत मूल्य, निष्क्रिय बाजारों में समान लिखतों के लिए उद्धृत मूल्य और उद्धृत कीमतों जैसे ब्याज दरों और यील्ड कर्व, निहित अस्थिरता और क्रेडिट स्प्रेड के अलावा अन्य अवलोकन योग्य इनपुट शामिल हैं। इसके साथ, आस्ति की स्थिति या स्थान के लिए समायोजनों की आवश्यकता हो सकती है या उस सीमा तक जिससे वह सम्बंधित है।

उन आइटमों के तहत जो महत्वपूर्ण लिखत के साथ तुलनीय हैं। हालाँकि, यदि ऐसे समायोजन ना देखे गए इनपुट्स पर आधारित है जो कि पूर्ण माप के लिए महत्वपूर्ण हैं, आईआईएफसीएल स्तर 3 को वर्गीकृत करेगा।

- **स्तर 3 वित्तीय लिखत** – वह जिसमें एक या अधिक ना देखे गए इनपुट शामिल हैं जो पूर्ण के माप के लिए महत्वपूर्ण हैं।

5.7. वित्तीय आस्तियों की हानि

वित्तीय आस्तियों की निम्न श्रेणियों के लिए आईआईएफसीएल एक तीन-चरण सिद्धांत को लागू करता है ताकि उम्मीद किये गए क्रेडिट नुकसानों (ईसीएल) को मापा जा सके जिन्हें लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापा नहीं जा सकता है:

- अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधन लागत और उचित मूल्य पर ऋण लिखतों को मापा जाता है;
- ऋण प्रतिबद्धताएं तथा
- वित्तीय गारंटी अनुबंध।

इक्विटी निवेशों पर कोई ईसीएल स्वीकृत नहीं किया जाता है।

प्रारंभिक स्वीकृति के बाद से क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के आधार पर वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित तीन पड़ावों में वर्गीकृत किया गया है:

पड़ाव 1: 12-महीने ईसीएल

सभी प्रकटीकरण जहाँ क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी नहीं हुई है क्योंकि शुरुआती पहचान और जहाँ क्रेडिट हानि नहीं हुई है क्योंकि मूल इस पड़ाव में वर्गीकृत होते हैं।

पड़ाव 2: जीवनकाल ईसीएल – क्रेडिट हानि नहीं है

सभी प्रकटीकरण जहाँ क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है क्योंकि शुरुआती पहचान लेकिन क्रेडिट हानि से सम्बंधित नहीं है जो कि इस पड़ाव के अधीन वर्गीकृत होते हैं। 30 दिन पास्ट ड्यू को क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी माना जाता है।

पड़ाव 3: जीवनकाल ईसीएल – क्रेडिट हानि है

क्रेडिट हानि के रूप में मूल्यांकन किये गए सभी प्रकटीकरण जब एक या अधिक घटनाएं जिनका उस आस्ति के निर्मित अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाहों पर खराब प्रभाव हुआ है उन्हें इस पड़ाव में वर्गीकृत किया जाता है। जो प्रकटीकरण जो क्रेडिट हानि से सम्बंधित हैं, एक जीवनकाल मूल्य की पहचान होती है और ब्याज राजस्व की गणना परिशोधित लागत पर (प्रावधान का निवल हिस्सा) प्रभावी ब्याज दर लागू करके गणना की जाती है बिना कुल राशि का पता लगाए।

ऋण परिसम्पत्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना भारतीय आरक्षित निधि बैंक के विनियमों के अनुसार प्रावधानीकरण आवश्यकताएं न्यूनतम होगी जो निम्नानुसार है:

- मानक आस्तियां: ऋण की बकाया राशि पर सामान्य प्रावधान लागू होते हैं, जिसमें अर्जित ब्याज भी शामिल है लेकिन वर्ष के अंत में 0.40 पर बकाया नहीं है।
- उप-मानक आस्तियां: कुल बकाया राशि के 10 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान किया जाता है।
- संदिग्ध आस्तियां
 - उस सीमा तक 100 प्रतिशत प्रावधान लागू किया जाता है जिस सीमा तक अग्रिम राशि को सुरक्षा के वसूली योग्य मूल्य से कवर नहीं किया जाता है जिसके लिए कंपनी के पास एक उचित मार्ग है उसे बनाया जाता है।
 - उपरोक्त आइटम (क) के अलावा, जिस अवधि के लिए आस्ति संदिग्ध बनी हुई है, उसके आधार पर सुरक्षित हिस्से के 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की सीमा तक प्रावधान लागू किया जाता है, यानी बकाया का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य, निम्नलिखित आधार पर पता किया जाता है:

अवधि जिसके लिए आस्ति को संदिग्ध माना गया है	प्रावधान का प्रतिशत
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्ष	30
तीन वर्षों से अधिक	50

- घाटे की आस्तियां

पूर्ण आस्ति को रिटर्न आफ किया जाता है, हालाँकि यदि किसी भी कारण के लिए किताबों में आस्तियों को अनुमति दी जाती है, बकाया का 100% पुनर्गठित ऋण आस्तियों के लिए प्रदान किया जाता है।

(v) पुनर्गठित ऋण आस्तियाँ

निम्नलिखित मामलों के लिए, पुनर्गठित ऋण आस्तियों के प्रावधान भारतीय आरक्षित निधि बैंक के मानदंडों के अनुसार होंगे, जिसमें उचित मूल्य में कमी का प्रावधान भी शामिल है:

(क) परियोजना ऋण 24 जनवरी 2014 को पुनर्चित, प्रोविजनिंग 5% की दर से होगी।

(ख) 23 जनवरी 2014 को सभी कंपनियों के लिए पुनर्गठित बकाया ऋणों का स्टॉक (आरबीआई के अनुसार बकाया पुनर्चित ऋण के स्टॉक के मामले में, प्रावधान 5% है।

वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण के लिए पड़ाव का निर्धारण

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को, सभी वित्तीय लिखतों को प्रकटीकरणों के लिए क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के तहत तीन पड़ावों में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि डिफॉल्ट के जोखिम की तुलना करके शुरुआती स्वीकृति जो कि रिपोर्टिंग तिथि और शुरुआती स्वीकृति की तिथि के बीच अपेक्षित जीवन में निर्मित होती है। कंपनी उचित और सहायक जानकारी पर विचार करती है जो इस उद्देश्य के लिए बिना किसी लागत या प्रयास के प्रासंगिक और उपलब्ध है।

आस्ति की गुणवत्ता खराब होने पर प्रकटीकरण पड़ाव 1 से पड़ाव 3 तक जाएगा। यदि, बाद की अवधि में, आस्ति की गुणवत्ता में सुधार होता है और क्रेडिट जोखिम में पहले से मूल्यांकन की गई महत्वपूर्ण वृद्धि को भी उलट करता है। 30 दिनों से कम समय के प्रकटीकरणों को पड़ाव 1 माना जाता है।

पड़ाव 1 के रूप में मानी जाने वाली वित्तीय आस्तियों के लिए खराब और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) पर आधारित है। जबकि पड़ाव 2 और पड़ाव 3 के रूप में मानी जाने वाली वित्तीय आस्तियों के लिए खराब और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान की गणना लाइफ टाइम ईसीएल मॉडल के आधार पर की जाती है। जब कोई आस्ति संग्रहणीय नहीं होती है, तो उसे संबंधित प्रावधान के विरुद्ध अस्वीकार किया जाता है। सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ऐसी आस्तियों को अस्वीकार किया जाता है और हानि की राशि को निर्धारित किया जाता है।

हालांकि, एक खंडन योग्य धारणा है कि डिफॉल्ट तब तक नहीं होता है जब एक वित्तीय आस्ति 90 दिन पहले देय होती है जब तक कि एक इकाई के पास यह प्रदर्शित करने के लिए उचित और समर्थन योग्य जानकारी नहीं होती है कि एक अधिक लैगिंग डिफॉल्ट मानदंड अधिक उपयुक्त है। इन उद्देश्यों के लिए उपयोग होने वाली डिफॉल्ट की परिभाषा सभी वित्तीय लिखतों पर लगातार लागू होती है जब तक कि ऐसी जानकारी उपलब्ध न हो जाए जो दर्शाती है कि किसी विशेष वित्तीय लिखत के लिए एक और डिफॉल्ट परिभाषा अधिक उपयुक्त है।

तदनुसार, एक खाते को क्रेडिट हानि से सम्बंधित माना जाता है और इसलिए इसे पड़ाव 3 में ले जाया जाएगा, यदि निम्न में से कोई भी घटना होती है:

- खाता 90 दिनों के बाद बकाया है;
- आईआईएफसीएल क्रेडिट दायित्व के एक व्यथित पुनर्गठन के लिए सहमति देता है, जहां इसके परिणामस्वरूप मूलधन, ब्याज या (जहां प्रासंगिक) शुल्क की मटीरियल फोर्गिनेस, या स्थगन के कारण कम वित्तीय दायित्व होने की संभावना है।

बीते दिनों के बकाए (डीपीडी) को दिनों की संख्या कहा जाता है जब ब्याज और/या मूलधन का भुगतान नहीं किया जाता है, एक बिल अतिदेय रहता है, एक खाता लगातार सीमा/निकालने के अधिकार से अधिक रहता है, या खाते में क्रेडिट खाते में लागू ब्याज से कम है।

कम क्रेडिट जोखिम अनुमान

भारतीय लेखांकन मानक 101 – "वित्तीय लिखत" के अनुसार एक वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम को अनुच्छेद 5.5.10 के उद्देश्यों के लिए कम माना जाता है, यदि वित्तीय लिखत का डिफॉल्ट के रूप में कम जोखिम है, तो उधारकर्ता की नजदीकी अवधि में अनुबंध नकद प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की मजबूत क्षमता है और आर्थिक और व्यवसायिक स्थितियों में उल्ट प्रभाव लम्बी अवधि में, उधारकर्ता की योग्यता को कम कर सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है ताकि अपनी अनुबंध नकद प्रवाह दायित्वों को पूर्ण किया जा सके। (अनुच्छेद ख5.5.22)" इसके साथ ही, जबकि इसने "निवेश ग्रेड" की बाहरी रेटिंग का एक उदाहरण दिया है कि उसका क्रेडिट जोखिम कम है, तो यह स्वीकृत करता है कि आर्थिक लिखतों को बाहरी तौर पर रेट नहीं किया जाएगा कि इसका कम क्रेडिट जोखिम है (अनुच्छेद ख5.5.23)।

तदनुसार एक लिखत को निम्नलिखित स्थितियों में कम क्रेडिट जोखिम वाला माना जाता है:

- शून्य अप्रत्याशित हानि जैसा कि शून्य नियामक जोखिम भार द्वारा दर्शाया गया है: यह देखते हुए कि नियामक जोखिम-भार के अनुसार अनुमानित अप्रत्याशित हानि 0% है, अपेक्षित हानि भी शून्य होगी। ऐसे मामलों में ईसीएल शून्य होगा। ऐसे आस्ति वर्गों के उदाहरण घरेलू संप्रभु, "AA" या बेहतर की अंतरराष्ट्रीय रेटिंग वाले विदेशी संप्रभु हैं।
- 20% नियामक जोखिम भार द्वारा सूचित कम अप्रत्याशित हानि: 20% के जोखिम-भार के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए कम अप्रत्याशित हानि को देखते हुए, इनसे भी बहुत कम अपेक्षित नुकसान होगा। हालांकि, ईसीएल गैर-शून्य हो सकता है, या प्रयोगसिद्ध सबूत दिखा सकते हैं कि ऐसे आस्ति वर्ग/पोर्टफोलियो के लिए डिफॉल्ट दरें शून्य हैं। ऐसे आस्ति वर्गों के उदाहरण अंतरराष्ट्रीय रेटिंग "A" वाले विदेशी संप्रभु हैं, घरेलू अनुसूचित आईआईएफसीएल (जो पूंजी पर्याप्तता की नियामक आवश्यकता को विफल कर रहे हैं वे कम क्रेडिट जोखिम नहीं हैं), बाहरी रूप से रेटेड घरेलू "AAA" कॉर्पोरेट्स, स्टाफ ऋण हैं। इन पोर्टफोलियो के लिए देखी गई डिफॉल्ट दरें भी शून्य हैं।

कथनों के लिए, सभी स्टाफ ऋणों को कम क्रेडिट जोखिम माना गया है।

इस्तेमाल किए गए पोर्टफोलियो में विभाजन का स्तर

जोखिम मानकों को लागू करने के उद्देश्य से विभाजन को आंतरिक रेटिंग आधारित (IRB) मॉडल के साथ जोड़ा गया है। हालांकि, अगाऊ अनुमानों के लिए, आईआईएफसीएल इन उप-पोर्टफोलियो व्यापक श्रेणियों में को समूहबद्ध करना चुन सकता है या कुछ मामलों में इन्हें आम जोखिम कारकों की आधार पर उप-खंडों में विभाजित कर सकता है।

ईसीएलएस का मापन

ईसीएल अपेक्षित हानि के निष्पक्ष और संभाव्यता-भारित अनुमानों से प्राप्त होते हैं, और उन्हें निम्नानुसार मापा जाता है:

- वित्तीय आस्तियां जो रिपोर्टिंग तिथि को क्रेडिट हानि से सम्बंधित नहीं हैं: क्योंकि वित्तीय आस्ति के प्रत्याशित जीवन में सभी नकद कमियों का वर्तमान मूल्य प्रभावी ब्याज पर छूट प्राप्त है। आईआईएफसीएल के कारण नकद प्रवाह के बीच अंतर नकद की कमी है जो कि अनुबंध के अनुसार है और नकद प्रवाह होता है जो आईआईएफसीएल को प्राप्त होने की उम्मीद है।
- वित्तीय आस्तियां जो रिपोर्टिंग तिथि को क्रेडिट हानि से सम्बंधित हैं: क्योंकि कुल राशि और अनुमानित भविष्य नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य के बीच अंतर में प्रभावी ब्याज दर के तहत छूट दी गई है।
- **अनज्ञान ऋण प्रतिबद्धताएं:** क्योंकि आईआईएफसीएल को देय संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच अंतर का वर्तमान मूल्य यदि प्रतिबद्धता को कम किया जाता है और नकदी प्रवाह जिसे आईआईएफसीएल को प्राप्त होने की अपेक्षा है।
- **वित्तीय गारंटी अनुबंध:** क्योंकि धारक को मिलने वाले सभी अपेक्षित भुगतान घटाओ कोई भी राशियाँ जो आईआईएफसीएल को प्राप्त करने की अपेक्षा है।

ईसीएल को लाभ और हानि विवरण में खराब और संदिग्ध ऋण खाते के प्रावधान का उपयोग करके पहचाना जाता है। अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य पर मापित ऋण लिखतों के मामले में, ईसीएल को तीन-चरण सिद्धांत की आधार पर मापा जाता है जैसा कि परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियों पर लागू किया जाता है। आईआईएफसीएल लाभ और हानि में प्रावधान चार्ज की पहचान करता है, जिसमें सम्बंधित राशि को अन्य व्यापक आय में पहचाना जाता है, जिसमें तुलन पत्र में आस्ति की राशि में कमी नहीं होती है।

हानि संचय:

आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/2019-20/170 दिनांक 13 मार्च 2020 के अनुसार, आईआईएफसीएल भारतीय लेखांकन मानक द्वारा आवश्यक हानि भत्ते को धारण करेगा। समानांतर आईआईएफसीएल में भी आस्ति वर्गीकरण को बनाए रखा जाता है और आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) पर मौजूदा मितव्ययी मानदंडों के अनुसार प्रावधानों की गणना होती है, जिसमें उधारकर्ता/लाभार्थी के अनुसार वर्गीकरण, मानक के साथ-साथ पुनर्चित आस्तियों के लिए प्रावधान, NPA एजिंग आदि शामिल हैं।

जहाँ भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन हानि भत्ता आईआरएसीपी के अधीन आवश्यक प्रावधानों से कम है (जिसमें मानक समाप्ति प्रावधान शामिल हैं), आईआईएफसीएल को एक अलग 'हानि संचय' में कर के बाद उनके निवल लाभ या हानि से अंतर को उपयुक्त रखने की आवश्यकता होती है। 'हानि संचय' में शेष राशि की नियामक पूँजी के लिए गणना की जाती है। इसके अलावा, पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई से पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित निधि से किसी भी आहरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.8. त्वरित प्रावधानीकरण

आईआईएफसीएल, एक मितव्ययी उधारकर्ता के रूप में, साधारण प्रावधानों के साथ साथ जो आरबीआई निर्देशों/अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के अधीन किया जाता है जिसकी आस्ति वर्गीकरण पर निर्भर करते हुए सुरक्षित/असुरक्षित हिस्सों के लिए लागू निर्धारित प्रतिशतों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार गणना की जाती है, जैसा कि समय समय पर बदला जाता है, जो कि प्रत्येक मामले की आधार पर त्वरित प्रावधानों पर विचार करता है, जो कि अपेक्षित वसूली परिदृश्य पर निर्भर करता है।

ऐसे अपवाद मामलों में त्वरित प्रावधान का प्रस्ताव दिया जाता है, जो भले ही प्रावधान आरबीआई के मौजूदा निर्देशों के अनुसार पर्याप्त हो, हालांकि, मैनेजमेंट के अनुसार, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो वसूली की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे मामलों में, मैनेजमेंट एक मितव्ययी उपाय के रूप में त्वरित प्रावधानों पर हर मामले के अनुसार दृष्टिकोण बनाए रखता है।

त्वरित प्रावधानीकरण मुख्य तौर पर निम्नलिखित मापदंडों पर निर्भर करता है:

- परियोजना की स्थिति।
- धन शामिल करने के लिए प्रमोटर की क्षमता।
- मूर्त आस्तियां, नकदी प्रवाह और रियायतें उपलब्ध हैं।
- वसूली के लिए संघ द्वारा उठाए गए कदम।
- मैनेजमेंट का दृष्टिकोण।

इस संबंध में किया जाने वाला प्रावधान 10% से 100% के बीच होता है और उपरोक्त दिए गए कारकों को ध्यान में रखा जाता है

6. लीजिंग (पट्टाकरण)

एक ऑपरेटिंग पट्टा के तहत पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

7. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

आस्ति, संयंत्र और उपकरण को दिन-प्रतिदिन सर्विसिंग, कम संचित मूल्यह्रास और मूल्य में संचित हानि को छोड़कर अधिग्रहण की लागत पर कथित है।

आस्ति, संयंत्र और उपकरण को निपटान पर या जब इसके उपयोग से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है, तो इसे अस्वीकार किया जाता है। आस्ति के अस्वीकरण के कारण निर्मित कोई भी लाभ या हानि (शुद्ध डिस्पोजल प्रोसीड और आस्ति की राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) की पहचान लाभ और हानि के विवरण में की जाती है जो कि डाटा आस्ति के तहत अस्वीकृत होता है।

8 विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां और मूर्त आस्तियां

अलग से अर्जित हुई अस्पष्टीय आस्तियों को लागत पर शुरुआत में पहचाना जाता है। शुरुआती पहचान के बाद, किसी भी संचयी परिशोधन और संयोजित हानि नुकसानों, यदि कोई है तो उससे कम लागत पर अमूर्त आस्तियों संबंधी क्रिया होती है।

पहले से ही पूंजीकृत अमूर्त आस्ति पर बाद के व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जब यह मौजूदा आस्ति में शामिल भविष्य के आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और संभावित रूप से परिशोधित किया जाता है।

आंतरिक उपयोग के लिए अर्जित सॉफ्टवेयर की लागत (जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है) और जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण भविष्य के आर्थिक लाभों को एक अस्पष्टीय आस्ति माना जाता है जब वह इसके उपयोग के लिए तैयार हो।

विकास पर खर्च को अमूर्त आस्ति माना जाता है यदि यह भारतीय लेखांकन मानक 38 'अमूर्त आस्तियों' के पात्रता मानदंड को पूरा करता है, अन्यथा इसे खर्च माना जाएगा।

निपटान के बाद अमूर्त आस्ति की आइटम को अस्वीकार किया जाता है या जब कोई भी भविष्य आर्थिक लाभों की उसके प्रयोग या निपटान से अपेक्षा नहीं होती है। एक अमूर्त आस्ति की अस्वीकृति से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को निवल अदायगी आय और आस्ति की अग्रणी राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और जब आस्ति को अस्वीकार किया जाता है तो लाभ और हानि के विवरण में इसकी पहचान की जाती है।

9 मूल्यहास/परिशोधन

मूल्यहास की गणना उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्यों के लिए आस्ति और उपकरणों की लागत के संबंध में राईट डाउन विधि मूल्य विधि का इस्तेमाल करके की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार उपयोगी जीवन पर विचार किया जाता है।

30 सालों की पट्टा अवधि में आईआईएफसीएल के कार्यालय परिसर को परिशोधित किया गया है।

अनुमानित उपयोगी जीवन के तहत अवशेष मूल्यों के संबंध में अस्पष्टीय आस्तियों की लागत को लिखने के लिए सीधी-रेखा पद्धति का उपयोग करके परिशोधन की गणना की जाती है। पट्टा आस्ति के मामले में, अनुमानित उपयोगी जीवन की गणना पट्टा अवधि की समाप्ति के आधार पर की जाती है।

अमूर्त आस्तियों के उपयोगी जीवन का आकलन या तो निश्चित या अनिश्चित रूप से किया जाता है। निश्चित जीवन वाली अमूर्त आस्तियों को उपयोगी आर्थिक जीवन में परिशोधित किया जाता है। परिशोधन अवधि और निश्चित उपयोगी जीवन के साथ अस्पष्टीय आस्ति के लिए परिशोधन पद्धति की कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन, या आस्ति में शामिल भविष्य के आर्थिक लाभों की खपत का अपेक्षित पैटर्न, का परिशोधन अवधि या कार्यप्रणाली को बदल के हिसाब लगाया जाता है, जैसा कि उपयुक्त है, जिसे तब लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। निश्चित जीवन वाली अमूर्त आस्तियों पर परिशोधन व्यय आय विवरण में एक अलग लाइन आइटम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

10 गैर-वित्तीय आस्तियों की हानि

आईआईएफसीएल प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह पता लगाने के लिए मूल्यांकन करता है कि एक गैर-वित्तीय आस्ति खराब हो सकती है। मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित की गई हानि को व्यय माना जाता है।

11 चुकौती आश्वासन पत्र (LOC)

व्यवसाय के सामान्य क्रम में, आईआईएफसीएल बैंकों को चुकौती आश्वासन पत्र (LOC) जारी करता है, जो आम तौर पर लाभार्थियों के पक्ष में ऋणदाताओं की ओर से लेटर ऑफ क्रेडिट/वित्तीय गारंटी जारी करने के लिए कंसोर्टियम के सदस्यों को दिया जाता है। चुकौती आश्वासन पत्र को शुरू में वित्तीय विवरणों में 'अन्य देनदारियों' के भीतर) उचित मूल्य पर, प्राप्त प्रीमियम के रूप में पहचाना जाता है। शुरुआती पहचान के बाद, प्रत्येक गारंटी के तहत आईआईएफसीएल की देयता को आय विवरण में प्रारंभिक रूप से कथित कम संचयी परिशोधन की उच्च राशि पर मापा जाता है, और गारंटी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले किसी भी वित्तीय दायित्व की अदायगी के लिए आवश्यक व्यय का उपयुक्त अनुमान है। वित्तीय गारंटियों से सम्बंधित देनदारी में कोई भी बढौतरी को क्रेडिट हानि खर्च में आय विवरणी में रिकार्ड किया जाता है। निवल फीस और कमीशन आय में सीधी रेखा आधार पर गारंटी के जीवन के तहत आय विवरण में प्राप्त प्रीमियम की पहचान की जाती है।

12 प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों को पहचाना जाता है जब आईआईएफसीएल के पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभव है कि दायित्व अदायगी के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाहरी प्रवाह की आवश्यकता होगी, और दायित्व राशि के संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जब

धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, आईआईएफसीएल देनदारी के लिए विशिष्ट वर्तमान दरों को प्रतिबिंबित करने वाले पूर्व-कर दर पर प्रत्याशित नकद प्रवाहों पर छूट दे के प्रावधान के स्तर को निर्धारित करता है। किसी भी

प्रावधान से संबंधित व्यय अन्य परिचालन व्यय में किसी भी प्रतिपूर्ति के लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। एक आकस्मिक देयता की पहचान की जाती है और उसका खुलासा किया जाता है जब:

- क) एक अतीत की घटना के कारण मुमकिन देयता उत्पन्न होती है, जिसकी मौजूदगी की पुष्टि एक या अधिक अप्रत्याशित भविष्य की घटनाओं के होने या ना होने से होती है जो कि समूह के नियंत्रण में नहीं है या
- ख) अतीत की घटना से निर्मित वर्तमान देयता जिसे पहचाना नहीं जाता है क्योंकि यह सम्भव नहीं है कि लिखतों के बाहरी प्रभाव की आवश्यकता होगी ताकि देयता को सेटल किया जा सके या देयता की राशि का भरोसा योग्य अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

जब संभाव्य देयता या वर्तमान देयता होती है जिसके संबंध में लिखतों के बाहरी प्रवाह की संभावना दूरस्थ है, तो कोई प्रावधान या खुलासा नहीं किया जाता है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को स्वीकार नहीं किया जाता है। हालांकि, आकस्मिक आस्ति का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और यदि यह लगभग निश्चित है कि आर्थिक लाभ का आंतरिक प्रवाह उत्पन्न होगा, तो आस्ति और संबंधित आय को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिवर्तन होता है।

प्रतिबद्धताओं में एक ग्राहक को उधार देने के लिए समझौतों के अनुसार क्रेडिट देने के लिए बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं, जब तक कि अनुबंध में स्थापित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं होता है।

13 आय पर कर

13.1 वर्तमान कर

वर्तमान और पूर्व वर्षों के लिए वर्तमान कर आस्तियों और देनदारियों को कराधान अधिकारियों से वसूल या भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले कर की दरें और कर कानून वे हैं जो भारत में रिपोर्टिंग तिथि तक उपयोग होते हैं, या मूल रूप से लागू होते हैं जहां आईआईएफसीएल संचालित होता है और कर योग्य आय उत्पन्न होती है।

इक्विटी में सीधा कथित आइटमों से सम्बंधित वर्तमान आय कर की इक्विटी में पहचान की जाती है और ना कि लाभ या हानि के विवरण में। मैनेजमेंट समय-समय पर कर रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन उन स्थितियों के संबंध में करता है जिनमें लागू कर नियम व्याख्या के अधीन हैं और जहां उपयुक्त हो वहां प्रावधान स्थापित करते हैं।

13.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में आस्तियों और देनदारियों की राशि और कर योग्य लाभ की गणना में इस्तेमाल हुए सम्बंधित कर बेस में अस्थाई अंतरों के आधार पर पहचाना जाता है और इसे तुलन पत्र देनदारी विधि का इस्तेमाल करके हिसाब लगाया जाता है। सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए आम तौर पर आस्थगित कर आस्तियों की पहचान की जाती है उस सीमा तक कि यह सम्भव हो कि भविष्य से संबंधी कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य अस्थाई अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के विरुद्ध मौजूद होंगे जिसके तहत उनका प्रयोग हो सकता है। आस्थगित कर आस्तियों की राशि की प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक उसे कम किया जाता है कि यह अब सम्भव ना हो कि पर्याप्त कर योग्य लाभ इस चीज के सामने मौजूद होंगे जिसके तहत अस्थाई अंतरों का प्रयोग हो सकता है।

कर की दरों पर आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों को मापा जाता है जिसकी उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा होती है जिसमें देनदारी को अदा किया जाता है या पहचानी गई समाप्ति, कर की दरों की आधार पर (और कर कानून) जिन्हें लागू किया गया है या तुलन पत्र तिथि द्वारा मुख्य रूप से इस्तेमाल किया गया है।

14 प्रति शेयर आय

आईआईएफसीएल अपने साधारण शेयरों के लिए बुनियादी और संबंधित ईपीएस डेटा प्रस्तुत करता है। अवधि के दौरान बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या के द्वारा बेसिक ईपीएस की गणना आईआईएफसीएल के इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। तनुकृत ईपीएस इक्विटी शेयरधारकों के कारण होने वाले लाभ या हानि को समायोजित करके निर्धारित किया जाता है और सभी तनुकृत संभावित सामान्य शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित बकाया साधारण शेयरों की भारित-औसत संख्या, जिसमें कर्मचारियों को दिए गए शेयर विकल्प शामिल हैं।

15 कर्मचारी लाभ

- 15.1 सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उनकी अघोषित राशि पर उस लेखा अवधि में पहचाना जाता है जिसमें वे निर्मित होते हैं।
- 15.2 कर्मचारियों के पारिश्रमिक और उस पर नियोक्ता के योगदान से काटे गए भविष्य निधि के योगदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफओ) के पास जमा किया जाता है।
- 15.3 परिभाषित योगदान योजनाओं के तहत कर्मचारी लाभ योजना जिसमें एनपीएस भी शामिल है उसकी योजना में योगदान करने के लिए कंपनी के बिना छूट वाले दायित्व पर पहचान की जाती है। समान का आईडीबीआई बैंक को भुगतान किया जाता है, जो कि एनपीएस सुविधा के लिए मौजूदगी के बिंदु (पीओपी) का सेवा प्रदाता है और उस अवधि के संबंध में खर्च पता किये जाते हैं।
- 15.4 सभी रोजगार के बाद और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं दी हैं। बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके, निर्धारित देय राशियों के वर्तमान मूल्य पर व्यय की पहचान की जाती है।
- 15.5 समाप्ति लाभों को तुरंत व्यय माना जाता है।
- 15.6 बीमांकिक मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि को उस अवधि में पहचाना जाता है जब वे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) से निर्मित होते हैं।
- 15.7 कर्मचारी लाभ दायित्व अर्थात बीमारी की छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा सहायता योजना को समान के बीमांकिक मूल्यांकन पर रिपोर्टिंग की तारीख तक की अवधि के लिए प्रदान किया गया है।
- 15.8 उपदान आईआईएफसीएल कर्मचारी समूह उपदान निधि के नाम से ट्रस्ट द्वारा समूह उपदान योजना पर एलआईसी को देय राशि के आधार पर दी गई है।
- 15.9 एलआईसी समूह अवकाश नकदीकरण योजना के लिए देय राशि के आधार पर अवकाश नकदीकरण दी गई है।
- 15.10 कार्यकारी निदेशकों की अवकाश नकदीकरण, उपदान और बीमारी अवकाश का प्रावधान, जहां भी लागू हो, नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उपार्जित किया जाता है और देयता की अनुमानित राशि के आधार पर किया जाता है।

16 महत्वपूर्ण लेखांकन अवधारणाएं और अनुमान

आईआईएफसीएल की लेखा नीतियों को लागू करने के लिए निर्णयों, अनुमानों और अनुमानों के उपयोग की आवश्यकता होती है। यदि अलग-अलग कल्पनाएँ या अनुमान लागू किए जाते हैं, तो परिणामी मूल्य बदल जाएंगे, जिससे आईआईएफसीएल की निवल आस्तियां और आय प्रभावित होंगी। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की गई कल्पनाएँ उस तिथि के सर्वोत्तम अनुमानों पर आधारित होती हैं। हालांकि आईआईएफसीएल के पास यह सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ हैं कि अनुमान विश्वसनीय रूप से मापे जाते हैं, वास्तविक राशियाँ उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित कल्पनाओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधनों को उस अवधि में स्वीकृत किया जाता है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और वह भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होते हैं। लेखांकन नीतियां जो निर्णय, अनुमानों और कल्पनाओं के उपयोग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं, नीचे निर्दिष्ट की गई हैं।

• उचित मूल्य मापन

वित्तीय लिखतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तुलन पत्र में उचित मूल्य पर किया जाया जाता है। उचित मूल्य है

वह कीमत जो मापन तिथि को बाजार के भागीदारों के बीच क्रमिक लेन देन में किसी आस्ति को बेचने या देनदारी को ट्रांसफर करने के लिए प्राप्त होगा। जहां किसी वित्तीय आस्ति या देयता के वर्गीकरण का परिणाम उचित मूल्य पर मापा जाता है, जहां भी संभव हो, उचित मूल्य का निर्धारण सबसे लाभप्रद सक्रिय बाजार में उद्धृत बोली या प्रस्ताव मूल्य के संदर्भ में किया जाता है, जहां आईआईएफसीएल तुरंत पहुंच सकता है। क्रेडिट जोखिम के लिए एक समायोजन भी उपयुक्त रूप से उचित मूल्य में शामिल किया गया है। एक निवल खुली स्थिति के लिए उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में उद्धृत एक वित्तीय देयता है, वह एक वर्तमान प्रस्ताव मूल्य है, और एक वित्तीय आस्ति के लिए बोली मूल्य, और इसे धारित या जारी किए गए लिखत की इकाइयों की संख्या से गुणा किया जाता है। जहां किसी विशेष आस्ति या देयता के लिए कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है, आईआईएफसीएल उचित मूल्य पर पहुंचने के लिए एक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें हाल ही में निकटस्थ लेन-देन में प्राप्त लेनदेन की कीमतों का उपयोग, रियायती नकदी

प्रवाह विश्लेषण, विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल और अन्य मूल्यांकन तकनीकें शामिल हैं जो कि बाजार की स्थितियों और रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद जोखिमों पर आधारित हैं। ऐसा करने में, एक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके उचित मूल्य का अनुमान लगाया जाता है जो देखने योग्य बाजार इनपुट का अधिकतम उपयोग करता है और जो इकाई-विशिष्ट इनपुट पर न्यूनतम रूप से निर्भर है। शुरुआती पहचान पर एक वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत लेनदेन मूल्य है (अर्थात् दिए गए या प्राप्त प्रतिफल का उचित मूल्य) जब तक कि उस लिखत का उचित मूल्य समान लिखत (अर्थात् संशोधन या पुनः पैकेजिंग के बिना) में अन्य अवलोकन योग्य वर्तमान बाजार लेनदेन के साथ तुलना करके प्रमाणित न हो या एक मूल्यांकन तकनीक पर आधारित जिसके चर में केवल अवलोकन योग्य बाजारों से डेटा शामिल है। जब इस तरह के सबूत मौजूद होते हैं, तो आईआईएफसीएल प्रारंभिक मान्यता (यानी पहले दिन) पर लेनदेन की कीमत और लाभ या हानि में उचित मूल्य के बीच अंतर को पहचानता है।

• ऋण और अग्रिम पर हानि शुल्क

ऋण और अग्रिमों के लिए हानि निर्धारण करते समय भविष्य के नकदी प्रवाह की राशि और समय के आकलन में प्रबंधन द्वारा निर्णय की आवश्यकता होती है। इन नकदी प्रवाहों का अनुमान लगाने में, आईआईएफसीएल उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति और संपार्श्विक के निवल वसूली योग्य मूल्य के बारे में निर्णय लेता है। ये अनुमान कई कारकों की कल्पनाओं पर आधारित हैं और वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में हानि भत्ता में परिवर्तन हो सकता है। हानि के सामूहिक मूल्यांकन में ऋण पोर्टफोलियो से डाटा शामिल है (जैसे क्रेडिट की गुणवत्ता, बकाया के स्तर, क्रेडिट का प्रयोग, ऋण और संपार्श्विक अनुपात आदि), और जोखिम और आर्थिक डेटा की सांद्रता (जिसमें बेरोजगारी के स्तर, अचल आस्ति मूल्य, देश का जोखिम और विभिन्न निजी समूहों का प्रदर्शन शामिल हैं)।

• ऋण हानि के अलावा प्रावधान

भविष्य के दायित्वों जैसे कर्मचारी के शीर्षक, संरचना लागत और वैधानिक प्रावधानों के संबंध में प्रावधान लागू होते हैं। कुछ प्रावधानों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्रिया शामिल होती है जो कि विभिन्न घटनाओं और अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाहों के नतीजे की सम्भावना के बारे में होती है। इन प्रावधानों के मापन में लेन देन के अंतिम नतीजों के बारे में मैनेजमेंट निर्णयों का प्रयोग शामिल होता है। एक वर्ष के बाद आने वाले अपेक्षित भुगतानों को एक ऐसी दर पर छूट मिलती है जो कि दोनों वर्तमान ब्याज दरों और उस प्रावधान से सम्बंधित विशिष्ट जोखिमों को प्रतिबिंबित करता है।

• ऋण और अग्रिम

ऋणों और अग्रिमों को शुरु में उचित मूल्य के साथ-साथ वृद्धिशील प्रत्यक्ष लेनदेन लागतों पर और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके उनकी परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

17 उधार और कर्ज प्रतिभूतियां

दिए गए उधार और ऋण प्रतिभूतियों को शुरु में उचित मूल्य घटाओ वृद्धिशील प्रत्यक्ष लेनदेन लागतों पर मापा जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके उनकी परिशोधन लागत पर मापा जाता है, सिवाय इसके कि जहां समूह एफवीटीपीएल में देनदारियों को निर्दिष्ट करता है।

18 उधार लेने की लागतें

विदेशी मुद्रा उधारों पर विनिमय अंतर लाभ और हानि ब्याज पर लागू होते हैं। विनिमय अंतर की राशि जो कि स्थानीय मुद्रा उधार और विदेशी मुद्रा उधार पर ब्याज के बीच अंतर से अधिक नहीं होता है उसको उधार लागत के रूप में माना जाता है और इसका इस तरह हिसाब लगाया जाता है

भारतीय लेखांकन मानक 23 – विदेशी मुद्रा दरों में बदलावों के प्रभावों के अधीन उधार लागतें और शेष विनिमय अंतर, यदि कोई है, उसकी भारतीय लेखांकन मानक 21 के अधीन गणना की जाती है।

इस उद्देश्य के लिए, स्थानीय मुद्रा उधारों के लिए ब्याज दर कंपनी द्वारा ली गई बैंक ओवरड्राफ्ट दर है।

19 सहायक कंपनियों में निवेश

एक सहायक संस्था कंपनी द्वारा नियंत्रित एक इकाई है। नियंत्रण तब मौजूद होता है जब कंपनी का संस्था के ऊपर अधिकार हो, प्रकटीकरण करने योग्य हो, या संस्था के साथ संबंध के कारण भिन्न आय संबंधी अधिकार हों और संस्था पर उसके अधिकार के कारण उस आय को प्रभावित करने की योग्यता हो।

मौजूदा अधिकारों द्वारा अधिकार क्षेत्र दिखाया जाता है जो प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की क्षमता देते हैं, जो संस्था की आय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

सहायक कंपनियों में निवेशों की कीमत होती है। लागत में निवेश प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई कीमत और सीधी सम्बंधित लागत शामिल है।

भारतीय लेखांकन मानक के पास जाने की तिथि पर, कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार सहायक कंपनियों में निवेश के मूल्य को ऐसी लागत माना है जैसा भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार माना जाता है।

20 विदेशी मुद्रा लेनदेन

20.1 विदेशी मुद्रा में व्यय और आय का हिसाब लेन-देन की तारीख को प्रचलित बैंकों की विनिमय दरों पर किया जाता है।

20.2 निम्न बैलेंस को विनिमय दरों पर भारतीय मुद्रा में अनुवादित किया जाता है (आरबीआई सन्दर्भ दरें) जो कि खातों के बंद होने की तिथि पर प्रचलित हैं।

(क) उपचित आय या खर्च लेकिन जो दिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों और विदेशी मुद्रा उधारों में क्रमागत रूप से बकाया नहीं है।

(ख) विदेशी मुद्रा में जारी चुकौती आश्वासन पत्र के संबंध में आकस्मिक देयता।

20.3 रिपोर्टिंग की तारीख पर प्रचलित आरबीआई सन्दर्भ दर पर विदेशी मुद्रा ऋण देयता का भारतीय मुद्रा में अनुवाद किया जाता है। विनिमय अंतर लेखा मानक 11, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है।

20.4 विदेशी मुद्रा ऋण आस्तियों, देनदारियों और आय और खर्च पर वास्तविक/अनुवाद लाभ/हानि (शुद्ध) जो अर्जित हुए हैं लेकिन बकाया नहीं है उन्हें लाभ और हानि के विवरण में जमा/प्रभारित किया जाता है।

21 व्युत्पन्नी लेखा कार्य

21.1 जब भी कंपनी ने अगाऊ अनुबंध या एक लिखत में प्रवेश किया है, अर्थात्, एक अगाऊ विनिमय अनुबंध के तहत, अगाऊ विनिमय अनुबंध की तारीख पर अगाऊ दर और विनिमय दर के बीच के अंतर को एएस-11 के अनुसार अनुबंध के जीवन में आय या व्यय के रूप में लिखा जाता है।

21.2 विदेशी मुद्रा ऋणों पर ली गई बचाव व्यवस्था को विदेशी मुद्रा (अर्थात् प्राकृतिक हेज) में दिए गए ऋणों के समायोजन के बाद एफआईएफओ आधार पर समायोजित किया जाता है।

21.3 अगाऊ विनिमय अनुबंधों के रद्दीकरण या नवीनीकरण पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि जिसमें ब्याज दर बदलाव शामिल है उसे वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में लिखा जाता है।

21.4 कंपनी द्वारा दर्ज जापानी येन में ब्याज दर स्वैप लेनदेन के संबंध में, कंपनी तुलन पत्र की तारीख के अनुसार मार्क टू मार्केट लॉस प्रदान कर रही है।

21.5 अगाऊ अनुबंध की शुरुआत में स्पॉट विनिमय दर में अंतर के कारण अधिशेष या घाटा और बचाव व्यवस्था अनुबंध के अनुसार क्रमशः काउंटर पार्टी से वसूल या भुगतान किए गए अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व की चुकौती को ऐसे ऋण के पुनर्भुगतान के समय लाभ या हानि के रूप में पहचाना जाता है।

21.6 विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेनदेन है) और स्वैप अनुबंध (उपरोक्त ऋण पर होने वाले किसी भी नुकसान के खिलाफ बचाव के लिए) को अलग लेनदेन के रूप में माना जाता है।

21.7 विदेशी मुद्रा उधार को लेखांकन मानक 11, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभावों के अनुसार पुनर्कथित किया जाता है।

जून 2015 में जारी "व्युत्पन्न कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लेखांकन" पर आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट 1 अप्रैल 2016 से लागू है और समान को कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है। विनिमय दर में कोई भी बदलाव, विदेशी मुद्रा उधार की राशि के संबंध में जैसा पिछली रिपोर्टिंग तिथि से और अवधि के दौरान झाड़ाउन उधार की तिथि से रिपोर्टिंग तिथि को होगा, उसे व्युत्पन्न अनुबंधों के उचित मूल्य के सामने निर्धारित किया जाता है और कोई भी लाभ या हानि को नकद प्रवाह हेज संचय के रूप में पहचाना जाता है। व्युत्पन्न अनुबंध का उचित मूल्य संबंधित प्रतिपक्षकारों द्वारा दिया जाता है।

गाइडेंस नोट के अनुसार, कैश फ्लो हेज के तहत, बचाव व्यवस्था इंस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर मापा जाता है, लेकिन कोई भी लाभ या हानि जिसे प्रभावी हेज के रूप में निर्धारित किया जाता है, उसे इक्विटी माना जाता है, जैसे, कैश फ्लो हेज रिजर्व। इसका उद्देश्य एक अवधि में लाभ-हानि कथन में अस्थिरता को रोकना है जब हेज की गई आइटमों पर लाभ और हानियों का पता नहीं है।

22 राजस्व अनुदान के लिए लेखांकन

22.1 अनुदानों को लाभ और हानि के विवरण में 'अन्य आय' के रूप में व्यवस्थित आधार पर संबंधित लागतों के साथ मिलाने के लिए आवश्यक अवधियों के रूप में पहचाना जाता है, जिसका मुआवजा दिया जाना है बशर्ते मंजूरी से जुड़ी शर्तों के अनुपालन और अनुदान की राशि की वसूली के संबंध में उचित आश्वासन मौजूद हो।

22.2 पूर्व अवधियों में पहले से किए गए व्यय के संबंध में प्राप्त अनुदानों को अनुदान के अनुमोदन के वर्ष में लाभ और हानि के विवरण में लिखा जाता है।

22.3 वर्ष समाप्ति के समय अनुदान की ना खर्ची गई राशि, यदि कोई है, ओ उसे वर्तमान देयताओं के अधीन दिखाया जाता है।

23 नकदी प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष विधि के साथ नकदी प्रवाह रिपोर्ट किया जाता है, जबकि कर पूर्व लाभ को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों और अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी डेफरल या एकरुअल के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अलग किया जाता है।

(ख) समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अन्य नोट

- (क) समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में जिन सहायक कंपनियों पर विचार किया गया है, वे हैं इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (UK) लिमिटेड, जो यूनाइटेड किंगडम में निगमित है, आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड भारत में निगमित है।
- (ख) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का समेकित वित्तीय विवरण 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए है। सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए भी बनाए गए हैं।
- पूर्व अवधि आय एवं व्यय (इंड एस-8) जो लाभ और हानि विवरण में नियमित शीर्षकों के अधीन शामिल किया गया है इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही
(क) आय		
(i) ऋण और अग्रिम पर आय	-	-
(ii) दंडात्मक ब्याज	-	-
(iii) अन्य शुल्क	-	-
कुल (क)	-	-
(ख) व्यय		
(i) स्थापना एवं अन्य खर्च	2.22	-
(पप) वेतन और तनखाह	(0.56)	-
कुल (ख)	-	-
वर्तमान वर्ष के लाभ पर लाभ/(हानि) के माध्यम से निवल प्रभाव [(क)-(ख)]	1.66	-

3. लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

4. भारतीय लेखांकन मानक 19 के तहत प्रकटीकरण (संशोधित 2005) "कर्मचारी लाभ" (इंड एस 19)

भारतीय लेखांकन मानक-19 "कर्मचारी लाभों" के अनुसार, लेखांकन मानक में परिभाषित प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

- उपदान योजना (वित्त पोषित): उपदान देयता भविष्य के भुगतानों के कारण निर्मित होती है, जो सेवानिवृत्ति, सेवा के समय मृत्यु या आहरण की स्थिति में किए जाने की आवश्यकता होती है। समान को एलआईसी को समूह उपदान योजना के तहत भुगतान योग्य राशि के आधार पर प्रदान किया गया है जो कि आईआईएफसीएल कर्मचारी समूह उपदान निधि के नाम में विश्वास के माध्यम से किया गया है। आईआईएफसीएल एलआईसी समूह उपदान योजना के तहत कर्मचारियों की उपदान देयता की राशि का भुगतान करता है और वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार उपदान देयता के बीमांकिक मूल्यांकन की राशि का पता नहीं लगाया है।

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएँ हैं

प्रयुक्त की गई विधि	प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि
i) छूट दर	6.79 %
ii) भविष्य की लागत वृद्धि दर	5.50 %
iii) योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर	6.79 %

I. उपदान योजना के लिए अनुमान:

	2020-21	2019-20
मृत्यु दर	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)
आहरण दर	अवधि के आधार पर 1% से 3%	अवधि के आधार पर 1% से 3%
छूट दर (प्रति वर्ष)	6.80%	6.79%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50%	5.50%

II. परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण।

(₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	37,968,975
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(2,395,046)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	2,626,346
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	37,968,975
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	1,291,995
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(1,451,759)

मृत्यु दर – निकासियों के कारण संवेदनशीलताएं भौतिक नहीं हैं – इस लिए इसके कारण बदलाव के प्रभाव की गणना बीमांकक द्वारा नहीं की जाती है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती है।

आईआरडीए के परिपत्र संख्या के अनुसार आईआरडीए/एसीटीएल/आरईजी/सीआईआर/123/06/2013 दिनांक 28 जून 2013, मौजूदा नीति में कोई नया सदस्य नहीं शामिल किया जा सकता है। इसलिए, आईआईएफसीएल ने पहले की नीति अर्थात नीति संख्या 331776 के अलावा नए कर्मचारियों के लिए एक नई नीति अर्थात नीति संख्या 103001183 की सदस्यता ली।

(₹ लाख में)

	निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)ध्दायित्व	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	379.69	365.41
ख)	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	480.64	404.97
ग)	निवल आस्तियों / (देयता) को तुलन पत्र में प्रावधान के रूप में पहचाना जाता	100.95	39.55
योजना आस्तियों में परिवर्तन			
क)	अवधि की शुरुआत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	404.97	332.65
ख)	योजना आस्तियों पर वास्तविक रिटर्न	30.88	26.66
ग)	मृत्यु शुल्क	(0.47)	(0.35)
घ)	नियोक्ता योगदान	104.55	92.03
ङ)	भुगतान किये गए लाभ	(56.29)	(46.03)
च)	अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	480.64	404.97

	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	365.41	278.53
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	24.81	21.34
घ)	सेवा लागत	47.44	48.63
ङ)	पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है	-	-
च)	भुगतान किये गए लाभ	(56.29)	(46.03)
छ)	कुल बीमांकिक (लाभ)/बाध्यता पर हानि	(1.69)	62.95
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	379.69	365.41
	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(39.55)	86.00
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	47.44	66.46
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	(2.69)	6.59
ङ)	पुनः माप	(1.60)	(5.61)
च)	निधि में दिया गया योगदान	(104.55)	-
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(100.95)	153.43
	वर्गीकरण बीमांकिक लाभ/दायित्व पर हानि		
क)	जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	(0.22)
ख)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से होने वाला बीमांकिक (लाभ)/हानि अनुमान	(0.50)	38.92
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाला बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.19)	24.25

ख) अर्जित अवकाश देयता: एक कर्मचारी द्वारा अर्जित छुट्टी वह अवधि है जो कर्मचारी ने अर्जित की है, कर्मचारी द्वारा वास्तव में ली गई छुट्टी की अवधि से कम है। इसे ड्यूटी के एक-ग्यारवें हिस्से के तहत अर्जित किया जाता है।

	2020-21	2019-20
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012 -14)	100 % आईएएलएम (2012 -14)
आहरण दर	अवधि के आधार पर 1% से 3%	अवधि के आधार पर 1% से 3%
छूट दर (प्रति वर्ष)	6.80 %	6.79 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण।

(₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	57,087,805
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(3,601,576)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	3,889,999
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	57,087,805
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	3,936,659
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(3,629,010)

मृत्यु दर और आहरण के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं।

(₹ लाख में)

	निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) दायित्व	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	570.88	477.46
ख)	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	432.08	324.03
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में कथित निवल आस्तियां/(देयता)	(138.80)	(153.43)
योजना आस्तियों में परिवर्तन			
क)	अवधि की शुरुआत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	324.03	357.44
ख)	योजना आस्तियों पर वास्तविक रिटर्न	28.24	25.27
ग)	मृत्यु शुल्क	(2.20)	(2.20)
घ)	नियोक्ता योगदान	121.53	-
ङ)	भुगतान किये गए लाभ	(39.53)	(56.48)
च)	अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	432.08	324.03
लाभ दायित्व में परिवर्तन			
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	477.46	443.44
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	32.42	33.97
घ)	सेवा लागत	74.21	66.46
ङ)	पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है	-	-
च)	भुगतान किये गए लाभ	(39.53)	(56.48)
छ)	कुल बीमांकिक (लाभ)/बाध्यता पर हानि	26.32	(9.92)
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	570.88	477.46
निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन			
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	153.43	86.00
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-

ग)	कुल सेवा लागत	74.21	66.46
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	10.42	6.59
ङ)	पुनः माप	22.27	(5.61)
च)	निधि में दिया गया योगदान	(121.53)	-
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	138.80	153.43
	वर्गीकरण बीमांकिक लाभ/दायित्व पर हानि		
क)	जनसांख्यिकीय अनुमान परिवर्तन से उत्पन्न होने वाला बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	(0.29)
ख)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से होने वाला बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.75)	48.94
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाला बीमांकिक (लाभ)/हानि	27.07	(58.58)

II. अन्य कर्मचारी लाभ (गैर निधिकृत)

अन्य कर्मचारी लाभों के लिए बीमांकिक धारणाएं (गैर निधिकृत)

- ग) **अवकाश किराया रियायत:** कंपनी के सभी पूर्ण समय के लिए काम करने वाले कर्मचारी जिन्होंने यात्रा की तारीख को निरंतर अस्थायी नौकरी सहित एक वर्ष तक नौकरी कर ली है, वे इस सुविधा के लिए पात्र हैं। रियायत दो साल के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार स्वीकार्य होगी। और इस तरह का सेट/ब्लॉक उस महीने की पहली तारीख से शुरू होगा जिसमें एक कर्मचारी कंपनी में शामिल होता है, लेकिन इसका लाभ अस्थायी सेवा/परिवीक्षा अवधि सहित एक वर्ष की निरंतर सेवा के पूरा होने के बाद ही लिया जा सकता है।

अवकाश किराया रियायत के लिए अनुमान:

	2020-21	2019-20
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012 -14)	100 % आईएएलएम (2012 -14)
आहरण दर	अवधि के आधार पर 1% से 3%	अवधि के आधार पर 1% से 3%
छूट दर (प्रति वर्ष)	6.80 %	6.79 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण।

(₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,918,338
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(401,052)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	440,733

मृत्यु दर और आहरण के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती है।

	निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/दायित्व	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	69.18	68.13
ख)	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में कथित निवल आस्तियां/(देयता)	(69.18)	(68.13)
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	68.13	59.31
ख)	ब्याज लागत	4.63	4.54
ग)	सेवा लागत	12.01	10.36
घ)	भुगतान किये गए लाभ	(0.08)	(91.10)
ङ)	कुल बीमांकिक (लाभ)/बाध्यता पर हानि	(15.50)	85.02
च)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	69.18	68.13
	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	68.13	59.31
ख)	सेवा लागत	12.01	10.36
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	4.63	4.54
घ)	पुनः माप	(15.50)	85.02
ङ)	निधि में दिया गया योगदान	-	-
च)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	(0.08)	(91.10)
छ)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	69.18	68.13
	वर्गीकरण बीमांकिक लाभदायित्व पर हानि		
क)	जनसांख्यिकीय अनुमान परिवर्तन से उत्पन्न होने वाला बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	(0.04)
ख)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से होने वाला बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.08)	8.40
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाला बीमांकिक (लाभ)/हानि	(15.42)	76.66

घ) **अस्वस्थता अवकाश:** अस्वस्थता का अवकाश आधा वेतन अवकाश है। जब एक कर्मचारी ने कम से कम तीन साल की अवधि के लिए कंपनी में काम किया है, कर्मचारी को, अनुरोध पर, कर्मचारी के काम की पूरी अवधि के दौरान, अधिकतम वर्षों तक छुट्टी वेतन पर बीमारी की छुट्टी का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है, ऐसी छुट्टी के वेतन को कर्मचारी द्वारा प्राप्त छुट्टी की अवधि से दुगुने के रूप में कर्मचारी के बीमारी की छुट्टी के खाते में दर्ज किया जाएगा।

बीमारी संबंधी अवकाश योजना के लिए अनुमान:

	2020-21	2019-20
मृत्यु दर	100 % आईएलएम (2012 -14)	100 % आईएलएम (2012 -14)
आहरण दर	अवधि के आधार पर 1% से 3%	अवधि के आधार पर 1% से 3%
छूट दर (प्रति वर्ष)	6.80 %	6.79 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,880,985
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(1,068,555)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	1,157,427
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,880,985
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	1,171,425
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(1,076,469)

मृत्यु दर और आहरण के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं।

(₹ लाख में)

	निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/दायित्व	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	158.81	163.69
ख)	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में कथित निवल आस्तियां/(देयता)	(158.81)	(163.69)
लाभ दायित्व में परिवर्तन			
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	163.69	201.73
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	11.11	15.45
घ)	सेवा लागत	19.64	23.00
ङ)	पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है	-	-
च)	भुगतान किये गए लाभ	-	-
छ)	कुल बीमांकिक (लाभ)/बाध्यता पर हानि	(35.64)	(76.50)
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	158.81	163.69
निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन			
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	163.69	201.73
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	19.64	23.00
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	11.11	15.45
ङ)	पुनः माप	(35.64)	(76.50)
च)	निधि में दिया गया योगदान	-	-
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	158.81	163.69
वर्गीकरण बीमांकिक लाभ/दायित्व पर हानि			
क)	जनसांख्यिकीय अनुमान परिवर्तन से उत्पन्न होने वाला बीमांकिक (लाभ)/हानि अनुमान	158.81	(0.20)
ख)	वित्तीय अनुमान में बदलाव से निर्मित बीमांकिक (लाभ)/हानि अनुमान	-	18.43
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाला बीमांकिक (लाभ)/हानि	(158.81)	(94.74)

ड) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) (सितंबर 2015 से पेश): भारतीय लेखांकन मानक-19 के अनुसार, 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) देयता का बीमांकिक मूल्यांकन। कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) योजना के लिए अनुमान:

	2020-21	2019-20
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012 -14)	100 % आईएएलएम (2012 -14)
आहरण दर	अवधि के आधार पर 1% से 3%	अवधि के आधार पर 1% से 3%
छूट दर (प्रति वर्ष)	6.80 %	6.76 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण।

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	85,807,992
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(1,186,900)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	1,304,481

मृत्यु दर और आहरण के कारण संवेदनशीलताएं भौतिक नहीं हैं और इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं।

(₹ लाख में)

	निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/दायित्व	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	858.08	789.56
ख)	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में कथित निवल आस्तियां/(देयता)	(858.08)	(789.56)
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	789.56	764.47
ख)	ब्याज लागत	53.37	58.56
ग)	सेवा लागत	55.87	66.28
घ)	भुगतान किये गए लाभ	(1.83)	(0.13)
ड)	कुल बीमांकिक (लाभ)/बाध्यता पर हानि	(38.89)	(99.62)
च)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	858.08	789.56
	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	789.56	764.47
ख)	सेवा लागत	55.87	66.28
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	53.37	58.56
घ)	पुनः माप	(38.89)	(99.62)
ड)	निधि में दिया गया योगदान	-	-
च)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	(1.83)	(0.13)
छ)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	858.08	789.56
	वर्गीकरण बीमांकिक लाभ/दायित्व पर हानि		
क)	जनसांख्यिकीय अनुमान परिवर्तन से उत्पन्न होने वाला बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से होने वाला बीमांकिक (लाभ)/हानि	(2.37)	-
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाला बीमांकिक (लाभ)/हानि	(36.52)	(99.62)

1.2) प्रत्येक कर्मचारी लाभ के लिए अन्य व्यापक आय में स्वीकृत राशि निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

कर्मचारी लाभ	वर्ष समाप्ति 31 मार्च 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च 2020
अर्जित अवकाश पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(39.11)	(6.67)
उपदान पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(0.32)	(71.16)
एलएफसी पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	22.61	(105.01)
पीआरएमबी पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	32.80	101.00
एसएल पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	35.64	76.50
कुल	51.61	(5.34)

5. कंपनी का मुख्य उद्देश बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, यूके सहायक कंपनी यानी इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड के लिए वित्त/पुनःवित्त प्रदान करना है और यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करने के व्यापार में भी शामिल है जबकि आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बुनियादी ढांचा परियोजना विकास – सलाहकार गतिविधियों में शामिल है और आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएमसीएल) म्यूचुअल निधि रूट द्वारा बुनियादी ढांचे के कर्ज (आईडीएफ) की मैनेजमेंट में शामिल होने के लिए स्थापित है। क्योंकि आईएमसीएल को अभी भी आईडीएफ की मैनेजमेंट शुरू करनी है, उससे सम्बंधित खंड जानकारी अभी दी नहीं गई है। भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक 108 द्वारा आवश्यक खंड जानकारी नीचे दी गई है:

(₹ लाख में)

विवरण	फाइनेंसिंग	सलाहकार सेवाएं	निवेश प्रबंधन शुल्क	कुल
सेगमेंट रिपोर्टिंग राजस्व				
संचालन से राजस्व	3,72,662.41	513.53	654.90	3,73,830.84
कम: इंटर सेगमेंट रेवेन्यू				
कुल परिचालन आय	4,39,245.27	520.17	654.97	4,40,420.41
कर देने से पूर्व लाभ	35,389.01	(160.02)	296.48	35,525.48
कर	(2,866.60)	(85.90)	(51.45)	(3,023.95)
कर अदायगी के बाद लाभ	32,502.42	(245.92)	245.03	32,501.53
सेगमेंट आस्तियां	7,028,461.90	2,280.07	2,831.57	7,033,573.48
सेगमेंट देयताएं	6,035,476.63	425.30	357.74	6,036,259.67
नियोजित पूंजी				
मूल्यहास और परिशोधन	1,459.99	8.80	4.09	1,472.88
पूंजीगत व्यय	9,95,102.93	882.23	1,322.64	9,97,313.79
गैर नकद व्यय				

6. भारतीय लेखा मानक-24, संबंधित पार्टि प्रकटीकरणों के अनुसार, संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

क) प्रबंधकीय पारिश्रमिक और संबंधित पार्टि प्रकटीकरण

(i) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक

— श्री पी आर जयशंकर

— श्री पवन के कुमार

— प्रबंध निदेशक (29.05.2020 से प्रभावी)

— उप प्रबंध निदेशक (01.10.2020 से प्रभावी)

निदेशकों के अलावा

श्री राजीव मुखीजा

श्रीमती मंजरी मिश्रा

— मुख्य महाप्रबंधक—सीएफओ

— उप महाप्रबंधक—कंपनी सचिव

- (ii) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (क) इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड
(ख) आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
(ग) आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

ख) संबंधित पक्षों के साथ 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष (पिछले वर्ष 31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ) के दौरान लेनदेन:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही
(क)	प्रबंधकीय प्रतिफल (निदेशक)		
	(i) श्री अनिल तनेजा (निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईएएमसीएल) 31 अगस्त 2020 तक		
	प्रतिफल	22.38	52.85
	(ii) डॉ. एस एस गर्ग (निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईएएमसीएल) (17 अगस्त 2020 से 02 फरवरी 2021 तक नियुक्त)		
	प्रतिफल	-	-
	(ii) श्री सतीश कुमार नागपाल (निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईएएमसीएल) (3 फरवरी 2021 से नियुक्त)		
	प्रतिफल	6.00	-
	(ii) श्री पलाश श्रीवास्तव (निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईपीएल)		
	प्रतिफल	54.00	54.00
(ख)	प्रबंधकीय प्रतिफल (निदेशकों के अलावा)		
	(i) श्री राजीव मुखीजा (मुख्य महाप्रबंधक—सीएफओ)		
	प्रतिफल	47.68	43.86
	(ii) श्रीमती मंजरी मिश्रा (उप महाप्रबंधक—कं. सचिव)		
	प्रतिफल	34.07	29.56
	(iii) श्री अजय पीएस सैनी (कंपनी सचिव, आईएएमसीएल)		
	प्रतिफल	44.94	24.41
	(iv) श्री सुमिरन बंसल (प्रमुख वित्त और सीएफओ, आईएएमसीएल) (20 फरवरी 2020 से समाप्त हो गया)		
	प्रतिफल		18.90
	(v) श्रीमती सोनू शर्मा (प्रमुख वित्त और सीएफओ, आईएएमसीएल) (20 फरवरी 2020 से 02 जून 2020 तक नियुक्त)		
	प्रतिफल	2.96	2.06
	(vi) श्री विवेक कुमार सिंह (प्रमुख वित्त और सीएफओ, आईएएमसीएल) (02 जून 2020 से नियुक्त)		
	प्रतिफल	18.88	-
(घ)	(i) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को भुगतान किया गया बैठने का शुल्क:		
	श्री संजीव चन्ना	3.60	1.20
	श्री सुधीर आर्य (आईएएमसीएल)	-	0.80
	श्री आर. पी. वैष्णव	0.40	-

- (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपयुक्त प्रावधानों की प्रयोज्यता के अनुसार 1 अप्रैल 2014 को, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्य निर्देशों के खंड 2 के अनुसार निम्नलिखित जानकारी का खुलासा किया गया है:

(₹ लाख में)

संस्था का नाम	'निवल आस्तियां' यानी कुल आस्तियां घटाओ कुल देनदारियां		लाभ या हानि में हिस्सेदारी	
	समेकित निवल आस्ति के: के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)
	31.03.2021 को	31.03.2021 को	31.03.2021 को	31.03.2021 को
अभिभावक कंपनी				
भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	106.81%	10,65,258.80	87.24	28,388.08
सहायक कंपनियां				
भारतीय				
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	0.09%	888.23	(0.80%)	(259.85)
आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	0.13%	1,322.64	0.76%	248.64
विदेश				
आईआईएफसी(यूके) लिमिटेड	(7.03)%	(70,155.87)	12.79%	4,163.28
सभी सहायक कंपनियों में अल्पसंख्यक हित	-	-	-	-
एसोसिएट्स (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
भारतीय	-	शून्य	-	शून्य
विदेशी	-	शून्य	-	शून्य
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार आनुपातिक समेकन/निवेश के अनुसार)				
भारतीय	-	शून्य	-	शून्य
विदेश	-	शून्य	-	शून्य

- (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताएं:

(₹ लाख में)

सहायक कंपनी का नाम	रिपोर्टिंग मुद्रा	शेयर पूंजी	आरक्षित निधि – अधिशेष	कुल आस्तियां	कुल देनदारियां	टर्न-ओवर	कर देने से पूर्व लाभ	कर के लिए प्रावधान	कर अदायगी के बाद लाभ	शेयर-होल्डिंग
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	₹ लाख में	475.00	1,379.78	2,280.08	425.30	1,101.18	331.53	85.89	245.64	100%
आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	₹ लाख में	1250.00	1,223.79	2,831.53	357.73	655.73	197.63	51.45	146.18	100%
आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	₹ लाख में	42,240.32	(70,736.88)	15,10,338.60	15,38,835.49	38,016.38	3,453.74	(128.53)	3,582.27	100%
	अमरीकी डालर (मिलियन में)	75.00	387.68	18,434.88	18,822.56	404.85	43.23	(1.74)	44.98	

7. भारतीय लेखांकन मानक-17 के प्रावधान, पट्टे

क) वित्तीय पट्टा: शून्य

ख) परिचालन पट्टा: कंपनी ने अलग-अलग पट्टा अवधि के साथ परिचालन पट्टे के तहत कार्यालय परिसर लिए हैं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:

(₹ लाख में)

अवधि	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही
भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतानों का कुल (सकल निवेश)	183.95	226.13
पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य	166.56	197.27
10 साल जी-सेक यील्ड	6.56%	6.86%
भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतानों की कुल परिपक्वता प्रोफाइल		
एक साल बाद नहीं	61.32	56.53
एक साल बाद में लेकिन पांच साल के बाद नहीं	122.63	169.60
पांच साल के बाद	-	-
कुल	183.95	226.13

8. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द्वारा जारी किए गए भारतीय लेखांकन मानक-33 प्रति शेयर आय के संदर्भ में, प्रति शेयर आय, (मूल और तनुकृत) निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही		31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही	
	शेयर	राशि ₹ लाख में	शेयर	राशि ₹ लाख में
शेयर का नामिनल मूल्य (₹)	10/-		10/-	
इक्विटी शेयर की संख्या (संख्या लाख में)	99,999.16		47,023.62	
#इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में) (हर)	99,999.16		99,999.16	
#इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में) (डिनोमिनेटर) (तनुकृत)	99,999.16		46,883.93	
निवल लाभ (कर के बाद) (अंश)		32,501.53		9,449.95
प्रति शेयर आय (मूल) (₹)		0.33		0.11
प्रति शेयर कमाई (तनुकृत) (₹)		0.33		0.11

9. कंपनी की निश्चित आस्तियों को 'कारपोरेट आस्तियां' कहा जाता है और 'कैश जनरेटिंग इकाइयां' नहीं जैसा कि "आस्तियों की खराबी" पर भारतीय लेखांकन मानक-36 द्वारा परिभाषित किया गया है। 31 मार्च 2021 को, ऐसी कोई घटना या परिस्थितियों में बदलाव नहीं हुआ, जो आस्ति में किसी हानि का संकेत देता हो

10. (क) भारतीय लेखांकन मानक 37 "प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक आस्तियों" के रूप में प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही
प्रस्तावित वेतन संशोधन		
प्रारंभिक शेष रकम	721.35	390.48
अवधि के दौरान जोड़	338.54	330.87
वर्तमान देनदारियों के संबंध में भुगतान की गई/हस्तांतरित राशि	-	-
समाप्ति के समय शेष रकम	1,109.89	721.35

मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान		
प्रारंभिक शेष रकम	26,678.88	14,366.49
अवधि के दौरान जोड़/समायोजन	(4,266.50)	12,312.39
समाप्ति के समय शेष रकम	22,412.38	26,678.88
उप-मानक परिसम्पत्तियों के विरुद्ध प्रावधान		
प्रारंभिक शेष रकम	32,471.00	39,517.11
अवधि के दौरान जोड़	8,353.21	16,361.59
एनपीए राइट आफ के संबंध में प्रोविजन राइट बैक	(32,471.00)	23,407.70
समाप्ति के समय शेष रकम	8,353.21	32,471.00
पुनर्चित आस्तियों के विरुद्ध प्रावधान		
प्रारंभिक शेष रकम	492.35	1,599.92
अवधि के दौरान जोड़/समायोजन	4535.73	(1,107.57)
एनपीए राइट आफ के संबंध में प्रोविजन राइट बैक	-	-
समाप्ति के समय शेष रकम	5,028.08	492.35
संदिग्ध आस्तियों के विरुद्ध प्रावधान		
प्रारंभिक शेष रकम	3,37,317.13	2,83,491.11
अवधि के दौरान जोड़	230.21	71,787.98
एनपीए राइट आफ के संबंध में प्रोविजन राइट बैक	-	(17,961.96)
समाप्ति के समय शेष रकम	3,37,547.34	337,317.13
निवेशों में कमी का प्रावधान		
प्रारंभिक शेष रकम	17,201.01	16,831.53
अवधि के दौरान जोड़	(649.37)	434.58
निवेशों की बिक्री होने के कारण समायोजित प्रावधान	-	(65.10)
समाप्ति के समय शेष रकम	16,551.64	17,201.01

(ख) अन्य प्रकटीकरण:

(₹ लाख में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च 2020
आयकर (निवल)		
प्रारंभिक शेष रकम	14,869.45	(2,033.28)
अवधि के दौरान जोड़	15,081.73	89.44
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित रकम	17,739.74	15,813.29
समाप्ति के समय शेष रकम	12,211.44	14,869.45
अवकाश किराया रियायत		
प्रारंभिक शेष रकम	100.66	86.81
अवधि के दौरान जोड़	5.37	130.75
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित रकम	0.08	116.90
समाप्ति के समय शेष रकम	105.95	100.66
सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ		
प्रारंभिक शेष रकम	813.57	809.86
अवधि के दौरान जोड़	129.05	3.83
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित रकम	1.99	0.12
समाप्ति के समय शेष रकम	940.60	813.57
अवकाश नकदीकरण		
प्रारंभिक शेष रकम	206.40	115.36
अवधि के दौरान जोड़	51.61	152.54
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित रकम	46.78	61.50
समाप्ति के समय शेष रकम	211.23	206.40
बीमारी के लिए अवकाश		
प्रारंभिक शेष रकम	163.69	201.73
अवधि के दौरान जोड़	-	-
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित रकम	(4.88)	(38.44)
समाप्ति के समय शेष रकम	158.81	163.69
व्युत्पन्नो पर बाजार के नुकसानों के तहत चिन्हांकन		
प्रारंभिक शेष रकम	1,830.89	1,688.71
अवधि के दौरान जोड़	-	142.18
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित रकम	(954.15)	-
समाप्ति के समय शेष रकम	876.74	1,830.89

11. आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रदान नहीं की गई हैं) निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही
(क)	आकस्मिक देयताएं:		
	(क) कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:		
	(i) आयकर विभाग द्वारा आकलन वर्ष 2008-09 के लिए बकाया आयकर की मांग। आदेश दिनांक 7 मार्च 2014 के संबंध में	94.33	59.00
	(ii) आयकर विभाग द्वारा आकलन वर्ष 2016-17 के लिए बकाया आयकर की मांग। आदेश दिनांक 28 दिसंबर 2018 के संबंध में।	682.33	682.33
	(iii) आयकर विभाग द्वारा कर आकलन वर्ष 2015-16 के लिए बकाया आयकर की मांग। आदेश दिनांक 28 मई 2020 के संबंध में।	19.33	1,425.27
	(iv) बकाया सेवा कर की मांग - 31 मार्च 2021 के बाद विरोध के तहत मांग का भुगतान किया गया जिसमें ब्याज शामिल है	71.52	-
	(v) आईएमसीएल - निर्धारण वर्ष के लिए बकाया आयकर की मांग	20.65	-
	(ख) गारंटियां		
	(ग) अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है:		
	(i) साख पत्र (एलसी) जारी करने के लिए चुकौती आश्वासन पत्र (कंपनी ने उधारकर्ताओं के संघ में सम्बंधित लीड बैंकों/सदस्य बैंक को चुकौती आश्वासन पत्र जारी किये हैं ताकि स्वीकार्य ऋण सहायता देने के लिए साख पत्र (एलसी) की राशि को समय के साथ देने के लिए सम्बंधित उधारकर्ताओं के स्थान पर साख पत्र (एलसी) को जारी किया जा सके)	14,185.32	14,185.32
	(ii) ऋण वृद्धि योजना के तहत दी गई गारंटी	28,069.40	28,443.40
(ख)	प्रतिबद्धताएं:		
	(क) पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं किया गया:		
	पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिमों का शुद्ध)	889.94	1033.55
	(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं:		
	कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (कसरत) के तहत अनुबंधों की अनुमानित राशि निष्पादित की जानी बाकी है (अग्रिमों का शुद्ध)	589.59	589.59

12. जोखिम पूंजी इकाइयों में निवेश

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, कंपनी ने आईडीएफसी, सिटी बैंक (31 मार्च 2021 को कंपनी द्वारा निवेश की गई कुल राशि ₹ 9,247.56 लाख है) के साथ-साथ कंपनी द्वारा प्रवर्तित आईडीएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ट्रस्ट II की उद्यम कैपिटल इकाइयों में शून्य (31 मार्च 2020 तक शून्य) का निवेश किया है। ₹ 10, 000 लाख की कुल प्रतिबद्धता में से, कंपनी ने उद्यम में निवेशक के रूप में योगदान दिया है और उसके पास संयुक्त नियंत्रण नहीं है। क्योंकि निधि में कोई वितरण योग्य लाभ नहीं है, ऐसे निवेशों के संबंध में खातों की किताबों में कोई आय नहीं है। हालांकि, कंपनी ने समाप्त हुए वर्ष के दौरान ₹ 30.19 लाख का योग प्राप्त किया है (वर्ष समापन 31 मार्च 2020 के दौरान शून्य) जिसमें भुगतान किया गया कर जो शून्य है वह भी शामिल है (वर्ष समापन 31 मार्च 2020 के दौरान ₹ शून्य लाख) जो कि उद्यम कैपिटल इकाइयों की रिडेम्पशन से सम्बंधित है।

13. कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान ₹12,044.86 लाख की निवल आस्थगित कर आस्ति बनाई है (₹955.15 लाख की आस्थगित कर देयता में वृद्धि और ₹13,000.01 लाख की आस्थगित कर आस्ति में वृद्धि), पिछले वर्ष 31 मार्च 2020 को समाप्ति के दौरान कंपनी 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान ने ₹34,250.07 लाख की आस्थगित कर देता को उलट किया है (₹15,527.45 लाख की आस्थगित कर देयता में कमी और ₹18,722.63 लाख की आस्थगित कर आस्ति में वृद्धि)।

14. कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, 31 मार्च 2021 को "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के रूप में पंजीकृत कोई आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता नहीं हैं। इसलिए कंपनी का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रति कोई बकाया नहीं है और इस अधिनियम के तहत निर्धारित की जाने वाली अन्य जानकारी शून्य है

15. व्युत्पन्नी लेन देन

क) वर्ष 2007-08 के दौरान, कंपनी ने प्रत्येक 5,000 लाख रुपये (जेपीवाई 2,73,23.62 लाख के काल्पनिक मूलधन के बराबर) की काल्पनिक मूल राशि के दो ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) लेनदेन किए थे जो 19 दिसंबर 2022 को परिपक्व होंगे। इन आईआरएस सौदों के अनुसार, कंपनी जेपीवाई काल्पनिक राशि पर 7.46% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगी (जिसमें कूपन भुगतान 5 वर्षों के लिए 1 जेपीवाई = एक सौदे में ₹0.3658 और जेपीवाई = ₹0.3662 दूसरे सौदे के तहत निश्चित हैं) और काल्पनिक मूलधन राशियों पर 8.82% ₹ प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्राप्त करती है। कंपनी ने उपरोक्त स्वैप लेनदेन पर पूरे मार्क-टू-मार्केट नुकसान के लिए दिया है, जैसा कि काउंटर पार्टी बैंकों द्वारा गणना की गई है और अन्य मूल्यांकनकर्ता द्वारा पुष्टि की गई है, जो कि 31 मार्च 2021 को ₹876.74 लाख है (31 मार्च 2020 तक ₹1,830.89 लाख) जिसमें 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹954.16 लाख का लाभ शामिल है (31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹ 142.18 लाख की हानि)।

ख) उपरोक्त नोट 14 (क) में संदर्भित दो ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) लेनदेन में से ₹2,000 लाख की काल्पनिक मूल राशि, 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान समाप्त हो गई थी। परिणामस्वरूप, उपरोक्त नोट 14 (क) में संदर्भित दो ब्याज दर स्वैप (IRS) लेनदेन की कुल काल्पनिक मूल राशि कम हो के ₹ 8,000 लाख हो गई है।

ग) कंपनी ने बहुपक्षीय संस्थानों से विदेशी मुद्रा उधार पर फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए मिश्रित अनुबंध यानी क्रॉस करेंसी स्वैप (मूल और ब्याज) शुरू किया है:

(₹ लाख में)

संस्था	क्रॉस करेंसी स्वैप की राशि	
	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही
एशियाई डेवलपमेंट बैंक (एडीबी):—		
अमरीकी डालर	11,811.91	11,066.71
रुपए	8,68,231.17	8,34,274.31
क्रेडिटसटालटि फर वीडेरोफबाउ (केएफडब्ल्यू):		
यूरो	-	100.00
रुपए	-	8,305.01
आईबीआरडी विश्व बैंक:—		
अमरीकी डालर	1,545.22	1,664.41
रुपए	1,13,580.64	1,25,473.29

उपरोक्त अनुबंधों पर काउंटर पार्टी बैंकों और अन्य मूल्यांकनों द्वारा प्रस्तुत मार्क-टू-मार्केट मूल्यांकन के अनुसार, 31 मार्च 2021 को निवल मार्क-टू-मार्केट लाभ ₹60,487.04 लाख है (सकल लाभ ₹63,041.57 लाख घटाओ सकल हानि ₹2,554.53 लाख) और 31 मार्च 2020 को मार्क-टू-मार्केट का लाभ ₹99,157.34 लाख है (सकल लाभ ₹1,03,978.38 लाख घटाओ सकल हानि ₹4,821.03 लाख)।

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय मांगी ताकि कंपनी को हेज हुई सीमा तक विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में लेखांकन उपचारों के लिए कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले सही लेखांकन उपचार पर सलाह दी जा सके। इस संबंध में, आईसीएआई पत्र दिनांक 22 सितम्बर 2015 में मामले पर अपनी राय दी। आईसीएआई ने जून 2015 में "व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन" पर मार्गदर्शन नोट भी जारी किया जो 1 अप्रैल 2016 से लागू है और कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष से समान को लागू किया गया है। विनिमय दर में कोई भी बदलाव, विदेशी मुद्रा उधार की राशि के संबंध में जैसा पिछली रिपोर्टिंग तिथि से और अवधि के दौरान ड्राडाउन उधार की तिथि से रिपोर्टिंग तिथि को होगा, उसे व्युत्पन्नी अनुबंधों के उचित मूल्य के सामने निर्धारित किया जाता है और कोई भी लाभ या हानि को नकद प्रवाह हेज संचय के रूप में पहचाना जाता है। सम्बंधित काउन्टर पार्टियों द्वारा व्युत्पन्न अनुबंधों का उचित मूल्य दिया जाता है।

इस संबंध में, आईआईएफसीएल ने 26 दिसंबर 2016 के पत्र के माध्यम से भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) को आईआईएफसीएल द्वारा बाजार से बाजार/हेज अनुबंधों पर उचित मूल्य से संबंधित मुद्दों के बारे में सूचित किया जब व्युत्पन्न पर मार्गदर्शन नोट को लागू किया जाता है, और समान की एक प्रति भारतीय आरक्षित निधि बैंक को भेजी। उनके पत्र दिनांक 3 मई 2017 के अनुसार आईसीएआई खोज समिति को यह मामला संदर्भित किया गया है।

लेखांकन मानक-11 में समापन दर पर पुनः कथित ऋण के हेज्ड हिस्से का विवरण निम्न दिया गया है:

(₹ लाख में)

संस्था	हेज्ड स्थिति की राशि	
	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही
एशियाई डेवलपमेंट बैंक (एडीबी):—		
अमरीकी डालर	11,811.91	11,066.71
रुपए	8,68,231.17	8,34,274.31
क्रेडिटसटालटि फर वीडेरोफबाउ (केएफडब्ल्यू):		
यूरो	-	100.00
रुपए	-	8,305.01
आईबीआरडी विश्व बैंक:—		
अमरीकी डालर	1,545.22	1,664.41
रुपए	1,13,580.64	1,25,473.29

व्युत्पन्न अनुबंधों के लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन नोट के अनुसार वित्तीय मुद्रा एक्सपोजर का प्रकटीकरण:—

(₹ लाख में)

I. आस्तियां	विदेशी मुद्रा	वर्तमान वर्ष			विगत वर्ष		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में रकम	₹ में राशि	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में रकम	₹ में राशि
प्राप्य (व्यापार और अन्य)	-	-	-	-	-	-	-
अन्य मौद्रिक आस्तियां (जैसे एफसी में दिए गए आईसीडी/ऋण)	-	-	-	-	-	-	-
कुल प्राप्य (क)	-	-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्नी अनुबंधों द्वारा बचाव (ख)	-	-	-	-	-	-	-
अनहेज्ड प्राप्य (ग=क-ख)	-	-	-	-	-	-	-
		वर्तमान वर्ष			विगत वर्ष		

II. देयताएं	विदेशी मुद्रा	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में रकम	₹ में राशि	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में रकम	₹ में राशि
देय (व्यापार एवं अन्य)	-	-	-	-	-	-	-
उधार लेना (ईसीबी और अमरीकी डालर)	अमरीकी डालर	73.5047	16,088.09	11,82,550.36	75.3859	15,999.60	12,06,144.00
	यूरो	86.0990	2,137.73	184,004.96	83.0496	2,196.27	1,82,399.34
	जेपीवाई	0.6636	2,66,666.67	1,76,960.00	0.6965	1,50,000.00	1,04,475.00
कुल देय (घ)	अमरीकी डालर	73.5047	16,088.09	11,82,550.36	75.3859	15,999.60	12,06,144.00
	यूरो	86.0990	2,137.73	184,004.96	83.0496	2,196.27	1,82,399.34
	जेपीवाई	0.6636	2,66,666.67	1,76,960.00	0.6965	1,50,000.00	1,04,475.00
व्युत्पन्न द्वारा बचाव (ङ)	अमरीकी डालर	73.5047	13,357.73	9,81,811.81	75.3859	12,731.13	9,59,747.61
	यूरो	86.0990	-	-	83.0496	100.00	8,305.01
	जेपीवाई	0.6636	-	-	0.6965	-	-
गैर-बचाव देय (च= घ- ङ)	अमरीकी डालर	73.5047	2,730.96	2,00,738.55	75.3859	3,268.47	2,46,396.39
	यूरो	86.0990	2,137.73	1,84,004.97	83.0496	2,096.27	1,74,094.33
	जेपीवाई	0.6636	2,66,666.67	1,76,960.00	0.6965	1,50,000.00	1,04,475.00

III. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं	विदेशी मुद्रा	वर्तमान वर्ष			विगत वर्ष		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में रकम	₹ में राशि	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में रकम	₹ में राशि
आकस्मिक देयताएं	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिबद्धताओं	-	-	-	-	-	-	-
कुल (छ)	-	-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्नी अनुबंधों द्वारा बचाव (झ)	-	-	-	-	-	-	-
अप्रतिबंधित देय (ट= छ-झ)	-	-	-	-	-	-	-
कुल गैर बचाव एफसी प्रकटीकरण (ठ= ग+ च+ ट)	-	-	-	-	-	-	-

क) विदेशी मुद्रा ऋणों की अनहेज्ड स्थिति निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

संस्था	गैर-बचाव स्थिति की राशि	
	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही
एशियाई डेवलपमेंट बैंक (एडीबी):-		
अमरीकी डालर	2,706.82	3,268.36
रुपए	1,98,963.86	2,46,388.35

क्रेडिटसटालटि फर वीडेरोफबाउ (केएफडब्ल्यू):		
यूरो	160.47	96.27
रुपए	13,815.95	7,995.13
आईबीआरडी विश्व बैंक:—		
अमरीकी डालर	24.14	0.11
रुपए	1,774.70	8.04
यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी)		
यूरो	1,976.67	2,000.00
रुपए	1,70,189.02	1,66,099.20
जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए)		
जेपीवाई	2,66,666.67	1,50,000.00
रुपए	1,76,960.00	1,04,475.00

ख) लेखा नीति 6.6.2 के अनुसार, खातों को बंद करने की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरें (अर्थात आरबीआई संदर्भ दरें) इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	विनिमय दरें	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही
1	अमरीकी डालर/रुपए	73.5047	75.3859
2	यूरो/रुपए	86.099	83.0496
3	जेपीवाई/रुपए	0.6636	0.6965

16. बॉन्ड मोचन आरक्षित निधि का निर्माण

क) **व्यक्तिगत बांडों के संबंध में:** क्योंकि कंपनी को कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 2(72) के अर्थ के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है जो कि केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना संख्या S.O.143 (E) (F-NO-3/5/2008) दिनांक 14 जनवरी 2009 द्वारा संदर्भित है, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारतीय सरकार दिनांक 11 फरवरी 2013 द्वारा जारी परिपत्र संख्या 04/2013 के अनुसार व्यक्तिगत बांडों के संबंध में बांड रीडेम्पशन आरक्षित निधि को बनाना आवश्यक नहीं है।

ख) **सार्वजनिक बांडों के संबंध में:** कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹1,000 के अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड जारी किए, जो कुल मिलाकर ₹3,15,631.89 लाख हैं, वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹6,87,754.25 लाख और वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹9,096.18 लाख के दीर्घकालिक अवसंरचना बांड जारी किए जो कि सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से कुल ₹10,12,482.32 लाख हुए।

कंपनीज (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम 2014 के नियम 18(7)(ख)(ii) के अनुसार, कंपनी आरबीआई कीधारा 45-आईए (संशोधन) अधिनियम, 1997 के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी के लिए डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) बनाएगी। डीआरआर की 'पर्याप्तता' वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008 के अनुसार सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी किए गए डिबेंचर के मूल्य का 25% होगी, और व्यक्तिगत डिबेंचर के मामले में कोई डीआरआर की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार कंपनी ने 31 मार्च 2021 तक ₹99,995.05 लाख का बांड रीडेम्पशन आरक्षित निधि बनाया है (31 मार्च 2021 तक ₹99,995.05 लाख)।

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने, दिनांक 19-अगस्त-2019 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी के (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमों में बदलाव किये हैं और तदनुसार कंपनी को रिडीमेबल गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने पर डिबेंचर रीडेम्पशन आरक्षित निधि बनाने की आवश्यकता नहीं है।

स्टाक एक्सचेंज के साथ सूची समझौते में शामिल प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार, यह कहा जाता है कि कंपनी ने व्यक्तियों, एसोसिएट और उद्योगों/कंपनियों को ऋणों की प्रकृति के तहत कोई ऋण और अग्रिम भुगतान नहीं किये हैं जिसमें निदेशकों को रुचि है। इसके अलावा, किसी भी ऋण (उधारकर्ता) ने कंपनी या उसकी सहायक कंपनी के शेयरों में कोई निवेश नहीं किया है।

17. कंपनी के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 नवंबर 2017 से देय है। 1 नवंबर 2017 से 31 मार्च 2020 की अवधि के लिए वेतन का लंबित संशोधन, ₹1,109.89 लाख का अनुमानित प्रावधान किया गया है।
18. (क) आरबीआई ने सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के कारोबार को चलाने के लिए आईआईएफसीएल को 9 सितंबर 2013 को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया।
- (ख) एनबीएफसी-आईएफसी के लिए आरबीआई द्वारा जारी मितव्ययी मानदंड कंपनी पर लागू होते हैं। NBFC-IFC के रूप में पंजीकृत होने पर, कंपनी, क्योंकि एक सरकारी कंपनी है, इस लिए उसे सरकार की सलाह के अनुसार एनबीएफसी नियमों के विभिन्न तत्वों के अनुकूलन में रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता थी और उसे आरबीआई की अधिसूचना संख्या के अनुसार भारतीय आरक्षित निधि बैंक (गैर बैंकिंग सुपरविजन का विभाग) को पेश करना था। डीएनबीएस-पीडी/सीसी संख्या 86/03.02.089/2006-07 तिथि 12 दिसंबर 2006 आवश्यकता के अनुसार, कंपनी ने आरबीआई को पत्र दिनांक 21 नवंबर 2014 के माध्यम से रोडमैप पेश किया है ताकि दिनांक 1 जनवरी 2015 के आरबीआई नियम के विभिन्न तत्वों का पालन कर सके।
- (ग) कंपनी ने 31 मार्च 2021 के दौरान 3 ऋण खातों का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण किया है जिसमें 31 मार्च 2021 के दौरान ₹ 40,037.12 लाख की बकाया शेष राशि है (31 मार्च 2020 को शून्य ऋण खातों में शून्य है) और 31 मार्च 2021 को इन खातों में सुरक्षा के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है नोट 1(क)(5.7)(v) देखें।

19. विभिन्न निर्धारण वर्ष (वर्षों) के लिए आयकर के लंबित निर्धारण की स्थिति निम्नानुसार है:

निर्धारण वर्ष	स्थिति
2008-09	आईआईएफसीएल ने मूल्यांकन वर्ष 2008-09 के लिए 159 लाख की बकाया आय कर की मांग के विरुद्ध अपील दायर की है जिसे आय कर विभाग के आदेश दिनांक 28.02.2014 द्वारा दायर किया गया था। आयकर आयुक्त [अपील] - 4 ने आदेश दिनांक 08.09.2015 को पारित किया और आईआईएफसीएल की अपील को खारिज कर दिया। आईआईएफसीएल ने आईटीएटी के समक्ष दिनांक 16.11.2015 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। आईटीएटी ने आदेश दिनांक 29.08.2017 के द्वारा मामले को सीआईटी(ए) के तहत बहाल कर दिया है। आईआईएफसीएल ने वर्ष के लिए विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणापत्र दाखिल किया है। फॉर्म 1 में घोषणा दाखिल करने के बाद, विभाग द्वारा फॉर्म 3 जारी करके 94.33 लाख रुपये की मांग की गई है। आईआईएफसीएल फॉर्म 4 दाखिल करने की प्रक्रिया में है।
2011-12	अस्वीकृतियों के बाद 29.11.2016 को धारा 148 के अनुसार मूल्यांकन आदेश प्राप्त किया गया था। 27.12.2016 को सीआईटी(ए) को अपील दायर की गई और 7.95 करोड़ रुपये की आयकर मांग जमा की गई। सीआईटी(ए) ने आंशिक रूप से अस्वीकृत खर्चों की अनुमति दी। आयकर विभाग ने सीआईटी(ए) द्वारा दी गई राहत के खिलाफ आईटीएटी को अपील दायर की है।
2013-14	धारा 143 (3) के तहत दिनांक 04.02.2016 का मूल्यांकन आदेश 23.02.2016 को प्राप्त हुआ था। 23.03.2016 को सीआईटी(ए) को अपील दायर की गई - आंशिक अस्वीकृतियों के बाद 20.10.2016 को आदेश प्राप्त हुआ था। 19.12.2016 को आईटीएटी में अपील दायर की गई। 48.31 लाख रुपये की आयकर मांग जमा की गई है। आईटीएटी ने आदेश दिनांक 17.01.2020 को आईआईएफसीएल की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया था। आईआईएफसीएल ने आगे कोई अपील नहीं की है और 22.06.2020 को एओ को अपील प्रभाव पत्र दायर किया है। आईआईएफसीएल ने 67 लाख रुपये की धन वापसी के साथ इस वर्ष के लिए विवाद से विश्वास योजना को चुनने के लिए घोषणा दायर की है। कर विभाग ने फॉर्म 3 जारी किया है जिसमें 18.83 लाख रुपये की धन वापसी का निर्धारण इस टिप्पणी के साथ किया गया है कि आईटीएटी अपील प्रभाव आदेश में 14 मार्च 2017 से पहले भुगतान किए गए करों के क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी। तदनुसार 48.31 लाख रुपये के चालान के क्रेडिट की अनुमति नहीं थी। आईआईएफसीएल अब फॉर्म 4 भरने की प्रक्रिया में है।
2014-15	अस्वीकृतियों के बाद 29.11.2016 को प्राप्त किया गया मूल्यांकन आदेश। 27.12.2016 को सीआईटी(ए) को अपील दायर की गई और 9.35 करोड़ रुपये की आयकर मांग जमा की गई। सीआईटी(ए) ने आंशिक रूप से अस्वीकृत खर्चों की अनुमति दी। आयकर विभाग ने सीआईटी(ए) द्वारा दी गई राहत के खिलाफ आईटीएटी को अपील दायर की है।
2015-16	धारा 143 (3) को मूल्यांकन आदेश अस्वीकरणों के बाद दिनांक 28.12.2017 को पारित किया गया था। 26.01.2018 को सीआईटी(ए) को अपील दायर की गई। सीआईटी(ए) ने आगे खर्चों को अस्वीकार कर दिया। आईटीएटी को अपील दायर नहीं की गई। कर निर्धारण अधिकारी ने 19.33 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। आईआईएफसीएल ने सीआईटी(ए) के खिलाफ अपील की।

2016-17	धारा 143 (3) के तहत दिनांक 28.12.2018 का मूल्यांकन आदेश 28.12.2018 को प्राप्त हुआ था। सीआईटी(ए) के समक्ष 25.01.2019 को निर्धारण आदेश में की गई अस्वीकृतियों के खिलाफ अपील दायर की गई और विरोध अधीन 137 लाख रुपये की 20% कर मांग जमा की गई और निर्धारण वर्ष 2011-12 की धन वापसी से 46.71 लाख रुपयों को समायोजित किया गया है। अपील वर्तमान में निर्णय के लिए सीआईटी(ए) के समक्ष लंबित है। सूचना धारा 154/155 के तहत 81.88 लाख रुपए प्राप्त हुए, जिसके विरुद्ध दिनांक 25.03.2020 को उत्तर प्रस्तुत किया गया
---------	--

20. अन्य प्रकटीकरण:

20.1 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को शून्य लाख (31 मार्च 2019 को शून्य लाख) के निवल बही मूल्य वाली वित्तीय आस्ति सौंपी थी। कंपनी को आय पहचान और आस्तियों के वर्गीकरण दिनांक 1 जुलाई 2015 को मितव्ययी मानदंडों की जानकारी डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.98/21.04.132/2013-14 दिनांक 26 फरवरी 2014 और आरबीआई मुख्य परिपत्र डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.043/03.10.119/2015-16 द्वारा मिली जो कि आठ तिमाहियों की अवधि में शून्य (31 मार्च 2019 को शून्य) की शेष कमी से सम्बंधित है। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान शून्य राशि का शुल्क लिया गया है (31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान ₹ शून्य लाख)।

20.2 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 1,40,203.69 लाख (31 मार्च 2020 तक 12 ऋण खातों में ₹ 1,22,297.10 लाख) की राशि के 15 खातों को रिटन आफ किया है, नोट 1(क)(5.3) देखें।

20.3 आईआईएफसीएल ने 16,551.64 लाख रुपये के निवेश में कमी का निम्न अनुसार प्रावधान बनाया है:

- 2017-18 के दौरान, उधारदाताओं ने सामूहिक रूप से इंडब्ल्यू इण्डिया स्पेशल निधि एसेट निधि आईआईपीटीई लिमिटेड के पक्ष में कुल मिलाकर 26% का विनिवेश किया ताकि भारतीय आरक्षित निधि बैंक की कार्य नीतिक कर्ज संरचना निर्देशों के अनुसार मैनेजमेंट में बदलाव को प्रभाव में लाया जा सके। सौदे के हिस्से के रूप में, 52,000.00 लाख रुपये का बकाया ऋण मूलधन और उस पर ब्याज और अन्य बकाया जो कि मैसर्स आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (एपीएनआरएल) से 2,545.99 लाख रुपए है जिसे एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईआरसी) को बेचा गया है, जो कि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और ऐसा 38,884.95 लाख रुपये की अग्रिम वसूली पर किया गया था जिसमें 108.18 लाख की अपफ्रंट रियलाइजेशन, 9,710.71 लाख की एपीएनआरएल की इक्विटी शेयर कैपिटल (यानी पूर्ण रूप से 10 रुपये प्रत्येक के भुगतान किये गए इक्विटी शेयर) और 38,884.95 लाख रुपए की सुरक्षा रसीदें शामिल हैं। ईएआरसी ने एक साथ 10 रुपये के एपीएनआरएल के इक्विटी शेयर खरीदे जो कि कुल 4945.70 लाख रुपए / 1.2045 रुपए प्रति शेयर है और कुल 595.72 लाख रुपए है। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने एपीएनआरएल के इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए कीमत पर विचार किया जिसका भुगतान उचित मूल्य के रूप में ईएआरसी द्वारा आईआईएफसीएल को किया गया है। तदनुसार, 31 मार्च 2019 को एपीएनआरएल में आईआईएफसीएल की ओर से एसबीआईकैप्स ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा धारित शेष इक्विटी शेयर, क्योंकि आईआईएफसीएल को इक्विटी शेयर हासिल करने के लिए अनिवार्य नहीं है जिसमें सिफटी के अनुसार उधारकर्ता कंपनियां, फाइनैसिंग वायेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल है, जिसके अधीन आईआईएफसीएल 1.2045 रुपए प्रति शेयर के मूल्य पर गतिविधियाँ करता है। इक्विटी निवेश में कमी के लिए प्रावधान 4,191.05 लाख रुपए है।
- मैसर्स टॉपवर्थ टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में रियायतग्राही के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप 8,000.00 रुपयों की बकाया ऋण राशि में से, 6,078.00 लाख रुपयों की राशि को डिस्चार्ज किया गया है जिसे 0.01% कूपन वैकल्पिक परिवर्तित योग्य रिडीमेबल डिबेंचर द्वारा किया गया है जिसका कूपन रेट आने वाली राहत का @ 0.01% वार्षिक रूप से है यानी बंसल पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड 1,922.00 लाख रुपये का बकाया ऋण बंसल पाथवेज (मंगवान-चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड, नए रियायतग्राही को दिया जाएगा। तदनुसार, निवेशों में 5,252.07 लाख रुपये की कमी के लिए प्रावधान डिबेंचर द्वारा बुक किए गए हैं जिसे बंसल पाथवेज (मंगवान-चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किया गया था जो 25 वर्षों के बाद चुकाने योग्य हैं।
- मैसर्स सूरत हजीरा एनएच-6 टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अगस्त 2018 में, संकल्प योजना के अनुमोदन के परिणामस्वरूप 29,024.00 लाख रुपयों का फंडिड प्रकटीकरण, जैसा कि कट आफ तिथि को संदर्भित है, उसे 15,238 लाख रुपयों के कायम रहने योग्य कर्ज और 13,786.00 लाख रुपयों के अस्थिर कर्ज में परिवर्तित किया गया था। अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित योजना में, ब्याज दर में कमी, चुकौती अवधि के विस्तार आदि के रूप में राहतें शामिल थीं। तदनुसार, 7,108.52 लाख रुपये की कमी के लिए प्रावधान बनाया गया है।

- 31 मार्च 2021 को निवेश और सुरक्षा रसीद का प्रकटीकरण:

(₹ लाख में)

विवरण	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसएसआर	एसआर 5 साल से पहले लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर जारी किया गया है	एसआर 8 साल से अधिक पहले जारी किया गया है
(i) एसआर का किताब मूल्य जिसे एनपीए द्वारा बैंक किया जाता है जिसे बैंक कथित तौर पर बेचा गया है	36,108.05	9,719.08	-
(i) धारित प्रावधान के प्रति	-	-	-
(ii) एसआर का किताब मूल्य जिसे एनपीए द्वारा बैंक किया जाता है जिसे अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-वित्तीय कंपनियों द्वारा कथित तौर पर बेचा गया है	-	-	-
(ii) धारित प्रावधान के प्रति	-	-	-
कुल (i)+(ii)	36,108.05	9,719.08	-

21. वर्ष के दौरान, कंपनी ने 31 दिसंबर 2020 तक उधारकर्ताओं और बैंकों, पार्टियों आदि द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों को शेष राशि की पुष्टि करने का अनुरोध करते हुए पत्र भेजे हैं। 31 मार्च 2021 को बुनियादी ढाँचे संबंधी ऋण, उधार और अन्य डेबिट और क्रेडिट शेष राशियों के अधीन दिखाई देने वाली कुछ शेष राशियाँ पुष्टि और संधि के अधीन हैं और मैनेजमेंट के अनुसार, इस तरह की पुष्टि और समाधान का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है और लंबित रीसेटिंग के कारण भी वित्तीय विवरणों पर कुछ मामलों में ब्याज दरों का अनुमान लगाया जाता है। 31 मार्च 2021 के बाद, 31 दिसंबर 2019 को कुल बकाया राशि ₹ 26,11,559.83 लाख रूपए (पिछले वर्ष ₹ 23,63,435.37 लाख रूपए) (एनपीए खातों को छोड़कर) वाले उधारकर्ता, जो बकाया राशि का 87.08% (पिछले वर्ष 97.35%) प्रस्तुत करते हैं। भौतिक बकाया राशियों वाले बैंकों और अन्य पार्टियों ने भी 31 मार्च 2021 को डेबिट/क्रेडिट की बकाया राशि की पुष्टि नीचे दी है:

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2019-20	
	बकाया पुष्टिकरण राशि (₹ लाख में)	शेष राशि की पुष्टि %	बकाया पुष्टिकरण राशि (₹ लाख में)	शेष राशि की पुष्टि %
विदेशी संस्थानों से उधार	15,43,515.33	100%	1,493,018.35	100%
बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधा	5,77,550.63	100%	3,00,358.40	100%
जोखिम पूंजी इकाइयों में निवेश	1,644.68	100%	1,674.87	100%
प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश	45,827.13	100%	50,568.58	100%
सावधि जमा में निवेश	10,17,714.50	100%	939,974.25	100%
बांड/सरकारी प्रतिभूतियां (डीमैटरियलाइजेशन फॉर्म में)	529,760.00	100%	529,760.00	100%
म्यूचुअल फंडों में निवेश	26,632.85	100%	26,020.13	100%

22. 15 मई 2015 को आईसीएआई द्वारा जारी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर व्यय के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट से संबंधित प्रकटीकरण:

- क) सीएसआर व्यय में शामिल व्यय के विभिन्न शीर्षों का विभाजन:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	संगठन का नाम	परियोजना विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही
1	पीएम केयर्स निधि	भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार की चल रही पहल का समर्थन करना।	-	2500.00

2	मेसर्स दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (बंगला साहिब गुरुद्वारा)	लॉक डाउन के दौरान दिल्ली एनसीआर में वंचितों को पका हुआ खाना सप्लाई किया।	2.50	
3	मेसर्स दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा	लॉक डाउन के दौरान दिल्ली एनसीआर में वंचितों को पका हुआ खाना सप्लाई किया।	2.50	
4	मेसर्स प्रभाव फाउंडेशन	लॉक डाउन के दौरान दिल्ली एनसीआर में वंचितों को पका हुआ खाना सप्लाई किया।	2.50	
5	मेसर्स ध्यान फाउंडेशन	लॉक डाउन के दौरान दिल्ली एनसीआर में वंचितों को पका हुआ खाना सप्लाई किया।	2.50	
6	सीएसआर उपरी व्यय		1.33	
कुल योग			11.33	2500.00

ख) सीएसआर व्यय के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:

i) 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि ₹11.33 लाख (31 मार्च 2020 को ₹ 2500 लाख) थी।

ii) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि: (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को			31 मार्च 2020 को		
	बकाया रकम	अतिदेय रकम	कुल	बकाया रकम	अतिदेय रकम	कुल
किसी आस्ति का निर्माण/अधिग्रहण*	-	-	-	-	-	-
उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य पर#	11.33	-	11.33	2500.00	-	2500.00
कुल	11.33	-	11.33	2500.00	-	2500.00

*किसी भी आस्ति के निर्माण/अधिग्रहण में सौर घरेलू बिजली की स्थापना शामिल है # सीएसआर आरक्षित निधि से रकम का भुगतान किया गया है।

#राशि का भुगतान सीएसआर आरक्षित निधि से किया गया है।

23. गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार नहीं करने या धारण करने वाली) कंपनी मितव्ययी मानदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2007 के अनुच्छेद 13 के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त जानकारी का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	
	बकाया रकम	अतिदेय रकम	बकाया रकम	अतिदेय रकम
देयता पक्ष:				
(1) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से प्राप्त ऋण और अग्रिम, जिसमें उस पर अर्जित ब्याज शामिल है लेकिन भुगतान नहीं किया गया:				
(क) डिबेंचर: अप्रतिभूत/प्रतिभूत	14,88,997.24		14,94,385.35	-
(सार्वजनिक जमा के अर्थ के अलावा)	17,29,392.56		17,64,439.32	-
(ख) आस्थगित क्रेडिट			-	-
(ग) सावधि ऋण	15,43,515.33		14,93,018.35	
(घ) अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और उधार लेना	-		-	-
(ङ) वाणिज्यिक पत्र	-		-	-
(च) अन्य ऋण (अल्पकालिक बैंक ऋण)	5,77,550.80		3,00,403.20	-

आस्तियां पक्ष:	बकाया राशि	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
(2) प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का विवरण [नीचे (4) में शामिल के अलावा]:		
(क) प्रतिभूत	36,16,291.47	38,70,033.34
(ख) अप्रतिभूत	12,22,051.39	6,07,626.69
(3) पट्टे पर दी गई आस्ति और किराए पर स्टॉक और एएफसी गतिविधियों की गणना करने वाली अन्य आस्तियों का विभाजन		
(i) विविध देनदारों के तहत पट्टा रेंटल सहित पट्टा आस्तियां:		
(क) वित्तीय पट्टा	-	-
(ख) संचालन पट्टा	-	-
(ii) विविध देनदारों के तहत किराया प्रभार सहित किराए पर स्टॉक:		
(क) किराए पर आस्तियां	-	-
(ख) फिर कब्जे अधीन ली गई आस्तियां	-	-
(iii) एएफसी गतिविधियों के लिए गिने जाने वाले अन्य ऋण		
(क) ऋण जहां आस्ति को फिर कब्जे अधीन लिया गया है	-	-
(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य ऋण	-	-
(4) निवेशों का विभाजन:		
वर्तमान निवेश:		
1. उद्धृत:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी	-	-
(ख) प्राथमिकता	-	-
(ii) डिबेंचर और बांड	-	-
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयाँ	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया बताएं)	-	-
2. गैर-उद्धृत:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी	-	-
(ख) प्राथमिकता	-	-
(ii) डिबेंचर और बांड	-	-
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयाँ	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया बताएं)	-	-
लंबी अवधि के निवेश:		
1. उद्धृत:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी	-	-
(ख) प्राथमिकता	-	-
(ii) डिबेंचर और बांड	-	-
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयाँ	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया बताएं)	-	-

2. गैर-उद्धृत:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी (ख) प्राथमिकता	5,176.02 -	49,141.34 -
(ii) डिबेंचर और बांड	19,864.00	19,864.00
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयाँ	26,632.85	26,020.13
सरकारी प्रतिभूतियाँ	529,760.00	529,760.00
(iv) अन्य (इक्विटी शेयर पूंजी पर अग्रिम) (उद्यम पूंजीगत इकाइयों में निवेश)	1,644.68	1,674.87
(v) प्रतिभूत प्राप्तियों में निवेश	45,827.13	50,368.58
कुल	54,67,247.54	51,10,523.63

(5) उपरोक्त (2) और (3) के अनुसार वित्तपोषित आस्तियों का उधारकर्ता समूह-वार वर्गीकरण:			
वर्ग	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2021 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियाँ	-	-	-
(ख) एक ही समूह की कंपनियाँ	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	30,73,403.83	12,07,007.78	42,80,411.61
कुल	30,73,403.83	12,07,007.78	42,80,411.61
वर्ग	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2020 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियाँ	-	-	-
(ख) एक ही समूह की कंपनियाँ	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	32,81,090.27	6,00,035.25	38,81,125.52
कुल	32,81,090.27	6,00,035.25	38,81,125.52

(6) शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर-उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण			
श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2021 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियाँ	-	43,965.32	43,965.32
(ख) एक ही समूह की कंपनियाँ	-	26,632.85	26,632.85
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	-	984.98	984.98
श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2020 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियाँ	-	43,965.32	43,965.32
(ख) एक ही समूह की कंपनियाँ	-	26,632.85	26,632.85
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	-	984.98	984.98

(7) अन्य जानकारी		
विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
(i) सकल अनर्जक आस्तियां		
(क) संबंधित पार्टियां	-	-
(ख) संबंधित पार्टियों के अलावा	8,22,040.19	9,84,546.24
(ii) निवल अनर्जक आस्तियां		
(क) संबंधित पार्टियां	-	-
(ख) संबंधित पार्टियों के अलावा	3,69,803.98	5,21,329.29
(iii) ऋण की संतुष्टि में अर्जित आस्तियां		-

24. भारतीय आरक्षित निधि बैंक की अधिसूचना डीएनबीआर(पीडी) सीसी आईए-002/03-10-001/2014-15 दिनांक 10 नवंबर 2014 के अनुसार प्रकटीकरण

25.1 पूंजी (धारक कंपनी)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
टियर I पूंजी	10,91,914.54	10,63,924.51
टियर II पूंजी	39,938.00	10,788.99
कुल पूंजी #	11,31,852.54	10,74,713.49
कुल जोखिम भारित आस्तियां#	36,67,338.97	34,84,135.01
पूंजी अनुपात		
कुल जोखिम आस्तियों के प्रतिशत के रूप में टियर I पूंजी (%)	29.77	30.54
कुल जोखिम आस्तियों के प्रतिशत के रूप में टियर II पूंजी (%)	1.09	0.31
कुल पूंजी (%)	30.86	30.85
टियर-II पूंजी के रूप में जुटाए गए अधीनस्थ ऋण की राशि	-	-
चिरस्थायी ऋण लिखत जारी करके जुटाई गई राशि	-	-

25.2 निवेश

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
1	निवेश का मूल्य		
(i)	निवेशों का सकल मूल्य#	6,72,870.00	676,828.93
	(क) भारत में	6,30,629.68	634,588.60
	(ख) भारत के बाहर	42,240.32	42,240.32
(ii)	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		-
	(क) भारत में	16,551.64	17,201.01
	(ख) भारत के बाहर	-	-
(iii)	निवेशों का निवल मूल्य	6,56,318.36	659,627.91
	(क) भारत में	6,14,078.04	617,387.59
	(ख) भारत के बाहर	42,240.32	42,240.32
2	निवेशों के मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
(i)	प्रारंभिक शेष	17,201.01	16,831.15
	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	369.86
	घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधान अपलेखन/प्रतिलेखन अथवा शेष	649.37	-
	अंतिम शेष	16,551.64	17,201.01

#सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश शामिल

25.3 व्युत्पन्नियां

25.3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
1	कल्पित मूलधन का स्वैप करार	8,000.00	8,000.00
2	यदि प्रतिपक्षी करारों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे तो होने वाली हानियाँ	-	-
3	स्वैप (विनिमय) संपन्न करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित	-	-
4	स्वैप (विनिमय) से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	-	-
5	स्वैप (विनिमय) बही का उचित मूल्य	(876.74)	(1,830.89)

25.3.2 व्युत्पन्नियों में जोखिम का प्रकटीकरण:

गुणात्मक प्रकटीकरण

एनबीएफसी के लिए उस सीमा के विशेष संदर्भ में व्युत्पन्नियों से संबंधित उनकी जोखिम प्रबंधन नीतियों का उल्लेख करना आवश्यक होता है, जिनके लिए व्युत्पन्नियों का उपयोग किया गया है तथा जिसमें संबद्ध जोखिम एवं कारोबार के उद्देश्य पूरे कर लिए गए हैं। भारतीय आरक्षित निधि बैंक के दिनांक 10 नवंबर, 2014 के दिशा निर्देशों के अनुपालन में निम्न प्रकार से इनका प्रकटीकरण किया जा रहा है:

- क. आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा ऋणों की मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए व्युत्पन्नी लेन देन करता है। कंपनी ने बचाव व्यवस्था (हेजिंग) वाली नीति बनाई है जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित संसाधन एवं कोषागार नीति का हिस्सा है। कंपनी के व्युत्पन्नी लेन-देन इस नीति के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिनका उपयोग अंतर्निहित देयताओं के अनुसार बचाव व्यवस्था के लिए किया जाएगा।
- ख. आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा ऋणों पर उत्पन्न मुद्रा संबंधी जोखिमों (बाजार जोखिमों) और ब्याज दर की बचाव व्यवस्था करने/कम करने के उद्देश्य से व्युत्पन्नी लेन-देन करता है।
- ग. आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा ऋणों के विनिमय एवं ब्याज दर की बचाव व्यवस्था के उद्देश्य के लिए व्युत्पन्नी लेन-देन करता है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। व्युत्पन्नी लेन-देन शब्द निरंतर प्रभावोत्पादकता के लिए तदनुरूपी अंतर्निहित (देयताओं) के साथ मेल खाता है। समान शब्दावली की संकल्पना के माध्यम से आरंभ के समय उक्त प्रभावोत्पादकता का पता लगाया जाता है।
- घ. आईआईएफसीएल वरिष्ठ प्रबंधन और निदेश मंडल को क्रमशः मासिक और तिमाही आधार पर व्युत्पन्नी एवं उनके एमटीएम की स्थिति की रिपोर्ट देता है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल के आर एंड टी सलाहकारों के द्वारा तिमाही आधार पर एमटीएम की स्वतंत्र निगरानी की जा रही है।
- ङ. आईआईएफसीएल की बही में विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नियां शून्य हैं।
- च. आईआईएफसीएल अपनी विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के बचाव के लिए परस्पर लेन-देन की मुद्रा ब्याज दर विनिमय करता है। मात्रात्मक प्रकटीकरण में दर्शाए गए आंकड़े पृथक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सौदा मूल्य और ब्याज नकदी प्रवाह के लिए समेकित आधार पर बही में दर्ज किया जाता है।
- छ. बचाव वाले एवं बिना बचाव वाले लेन-देन के अभिलेखन, आय की पहचान, प्रीमियम व छूट, बकाया संविदाओं का मूल्यांकन, प्रावधानीकरण, संपार्श्विक एवं ऋण जोखिम न्युनीकरण के लिए लेखांकन नीति 1(क)(4) में किया जाता है।
- ज. आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रबंधन एवं निवेश कमेटी के द्वारा संसाधन एवं कोषागार नीति के अनुसार अपने कुल इक्सपोजर का 65-70% के बीच अपनी बचाव की स्थिति को रखेगा। इसके अतिरिक्त वायदा प्रीमियम की बचत के साथ खुली स्थिति का विनिमय उतार-चढ़ाव अंतर किसी भी समय पर कंपनी के निवल मूल्य के 10 प्रतिशत का उल्लंघन नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, यदि पोर्टफोलियो आधार पर, वित्तीय वर्ष में रूपए में 5 प्रतिशत या उससे अधिक की गिरावट आती है तो आईआईएफसीएल अपनी स्थिति को लगभग 75 प्रतिशत पर बनाए रखेगा।

जोखिम प्रबंधन ढांचा

- क. आईआईएफसीएल निदेशक मंडल के द्वारा विधिवत अनुमोदित समेकित जोखिम प्रबंधन संरचना के अनुसार जोखिम प्रबंधन पर काम करता है। इसके अतिरिक्त आईआईएफसीएल की संसाधन और कोष नीति को वार्षिक रूप से बोर्ड की प्रबंधन और निवेश समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह रूपरेखा नीति मार्गदर्शी मापदंड मुहैया कराती है जिसके आधार पर आईआईएफसीएल अपने उन मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करने से संबंधित निर्णय लेता है जो विदेशी मुद्रा ऋण के कारण जोखिमपूर्ण होते हैं।
- ख. इसके साथ ही आईआईएफसीएल ने बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति एवं बोर्ड स्तरीय आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एलको समिति) गठित की है जो कारोबारी प्रचालन के जोखिमों के प्रबंधन को मजबूती प्रदान करती है। एलको नकदी एवं ब्याज दर जोखिम की निगरानी करता है जिसमें आस्तियों की प्राप्ति एवं कर्ज सेवा उत्तरदायित्व की दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक नकदी प्रोफाइल शामिल हैं। क्रास करेंसी (मुद्रा) विनिमय तथा मुद्रा विनिमय की बचाव देयताओं सहित व्युत्पन्नी लेनदेन भी शामिल हैं। ये व्युत्पन्नी लेन-देन बचाव उद्देश्य से किए जाते हैं न कि व्यापारिक या प्रत्याशी उद्देश्य से किए जाते हैं।

अंतर्निहित जोखिमों के प्रकार

- ऋण जोखिम – ऋण जोखिम के अंतर्गत एक उधारकर्ता के ऋण की राशि में कमी के कारण पैदा होने वाली हानियों के साथ-साथ यह जोखिम भी होते हैं जिसमें एक उधारकर्ता ऋण या एक अग्रिम के संविदात्मक चुकौती में चूककर्ता हो सकता है। आईआईएफसीएल में अवसंरचना ऋण में ऋण जोखिम का प्रबंधन करने के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन रूपरेखा मौजूद है।
- बाजार जोखिम – बाजार जोखिम वे जोखिम हैं जो लिखतों या लिखतों की पोर्टफोलियों के बाजार मूल्य में आई विपरीत परिस्थितियों के कारण हानि उठाते हैं। बाजार जोखिम में मुद्रा जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम शामिल हैं। मुद्रा जोखिम तब पैदा होता है जब रुपये एवं विदेशी मुद्रा की विनिमय दरों में परिवर्तन/ उतार-चढ़ाव आता है। ब्याज दर जोखिम मुख्यतः लंबी अवधि के दौरान ब्याज दरों में बदलाव के कारण होता है। आईआईएफसीएल अपनी कारोबारी गतिविधि भाग के रूप में बाजार जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों का सामना करती है।
- चलनिधि जोखिम – चलनिधि जोखिम वित्तपोषण की मांग को पूरा करने एवं लेन-देन के तर्क संगत मूल्य पर उधार निधियों क्रियान्वयन में संस्थान की विफलता के कारण होने वाली हानि का जोखिम है। ये बाजार चलनिधि जोखिम या वित्तपोषण चलनिधि जोखिम हो सकते हैं। आईआईएफसीएल चलनिधि जोखिम से निपटने के लिए पर्याप्त नकदी एवं विपणनीय प्रतिभूतियों को प्रबंधित कर के और संयुक्त ऋण व्यवस्था की एक पर्याप्त राशि के माध्यम से निधि हेतु पहुंच बनाने के द्वारा जोखिम से निपटता है।
- प्रचालनात्मक जोखिम – प्रचालनात्मक जोखिम वह जोखिम है जो अपर्याप्त प्रणाली एवं नियंत्रण, सूचना प्रणाली की कमी, मानव गलतियों अथवा प्रबंधन की असफलता के परिणामस्वरूप उभरता है। आईआईएफसीएल की प्रचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति प्रचालनात्मक जोखिमों को प्रबंधित करने का प्रयास करती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
(i)	व्युत्पन्नियां (कल्पित मूल राशि)	9,00,794.88	9,00,794.88	8,10,023.15	8,10,023.15
	बचाव के लिए	9,00,794.88	9,00,794.88	8,10,023.15	8,10,023.15
(ii)	बाजार से बाजार स्थितियां (1)	60,487.04	60,487.04	1,22,778.08	1,22,778.08
	क. आस्ति (+)	63,041.57	63,041.57	1,24,421.35	1,24,421.35
	ख. देयताएं (-)	(2,554.53)	(2,554.53)	(1,643.27)	(1,643.27)
(iii)	ऋण एक्सपोजर	-	-	-	-
(iv)	बिना बचाव वाले एक्सपोजर	5,61,703.52	5,61,703.52	5,24,965.72	5,24,965.72

25.4 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

आस्ति पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	खातों की संख्या	-	-
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का समस्त मूल्य (निवल प्रावधानों का)	-	-
(iii)	समस्त प्रतिफल	-	-
(iv)	पूर्व के वर्षों में स्थानांतरित खातों के परिप्रेक्ष्य में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल (लाभ)/हानि	-	-

25.5 बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	बेचे गए खातों की संख्या	-	-
(ii)	कुल बकाया	-	-
(iii)	कुल प्राप्त प्रतिफल	-	-

25.6 आस्ति देयता प्रबंधन

31 मार्च, 2021 के अनुसार आस्ति एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान:

(₹ लाख में)

विवरण	1 माह तक	1 माह से अधिक व 2 माह तक	2 माह से अधिक व 3 माह तक	3 माह से अधिक व 6 माह तक	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
देयताएं									
बैंक से उधार	5,77,550.63	-	-	95,556.11	2,15,368.77	3,73,403.88	3,91,045.00	2,94,018.80	19,46,943.19
बाजार से उधार	-	-	-	-	-	4,09,660.74	3,00,791.10	11,38,545.40	18,48,997.24
आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय गतिविधियों के तहत प्राप्य	26,725.27	21,542.02	1,70,618.47	2,12,930.77	4,06,037.28	15,95,709.12	11,87,497.61	27,99,362.50	64,20,423.02
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	5,29,760.00	5,29,760.00
विदेशी मुद्रा आस्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देयताएं	3,520.92	-	22,421.89	7,597.69	34,094.28	1,73,176.35	1,91,428.70	11,11,275.49	15,43,515.33

31 मार्च, 2021 के अनुसार आस्ति एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान:

(₹ लाख में)

विवरण	1 माह तक	1 माह से अधिक व 2 माह तक	2 माह से अधिक व 3 माह तक	3 माह से अधिक व 6 माह तक	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
देयताएं									
बैंक से उधार	300,358.40	-	-	-	-	527,701.30	575,194.42	301,543.60	1,704,797.72
बाजार से उधार	-	-	-	-	-	5,388.11	709,660.74	1,139,336.50	1,854,385.35

आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय गतिविधियों के तहत प्राप्य	12,841.01	10,897.23	92,991.03	150,413.70	293,906.52	1,491,431.14	1,110,686.09	5,476,712.04	8,639,878.75
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	529,760.00	529,760.00
विदेशी मुद्रा आस्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देयताएं	7,235.78	3,586.86	-	24,477.53	33,296.13	146,028.51	171,298.49	1,107,095.05	1,493,018.35

25.7 एक्सपोजर

25.7.1 भू-संपदा क्षेत्र में एक्सपोजर

यथा 31 मार्च, 2021 को कंपनी का भू-संपदा क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एक्सपोजर नहीं है (पिछले वर्ष में भी शून्य है)।

25.7.2 पूंजी बाजार एक्सपोजर:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बंधपत्रों, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि इकाईयों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी मूल निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेशित न हो;	-	-
(ii)	शेयर/बॉण्ड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों पर शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), संपरिवर्तनीय बॉण्ड, संपरिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि में निवेश हेतु वैयक्तिक को निर्बंध आधार पर अग्रिम;	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य हेतु अग्रिम जहां शेयर या संपरिवर्तनीय बंधपत्रों या संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि की इकाई प्राथमिक प्रतिभूति के तौर पर ली गई हो;	-	-
(iv)	शेयर या संपरिवर्तनीय बंधपत्र या संपरिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि के संपात्तिक प्रतिभूति के द्वारा प्रतिभूतिकृत सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य हेतु अग्रिम अर्थात् जहां शेयर/परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति पूरी तरह अग्रिम को कवर नहीं करता हो;	-	-
(v)	स्टॉकब्रॉकर और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी स्टॉकब्रॉकर और गारंटी को प्रतिभूतिकृत और अप्रतिभूतिकृत अग्रिम;	-	-
(vi)	संसाधनों को बढ़ाने की उम्मीद में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने हेतु शेयरों/बंधपत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर कॉर्पोरेट को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/ईश्यू पर कंपनियों को पूरक ऋण;	-	-
(viii)	उद्यम पूंजी निधियों में सभी निवेश (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों)	1,644.48	1,674.87

25.8 अतिरिक्त प्रकटीकरण: प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ लाख में)

क्र.सं.	लाभ-हानि विवरण में दर्शाए गए प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग-अलग विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	एनपीए के प्रति प्रावधान	4,52,236.20	4,63,216.96
(ii)	आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	3,023.95	(36,225.45)
(iii)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (पुनर्चित खातों एवं एसडीआर खातों सहित)	1,05,526.99	1,32,268.05

25.9 अग्रिम, एक्सपोजर एवं एन.पी.ए का संकेंद्रण:

(i) अग्रिमों का संकेंद्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	25,70,482.59	2,067,593.47
एनबीएफसी के कुल अग्रिमों के प्रति बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	53.50%	46.19%

(ii) एक्सपोजर का संकेंद्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल एक्सपोजर	25,70,482.59	2,067,593.47
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों पर एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर के प्रति बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	53.50%	46.19%

(iii) एन.पी.क. का संकेंद्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	2,62,573.53	2,68,190.88

(iv) क्षेत्रवार एनपीए

क्र.सं.	क्षेत्र	संबंधित क्षेत्र में कुल अग्रिम में से सकल एनपीए का प्रतिशत	
		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
1	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	-	-
2	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-
3	कार्पोरेट उधारकर्ता	17.00%	22.00 %
4	सेवाए	-	-
5	अप्रतिभूतकृत व्यक्तिगत ऋण	-	-
6	आटो (वाहन) ऋण	-	-
7	अन्य व्यक्तिगत ऋण	-	-

v) एनपीए में उतार-चढ़ाव:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)	7.65%	11.65%
(ii)	एनपीए में उतार-चढ़ाव (सकल)		
	(क) प्रारंभिक शेष	9,84,546.24	10,96,161.02
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	46,938.01	178,830.93

	(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां/बट्टे खाते में डालना	2,09,444.07	290,445.71
	(घ)	अधिशेष	8,22,040.19	984,546.24
(iii)	निवल एनपीए में उतार-चढ़ाव			
	(क)	प्रारंभिक शेष	5,21,329.28	5,80,670.29
	(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,363.21	12,303.22
	(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	1,52,888.32	71,644.23
	(घ)	अधिशेष	3,69,804.18	521,329.29
(iv)	एनपीए के प्रावधानों में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के प्रावधान को छोड़कर)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	4,63,216.96	5,15,490.73
	(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	45,574.80	166,527.70
	(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/प्रतिलेखन करना	56,555.75	218,801.48
	(घ)	अधिशेष	4,52,236.01	463,216.96

* भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एएस) के अनुसार पुनर्वर्णित

25.10 ग्राहकों की शिकायतें

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	828	547
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	828	547
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0

25.11 अतिरिक्त प्रकटीकरण (विगोपन)

क्र.सं.	प्रकटीकरण (विगोपन)	टिप्पणी
(i)	अन्य वित्तीय नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार पत्र	कार्पोरेट मामले मंत्रालय से प्राप्त पहचान सं. U67190DL2006GOI144520
(ii)	वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट रेटिंग एवं रेटिंगों का स्थानांतरण	कंपनी के द्वारा जारी घरेलू बांडों के लिए विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट एएए स्टेबल है। वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एसएंडपी बीबीबी- है। चालू वर्ष 2018-19 के दौरान रेटिंग में कोई स्थानांतरण नहीं हुआ।
(iii)	किसी नियामक के द्वारा लगाया गया जुर्माना, यदि कोई हो	शून्य
(iv)	सूचना अर्थात क्षेत्र, देश और साझेदार संयुक्त उद्यम	
	संयुक्त उद्यम	कोई नहीं
	विदेशी सहायक कंपनियां	आईआईएफसी(यूके) लिमिटेड, जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है जो लंदन, यूनाइटेड किंगडम से प्रचालन करती है और भारत में अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त पोषण करती है।

25.12 पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (विगोपन)

क्र. सं.	पुनर्गठन का प्रकार	सीडीआर तंत्र के तहत	एसएमई कर्ज पुनर्गठन तंत्र के तहत	कुल (₹ लाख में)						कुल (₹ लाख में)									
				मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल						
विवरण																			
1	यथा 01.04.2020 पर पुनर्गठित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	-	2	2	19	-	23	2	2	19	0	23	2	2	19	0	23	
		बकाया राशि	-	9,847.05	53,391.57	1,35,086.34		1,98,324.96	9,847.05	53,391.57	1,35,086.34		1,98,324.96	9,847.05	53,391.57	1,35,086.34		1,98,324.96	
		उस पर प्राक्धान	-	492.35	5,339.16	63,213.85		69,045.36	492.35	5,339.16	63,213.85		69,045.36	492.35	5,339.16	63,213.85		69,045.36	
2	वित्त वर्ष 2020 के दौरान नया पुनर्गठन	उधारकर्ताओं की संख्या		3		0		3	3		0		3	3		0		3	
		बकाया राशि		40,037.12			0.00		40,037.12	40,037.12		0.00		40,037.12	40,037.12		0.00		40,037.12
		उस पर प्राक्धान		4,731.48			4,693.15		9,424.63	4,731.48		4,693.15		9,424.63	4,731.48		4,693.15		9,424.63
3	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी का उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या			1			1	1				1	1				1	
		बकाया राशि			39,800.00				39,800.00		39,800.00			39,800.00		39,800.00			39,800.00
		उस पर प्राक्धान			2,620.85				2,620.85		2,620.85			2,620.85		2,620.85			2,620.85
4	पुनर्गठित मानक अग्रिम जिन्होंने वित्त वर्ष के समापन पर उच्चतर प्रावधानीकरण और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भार उल्लिखित करना बंद कर दिया है और इसीलिये अगले वित्त वर्ष 2020-21 के शुरू में पुनर्गठित मानक अग्रिम के तौर पर दिखाये जाने अनिवार्य नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या																	
		बकाया राशि																	
		उस पर प्राक्धान																	
5	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्गठित खातों का नीचे की ओर उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या		1				1	1				1	1				1	
		बकाया राशि		3,915.05					3,915.05	3,915.05				3,915.05	3,915.05			3,915.05	
		उस पर प्राक्धान		195.75					195.75	195.75				195.75	195.75			195.75	
6	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते डालना/पूर्वलेखन	उधारकर्ताओं की संख्या				3		3					3			3		3	
		बकाया राशि				44,748.23		44,748.23		44,748.23			44,748.23		44,748.23			44,748.23	
		उस पर प्राक्धान				0.00		0.00		0.00			0.00		0.00			0.00	
7	यथा 31.03.2021 को पुनर्गठित खाते (अंतिम आकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या		4	1	16		21	4	1	16		21	4	1	16		21	
		बकाया राशि		45,969.12	13,591.57	90,338.11		1,49,898.80	45,969.12	13,591.57	90,338.11		1,49,898.80	45,969.12	13,591.57	90,338.11		1,49,898.80	
		उस पर प्राक्धान		5,028.08	2,718.31	67,907.00		75,653.39	5,028.08	2,718.31	67,907.00		75,653.39	5,028.08	2,718.31	67,907.00		75,653.39	

25.13 विदेश में स्थित आस्तियां (विदेशों में संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों के लिए)

संयुक्त उद्यम/ सहायक कंपनी के नाम	संयुक्त उद्यम में अन्य साझेदार	देश	कुल आस्तियां (राशि यूएस(+)) डालर में
आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	कोई नहीं	यूनाइटेड किंगडम	शून्य। आईआईएफसीएल के पास आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड की कोई विदेशी आस्ति नहीं है।

25. पूंजी प्रबंधन:

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति हेतु भारतीय मानक लेखांकन 1 के पैरा 134-136 की आवश्यकता के अनुसार पूंजी प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में प्रकटीकरण के संदर्भ में यह उल्लिखित है कि आईआईएफसीएल एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी- अवसंरचना वित्त कंपनी है, अतः आईआईएफसीएल को भा.रि.बैंक के विनियमों के अनुसार स्वाधिकृत निधियों के रूप में संदर्भित पूंजी अनुरक्षित करना आवश्यक है।

भारतीय आरक्षित निधि बैंक के मास्टर निर्देश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनी तथा जमा लेने वाली कंपनी (आरक्षित निधि बैंक) निर्देश 2016 के अनुसार स्वाधिकृत निधि का तात्पर्य चुकता इक्विटी पूंजी, अधिमानी शेयर से है जोकि इक्विटी, मुक्त आरक्षित निधि, शेयर प्रीमियम खाते एवं पूंजीगत आरक्षित निधि अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय होती है जिसे संचित हानि शेष, अमूर्त आस्तियों के बही मूल्य एवं आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, द्वारा आई गिरावट में आस्ति के पुनर्मूल्यांकन से सृजित आरक्षित निधि को छोड़कर आस्ति की बिक्री का आय के अधिशेष में दर्शाया जाता है।

भारत सरकार समय समय पर आईआईएफसीएल में पूंजी डालती रहती है। यह आईआईएफसीएल को भा.रि. बैंक के द्वारा निर्धारित पूंजीगत अपेक्षाओं का अनुपालन करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल लाभांश के वितरण को पूंजी अर्थात भारत सरकार की निर्देशों के अधीन निवल स्वाधिकृत निधि खाते में प्रभाव के रूप में देखता है। कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के संबंध में उद्देश्यों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

26. वित्त मंत्रालय के निवेश एवं जन आस्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) के कार्यालय ज्ञापन एफ सं. -नीति - दिनांकित 27 मई 2016 में "केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पूंजी पुनर्रचना पर दिशानिर्देश" जारी किए गए थे। यह दिशा-निर्देश लाभांश के भुगतान, बोनस शेयरों के निर्गम, शेयरों की खरीद वापसी तथा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों के विखंडन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। बोनस शेयरों के निर्गम, शेयरों की खरीद वापसी के ये दिशा-निर्देश आईआईएफसीएल पर लागू नहीं होते हैं। दिशा निर्देश के अनुसार आईआईएफसीएल को अपने करोपरान्त लाभ का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का 30 प्रतिशत या अपनी निवल संपदा का 5 प्रतिशत इसमें विद्यमान कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन जो भी अधिक हो, का भुगतान करना आवश्यक था। हालांकि, आईआईएफसीएल ने 21 सितंबर, 2016 को भारत सरकार से लाभांश के भुगतान के लिए कम से कम 3 साल की छूट का अनुरोध किया जो कि वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 36,323.41 लाख रु., वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 37,119.74 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2017-18 31,995.93 लाख रु. और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 23,442.79 लाख रु. और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 51,528.90 लाख रु. था। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसी ने 19 सितंबर, 2019 के पत्र के माध्यम से सरकार से कम से कम वित्त वर्ष 2021-22 तक की लाभांश के भुगतान से छूट का अनुरोध किया था। वित्त वर्ष 2020-21 हेतु लाभांश भुगतान की राशि 53,272.35 लाख रु. है। आईआईएफसीएल के पत्र का जवाब प्रतीक्षित है।

27. आईआईएफसीएल ने पी एफ सी (शीर्ष ऋणदाता) और आर ई सी के सहयोग से इंड बराथ पावर (मद्रास) लिमिटेड (आईबीपीएमएल) को तूतीकोरन, तमिलनाडु स्थित कोयला आधारित 1 x 660 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना के लिए आंशिक वित्तपोषण प्रदान किया। आईआईएफसीएल ने 250 करोड़ रुपये का आरटीएल स्वीकृत किया तथा एक्सिस बैंक में चल रहे टीआरए खाते में 89.24 करोड़ रुपये संवितरित किए। उधारकर्ता ने टीआरए की निधि का दूसरे काम में उपयोग किया। सहायता संघ ने ऋण की राशि संवितरित करने का निर्णय पलट दिया और दिनांक 08 फरवरी, 2018 को आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस में आपराधिक शिकायत दर्ज की जिसकी जांच अभी चल रही है। दिनांक 22 मार्च, 2018 को धारित बैठक में खातों में चल रहे घटनाक्रम के बारे में आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल को सूचित किया गया और दिनांक 28 मार्च, 2018 को भारतीय आरक्षित निधि बैंक को धोखाधड़ी की घटना के बारे में सूचना दी गई।

28. नीति सं. 1(क)(5.2(क)(क)) के अनुसरण में ऋण आस्तियों पर कुल आय का 0.5 प्रतिशत से अनधिक सीधे लगाए जाने वाले अग्रिम शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क अथवा कोई अन्य शुल्क लाभ और हानि विवरण में प्रारंभिक तौर पर प्रोद्भूत आधार पर माने जाते हैं।

29. भारत सरकार ने दिनांक 09 फरवरी, 2012 के अपने पत्र द्वारा आईआईएफसीएल को सूचित किया था कि यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआईसीडीसी) की 41 प्रतिशत इक्विटी आईआईएफसीएल द्वारा अधिग्रहित की जाएगी। ऐसा कुछ होते हुए भी आईआईएफसीएल को सिपटी यानि अर्धक्षम अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना जिसके तहत आईआईएफसीएल अपने क्रियाकलाप संचालित करता है, के अनुसार इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करने का आदेश नहीं दिया गया।

30. आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत नहीं हैं और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण अनुसूची III के अनुभाग II के अनुसार समेकन हेतु तैयार किए गए हैं जबकि आईआईएफसीएल एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है इसलिए अनुसूची III के अनुभाग II के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।
31. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैंग) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत आईआईएफसीएल के खातों की अनुपूरक लेखा परीक्षा करते हैं। कैंग कार्यालय ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आईआईएफसीएल के पूरक लेखा परीक्षा को पूरा करने के बाद 5 जनवरी 2021 को एक पत्र जारी किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को सूचित किया गया है:
- क. "नकदी प्रवाह विवरण त्रुटिपूर्ण है जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:
- सरकारी प्रतिभूतियों में 5297.60 करोड़ रुपये का निवेश निवेश गतिविधियों के बजाय परिचालन गतिविधियों के तहत दिखाया गया है जो कि इंड एस 7 के उल्लंघन में है।
 - इसी प्रकार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री से 97.87 करोड़ रुपये की प्राप्ति को निवेश गतिविधियों के बजाय परिचालन गतिविधियों के तहत दिखाया गया है।
 - इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड, (आईआईएफसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) में 188.45 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश निवेश गतिविधियों के बजाय परिचालन गतिविधियों के तहत दिखाया गया है।"
 - आईआईएफसीएल ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से नकदी प्रवाह विवरण में सरकारी प्रतिभूतियों के निवेश/मोचन और इक्विटी निवेश के वर्गीकरण के संबंध में राय देने का अनुरोध किया है। आईसीएआई का उत्तर प्रतीक्षारत है।
- ख. वेस्ट हरियाणा हाइवे प्रा. लिमिटेड को (100.21 करोड़ रुपये) और पोचमल्ली हैंडलूम पार्क लिमिटेड को (1.36 करोड़ रुपये) मिलाकर 101.57 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया, जिसे क्रमशः मार्च 2015 और अप्रैल 2014 में गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया था, को कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 5.3 (घ) के मद्देनजर अमान्य कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन 75.84 करोड़ रुपये (वेस्ट हरियाणा हाइवे प्राइवेट लिमिटेड के लिए 75.16 करोड़ रुपये और पोचमल्ली हैंडलूम पार्क लिमिटेड के लिए 0.68 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है जो लेखा नीति के अनुपालन में नहीं है। इसकी समीक्षा करने की जरूरत है।
- आईआईएफसीएल ने उपरोक्त मामलों में 75 प्रतिशत हानि/प्रावधान किया है। बड़े खाते में डालने पर लाभ और हानि के विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
32. कोविड-19 वैश्विक महामारी ने आर्थिक दृष्टि से व्यापक व्यवधान पैदा किए हैं जिसने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण इकाइयों को कम क्षमता के साथ कामकाज करने एवं अस्थायी रूप से बंद होने की स्थिति तक पहुंचा दिया। उद्योगों एवं ऋणदाताओं की चिंताओं पर ध्यान देते हुए भारतीय आरक्षित निधि बैंक ने 27 मार्च, 2020 के अपने परिपत्र के माध्यम से कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों के कारण कर्ज शोधन के बोझ को कम करने के उद्देश्य से कुछ नियामक उपायों की घोषणा की।
- अर्थक्षम कारोबारी निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित विवरण/तौर तरीकों के साथ सावधि ऋण के भुगतान को पुनर्निर्धारण किया गया:
- (i) मूलधन एवं/अथवा ब्याज घटकों; (ii) 1 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 के बीच पड़ने वाले एकबारगी चुकौती के भुगतान पर तीन माह का ऋणस्थगन की अनुमति दी गई।
 - ऐसे ऋणों के चुकौती की समयावधि के अलावा अवशिष्ट अवधि को ऋणस्थगन अवधि के उपरांत अगले तीन माह के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। ऋण स्थगन अवधि के दौरान सावधि ऋणों के बकाया हिस्से पर ब्याज लगना जारी रहेगा।
 - यह सुविधा उन खातों के लिए है जो 01.03.2020 के अनुसार मानक हैं। आगे राहत का अनुरोध प्राप्त होने पर आगे ऋणस्थगन की समीक्षा की जाएगी। सावधि ऋणों के लिए जहां ऋण चुकाना प्रारंभ नहीं हुआ है ऐसे ऋणों के तीन माह के ब्याज के हिस्से की गणना की जाएगी।
 - इस अवधि में कोई दंडस्वरूप ब्याज व शुल्क नहीं लिया जाएगा।
 - ऋणस्थगन के दौरान ब्याज की राशि तीन माह की अवधि के लिए अर्जित की जाएगी और इस तरह अर्जित ब्याज के भुगतान का निर्णय अग्रणी बैंक के निर्णय पर मामला दर मामला आधार पर लिया जाएगा। चूंकि आईआईएफसीएल सहायता संघ व्यवस्था (पुनर्वित्त खातों को छोड़कर) के अंतर्गत ही ऋण प्रदान करता है व अग्रणी बैंक का अनुसरण करता है अतः उपरोक्त राहत अग्रणी ऋणदाता के अनुमोदन के अनुरूप होगी। ऐसे खातों के संबंध में जहां आईआईएफसीएल अग्रणी ऋणदाता है उनमें भारतीय आरक्षित निधि बैंक के प्रावधानों के अनुपालन में सहायता संघ के अन्य ऋणदाताओं के साथ परामर्श करके लागू राहत प्रदान की जाएगी।
 - एकमात्र ऋणदाता होने की स्थिति में आईआईएफसीएल अपनी पुनर्वित्त योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऐसे खातों में अवशिष्ट अवधि के लिए चुकौती ऋणस्थगन अवधि के उपरांत तीन माह आगे बढ़ा दी जाएगी जहां ब्याज दर यथावत रहेगी एवं संचित ब्याज का ऋणस्थगन के बाद आगे की देय तिथि को भुगतान करना होगा।
 - भारतीय आरक्षित निधि बैंक के उपरोक्त परिपत्र के अनुसार चूंकि ऋणस्थगन/आस्थगन उधारकर्ताओं को कोविड-19 के कारण आई आर्थिक गिरवाट पर काबू पाने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से प्रदान किया जा रहा है अतः इसे भारतीय आरक्षित निधि बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकसम्मत रूपरेखा) निदेश, 2019 दिनांक 7

जून, 2019 ("विवेकसम्मत रूपरेखा") के परिशिष्ट के अनुच्छेद 2 के तहत उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई के कारण ऋण करार की नियम एवं शर्तों में छूट अथवा परिवर्तन के तौर पर नहीं समझा जाएगा। इस प्रकार ऐसे उपाय के कारण आस्ति वर्गीकरण में गिरावट नहीं आएगी। सावधि ऋणों का आस्ति वर्गीकरण जिन्हें भारतीय आरक्षित निधि बैंक के उपरोक्त परिपत्र के अनुच्छेद 2 के अनुसार राहत प्रदान की गई है, संशोधित देय तिथि एवं संशोधित चुकौती समावधि के आधार पर किया जाएगा।

33. कोविड-19 नियामक पैकेज दिनांक 27 मार्च 2020 और 17 अप्रैल 2020 से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, भारि.बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी को सभी अवधि की ऐसे ऋणों की किस्तों के भुगतान पर 3 महीने की ऋणस्थगन देने की अनुमति दी जो 29 फरवरी 2020 तक मानक आस्ति थे। इसका उद्देश्य उधारकर्ताओं की कठिनाई को कम करने में मदद करना था जो कि राष्ट्रीय लॉकडाउन लगने के कारण आया था। 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच आने वाले मूलधन/या ब्याज घटकों आदि सहित सभी किस्तों के भुगतान पर शुरू में तीन महीने के लिए अधिस्थगन प्रदान किया गया था। 22 मई 2020 को, भारि.बैंक ने इस ऋणस्थगन अवधि को 3 महीने यानी 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया। अधिस्थगन अवधि के दौरान ऋण के बकाया हिस्से पर ब्याज अर्जित होता रहा। उन सभी खातों के लिए जहां ऋणस्थगन प्रदान किया गया था, ऋणस्थगन अवधि के दौरान खातों की उम्र यथावत रही। उधारदाताओं को अपने ग्राहकों को ऋणस्थगन प्रदान करने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को लागू करना आवश्यक था। ऋणदाताओं ने ऋणस्थगन की पेशकश में या तो 'ऑफ-इन' या 'ऑफ-आउट' संरचना की पेशकश करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए हैं।
- आईआईएफसीएल ने भारि.बैंक परिपत्रों के अनुसार मार्च 2020 से अगस्त 2020 की अवधि हेतु प्रदान किए गए सावधि ऋणों पात्र मामलों में ब्याज और मूलधन के भुगतान हेतु ऋणस्थगन को बढ़ा दिया। ऐसे मामलों में सृजित सुविधा की चुकौती को मूल सावधि ऋण की चुकौती अवधि के भीतर निर्दिष्ट कर दिया गया। 30 सितंबर, 2020 को समाप्त छमाही के दौरान, आईआईएफसीएल ने निदेश सं. डीसीबी.बीपीडी (पीसीबी) एमसी सं. 12/09.14.000/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के अनुसार ऋणस्थगन ऋण मामलों में आस्थगित ब्याज आय को पुनर्चित किए बिना उन्हें स्वीकृत किया। आईआईएफसीएल ने 12 नवंबर 2020 के पत्र के माध्यम से भारि.बैंक से यह मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया कि आईआईएफसीएल द्वारा ब्याज आय की मान्यता नियामक अनुरूपता के अनुरूप है। इस संबंध में भारि.बैंक का उत्तर प्रतीक्षारत है। नतीजतन, 31 मार्च 2021 को, आईआईएफसीएल ने बाद में वसूली तक ऋणस्थगन अवधि ऋण पर ऋणस्थगन अवधि के लिए 45,914.50 लाख रुपये की अप्राप्त ब्याज आय की मान्यता को रूढ़िवादी रूप से आस्थगित कर दिया है।
34. 17 अप्रैल 2020 के भारतीय आरक्षित निधि बैंक के परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 के अनुसार, आवश्यक प्रकटीकरण निम्नानुसार है:
- एसएमए/अतिदेय श्रेणियों में राशि, जहां ऋणस्थगन/आस्थगन को बढ़ाया गया था, वह 6,63,930.60 लाख रुपये है।
 - संबंधित राशि जहां आस्ति वर्गीकरण लाभ दिया जाता है वह शून्य है।
 - मानक लेकिन चूक खाते जहां ऋणस्थगन प्रदान किए गए हैं, और आस्ति वर्गीकरण लाभ प्रदान किया गया है, आईआईएफसीएल ने ऐसे खातों के कुल बकाया के कम से कम 10 प्रतिशत के सामान्य प्रावधान किए हैं। वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही से वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान क्रमशः शून्य रुपये और शून्य रुपये हैं।
 - गिरावट और शेष प्रावधानों पर संबंधित लेखा अवधि के दौरान समायोजित प्रावधान शून्य है।
35. "कोविड 19 विनियामकीय पैकेज की समाप्ति के बाद आस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण" पर आरबीआई परिपत्र दिनांक 07.04.2021 के निर्देशों के अनुसार, बैंक को उन सभी उधारकर्ताओं सहित सभी उधारकर्ताओं से वसूल किए गए 'ब्याज पर ब्याज' को प्रतिदान/समायोजित करना होगा, जिन्होंने अधिस्थगन अवधि अर्थात् 01.03.2020 से 31.08.2020 के दौरान कार्यशील पूंजी सुविधाओं का लाभ उठाया था, भले ही ऋणस्थगन का पूर्ण या आंशिक रूप से लाभ उठाया गया हो या नहीं उठाया गया हो। इन निर्देशों के अनुसरण में, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा अन्य उद्योग सहभागियों/निकायों के परामर्श से, विभिन्न सुविधाओं के लिए प्रतिदान/समायोजित की जाने वाली राशि की गणना के लिए पद्धति को अंतिम रूप दिया गया है, जिसे सभी ऋणदाता संस्थानों द्वारा अपनाया जाएगा। तदनुसार, आईबीए ने अपने पत्र दिनांक 19.04.2021 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रतिदान/समायोजन के लिए अंतिम रूप दी गई कार्यप्रणाली को सूचित किया है। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान 2,500 लाख रुपये की ब्याज आय पर ब्याज की अनुमानित राशि को मान्यता नहीं दी है।
36. दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकसम्मत ढांचा पर दिनांक 07.6.2019 के भारि.बैंक के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी. 45/21.04.048/2018-19 के अनुसार, आईआईएफसीएल ने नीचे दर्शाए गए 2 खातों में 10,751.52 लाख रु. का अतिरिक्त प्रावधान रखा है।

उधारकर्ता का प्रकार	(क) उन खातों की संख्या जहां भारतीय आरक्षित निधि बैंक के परिपत्र संख्या डीओआर.सं.बीपी. बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त 2020 के अनुसार समाधान योजना लागू की गई है।	(ख) योजना के कार्यान्वयन से पहले (क) में उल्लिखित खातों में एक्सपोजर	(ग) ऋण की कुल राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया	(घ) योजना के प्रारंभ और कार्यान्वयन के बीच शामिल अतिरिक्त स्वीकृत वित्तीय सहायता, यदि कोई हो	(ङ) समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण प्रावधानों में वृद्धि
अन्य	2	32,919.56 लाख रु.	शून्य	शून्य	10,751.52 लाख रु.

37. कर व्ययों और भारत की कर दरों द्वारा बहुगणित लेखांकन लाभ का मिलान (भारतीय लेखांकन मानक 12):

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
कर पूर्व लाभ	35,525.48	(26,771.50)
सांविधिक आय कर दर	25.168%	25.168%
संभावित आयकर व्यय	8,941.05	(6,737.85)
आयकर समायोजन का कर प्रभाव:		
आयकर अधिनियम की धारा 36(1) के तहत कटौती का लाभ	-	-
अस्वीकृत निवल प्रावधान	(11,283.98)	6,390.36
आयकर की गैर-स्वीकार्यता	21,925.02	760.49
गत वर्ष का आयकर	128.53	(2,066.18)
अन्य	(10,677.49)	413.00
आस्थगित कर	(12,057.78)	(34,248.71)
कर व्यय	3,023.95	(36,225.45)

नोट: कर देयता की गणना 8,145.59 लाख रुपये के अग्रेनीत नुकसान और अनवशोषित मूल्यह्रास के समायोजन के बाद की गई है।

38. परिशोधित लागत/उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियों एवं देयताओं का उचित मूल्य मापांकन अनुक्रम:

1.1 उचित मूल्य अनुक्रम

स्तर 1 – समरूप आस्तियों एवं देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2 – स्तर 1 में समाहित उद्धृत मूल्य के अलावा इनपुट(निविष्टि) जो कि आस्ति एवं देयताओं के लिए पालनीय है फिर चाहे वे प्रत्यक्ष (जैसे कि कीमतें) अथवा अप्रत्यक्ष (जैसे कि मूल्यों से व्युत्पन्न) हों।

स्तर 3 – आस्ति एवं देयताओं के लिए जोकि अवलोकनीय बाजारी डाटा पर आधारित है (गैर अवलोकनीय इनपुट)

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2021		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 13
वित्तीय आस्ति:			
परिशोधित लागत	-	-	68,14,879.49
एफवीटीपीएल	-	72,459.98	71,496.83
वित्तीय देयता:			
परिशोधित लागत	18,48,997.24	-	35,63,629.11

विवरण	31.03.2020		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 13
वित्तीय आस्ति:			
परिशोधित लागत	-	-	64,37,204.44
एफवीटीपीएल	-	76,388.71	1,33,863.19
वित्तीय देयता:			
परिशोधित लागत	18,54,385.35	-	32,79,333.75

1.2 वित्तीय आस्तियों एवं देयताओं का उचित मूल्य, जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2021		31.03.2020	
	वहनीय मूल्य	उचित मूल्य	वहनीय मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय आस्तियां	69,58,836.30	69,58,836.30	6,437,204.44	6,437,204.44
वित्तीय देयताएं	54,12,626.35	54,12,626.35	5,133,719.10	5,133,719.10

39. चरणवार एक्सपोजर और क्षति हानि का ब्यौरा

(₹ लाख में)

विवरण	चरण 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
31 मार्च, 2021 को				
कुल एक्सपोजर	37,00,810.19	2,73,901.73	8,54,588.07	48,29,299.99
क्षति भत्ता	40,745.48	58,271.93	4,58,745.78	5,57,763.19
ईसीएल:	1.10%	21.27%	53.68%	11.55%
31 मार्च, 2021 को				
कुल एक्सपोजर	3,045,733.91	409,806.94	1,017,927.12	4,473,467.98
क्षति भत्ता	32,118.78	96,811.19	466,555.04	595,485.01
ईसीएल:	1.05%	23.62%	45.83%	13.31%

40. आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधानों के मिलान एवं चरण वार संभावित ऋण हानि का प्रकटीकरण: (₹ लाख में)

भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार सकल धारणीय राशि	भारतीय लेखांकन मानक 109 में अपेक्षित हानि भत्ता (प्रावधान)	निवल धारणीय राशि	आईआरसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भारतीय लेखांकन मानक 109 के प्रावधानों एवं आईआरसीपी मानदंडों के बीच अंतर
-1	-2	-3	-4	(5)=(3)-(-4)	-6	(7) = (4)-(6)
अर्जक आस्तियां						
मानक	चरण 1	37,00,810.19	40,745.48	36,60,064.71	14,803.24	25,942.24
	चरण 2	2,73,901.73	58,271.93	2,15,629.80	1,095.61	57,176.33
	एफआईटीएल	7,633.55	0.00	7,633.55	0.00	0.00
उप-योग		39,82,345.47	99,017.41	38,83,328.05	15,898.85	83,118.57
अनर्जक आस्तियां (एनपीए)						
अवमानक	चरण 3	54,979.25	18,703.72	36,275.53	8,353.21	10,350.52
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	58,031.24	24,250.87	33,780.36	14,154.58	1,54,137.66
1 से 3 वर्ष	चरण 3	5,87,108.71	2,90,870.02	2,96,238.68	2,07,377.75	83,492.27
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	1,21,219.61	91,672.21	29,547.39	89,275.32	2,396.89
संदिग्ध का उप-योग		7,66,359.55	4,06,793.11	3,59,566.44	3,10,807.65	95,985.46
हानि	चरण 3	0	0	0	0	0
एनपीए का उप-योग		8,54,588.07	4,58,746.10	3,95,841.97	3,52,410.12	1,06,335.97
अन्य मदें जैसे गारंटियां, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो भारतीय लेखांकन मानक 109 के कार्यक्षेत्र में आते हैं	चरण 1			0		0
	चरण 2			0		0
	चरण 3			0		0
उप-योग		0	0	0	0	0
	चरण 1	37,00,810.19	40,745.48	36,60,064.71	14,803.24	25,942.24
	एफआईटीएल	7,633.55	0.00	7,633.55	0.00	0.00
	चरण 2	2,73,901.73	58,271.93	2,15,629.80	1,095.61	57,176.33
योग	चरण 3	8,54,588.07	4,58,746.10	3,95,841.97	3,52,410.12	1,06,335.97
	योग	48,36,933.53	5,57,763.51	42,79,170.03	3,68,308.97	1,89,454.54

41. जहां पर आवश्यक समझा गया है वहां पर पूर्व वर्ष के अंकों को पुनर्समूहित किया गया है।

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकर
(फर्म पंजी. सं: 003202N)

ह0/-
अनंत भाटिया
(भागीदार)
सदस्यता सं: 507832

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21.06.2021

कृते एवं इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

ह0/-
पवन कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन सं: 8901398

ह0/-
मंजरी मिश्रा
(उ.म.प्र. एवं कंपनी सचिव)

ह0/-
पी.आर. जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन सं: 6711526

ह0/-
राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

फॉर्म एएओसी-1

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु सहायक/सहायोगी कंपनियों/
संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं का विवरण

भाग 'क': सहायक कंपनियां

(₹ लाख/मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र. सं.	विवरण	I	II	III	
1	सहायक कंपनी का नाम	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लि.	आईआईएफसीएल ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी लि.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड	
				भारतीय रुपया	अमेरिकी डॉलर
2	वह तिथि जबसे सहायक कंपनी को अधिग्रहित किया गया	14 फरवरी 2012	28 मार्च 2012	07 फरवरी 2008	
3	संबद्ध सहायक कंपनी की प्रतिवेदन अवधि, यदि नियंत्रक कंपनी की प्रतिवेदन अवधि से भिन्न हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	विदेशी सहायक कंपनियों के मामलों में सम्बद्ध वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि का प्रतिवेदन मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं	यूएसडी (31 मार्च, 2021 को विनिमय दर: 1 यूएसडी= ₹ 73.5047)	
5	शेयर पूंजी	475.00	1,250.00	42,240.32	75.00
6	आरक्षित एवं अधिशेष	1,379.78	1,223.80	(70,736.88)	387.68
7	कुल आस्तियां	2,280.08	2,831.53	15,10,338.60	18,434.88
8	कुल देयताएं	425.30	357.73	15,38,835.16	18,822.56
9	निवेश	शून्य	शून्य	शून्य	
10	टर्नओवर	1,101.18	655.73	38,016.38	404.85
11	कर पूर्व लाभ	331.53	197.63	3,453.74	43.23
12	कर के लिए प्रावधान	85.89	51.45	(128.53)	(1.74)
13	कर पश्चात लाभ	245.64	146.18	3,582.27	44.98
14	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य	
15	शेयरधारिता का %	100%	100%	100%	

टिप्पणियां:

1. सहायक कंपनियाँ जिन्हें अभी भी काम शुरू करना है – शून्य
2. सहायक कंपनियाँ जिन्हें वर्ष के दौरान बंद कर दिया गया या बेच दिया गया – शून्य
3. भारतीय रुपए में परिवर्तन से पूर्व आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड के वित्त में गैर-वित्तीय देयताओं में निहित आस्तियों पर प्रावधान के प्रकटीकरण हेतु समायोजन।

भाग "ख": सहयोगी कंपनियाँ एवं संयुक्त उद्यम
लागू नहीं

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकर
(फर्म पंजी. सं: 003202एन)

ह0/—
अनंत भाटिया
(भागीदार)
सदस्यता सं: 507832

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21.06.2021

कृते एवं इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

ह0/—
पवन कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन सं: 8901398

ह0/—
मंजरी मिश्रा
(उ.म.प्र. एवं कंपनी सचिव)

ह0/—
पी.आर. जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन सं: 6711526

ह0/—
राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक—सीएफओ)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के साथ पठित धारा 129(4) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

मैंने, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की धारा 143(6)(ए) के तहत धारा 129(4) अधिनियम के तहत हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी), आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी और आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (सहायक कंपनियों) के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखापरीक्षा की। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139 (5) और 143 (6) (ए) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड पर अनुपूरक लेखा परीक्षा लागू नहीं हैं, जो कि उनके वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए और उनके संचालन के लिए संबंधित कानूनों के तहत विदेशों में निगमित इकाई है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इस कंपनी की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्य-पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की एक चुनिंदा परीक्षा तक सीमित है। पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे दो लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रभावी बनाने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया गया है।

इसके अलावा, मैं अधिनियम की धारा 143(6) (बी) के साथ पठित धारा 129(4) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरण और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।

क. समेकित लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क .1 आस्तियां

क .1.1 वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण – ₹ 48327.75 करोड़ रु. (नोट संख्या 5)

कर पूर्व लाभ(हानि) – ₹ 355.26 करोड़ रु.

आईआईएफसीएल ने कीरतपुर-नेर-चौक खंड के चार लेन के विकास और निर्माण के लिए आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (24 सितंबर 2012) क 280 करोड़ रु. का ऋण मंजूर किया और 222.73 रु. करोड़ का संवितरण किया। यह ऋण खाता 31 दिसंबर 2018 को गैर-निष्पादित(एनपीए) परिसंपत्ति में बदल गया और 222.71 करोड़ रु. की बकाया राशि को आईआईएफसीएल के बोर्ड के दिनांक 16 मार्च 2021 के संकल्प के अनुसार वित्तीय विवरण से बढ़े खाते में डाल दिया गया था। मार्च 2020 तक बकाया राशि के खिलाफ 106.98 करोड़ रु. प्रावधान किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और कीरतपुर-नेर-चौक एक्सप्रेसवे लिमिटेड के बीच निपटान के संबंध में आईएल एंड एफएस बनाम भारत संघ के मामले में, एनसीएलटी ने आदेश (24 फरवरी 2021) के अनुसार 672.62 करोड़ रु. की शुद्ध निपटान राशि के लिए संशोधित वितरण ढांचा जिसे संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक (09 मार्च 2021) में अधिकांश उधारदाताओं द्वारा स्वीकार किया गया था। आईआईएफसीएल ने निपटान प्रस्ताव के खिलाफ अपील (10 मार्च 2021) को प्राथमिकता दी। इसके अलावा, इसने अग्रणी बैंकर से अनुरोध किया कि केएनसीईएल/एनएचएआई से शेष राशि का दावा करने में ऋणदाता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एनएचएआई द्वारा जारी निपटान राशि, यदि कोई हो, को ऋणदाताओं द्वारा विनियोजित किया जा सकता है। एनएचएआई द्वारा जारी (31 मार्च 2021) एस्करो खाते 662.53 करोड़ रु. और आईआईएफसीएल को में (9 अप्रैल 2021 को) 122.80 करोड़ रु. का अपना हिस्सा प्राप्त हुआ।

हालांकि, इस राशि को वित्तीय विवरणों में दर्ज नहीं किया गया था जिन्हें 21 जून 2021 को अंतिम रूप दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप 'कर और अन्य इक्विटी से पहले लाभ' को ₹ 122.80 करोड़ कम बताया गया है।

क.1.2 वित्तीय आस्ति – ऋण – रु. 36646.92 करोड़ (नोट संख्या 4)

कर पूर्व लाभ/(हानि) – रु. 315.42 करोड़.

आईआईएफसीएल ने एचकेआर रोडवेज लिमिटेड को 181 करोड़ रु. का ऋण मंजूर किया (जनवरी 2011)। ऋण खाता 30 सितंबर 2018 को गैर-निष्पादित आस्ति में बदल गया। 31 मार्च 2021 तक, 163.01 करोड़ रु. बकाया था, जिसके विरुद्ध रु. 81.50 करोड़ का प्रावधान हो चुका है।

800 करोड़ रुपये के लिए एचकेआर रोडवेज लिमिटेड का एकमुश्त निपटान यानि वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) प्रस्ताव को 1 नवंबर 2019 को कट-ऑफ तारीख के साथ कंसोर्टियम उधारदाताओं के बकाये के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए आईआईएफसीएल बोर्ड द्वारा 15 मार्च 2021 को मंजूरी दी गई थी और 26 मार्च 2021 को निपटान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ओटीएस के अनुसार, आईआईएफसीएल का हिस्सा 95.04 करोड़, रु था जिसमें से 11.87 करोड़ रुपये. 31 मार्च 2021 तक प्राप्त हो चुके थे और शेष रु. 13 मई 2021 को 83.17 करोड़ प्राप्त हुए थे, हालांकि, यह राशि वित्तीय विवरणों में दर्ज नहीं की गई थी जिन्हें 21 जून 2021 को अंतिम रूप दिया गया था।

इसके परिणामस्वरूप प्रावधान को अधिक बताया गया है और रु. 13.54 करोड़ के कर पूर्व लाभ को दर्ज किया गया।

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन: U67190DL2006GOI144520

पंजीकृत कार्यालय: 5वीं मंजिल, ब्लॉक-2, प्लेट ए एण्ड बी, एनबीसीसी टॉवर,

ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

फोन: 91-11- 24662777, फैक्स: +91-11-20815125

ईमेल: info@iifcl.in; वेबसाइट: www.iifcl.in

उपस्थिति पत्र

उपस्थित होने वाले सदस्य का नाम (साफ-साफ अक्षरों में)	
फोलियो संख्या	
धारित शेयरों की संख्या	
प्रतिनिधि का नाम (यदि सदस्य के स्थान पर प्रतिनिधि उपस्थित होता है तो साफ-साफ अक्षरों में भरना अनिवार्य है)	

मैं, एतद्वारा बुधवार, दिनांक 10 नवंबर, 2021 को अपराह्न 02:30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में धारित कंपनी की 16वीं वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

सदस्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

टिप्पणी:

1. उपस्थिति पर्ची पर कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार हस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसी पूर्ण और हस्ताक्षरित पर्ची/पर्चियों को बैठक स्थल पर कंपनी सचिव को सौंपा जाना चाहिए।
2. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया पहचान/सत्यापन के लिए फोटो पहचान पत्र साथ लाएं।
3. केवल व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित शेयरधारकों पर ही विचार किया जाएगा।
4. वार्षिक आम सभा में कोई उपहार वितरित नहीं किए जाएंगे।



प्रपत्र संख्या एमजीटी 11

प्रतिनिधि प्रपत्र

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुपालन में]

सीआईएन: U67190DL2006GOI144520

कंपनी का नाम: इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 5वीं मंजिल, ब्लॉक-2, प्लेट ए एण्ड बी, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

सदस्य(यों) का नाम:	
पंजीकृत पता:	
ईमेल आई.डी.:	
फोलियो संख्या/क्लाइंट आईडी:	
डीपी आईडी:	

मैं/हम उपरोक्त कंपनी के _____ शेयरों का/के सदस्य होने के नाते

- नाम : _____

पता : _____

ईमेल आई.डी. : _____

हस्ताक्षर : _____, अथवा के न आने पर
- नाम : _____

पता : _____

ईमेल आई.डी. : _____

हस्ताक्षर : _____, अथवा के न आने पर
- नाम : _____

पता : _____

ईमेल आई.डी. : _____

हस्ताक्षर : _____

16वीं वार्षिक आम सभा, जिसका धारण बुधवार 10 नवंबर, 2021 को अपराह्न 2:30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में किया जाएगा, में मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने, मेरी/हमारी ओर से मतदान करने के लिए अपना/हमारा प्रतिनिधि नियुक्त करता हूं/करते हैं और वह नीचे अंकित ऐसे प्रस्तावों के संबंध में किसी स्थगन पर मत दे सकते हैं :

संकल्प संख्या

- _____
- _____
- _____

2021 के ____ माह के ____ दिन हस्ताक्षरित

शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्रतिनिधि पत्र को प्रभावी बनाने के लिए इसे विधिवत पूरा भर कर बैठक के आयोजन से 48 घंटे पूर्व पंजीकृत कार्यालय में जमा कर दिया जाना चाहिए।

₹ 1 का राजस्व
मुहर लगाएं





आई आई एफ सी एल
I I F C L

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन: U67190DL2006GOI144520

5वां तल, ब्लॉक 2, प्लेट ए एवं बी, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

टेलीफोन: +91-11-24662777, फैक्स: +91-11-20815125, 20815117

वेबसाइट: www.iifcl.in

हमारी सहायक कंपनियां



इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी (यूके) लिमिटेड

(आईआईएफसीएल की पूर्णस्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

एफसीआरएन : 06496661

तृतीय तल, 72 किंग विलियम स्ट्रीट

लंदन ईसी4एन 7एचआर युनाईटेड किंगडम

फोन : +44-20-7776 8950; फैक्स : +44-20-77768958

ई-मेल : info@iifc.org.uk, वेबसाइट : www.iifc.org.uk



आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

(आईआईएफसीएल की पूर्णस्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

सीआईएन : U74999DL2012GOI231473

पंजीकृत कार्यालय : 5वां तल, ब्लॉक 2, प्लेट ए, एनबीसीसी टॉवर,

ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

फोन : +91-11-24655731; फैक्स : +91-11-23738004

ई-मेल : contact@iifclprojects.com, वेबसाइट : www.iifclprojects.com



आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड

(आईआईएफसीएल की पूर्णस्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

सीआईएन : U65991DL2012GOI233601

पंजीकृत कार्यालय : 5वां तल, ब्लॉक 2, प्लेट ए, एनबीसीसी टॉवर,

ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

फोन : +91-11-24665900-10; फैक्स : +91-11-23445119

ई-मेल : complianceofficer@iifclmf.com, वेबसाइट : www.iifclmf.com